राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ९] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २८ वां दिवस [संख्या २३

शुक्रवार
दिनांक २५ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, गृह, कृषि, वन, शिक्षा, आयुर्वेद, खाद्य, सिंचाई, नियुक्ति-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला !

अनधिकृत रूप में ली गई भूमि के मामले-नाथद्वारा

४७८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगर में जिस भूमि पर नया मोटर स्टेण्ड कोर्ट के सामने बना है वह भूमि राजस्व विभाग की बिला नाम भूमि रेकार्ड में दर्ज है ?

(२) क्या यह सही है कि इसी के पास जिस भूमि में पेट्रोल पम्प बना वह कृषि की भूमि है जो आबादी में परिवर्तित नहीं हुई ? इस भूमि पर पेट्रोल पम्प लगाने का आदेश किसने तथा कब दिया तथा अभी वह आबादी में परिवर्तित हुई या नहीं।

(३) क्या यह सही है कि मोटर स्टेण्ड के पास ही कुछ मोटर मालिकों ने बगैर इजाजत ऑफिस के लिये मकान बनाये उनके खिलाफ तहसील में धारा १९१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत केस चलाये गये ? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध तथा उन मुकदमों का क्या हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि इसी विषय को लेकर पुलिस में भी इन्हीं मोटर मालिकों पर धारा १४७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध तथा इन मुकदमों में अब क्या हो रहा है ?

(५) क्या यह सही है कि इसी विषय को लेकर नगरपालिका के प्रशासक ने इन्हीं मोटर मालिकों के विरुद्ध मुकदमा दायर करा रखा है, तथा बिगर अन्य मुकदमों के फैसल हुए इन मकानों को गिरा दिया है ?

(६) क्या यह सही है कि इसी विषय को लेकर इन्हीं मोटर मालिकों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी भूमि अपनी बता कर कार्यवाही कर रखी है तथा इस

(श्री विजयसिंह झाला)

सिलसिले में एक मोटर मालिक के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही होने पर जुर्माना हुआ है।

(७) यह भूमि किसकी है? बगैर मुकदमों के फैसल हुए मकान किस कानून के अन्तर्गत गिराये गये? जो मुसाफिरखाना बना वह किस कानून के अन्तर्गत तथा किसने बनाया?

(८) क्या इसी भूमि के पास पुलिस वालों ने भी पुलिस थाने की बाउण्ड्री कायम कर रखी है? यदि हां, तो किसके आदेश से?

उप मंत्री, राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। वह भूमि नगर पालिका के अधिकार में है।

(२) जी नहीं। आदेश संख्या एफ० २ (६६८) राजस्व (ख) ६५, दिनांक २-३-६६ के द्वारा यह भूमि आबादी में ली जा चुकी है। इस भूमि पर पेट्रोल पम्प लगाने का कोई आपत्ति नहीं सर्टिफिकेट जिलाधीश ने दिनांक १६-११-५७ को दिया था।

(३) जी हां। परन्तु मुकदमे कब्जा हट जाने के कारण, दिनांक १५-९-६५ को समाप्त कर दिये गये हैं। व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :— (१) श्री मीठालाल, (२) श्री मोहनलाल सानी, (३) श्री किशनलाल, नरोत्तम, नरायन, (४) श्री जमनालाल कालू, (५) श्री पुरुषोत्तम, श्रीगोविन्दराम, (६) श्री मीठालाल!

(४) जी नहीं।

(५) अनधिकृत निर्माण करने वालों के विरुद्ध धारा १७०, २०३ म्युनिसिपेलिटी एक्ट, सन् १९५९ के अन्तर्गत मुकदमात दायर किये हैं। सम्बन्धित फौजदारी अदालत में जेर कार्यवाही हैं। इन्हीं धाराओं का प्रयोग करते हुए नगरपालिका ने अनधिकृत निर्माण नियमानुसार हटवा दिये हैं।

(६) जी नहीं। केवल अनधिकृत निर्माण किये गये मकान को हटाने के लिये जिलाधीश ने लिखा था।

(७) भूमि जेर बहस नगरपालिका की है। अनधिकृत निर्माण राजस्थान नगर पालिका, अधिनियम, सन् १९५९ अधिनियम संख्या ३८, धारा १७०, २०३ के अन्तर्गत हटाया गया। मुसाफिरखाना नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा बनाया गया है।

(८) जी नहीं। केवल भूमि आराजी नम्बर ६५५, रकबा २, बीघा ६ बिस्वा पड़त के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है जो मौजूदा बस स्टेण्ड की भूमि से जुदा है।

श्री विजयसिंह झाला : यह आपने भूमि नगरपालिका की बताई तो फिर (३) के अधीन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत १९१ तहसील ने कार्यवाही की वह किसके अन्तर्गत की?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी भूमि के लिए पूछ रहे है, दो भूमि हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने पूछा है कि यह जो बस स्टेण्ड बना है यह भूमि नगरपालिका की है। आपने कहा, हां और इस भूमि पर मोटर मालिक ने मकान बनाया है उसके खिलाफ १९१ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, टीनेन्सी के आधार पर, जो नगरपालिका की थी तो तहसील को कार्यवाही करने का क्या अधिकार है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६१ के अन्तर्गत–यह कहां बताया है ?

श्री विजयसिंह झाला : ३ में कहा है, जिसके खिलाफ चालान किया गया है उसका नाम बताया–मोहनलाल, मीठालाल उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुकदमा कब्जा हटने के कारण समाप्त कर दिया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : भूमि नगरपालिका की थी तो तहसील को इन पर मुकदमा लगाने का क्या अधिकार था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन दिनों नगरपालिका में सेंक्शन हुई है कन्वर्शन की।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही हैं कि पेट्रोल प्रम्प, यह भूमि आबादी भूमि में नहीं ली गई, उससे पहले मंजूर था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जमीन दरअसल, जिसका पेट्रोल पम्प है उसके खातेदारी की थी और उसने यह सारी जमीन नगरपालिका को गिफ्ट के रूप में मुन्तकिल कर दी और नगरपालिका से तय पाया था कि जितना रकबा है इसकी नगरपालिका मालिक रहे गिफ्ट के आधार पर और १४ बिस्वा भूमि पर पेट्रोल पम्प बनवा दे। पेट्रोल पम्प बनाने के लिए मकान मालिक को, पेट्रोल पम्प के मालिक को सारी जमीन दे दी। इसके बाद कन्वर्शन का सवाल था वह गवर्नमेंट ने म्युनिसिपेलिटी के पक्ष में सारा कन्वर्शन कर दिया।

श्री विजयसिंह झाला : यह पेट्रोल पम्प लगाने की आज्ञा किस तारीख को दी गई और गिफ्ट किस तारीख को दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको बताया कि हमारा कन्वर्शन २-३-६६ को हुआ है। पेट्रोल पम्प कब बना यह सही तारीख मुझे मालूम नहीं है। मगर यह संभव है कि यह २-३-६६ से पहले बना है।

श्री विजयसिंह झाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें सौदा हुआ और लोगों ने पैसा खा कर उस भूमि को आबादी में कन्वर्ट की। उसके बाद मोटर मालिकों पर, पुलिस, तहसील और नगरपालिका व पी० डब्ल्यू० डी० से अलग अलग मुकदमे लगाये हैं। जब आपको मालूम नहीं था कि भूमि किस की थी तो आपने उन लोगों को परेशान क्यों किया ? आपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। जब आपकी यह बिना नाम जमीन दर्ज थी तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को इसके संबन्ध में कार्यवाही करने का क्या अधिकार था ? पी० डब्ल्यू० डी० और तहसील को क्या अधिकार था कि वे इन लोगों को परेशान करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी० डब्ल्यू० डी० ने चलाया हो उसका मुझे पता नहीं। जहां तक पेट्रोल पम्प का प्रश्न है, पैसे खाने की जानकारी मुझे नहीं है, मगर नॉन-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस भूमि पर पेट्रोल पम्प लगाने का सर्टिफिकेट जिलाधीश ने १६-११-५७ को दिया था ; उसके बाद में मैं यह तहकीक तो नहीं कर सकता कि यह जमीन म्युनिसिपल बोर्ड को गिफ्ट कर दी। मुमकिन हैं कि उसके बाद में पेट्रोल पम्प बना लिया और उसका कन्वर्शन नियमानुसार नहीं हुआ हो और उन्होंने इसके लिये सरकार को लिखा और २-३-६६ को यह म्युनिसिपेलिटी के पक्ष में कन्वर्शन किया गया।

श्री विजयसिंह झाला : यह आबादी में कब कन्वर्ट हुई और इस भूमि पर कार्यवाही करने का अधिकार उनको था या नहीं ?

Page No. 4

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट श्री अब्दुल जब्बारखां !

राजस्थान में आत्म हत्याओं के मामले

४७६. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :— सन् १९६४-६५ में तथा दिसम्बर, सन् १९६५ तक राजस्थान में आत्म हत्या के कितने मामले हुए तथा उनमें रोजगार न मिलने के कारण परेशान हो कितनों ने आत्म-हत्या की ?

उप मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : सन् १९६४-६५ में ४५१ तथा १-४-६५ से ३१-१२-१९६५ तक ३५६ आत्म हत्याओं के मामले राजस्थान में दर्ज हुये। इनमें से दो व्यक्तियों ने सन् १९६४-६५ में व ५ व्यक्तियों ने १-४-६५ से ३१-१२-६५ तक सम्भवतः अपनी अवस्था से परेशान होकर आत्म-हत्या की।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अधिकतर आत्म-हत्याओं के क्या कारण हैं?

श्री निरजननाथ आचार्य : इसका कारण निराशा, दुराग्रह, मानसिक चिन्ता, आदि हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह आपकी संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती, आप स्पष्ट बतावें कि क्या कारण ये और उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मानसिक विषम स्थिति को रोकने के लिये कोई कदम नहीं है जो उठाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : ये सारे कदम उसी के लिये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, आत्म-हत्या के पूर्व मालूम हो जावे तो उसे मेन्टल हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। बाकी सामाजिक व्यवस्थाओं से बाध्य होकर आत्महत्या करते हैं इसलिये उसमें पुलिस नहीं आती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अभी आपने बताया कि दो व्यक्तियों ने सन् ६४ में और ५ व्यक्तियों ने १-४-६५ से ३१-१२-६५ तक सम्भवतः अपनी अवस्था से परेशान होकर आत्महत्या की तो क्या रोजगार नहीं मिलने से इन सात आदमियों ने आत्म-हत्या की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अवस्था से परेशान होकर आत्महत्या की उसका मतलब मैं बताऊं क्या ? घोर निराशा, घरेलू प्रश्न, दोस्तों के प्रश्न, मोहब्बत के प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आदमी आत्म-हत्या करता है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने अभी मोहब्बत के आधार पर आत्महत्या करने की बात कही। आप किस तरह से कह सकते हैं और आपने ३६५ आत्महत्या के केसेज बताये उनमें से मोहब्बत के आधार पर कितने, निराशा, घोर विषम परिस्थितियों के कारण कितने हुए ? क्या भूखमरी और बेरोज़गारी भी विषम परिस्थितियों में आती है या नहीं ? जिन कर्मचारियों को तनख्वाह कम मिलती है उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इस कारण से आत्महत्या करनी पड़ी है ? आप इसको साधारण तरीके से नहीं ले सकते। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें।

Page No. 5

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका विश्लेषण मेरे पास नहीं है और न हो सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया, विषम परिस्थितियें दिमाग से संबन्ध रखती हैं। उदाहरणार्थ जैसे एक माननीय सदस्य को जिसे अभी ५००) रुपये या ४००) रु० मिलते हैं और बाद में उसको वही वेतन नहीं मिले तो उसके लिये विषम परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि एक के साथ एक विषय जुड़े हुए हैं जिसका विश्लेषण साइकोलॉजिकल है जिसको कहना असंभव है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : माननीय मंत्री यह बता दें कि कुओं में डूब कर कितने और तेल से जल कर कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की, रेलवे की पटरी पर लेट कर कितने लोगों ने आत्महत्या की और जहर खा कर कितनी आत्म-हत्याएं की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपके प्रश्न से संबन्ध नहीं रखता क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है कि आत्म-हत्या से कितने मरे। उसका जवाब मैंने दिया है और इसका जवाब मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने यह जो संख्या बताई है उसमें बेरोजगारी से मरने वाले व्यक्ति कितने थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने आपको निवेदन किया कि बेरोजगारी का विश्लेषण करना ही कठिन है। मेरे पास ऐसे तथ्य नहीं है क्योंकि यह अपराध जब तक अपूर्ण होता है तो अपराध है और सम्पूर्ण होने पर यह अपराध नहीं रहता। इसलिये पुलिस इसके बीच में नहीं आती।

श्री विजयसिंह झाला : यह ठीक है, यह प्रश्न नहीं है कि पुलिस आत्म-हत्या के बीच में आती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप धैर्य रखें। मैं बता रहा हूं कि ऐसा विश्लेषण अब तक कोई मानसिक स्थिति के अध्ययन का पुलिस के पास नहीं है। रहा सवाल रोजगार का। कोई २००) चाहता है और उसको १००) मिलते हैं वह भी बेरोजगार हो सकता है। एक मजदूर ३) रु० चाहता है और उसको दो रुपये नहीं मिले तो उसे भी बेरोजगार कहता है। ऐसे तथ्य नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं बेरोजगार का मतलब स्पष्ट कर देता हूं। बेरोजगार से मतलब यह है कि एक बिस्वा जमीन भी जिसके पास नहीं हो, उसके पास कोई दूकान नहीं थी, उसको कोई गवर्नमेंट की नौकरी मिली नहीं। आप इन सारी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे है। आप को इस बारे में स्पष्ट कहना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : मेरा भी प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं फिर आप पूछले। मैं आप को बताना चाहता हूं कि पुलिस इस बीच में कब आती है। खुद कुशी हो जाने के बाद। उससे पहले उसकी मानसिक स्थिति क्या है, कहां कहां वह रोजगार के लिये गया और उसको निराशा हुई, इसके बीच में पुलिस नहीं आती। लाश मिल जाती है, जब लाश बरामद हो जाती है तब पुलिस का प्रश्न आता है।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह नहीं है कि पुलिस कहां आती है। प्रश्न यह है कि आपने इन अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी कोई शाहदत मिल गई या कोई कागज मिल गया कि उसने आत्महत्या इस कारण से की तब मालूम हो सकता है कि उसने बेरोजगारी के कारण हत्या की या और किसी कारण से। मगर ऐसे कारण नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इतनी बड़ी सामाजिक समस्या है उसका विश्लेषण आपके विभाग द्वारा हो जावे कि क्या क्या परिस्थितियां थीं, इससे संभवतः आपको भी राहत मिल सके।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, पुलिस के पास इसकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : पुलिस के पास नहीं है ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : साइकोलोजिकल इफेक्ट होता हैं। मैं मिनिस्टर साहब से जिनके पास मैडिकल डिपार्टमेंट है निवेदन करूंगा कि उस विभाग से तालमेल करके इसके लिये साइकॉलोजिकल ट्रीटमेंट का प्रयत्न करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझती हूं इनमें रोजगार के प्रश्न अधिक न होकर सामाजिक अधिक होंगे, तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितनी औरतों ने खुदकुशी की है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : औरतों की खुदकुशी बड़ी गुप्त होती है आदमी तो जो स्पष्ट होता है वह कह देता है इसलिए यह इस समय मेरे पास नही हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस राजस्थान की आबादी करीब दो करोड़ है उसमें दो साल का अर्सा भी नहीं हुवा और ८७४ आत्म-हत्यायें हो गई और सरकार यह विश्लेषण तक नहीं कर पाई है तो इससे अधिक सरकार के लिए और शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुंह पर लगा हुआ है शर्म का तो आपके।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपको आयेगी शर्म।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार खां।

क्षारियत और लवणता के कारण बेकार हुई भूमि का सर्वे

४८०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही हैं कि राज्य में पिछले दस वर्षों से क्षरीयत और लवणता (Alkaline and Saline) के कारण काफी मात्रा में भूमि बेकार हो गई है?

(२) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला? कितनी भूमि बेकार हुई?

(३) क्षारता की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है?

(४) यदि हां, तो योजना को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और किन किन स्थानों पर प्रयत्नों का परिणाम क्या रहा है?

उपमन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां कुछ हद तक नहरी क्षेत्र में।

(२) जी हां, सर्वे के अनुसार ५०,००० एकड़ चम्बल क्षेत्र की भूमि में क्षारियता व लवणता के लक्षण पाये गये हैं अन्य जिलों का सर्वे कराया जा रहा है।

(३) जी हां, योजना बनाई गई है। क्षारियता की रोकथाम के लिए भूसंरक्षण शाखा द्वारा काम किया जा रहा है इसके, अन्तर्गत ऋण भी दिया जाता है

(४) जिला भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और पाली में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सुधार २–३ वर्षों में दिखाई देता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जिन क्षेत्रों में क्षारियता बढ़ी है, वहां इसको रोकने के लिये क्या कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ?

श्री भीमसिंह : वहां के लिए स्कीम तैयार की है, यह इतना बड़ा काम है और एरिया इतना वास्ट है कि काफी मेहनत से कार्य करना पड़ेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सारे जिलों का सर्वे कराया है तो कहां की भूमि में, किन जिलों की भूमि में, यह क्षारियता अधिक बढ़ी है ?

श्री भीमसिंह : मैंने प्रश्न के भाग ३ के उत्तर में यह बताया है और जिलों के नाम भी हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर जिले का नाम नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि वहां पर भूमि में क्षार बहुत है।

श्री भीमसिंह : जालोर जिले में कोई नई चीज नहीं है, वहां तो लूणी और खारड़ा से वैसे ही पहले से लवणता है। नये नये जहां डेवलप हो रहे हैं उनके लिये यह क्वेश्चन था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर जिले में भी पहले जो जमीन उपजाऊ थी वहां क्षार हो गया है, देखेंगे तो पता चलेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्षार के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं ?

श्री भीमसिंह : जहां कनाल्स आई हैं वहां मिट्टी से पानी ऊपर आता है, सॉइल के लेवल से पानी ऊपर आता है तो सॉइल के साल्टस ऊपर आते हैं और इस तरह वहां क्षार उत्पन्न होता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या भीलवाड़ा का भी इस सम्बन्ध में सर्वे हो चुका है ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि उदयपुर में जो नहरें आई हैं उनके कारण उपजाऊ भूमि में क्षार बढ़ा है ?

श्री भीमसिंह : उदयपुर के बारे में सूचना नहीं हैं। हो सकता है वहां भी क्षार से थोड़ी बहुत भूमि खराब हुई हो।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या आप बतायेंगे कि क्षार किस रेट से बढ़ रहा है ? सैलाइन किस रेट से बढ़ रहा है ?

प्रश्न संख्या ४८१

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय !

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर !

अकृषि प्रयोजन हेतु ली गई भूमि तहसील बसवा

४८२. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत तीन वर्षों में तहसील बसवा में कितनी काश्त की भूमि अकृषि प्रयोजनों (नॉन एग्रीकल्चर परपजेज) के लिये ली जा चुकी है तथा कितने मामलों में कन्वर्शन हुआ है ?

(२) कितने मामलों में कन्वर्शन नहीं हुआ है और क्यों ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील बसवा में गत तीन वर्षों में २४ बीघा, १५ बिस्वा कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनों के काम में ली गई है। केवल एक मामले में सरकार द्वारा नगरपालिका, बांदीकुई के हक में कन्वर्शन किया गया।

(२) ऐसे १४५ मामले हैं। सन् १९६२ के बाद के मामले होने से सरकारी आदेशानुसार उनका नियमन राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने कितनी भूमि बताई है जिसका कन्वर्शन किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २४ बीघा और १५ बिस्वा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : १९६१ से लेकर सिवाय चक के कृषि की भूमि को आबादी में बदलने के लिये जो आवेदन-पत्र और सिफारिशें कलेक्टर के पास भेजी, वे भी इसमें शामिल हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि १४५ मामले ऐसे हैं जिनमें कन्वर्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि उनकी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं। सरकार के आदेश हैं कि जो जमीन कृषि की है उसको किसी इन्डिविज्युअल के पक्ष में रिहायश के लिये कन्वर्ट न किया जाय। पंचायतों और म्युनिसिपेलिटी के हक से कन्वर्शन करते हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : १४५ मामले जो आपने बताये उनमें इसी वजह से उस लैंड को आबादी में तब्दील नहीं किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फाइनल नहीं हुए हैं, आदेश इस वजह से नहीं दिये हैं कि बहुत सारे मामले जेर-तजबीज हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कलेक्टर के यहां इतने मामले जेर तजवीज हैं, विचाराधीन हैं और आपके यहां कृषि भूमि में बंगला बनाने का स्वीकार हुआ है, मैं नाम बताऊं श्री बी. एन. जोशी ने बांदीकुई के पास में कृषि भूमि में बंगला बनाया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतना स्पष्ट ही पूछना चाहते थे तो प्रश्न में स्पष्टरूप से पूछते, मैं पूरी जानकारी करके बताता। आपने तो जनरल क्वेश्चन पूछा है, उसकी मैंने जानकारी दी है। यह तो स्पेसिफिक पूछते तो बताता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : स्पेसिफिक इसलिये पूछता हूं कि एडवाइजरी कमेटी ने या तहसीलदार ने और मामले भेजे हैं उनके लिये तो आप कहते हैं कि विचाराधीन हैं और एक मामले में कृषि भूमि में बंगला बना लेते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जानकारी नहीं हैं। स्पेसिफिक पूछते तो बताता। कलेक्टर के यहां से जो सूची आई है, उसके आधार पर यह दिया है, लिस्ट बहुत बड़ी है, उनका नाम भी इसमें हो तो पता नहीं। एक म्युनिसिपल बोर्ड के हक में कन्वर्शन हुआ है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या आप जांच करके इन १४५ मामलों को भी इसी आधार पर तब्दील करने की कोशिश करेंगे या आपने जो यह किया है उसको इल्लिगल करार देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पर जो आप यह कह रहे हैं उसके बारे में क्या स्थिति है, इसकी मैं जरूर जानकारी करूंगा।

प्रश्न संख्या ४८३

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज !

जोधपुर डिवीजन में मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापकों के ग्रेड

४८४. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर डिवीजन के २३ मेट्रिक ट्रेण्ड अध्यापकों को जो ग्रेड नियमानुसार १-४-५१ से मिलना चाहिये था, नहीं दिया गया है और उनके मामले अगस्त, सन् १९५५ से आज तक विचाराधीन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार की इस ढीली नीति के कारण इन अध्यापकों को भयंकर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और कई वर्षों से मासिक १३०) रुपये के बजाय उन्हें केवल ८०) रु० मासिक मिल रहे हैं और कुल २०,०००) रु० के लगभग बकाया इनको नहीं मिला है ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापक जिनके मामले विचाराधीन हैं रिटायर भी हो चुके हैं ? अब यह मामला कब तक तय कर दिया जाएगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे मेट्रिक ग्रेड के १-४-५१ से हकदार हैं।

(२) ये अध्यापक अपनी युनिट ग्रेड में ४०-२-५०-३-८० में थे जो कि युनिफाइड पे स्केल्स में ५०-४-७० हो गई तथा नेशनलाइज् पे स्केल्स में ५०-४-७०-५-८० हो गई। इनके मामलों पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया कि यदि युनिफाइड में उनकी ग्रेड ७० पर समाप्त होती हैं तो उन अध्यापकों को अपनी युनिट ग्रेड ले लेनी चाहिये थी जो कि ८० पर खत्म होती थी।

(३) केवल एक अध्यापक रिटायर हुआ है। प्रश्न २ के उत्तर के अनुसार राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय दे दिया था लेकिन फिर भी अतिरिक्त संचालक को ठोस मुद्दों के साथ सिफारिश करने को कहा गया है ताकि इस प्रश्न पर दुबारा से विचार किया जा सके।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने कहा कि ५१ से विचाराधीन हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता, तो क्या यह सरकार को पता ही नहीं है ?

श्री बृजसुंदर शर्मा : निर्णय पहले ले लिया; ए. जी. ने इन्कार कर दिया फिर यह सवाल उठा तो यह मामला वापिस लिया गया और अतिरिक्त संचालक को ठोस मुद्दों के साथ सिफारिश करने को कहा गया।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या रिवाइज्ड पे स्केल्स के लिये ऑप्सन लिया गया ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे कितने मामलें हैं जिनमें अध्यापक रिटायर हो चुके हैं और उनका फिक्सेशन नहीं हो पाया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक अध्यापक रिटायर हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

ग्राम डोडियाना से भगाई गई लड़की की बरामदगी

४=५. **श्रीमती गौरी पूनिया** (हेगाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) गोगली नाम की लड़की जो कि ग्राम डोडियाना (पंचायत समिति रीयां) से तारीख ६-६-६५ को एक जीप द्वारा भगाई गई थी, वह बरामद हुई या नहीं ?

(२) इसे भगाने वालों के नाम क्या हैं? उनमें से अब तक कितने गिरफ्तार हुए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि लड़की बरामद होने से पहले ही दो मुलजिमों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था ?

(४) इस समय वह लड़की कहां पर है?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां। मुसम्मात गोगली बरामद हो चुकी है।

(२) गोगली को भगाने वाले किशनाराम, सवाईसिंह, श्रीराम, भवरू, रिझाराम उर्फ रिद्धाराम, और मदनलाल ड्राइवर, जीप है जो सभी गिरफ्तार हो चुके हैं।

(३) जी हां।

(४) मुसम्मात गोगली अपनी मां के पास है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): इनका चालान हो चुका है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्रीमती गौरी पूनिया : लड़की के साथ कुछ जेवर भी थे, वे बरामद हुए या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी शिकायत ही नहीं थी तो बरामदगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती गौरी पूनिया : ऐसी शिकायत की गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे पास जेवरों की शिकायत नहीं है। वह तो सुहाग के चिन्ह होते हैं उनकी बरामदगी का तो प्रश्न ही नहीं।

श्रीमती गौरी पूनिया : ऐसे सामाज-विरोधी लोगों के प्रति सरकार सतर्क नहीं है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां सतर्क है तभी तो मुसम्मात गोगली बरामद हुई। एक भागली का भी प्रश्न आया था उनको पुलिस ने रोक दिया, नहीं भगाने दिया।

Page No. 11

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें बहुत से एबेटर्स है; क्या आपने छानबीन की है कि सबका चालान हुआ है या सिर्फ जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया उनका ही चालान किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह केस सबजुडिस है। इसमें एब्डक्टर्स पकड़े गए, जीप का ड्राइवर पकड़ा गया और चालान हो गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर जिसके यहां वह ठहरती है, जिसको भगाया गया है तो उसने भी अबेटमेंट किया, क्या उनको भी पकड़ा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हाई कोर्ट्स का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

कोटा जिले में पटवारियों को वेतन

४८६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोटा जिले में पटवारियों को १-४-६५ से संशोधित वेतन श्रृंखला अब तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक दे दी जावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां। संशोधित वेतन-श्रृंखला के आदेश दिनांक १७-८-६५ को प्रचलित हुए। प्रयत्न किया जा रहा है कि फिक्सेशन संबंधी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक नई स्केलस दी जायेंगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत जल्दी।

श्री लक्ष्मीचंद : अभी तक नहीं दिया गया क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी तादाद में मामले हैं। इससे पहले भी स्केल्स रिवाइज हुई थी। नए स्केल्स में फिक्स करना इसमें समय तो लगता ही है। साथ ही साथ में सारे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक आर० एस० ऑफिसर और एकाउण्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति की है जो स्वयं के प्रयत्नों से और कलेक्टर के सहयोग से सभी जगह जाकर मौके पर जाकर सारी चीजों की कम्पलीट करके निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या यह सही है कि इससे पटवारियों में असंतोष है और पटवार-संघ को भी आपने आश्वासन दिया था कि जल्दी करेंगे ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ४८७-३

श्री अध्यक्ष : दलपतसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मालमसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

चीनी का कोटा

४८६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के हर जिले को चीनी का माहवारी कोटा कितना कितना और किस

Page No. 12

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आधार से दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें !

(२) क्या यह सच है कि समान आधार होते हुए भी टोंक जिले को अन्य जिलों की अपेक्षा कम कोटा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) राजस्थान के हर जिले को चीनी का कोटा जन संख्या के आधार पर दिया जाता है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया: हर जिले में चीनी का कोटा प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन मात्रा अलग अलग क्यों है ? कहीं पर एक किलो महीने में तो कहीं पर ८०० ग्राम, कहीं पर ६०० ग्राम, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हर जिला हैडक्वार्टर पर एक व्यक्ति को एक महीने में एक कीलो चीनी मिलती है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : टोंक जिले को कम देते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कहीं पर अगर चीनी कम पहुंचती होगी तो हो सकता है कि कम मिलती हो, लेकिन आम तौर पर सभी जिला हैडक्वार्टर्स पर शहरी आबादी के कारण प्रति व्यक्ति पर एक किलो दी जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप के यहां जांच की कोई मशीनरी नहीं है। आपके पास कागजात आते होंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए टोंक जिले में एक महीने में एक व्यक्ति को एक किलो चीनी नहीं मिलती।

श्रीमती कमला बेनीवाल : किसी व्यक्ति को कम दी है या सभी को ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : ग्रामों और शहरों में यह भेदभाव क्यों है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आम तौर पर यह समझा जाता है कि गांव के लोग चीनी कम खाते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या सरकार का चीनी पर से राशन हटाने का विचार है ?

श्री श्रवणलाल : क्या आपने इस बात का सर्वेक्षण कराया है कि गांवों में चीनी का कम उपयोग होता है ?

श्री अब्दुल जब्बार (निबाहेडा) : गांव वालों के साथ यह अन्याय हो रहा है। २५०-२५० ग्राम चीनी मिलती है। गांव वालों को शहर वालों के बराबर अधिकार होने चाहिए शहरों और गांवों में अंतर करना अच्छा नहीं है। जब आपने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है तो कम से कम शक्कर उसी आधार पर गांव वालों को दिलवाओ डिलीवरी के केसेज होते हैं तो वे भिखमगों की तरह शक्कर के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। आप तहसीलदार को आदेश दें कि इसका उचित वितरण हो। गांवों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

Page No. 13

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सरकार की ओर से गांवों के लिए क्या आदेश दे रखे हैं ? क्योंकि वहां के क्षेत्र के लोग चीनी कम खाते हैं इस नाते शक्कर कम दो जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले २५० ग्राम चीनी दी जाती थी वहां अब ३०० ग्राम कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूलाल करोल :

ग्राम चिमनपुरा के ग्रामवासियों द्वारा भूमि एकीकरण के कार्य को बन्द करने की मांग।

४६०. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

क्या यह सही है कि ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट, जिला जयपुर के ग्राम वासियों की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र जून सन् १९६५ में सेटिलमेंट कमिश्नर के समक्ष पेश कर यह जाहिर किया गया कि हमारे ग्राम में भूमि एकीकरण का काम बंद कर दिया जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम का भूमि एकीकरण नहीं करावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां। ५ जुलाई, सन् १९६५ को उक्त ग्राम वासियों की तरफ से भूमि एकीकरण का कार्य बंद कराने हेतु प्रार्थना-पत्र संचालक, भूमि एकीकरण विभाग, राजस्थान जयपुर, के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस गांव का भूमि एकीकरण का काम प्रायः हो चुका है लेकिन गांव वालों को इच्छानुसार आने वाले बैसाख, जेठ में विभाजन का कार्य फिर से करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नाथूलाल करोल : मेरी अर्ज यह है कि गांव वाले नहीं चाहते हैं तो फिर क्यों करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'इच्छानुसार' शब्द कहा है। उन्होंने ऐसे प्रार्थना-पत्र जरूर पेश किये थे और उसके बाद भूमि एकीकरण अधिकारी गांव में गया और उन्होंने उनसे बातचीत की और उन्होंने जो कठिनाइयां बतायी थीं उसको महसूस करके २८-२-६५ को गांव वालों ने स्वीकार कर लिया था कि बैशाख में दुबारा विभाजन कर दिया जावे। हमें दुबारा आदेश देने पड़े ताकि जो कठिनाइयां महसूस हुई हैं तो वह दूर हो जायं।

श्री नाथूलाल करोल : कठिनाइयां रही तो पोस्टपोन करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी इच्छानुसार दुबारा विभाजन के आदेश दे दिये। बैशाख और जेष्ठ में यह विभाजन का कार्य होगा और जिस प्रकार तय हुआ है उसी मुताबिक कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

सिंचाई की योजनायें

४६१. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के जिन-जिन जिलों में अधिकतर अथवा करीब २ हर साल ही बरसात की कमी से अकाल पड़ता है उन जिलों को इस स्थिति से बचाने के लिये क्या जिलेवार सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की कोई योजनाएं बनाई गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती सुमित्रा)

(२) यदि हां, तो कौन-कौन सी ? तथा झुंझुनू जिले को सिंचाई का पानी किस योजना से उपलब्ध करवाया जायगा ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेश राय डांगी) : (१) जी नहीं, सिंचाई योजनाओं का बनाना मुख्यतया क्षेत्र की बरसात एवं आर्थिक दृष्टि से बांध के लिये उचित बांध स्थल का आसानी से उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। राज्य की जिलावार जल वृष्टि में काफी भिन्नता होने के कारण सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हेतु जिलावार प्रोग्राम बनाना उपयोगी नहीं समझा गया है।

(२) झुंझुनूं जिले के क्षेत्र के कुछ भाग को पोक तथा रवां-कांकरिया बांध से सिंचाई उपलब्ध होने की संभावना है।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, तो क्या यह समझा जाय कि जिस जिले के अन्दर आर्थिक दृष्टि से और बरसात से बांध बनाने के लिये उचित बांध स्थल नहीं मिलेगा तो ऐसे जिलों के लिये सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराये जावेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसा है कि जहां बांध नहीं बनाये जा सकते हैं वहां पर नल-कूप योजना से कोशिश की जा रही है।

श्रीमती सुमित्रा : आप यही जवाब दे सकते थे कि उचित बांध स्थल नहीं हैं इस कारण नलकूप योजना से होगा।

श्री दिनेशराय डांगी: नई कूप योजना का अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड से सम्बन्ध है और यह माननीय सदस्या को मालूम है।

श्री जीवराज सिंह (गुढा) : खोह और मंडावरा का क्या सर्वे नहीं हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस गांव का सर्वे कराया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री अब्दुल जब्बार (निबाहेडा) : योजनानुसार होता है या बगैर योजना के ? भाग १ में जी नहीं कहा।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्या ने जिलेवार योजना बनाने की बात कही थी।

हमारा सर्कल चलता है उसके अनुसार करते हैं।

श्री जीवराजसिंह : मंडावरा खोह का सर्वे हो चुका है। एस्टीमेट बन चुके हैं।

श्रीमती सुमित्रा : उनका सर्वे हो चुका है।

श्री दिनेशराय डांगी : पोक के बांध का सर्वे हो चुका है और सिंचाई चालू की जायगी।

श्रीमती सुमित्रा : सिंचाई कब चालू की जावेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : एक की सिंचाई चालू की जावेगी और दूसरा बनेगा तब होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

भूमि एलॉटमेंट, पंचायत आवर

४६२. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड ने पंचायत आवर

(श्री गोविन्दसिंह)

के किसी व्यक्ति को जमीन एलॉट की और उस व्यक्ति ने तहसील पिड़ावा की जमीन पर कब्जा कर लिया ?

(२) क्या यह सही है कि उस व्यक्ति ने तहसील पिड़ावा की जमीन पर काफी पेड़ काट डाले ? क्या यह सही है कि तहसीलदार पिड़ावा ने इसकी जांच की ? यदि हां, तो उसके परिणामों से अवगत कराने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि उस काश्तकार का यह कहना है कि जिस जमीन के पेड़ (तहसील पिड़ावा में) उस काश्तकार ने काटे हैं वही जमीन उसको तहसीलदार पचपहाड़ ने एलॉट की थी ? यदि यह सच है तो तहसीलदार पचपहाड़ ने इस प्रकार की कार्यवाही क्यों की ? सम्बन्धित एलॉटमेंट की मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी के कौन कौन सदस्य थे ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) तहसीलदार पिड़ावा द्वारा दिनांक १०-८-६५ को मौके पर जांच की गई तो श्री पूरा लाल द्वारा काफी पेड़ काटे जाना पाया गया । तहसील से दफा ९१ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । फसल जब्त की गई तथा २८-१०-६५ को बेदखली का आदेश तहसील द्वारा १३१) रु० ३१ पैसे पेनाल्टी लगाते हुए दिया गया तथा पेड़ों के मामले के लिये पुलिस में चारा-जोई की गई ।

(३) यह सही नहीं है कि जिस जमीन के पेड़ काश्तकार द्वारा काटे गये हैं वह जमीन तहसीलदार पचपहाड़ ने अलॉट की थी ।

तहसील पिड़ावा के ग्राम नगर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण उक्त कार्यवाही बेदखली नियमानुसार की गई ।

श्री गोविन्द सिंह : प्रश्न ३ में आपने फरमाया कि यह साफ है कि तहसीलदार पचपहाड़ ने वह जमीन अलॉट नहीं की थी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि २११ नम्बर के खसरे में ५ बीघा जमीन ग्राम आवर में तहसील पचपहाड़ में अलॉट की गई थी उसी का कब्जा दिया गया था । लेकिन ग्राम नगर में १८ बीघा ११ बिस्वा जमीन पर उसने कब्जा कर लिया जो नाजायज था । जिस तहसील में यह गांव पड़ता है उस तहसीलदार ने बेदखली की कार्यवाही की ।

श्री गोविन्द सिंह : तहसीलदार ने न जमीन अलाट की और न दी । जमीन पिड़ावा में दी । मंत्री महोदय इस पर जांच करवा लें । सही जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही नहीं है । मेरी सूचना के अनुसार खसरा नं० २११ में ५ बीघा जमीन का अलॉटमेंट किया था । १५-८-६५ को कब्जा दिया और १६-८-६५ को टाइटल सनद दी उसमें लिखा हुआ है कि १५-८-६५ को कब्जा दिया गया। यह ५ बीघा जमीन आवर में है लेकिन लगभग १६ बीघा जमीन पर उसने नाजायज कब्जा तहसील पचपहाड़ में किया उसकी बेदखली की कार्यवाही की गई, ऐसी मेरे पास सूचना है ।

श्री गोविन्द सिंह : मैंने खुद ने उस आदमी से बातचीत की थी । आवर मेरी कॉन्स्टिट्यून्सी में है ।

Page No. 16

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का कहना यह है कि एक जगह अलॉट की और दूसरी जगह कब्जा कर लिया ।

श्री गोविन्दसिंह : दरअसल ......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो जगह जमीन कैसे रह सकती है । खसरा नम्बर २११ से ५ बीघा जमीन एलॉट हुई । दूसरा १८ बीघा ११ विस्वा पर दूसरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आपकेबकौलके यह मान लिया जाय कि वहां पर एलॉट नहीं हुई है तो १९ बीघा पर कैसे कब्जा रह सकता है जबकि पांच बीघा ही अलॉट की है ।

श्री गोविन्दसिंह : पांच बीघा से अधिक पर कब्जा कर लिया होगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों तहसीलें अलग-अलग हैं। रेजिडेन्स आवर की हैं। आवर की जमीन अलॉट की गई, पचपहाड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया, यह उचित नहीं है । यदि माननीय सदस्य के पास लिखित प्रमाण तहसीलदार का और इस प्रकार का प्रमाण हो कि जो मेरी सूचना के विपरीत हो तो आप बता दें, मैं अवश्य जानकारी करवा लूंगा ताकि सही बात मालूम हो सके ।

श्री गोविन्दसिंह : मेरे अगले प्रश्न में जवाब आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

ग्राम काली तलाई में नाकाबिल काश्त भूमि का एलॉटमेंट

४६३. **श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि उसी भूमि का एलॉटमेंट हो सकता है जो काबिल काश्त हो और यदि नाकाबिल काश्त मौके पर काबिल काश्त हो तो पहले इसको काबिल काश्त में लेने की कार्यवाही की जाती है व मंजूरी हो जाने पर एलॉटमेंट के लिये इनके नम्बरों के नोटिस निकाले जाते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मोगरा तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में ग्राम काली तलाई की नाकाबिल काश्त भूमि ग्राम मोगरा के काश्तकारों को एलॉट कर दी गई ?

(३) यदि हां, तो कितनी भूमि एलॉट की गई ? जिन जिन व्यक्तियों को यह भूमि एलॉट की गई है, क्या वे भूमिहीन थे ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रकार नाकाबिल काश्त भूमि दूसरे गांव वालों को एलॉट कर देने के फलस्वरूप काली तलाई के काश्तकारों को एलॉटमेंट के विरुद्ध जिलाधीश के यहां अपील करनी पड़ी ।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां ।

(२) ग्राम काली तलाई की नाकाबिल काश्त भूमि को काबिल काश्त की किस्म में तब्दील की स्वीकृति दी जाने पर काबिल काश्त भूमि ग्राम काली तलाई के भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाकर उनकी मांग पूरी होने के पश्चात् बची हुई भूमि काबिल काश्त समीपस्थ भूमिहीन ग्रामीण मोगरा को भूमि आवंटित की गई ।

(३) ९० एकड़ काबिल काश्त भूमि ग्राम मोगरा के ३७ भूमिहीनों को एलॉट की गई है ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) काबिल काश्त भूमि शिड्यूल्डकास्ट व अन्य जाति के ३७ व्यक्तियों को एलॉट की थी। अपील केवल ११ व्यक्ति, जो अन्य जाति के थे, उनके विरुद्ध आपसी रंजिश के कारण होना बताया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह : यह जो जमीन मोगरा वालों को दूसरे ग्राम में दी तो क्या मोगरा में जमीन नहीं थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्राम मोगरा में जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से और ग्राम काली तलाई में जमीन उपलब्ध होने से भूमिहीनों को उनके पास भूमि नहीं होने से, और पास में ग्राम होने से एक दूसरे में खेती होती रही है, इस कारण से इस जमीन का पुन: एलॉटमेन्ट करना बताया गया है।

श्री गोविन्दसिंह : यह जो मोगरा में एलॉट की गई है क्या सब भूमिहीनों को ही की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: भूमिहीन मानकर ही दी है, अगर किसी के बारे में संशय है तो आप मुझे बताइये।

श्री गोविन्दसिंह : इसमें ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनको भूमि दी है और जिनके पास पहले से पचासों बीघा जमीन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे आदमी जिनके पास भूमि है और उनको भूमिहीन के नाम से भूमि दी गई है जो नियमों के विपरीत है, आप मुझे उनके नाम दीजिये मैं उसकी इन्क्वायरी करवाऊंगा। अगर इन्क्वायरी के बाद नियम के विपरीत पाया गया तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री गोविन्दसिंह : एक गांव के काश्तकार को दूसरे गांव में जमीन दे दी जब कि उस गांव में जमीन मौजूद है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वहां कोई भूमिहीन बचा हुआ हो तो बता दीजिये। अगर वहां जमीन हो और दूसरे गांव में रहने वाले भूमिहीनों को दे दी जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह : मोगरा गांव में भूमि मौजूद है दूसरे गांव में चरनोट की भूमि दी है वह २० बीघा २० बिस्वा है। एक ही गांव में ज्यादा भूमि दे देते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे इस मामले में अपील भी चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

सघन कृषि योजना के अन्तर्गत हुई पैदावार के आंकड़े

४९४. **श्री केसरीसिंह** (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान में सघन कृषि योजना क्षेत्रों में, खाद्य फसलों पर किये गये फसल कटाई के प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों से यह बताने की कृपा करें कि सन् १९६१ से ६५ तक प्रति वर्ष किस किस अनाज की कितनी पैदावार प्रति एकड़ हुई ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित आंकड़े पूरे नहीं आये हैं अतः इसके लिये कुछ समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कितना समय चाहिये ?

श्री भीमसिंह : कम से कम दस दिन तो लग ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगले हफ्ते दे दिया जाय।

श्री रविशंकर याज्ञनिक।

ग्राम पंचायत, भावरी के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

४६५. **श्री रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भावरी (पंचायत समिति पिंडवाड़ा), जिला सिरोही के भूतपूर्व सरपंच मगनमल जैन के विरुद्ध एक गबन का केस करीबन पांच साल से एस० पी० सिरोही के कार्यालय में कार्यवाही हेतु पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि शासन सहायक सचिव (जांच) पंचायत, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ ३ (एस) (१०१) सिरोही ६५।२४४४६-५० दिनांक २१-१-६५ के जरिए एस० पी०, सिरोही को इसकी जांच जल्दी करके कोर्ट में मुकदमा चालान करने को लिखा है ? यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां. इस सम्बन्ध में दिनांक २३-८-६२ को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर, सिरोही से सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित दस्तावेज तथा अंगूली चिन्ह विशेषज्ञ की राय प्राप्त होने पर मुकदमा नं० ४१ दिनांक ७-११-६५ को धारा ४०९।४६७ भा. दं. सं. के आधीन थाना रोहीड़ा, जिला सिरोही पर दर्ज किया जाकर तफतीश आरम्भ की गई जो अभी तक की जा रही है।

(२) शासन सहायक सचिव (जांच) राजस्थान जयपुर का इस क्रमांक का पत्र दिनांक २९-९-६५ का अवश्य अधीक्षक पुलिस, सिरोही के यहां प्राप्त हुआ था। दिनांक २१-१-६५ का कोई पत्र दफ्तर अधीक्षक पुलिस. सिरोही के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। पत्र के प्राप्त होते ही इस विषय में मुकदमा दर्ज करवाकर अनुसन्धान आरंभ कर दी गई हैं।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : जब ६२ के अन्दर रिपोर्ट दी गई थी तो आज दिन तक मुकदमा दायर करने में देरी क्यों हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : देरी का कारण मैं बताऊं, २६-११-६२ तक रेकॉर्ड को मंगवाये जाने हेतु डेवलपमेन्ट विभाग और पुलिस के विभाग के बीच कागज चलते रहे। ३०-४-६३ को वे कागजात आये। उसके बाद एग्जामिनेशन वार्ड दी फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट, उनमें समय लग गया। उसके बाद मुख्य विटनेस का अंगूठा है या नहीं इसको प्रमाणित किया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिरोही में यह आवेदन किया गया। वे अभी तक सेक्शन या ससपेन्शन दोनों की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जब एफ० आई० आर० डेवलपमेंट ऑफिसर के यहां से आ चुकी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होना था, वह क्यों नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दर्ज होने की परिस्थिति नहीं थी। एफ० आई० आर०

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की सारी जांच की जाती है; डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर के एफ० आई० आर० कर देने से नहीं होती। वह एक दिन में ही पेश हो जाय, यह नहीं होता। केस तो देखना पड़ता है कि ऑफन्सेज इतने इनहेरेन्ट क्यों बनते आ रहे हैं। जब तक रेकार्ड नहीं आता है तब तक उसको प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जाता है। रेकार्ड आने पर फिन्गर प्रिन्ट एक्सपर्ट की राय ली गई। उससे अंगूठे की जांच करवाई उसके बाद पता चला कि ऑफेन्स मेड आउट है तो केस रजिस्टर किया। अब डेवपलमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में चल रहा हैं, उधर से कागजात जल्दी आयें यह प्रयत्न कीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कानून के विपरीत बात कर रहे हैं। साबित नहीं होता है तो वह फाइनल रिपोर्ट दे दे। रिपोर्ट देने से पहले ही तफतीश और छानबीन क्यों करते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो कुछ समय लगा है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पुलिस के बीच लगा है। जब तक कागजात पूरे नहीं आ जाते हैं तब तक आगे क्या कार्यवाही हो सकती है?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस मामले में सब से पहले रिपोर्ट कब की गई? रिपोर्ट आने के बाद एफ० आई० आर० कब दर्ज की?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २३-८-६२ को एस० पी०, सिरोही को इत्तला दी गई डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : २३-३-६२ को आपने यह आवश्यक नहीं समझा कि एफ० आई० आर० दर्ज हो जाय। आपके पास रिपोर्ट आने के कितने दिन बाद एफ० आई० आर० चाक आउट की?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिपोर्ट को रखी जाकर रेकार्ड मंगवाया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एफ. आई. आर. दर्ज करने में डेवलपमेंट ऑफिस का रेकार्ड क्यों आवश्यक समझा गया? क्या उसके बिना एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हो सकती थी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें क्रिमीनल प्रोसीजर हटता नहीं। वह वही का वही है। जहां रिपोर्ट आई और एफ० आई० आर० दर्ज हो गई। आपके दिमाग में शायद प्रिन्टेड फार्म से है। The Report itself is F. I. R.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रिपोर्ट आप दर्ज कर सकते थे उसमें रेकार्ड आदि मंगाने की जरूरत नहीं थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने देरी के एक, दो, तीन, चार कारण बतला दिये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जहां इनवेस्टीगेशन का सवाल हो वहां विभागीय जांच की आवश्यकता होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इत्तिला होने के बाद उसके खयानत में कुछ सूबाह हो, या दस्तावेजात की कमी के कारण वह अधूरी हो तो उसको जब तक पुलिस ऑफिसर नहीं देखें, उसकी इन्क्वायरी नहीं करें तब तक प्राइमाफेसी पूरी नहीं हो सकती। हम नहीं चाहते कि आगे चलकर मुकदमा फेल हो।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर, और एस० पी०, सिरोही दोनों का ही कार्यालय सिरोही में ही है। उसी स्थान पर आपको रिपोर्ट मंगवानें में इतनी देर लग गई, तो दूसरी जगह से मंगवाने में कितना समय लग सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैं तो एक ही जगह लेकिन कागज चलते हैं आदमी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह डिले किस प्रकार होती है उसका उदाहरण है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): एफ० आई० आर० दर्ज करने से पहले एफ० आई० आर० की जांच की जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दफा १५१-५२ के अन्दर साफ है, एफ० आई० आर० में ट्रेजीबल एवीडेन्स क्या है, मामले की तफतीश किये बिना नहीं रखे तो वे आगे नहीं बढ़ती हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): गजेटेड ऑफिसर की इन्फोरमेशन आप गलत समझते हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है, कि सपोर्टेड बाई डॉक्युमेंट एवीडेन्स है या नहीं। एक तो केस अधूरा करें और उस पर अंगूठा है वह कहे मेरा अंगूठा नहीं। जब उस बारे में एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले ली जाती है तो मामला साफ हो जाता है। सब से बड़ी बात जो इस मामले में है वह एक्सपर्ट की ओपीनियन है वह डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास नहीं। तो इस तरह से अधूरा मामला करने से आगे काम नहीं चलता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पुलिस की एवीडेन्स आदि कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में होती हैं। यह कभी नहीं होता पुलिस बिना एक्सपर्ट की ओपिनियन लिये आगे चला देती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी समझ में यह मुकदमा ही नहीं आया। जिस सरपंच के खिलाफ यह आरोप हैं कि उसने खयानत की है। चबूतरा बनाने की रकम वह खुद खा गया ! वह खा जाने के बाद किसी आदमी को ठेका दे दिया फर्जी कार्यवाही की। उस ठेके के कागज पर अंगूठा करवा लिया। वह आदमी अहमदाबाद चला गया। उसके अंगूठे को एक्सपर्ट ने देखा जिसका अंगूठा था उसको अहमदाबाद से लाया गया। दुबारा अंगूठा लिया जाय और उसका कम्पेरिजन किया जाय। अंगूठा तस्दीक हो गया, अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री रविशंकर याज्ञनिक : अध्यक्ष महोदय, जो उप-मंत्रीजी ने कहा है वह तो २१-९-६५ की बात है। यह जो इन्क्वायरी की गई है यह ४ साल पहले की गई है और गजेटेड ऑफिसर द्वारा की गई है, और उन्होंने मुकम्मिल इन्क्वायरी करके रिपोर्ट दी है, इसका मतलब यह है कि वहां कुछ गड़-बड़ी होती है इसलिए नहीं हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं नहीं कह सकता। लेकिन डिले जरूर है और प्राईमाफेसी डिले इतनी होनी नहीं चाहिए, अध्यक्ष महोदय। अब यह कहां गड़बड़ है कागज की लौटाफेरी में इसको मुझे देखने का है। अब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। दोनों ही मामले सिरोही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हैं। उसको भी देखना है

Page No. 21

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि जल्दी से जल्दी हो जाय। अगर वह हो जाते हैं तो आपकी सफाई हो जाती है। बाकी इस केस की प्रोपेराइटी पर मुझे मत कहलाइये क्योंकि इनवेस्टीगेशन है......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सारा तो कह दिया, फिर क्या रह गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अंगूठा उसी आदमी का है जो अहमदाबाद चला गया है, उसका सुबूत होता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो सभी को अंगूठा दिखा रहे हैं।

नेक्स्ट, श्री दिग्विजय सिंह !

पटवारियों को सावस

४६६. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट १९५४ के तहत जो पटवारी ठिकानों की सर्विस से राजस्थान सर्विस में आए हैं उनकी ठिकानों की सर्विस नहीं मानी गई है और उनको पे इन्क्रीमेन्ट भी नहीं दिए गए हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि ठिकाना उनियारा के रिज़्यूम होने के बाद कुछ पटवारी राजस्थान सर्विस में गए थे ? यदि हां, तो कितने ?

(३) क्या उनकी सर्विस लैण्ड रिकार्ड्स डिपार्टमेंट की सर्विस मानी गई है ? क्या वे लोग १९५० से पूर्व ही लैण्ड रिकार्ड्स में कार्य कर रहे थे ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक पत्र नं० १८६० दिनांक २५-४-५८ फाइनेन्स (Inspection) डिपार्टमेन्ट के यहां से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम जारी हुआ था, उसमें १-४-५० से पूर्व जो पटवारी पटवार पद पर कार्य कर रहे थे वे पटवारी परीक्षा से मुस्तसना है, और जो १-१-२८ से पूर्व पैदा हुए हैं उनको भी इस परीक्षा से मुस्तसना किया जाने का आदेश है ?

(५) क्या यह सही है कि ऐसे पटवारियों को अभी तक ग्रेड नहीं दी जा रही और उन्हें अपने इस हक से मुस्तेद रखा जा रहा है, और उनको अनिवार्य रूप में पटवार-परीक्षा के लिए बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या विभाग इस संबंध में कार्यवाही कर रहा है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, २२ पटवारी।

(३) जी हां, वे लोग जो ५४ से पूर्व ठिकाना उनियारा की सर्विस में थे।

(४) जी हां, राजस्व विभाग के आदेश सं० १४६५१/२३ (२५४) रा० क./५६, दिनांक १८-६-५६ द्वारा।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं, आगे प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय यह जो आपने आज्ञा का नंबर दिया है उस आज्ञा को पढ़कर सुना दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Patwaries who are performing the duties

Page No. 22

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

of Patwari from 1-4-50 and have beeu categorised as such may be exempted from the patwari examination and fixed in the United pay scales of patwaries from 1-4-50.

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि ऐसे कई ठिकाने के पटवारी हैं जो कि १-४-५० से पहले से काम कर रहे हैं उनको भी परीक्षा के लिए बाध्य किया जा रहा है और उनका फिक्सेशन भी नहीं किया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इन्कार किया है, फिर भी आपके पास में स्पेसिफिक इन्सटान्स हो कि १-४-५० से पहले का सक्यूलर होने के बाद भी बाध्य किया जा रहा है तो इसको मैं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण

४९७. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण दो साल से पहले नहीं किया जावे ?

(२) क्या यह आदेश पंचायत समिति एवं जिला परिषदों की सेवाओं वाले कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ?

उपमंत्री राजस्व (श्रीरामप्रसाद लड्ढा) : पंचायत विभाग के मंत्री अपनी टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

प्रश्न संख्या ४९८

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४९९

श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

विद्यार्थियों से पुस्तकालय हेतु ली गई फीस का उपयोग

५०० श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि मिडिल और हाई स्कूलों में विद्यार्थियों से लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम फीस चार्ज की जाती रही है?

(२) यदि हां, तो क्या यह जमा हुई फीस लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम्स में पत्रिकाएं एवं पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च की जाती रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीबृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां।

(२) जी हां, इनके अलावा लाइब्रेरी या रीडिंग रूम के ही अन्य सामान भी क्रय किये जाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दूसरे का क्या जवाब दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां। दोनों का, जी हां में उत्तर है।

Page No. 23

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि यह रकम पूरी किताबों के ऊपर खर्च नहीं की जाती है और दूसरे आइटम्स पर की जाती है और लैप्स भी होती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह लाइब्रेरी और रीडिंग रूम और स्टडीज के उपयुक्त सामान के लिए खर्च की जाती है और जो लेटेस्ट रिज्योल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेन्स में पास किया गया वह इस तरह से है कि सारी की सारी रकम ऑडियो-विजुअल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी फर्नीचर के लिए और इक्वीपमेन्ट्स के लिए खर्च की जाये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह फर्नीचर पर क्यों खर्च करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह लाइब्रेरी के फर्नीचर के लिए ऑडियो-विजुअल है उसके लिए, या रेडियोज के लिए, लाउड स्पीकर के लिए और ऐसी चीजें जो छात्रों के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उनके लिए है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह तो गलत है कि जब कि फर्नीचर के लिए सरकार उसे मुहय्या करती है वह उनको करना चाहिए और पत्र-पत्रिकाओं के लिए फीस ली जाती है उसी के लिए खर्च की जानी चाहिए।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों से भी ली जाती है फीस ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह लाइब्रेरी फीस है, ट्यूशन फीस नहीं है एक रुपया साल।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : लाइब्रेरी में फर्नीचर नहीं देते हैं जो फीस लगाई जाती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लाइब्रेरी में नहीं है। किसी चीज की कमी होती है तो हजार, पांच सौ रुपये तक अख्तियार दे देते हैं कि इसमें से ले लिया जाय।

श्री दयाचन्द सोन : मेरा सवाल यह है कि क्या यह फीस अनिवार्य है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अनिवार्य है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : फर्नीचर खरीदा जाता है वह केवल लाइब्रेरी में ही इस्तेमाल किया जाता है या क्लासेज में भी इस्तेमाल किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फर्नीचर के लिये वैसे मना करदी है कि फर्नीचर इससे खरीदा नहीं जाये। जो लेटेस्ट रिज़ोल्यूशन है उसमें यह है कि ऑडियो-विजुअल रेडियो है, या उनके सुनाने के लिए और चीजें हैं शिक्षा की बढोतरी के लिए जो भी चीजें हैं उसके लिए खर्च किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम रानेटा में हुई डकैती की जांच

४८१ वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 24

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

(१) क्या यह सही है कि २४-४-६३ को तहसील सपोटरा, ग्राम रनेटा में डकैती हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त डकैती की जांच सी० आई० तथा डी वाई० एस० पी० ने की ?

(३) क्या यह सही है कि जांच करने वाले अधिकारियों ने भी नैनसिंह ठाकुर से पूछताछ की और उनके साथ मारपीट की ?

(४) क्या यह सही है कि उसी से परेशान होकर उसने पुलिस स्टेशन के सामने वाले कूए में कूदकर आत्म-हत्या की ?

(५) क्या यह सही है कि एस. डी. एम. करौली ने मौके पर पहुंच कर जांच करके रिपोर्ट पेश की हैं कि नैनसिंह ने आत्म-हत्या पुलिस की परेशानी के कारण की है ?

(६) क्या यह सही है कि नैनसिंह की आत्महत्या के बारे में थानेदार सपोटरा तथा एक हैड-कॉन्सटेबल व एक सिपाही को मौत्तिल किया गया था ?

(७) क्या यह सही है कि कुछ दिनों बाद थानेदार बहाल कर दिया गया ?

(८) क्या यह सही है कि आज तक हैड कॉन्सटेबल व सिपाही मौत्तिल हैं ?

(९) क्या इसकी विभागीय जांच करली गई हैं कि दोषी कौन है? यदि जांच करवाई गई है, तो कब और किसके द्वारा करवाई गई है ?

(१०) क्या इन तीनों को मौत्तिल करौली एस० डी० एम० की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां !

(२) जी हां !

(३) अनुसंधान कर्ताओं ने नैनसिंह से पूछताछ की थी। एस. डी. एम. की जांच से यह पाया गया कि नैनसिंह को पुलिस द्वारा पीटा गया।

(४) जी हां, एस. डी. एम. की जांच से ऐसा पाया गया है।

(५) जी हां।

(६) जी हां, एक थानेदार एक मुख्य आरक्षी तथा दो आरक्षी निलिम्बित किये गये हैं।

(७) जी हां।

(८) जी नहीं।

(९) राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र दे दिये गये हैं। उनके उत्तर प्राप्त होते ही आगे कार्यवाही की जावेगी।

(१०) जी हां।

राजकीय अतिथियों के लिये सरकार द्वारा शिकार का इन्तजाम

४८३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) साल १९६५-६६ में ऐसे कितने राजकीय वरिष्ठ अतिथि राज्य के सरकारी दौरे पर आये जिनके लिए सरकार द्वारा शिकार का इन्तजाम किया गया था ? उनके दौरे पर वन विभाग द्वारा कुल कितना खर्चा किन किन मदों पर किया गया ?

(श्री जुझारसिंह)

(२) क्या यह सही है कि कर्मचारियों की असावधानी व बदइन्तजामी के कारण मुख्य अतिथियों द्वारा शिकार नहीं की जा सकी ? क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) एक राजकीय वरिष्ठ अतिथि सरकारी दौरे पर आये थे जिनके लिए सरकार द्वारा शिकार का इतंजाम किया गया था। इस इन्तजाम पर विभाग द्वारा १०,८३३) रुपये का खर्चा हुआ। यह खर्चा शिकार के पट्टे कटवाने में, जंगल में सड़कें बनवाने या मरम्मत में, मचान बनवाने के लिए, पाड़े बंधवाने के लिए व अन्य मुतफर्रिक मदों में हुआ।

(२) जी नहीं। शिकार के लिए पूरा पूरा इन्तजाम कर दिया गया था लेकिन बन्य पशुओं का शिकार सदैव निश्चित नहीं होता है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

गांव मेंगथला में औषधालय

४८७. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति आबूरोड़ तहसील में गांव मेंगथला में एक औषधालय खोलने का प्रस्ताव पास किया था ?

(२) क्या इस बाबत मेंगथला गांव के निवासियों ने दस हजार रुपया पंचायत समिति में चंदा भी जमा करा दिया है।

(३) अगर हां, तो अब तक औषधालय क्यों नहीं खोला गया और अब कब तक काम शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(१) आयुर्वेद विभाग को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(२) इस विभाग में इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

तहसील सांचोर में भूमि की अवैधानिक नीलामी

४८८. श्री मालमसिंह (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में करीबन दो साल पूर्व कुछ काश्तकारों के खातेदारी के खेत भू-राजस्व की बकाया पेटे तहसील सांचोर द्वारा नीलाम अवैधानिकरूप से किये गये थे ? अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि ऐसे काश्तकारों को सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनको वहीं या दूसरी उन खेतों के एवज में भूमि शीघ्र दी जावेगी, और गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ?

(२) अगर हां, तो क्या उपरोक्त काश्तकारों को सरकारी वायदे के अनुसार भूमि वितरण करदी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) अगर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई हो तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No. 26

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां

(२) जी हां; जमींन निम्न प्रकार दी गई है ?

(१) श्री सालू वल्द हरका विश्नोई मालवाडा को मौजा रणोदर में ख० नं० ३८९ रकबा २११ सस)३

(२) श्री हुका वल्द मोटा गरूडा, सा० जाखल को ख० नं० ४३३ मौजा करिया में २२ बीघा।

(३) अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्व मंडल द्वारा की जा रही है।

स्थिति ऊपर बताई जा चुकी है।

प्रकाशित पुस्तक की उपलब्धि

४९८. **वैद्य श्री गोविंदसहाय**(गंगापुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि छठी कक्षा की शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जनवरी ६६ तक छात्रों को नहीं मिली हैं ?

उत्तर

यह सही नहीं है।

चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट का रिक्त स्थान

४९९. **श्री जुझारसिंह**(चेचट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में पिछले एक साल से चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट का पद रिक्त रक्खे जाने का क्या कारण है ?

(२) चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट के पद को रिक्त रखा जाने के बाद से सरकारी आमदनी व खर्च में क्या फर्क आया है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्व सचिव काम की बहुतायत के कारण वन विभाग का सामान्य काम सुचारु रूप से नहीं देख पा सके हैं और उनका काम चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट के टेक्निकल असिस्टेन्ट ने ही किया है, जो प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है ?

(४) भविष्य में इस पद के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) राजस्थान वन सेवा नियमों में संशोधन विचाराधीन हैं। इस कारण से वन अधिकारियों में से मुख्य वन संरक्षक का चयन नहीं हो सका है और यही कारण पद के स्थाई रूप से नहीं भरे जाने का है।

(२) आमदनी बढी है व खर्च भी बढ़ा है। आमदनी ७.७ लाख बढ़ी है व खर्चा २.५ लाख वढ़ा है। स्टेटमेंट संलग्न है।

(३) जी नहीं। सामान्य काम सुचारु रूप से चल रहा है; टेकनीकल असिस्टेन्ट का जो काम है वह टेक्नीकल असिस्टेन्ट करते हैं और चीफ कन्जरवेटर का काम चीफ कन्जरवेटर करते हैं।

(४) ज्यों ही वन सेवा नियमों में संशोधन हो जावेगा पदोन्नति समिति की बैठक बुलाली जावेगी और मुख्य वन संरक्षक के पद के लिए चयन किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जूनियर हायर सेकन्ड्री स्कूल सुनेल के भवन का निर्माण

९८. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सुनेल (जिला झालावाड़) जूनियर हायर सैकन्ड्री पाठशाला के लिये सुनेल की जनता को १५,००० रु० देने थे?

(२) क्या यह सही है कि सुनेल की जनता ने जिलाधीश (झालावाड़) द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा करीब बीस हजार की लागत के तीन कमरे बना दिए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त जूनियर हायर सैकन्ड्री शाला के लिए कम से कम ७०,००० रु० की धनराशि कमरों के निर्माण के लिए खर्च होगी ?

(४) राज्य सरकार कब तक जूनियर हायर सैकन्ड्री के लिये कमरे बना देने की सोचती है ?

(५) क्या यह सही है कि खास सुनेल में तीन माध्यमिक शालाएं हैं, और जब तक जूनियर हायर सैकन्ड्री भवन पर्याप्त नहीं बन जाता हैं तीनों माध्यमिक शालाओं से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए कमरों की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। जूनियर हायर सैकन्ड्री स्कूल, सुनेल (जिला झालावाड़) के प्रोन्नत होते समय वहां की जनता ने भवन के लिये १५,०००) रु० देने स्वीकार किये थे ?

(२) जी हां। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार १५,०००) रु० जनता के व ६०००)रु० सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के लगाये गये।

(३) जी हां।

(४) सरकार समय समय पर इस हेतु धनराशि स्वीकृत करती रही है। सत्र १९६३-६४ में ५० प्रतिशत के आधार पर ५००)रु० व सत्र १९६४–६५ में १०००)रु० अनुदानरूप में दिये गये तथा उनका उपयोग किया गया। यदि वहां की जनता सहयोग दे तो सरकार भी जनता के द्वारा एकत्रित धनराशि के समकक्ष, यदि बजट में प्रावधान होगा, तो धनराशि देने के प्रश्न पर विचार कर सकेगी।

(५) जी हां। सुनेल में तीन माध्यमिक शालायें हैं जिनमें से एक माध्यमिक शाला कन्याओं की, दूसरी जूनियर हायर सेकन्डरी स्कूल के साथ तथा तीसरी मान्यता प्राप्त शाला है। भवन की आवश्यकता है।

उदयपुर जिले में बांस का ठेका

९९. **श्री ललितमोहन** (गोगुन्दा-सु.): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष उदयपुर जिले में कोटड़ा रेन्ज का कूप ढेड भाटिया का बांस का ठेका क्या नीलामी से दिया गया है ?

(२) यह ठेका कितने में दिया गया है ?

उत्तर

(१) ढेड़भाटिया नाम के दो कूप हैं। उनमें से एक का ठेका नीलामी बोली पर दिया गया। दूसरे की बोली कम आने पर

(श्री वन मंत्री)

आगामी वर्ष में नीलाम करने का निश्चय किया।

(२) ६०,१००) रु० में।

आयुर्वेदिक औषधालय, जिला जयपुर

१००. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किसी स्थान पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के क्या आधार होने चाहिये ?

(२) मार्च, १९६२ से अब तक जयपुर जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ?

उत्तर

(१) किसी स्थान पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये निम्न आधार हैं:—

(क) साधारणतया औषधालय १४,००० की जन संख्या पर और आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्र में ८००० की जन संख्या।

(ख) जहाँ पर भवन की निःशुल्क व्यवस्था हो अथवा भवन बनाकर जनता द्वारा समर्पित किया गया हो।

(ग) जहां औषधालय की जिला परिषद् एवं जनता द्वारा मांग की गई हो।

(२) मार्च, सन १९६२ से अब तक जितने औषधालय जयपुर जिले में खोले गये हैं उनका वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

टोंक जिले में सुरक्षा कोषों में प्राप्त धन

१०१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) टोंक जिले के प्रत्येक तहसील क्षेत्र में अब तक कितना रुपया, सोना, चांदी व अन्य प्रकार की चीजें सुरक्षा कोष व सैनिक कल्याण कोष में प्राप्त हुआ है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या विभिन्न प्रकार की चीजों व रुपयों की प्राप्ति की रसीदें योगदान करने वालों को दे दी गई हैं ?

उत्तर

(१) टोंक जिले के प्रत्येक तहसील क्षेत्र से मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष में सितम्बर, १९६५ से फरवरी, १९६६ तक निम्न प्रकार धन राशि प्राप्त हुई है। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(क)	तहसील टोंक क्षेत्र से	५१,३८९.५३
(ख)	,, देवली क्षेत्र से	२०,२८६.१९
(ग)	,, निवाई क्षेत्र से	३,५२२.०८
(घ)	,, मालपुरा क्षेत्र से	८,२४६.७०
(ङ)	,, टोडारायसिंह से	७,३२०.०४
(च)	,, अलीगढ़ क्षेत्र से	३,३७४.५४
		९६,१४२.०८

सोना, चांदी व अन्य सामान उक्त अवधि में प्राप्त नहीं हुआ है।

(२) जी हां।

Page No. 29

निवाई में सुरक्षादि कोषों में प्राप्त धन एवं वस्तुओं के आंकड़े

१८२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति, निवाई क्षेत्र से सन् ६४–६५ में किस किस प्रकार का कितना कितना सामान, सोना, चांदी व कितने रुपये मुख्य मंत्री, कल्याण कोष, सुरक्षा कोष व सैनिक कल्याण कोष में एकत्रित हुए ? आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) पंचायत समिति, निवाई क्षेत्र से सन् ६४-६५ व माह फरवरी, सन् १९६६ तक रु० ३,५२२.०८ मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष में जमा हुआ है। इस क्षेत्र से सोना, चांदी व अन्य सामान प्राप्त नहीं हुआ है।

(११.५८ म. पू.)

लाखेरी में मजदूरों को बोनस न दिये जाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरिप्रसाद शर्मा ने स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी है जिसका सम्बन्ध लाखेरी के मजदूरों को बोनस नहीं मिलने के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे है। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है, परन्तु मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस पर वह अपना एक वक्तव्य दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, इस बोनस के विवाद को लेकर लाखेरी में ही नहीं बल्कि राजस्थान के सारे मजदूरों में बड़ा भारी असन्तोष है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बहुत पहले भाषण दिया था और उन्होंने इसका आश्वासन दिया था कि सरकार बोनस के लिये सख्ती से कार्यवाही करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब बोनस अधिनियम के अनुसार ३१-३-६५ तक पेमेंट हो जाना चाहिये था फिर क्या कारण है कि लाखेरी के मजदूरों को आज दिन तक बोनस नहीं दिया और उसके बदले में अन्तरिम बोनस बांटा जा रहा है। इस प्रश्न को लेकर वहां के संघ के व्यक्ति श्रम आयुक्त से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि उनको बोनस दिया जाए। इसके बावजूद भी सिमेंट कम्पनी ने नोटिस लगा कर बोनस देना शुरू कर दिया है और वह भी अन्तरिम बोनस दिया जा रहा है। इससे वहां पर मजदूरों में काफी असन्तोष है। जिसके कारण वहां पर हड़ताल हुई है, मजदूरों की बुरी हालत है और वहां पर धरना देने का काम शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आप कितनी भी अपीलें करें लेकिन राजस्थान सरकार की अपील पर उद्योगपतियों का कोई ध्यान नहीं है। वह राज्य सरकार को पॉकेट–डायरी समझ कर चलते हैं और इसके पीछे चाहे कोई भी कारण हो।

मैं एक गम्भीर बात कहना चाहूंगा कि जिस समय श्री लाल बहादुरजी शास्त्री का देहावसान हुआ उस समय ११ और १२ तारीख को छुट्टी करने की बात हमारी राज्य सरकार ने कही, इन्होंने ११ तारीख को तो छुट्टी दे दी और १२ तारीख को सारे मजदूरों को काम पर बुलाया गया। लेकिन वहां जाने के बाद में जब मजदूर लोग अपने पैसों की छुट्टी लेकर वापस आना चाहते थे तो वहां कम्पनी पर ताले लगवा दिए गए और मजदूरों को

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बाहर नहीं आने दिया। इससे मजदूरों में बड़ा भारी असंतोष फैला और इसके फलस्वरूप आधे दिन की छुट्टी करनी पड़ी। इसी तरह से २५ तारीख को छुट्टी देने के लिए आदेश जारी किए कि २५ जनवरी को शास्त्रीजी के अस्थी कलश बहेंगे इसलिए छुट्टी रखी जाये। लेकिन उस दिन भी कई उद्योगपतियों ने राज्य सरकार की परवाह नहीं

(१२. मध्यान्ह)

करके मजदूरों को काम पर बुलाया और लाखेरी के मजदूरों को भी बुलाया और जब मजदूरों ने मांग की तो उन्होंने कहा हम कहां कहां छुट्टी करेंगे, चाहें हमसे चुनावों में चन्दा लें, गाड़ियां लें हमें तो कहीं न कहीं पैसा ही देना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लाखेरी के मजदूरों ने जैसा आप देख रहें हैं कि बोनस के प्रश्न को उठाया है और न केवल लाखेरी के मजदूरों में इस प्रकार का असन्तोष व्याप्त है बल्कि सारे राजस्थान के मजदूरों में इस तरह का असन्तोष है। सारी बातें होते हुए भी आप कहते हैं और जैसा आपने कहा भी है कि हम अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से महंगाई के प्रश्न को लेकर मजदूरों में रोष है, उनको ५ रुपये मिले हैं लेकिन सीमेंट की रेट बढ़ने से लाखों रुपयों का फायदा उद्योगपतियों को हुआ है और वह सारा पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। इसी प्रकार जीवन बीमा योजना से जो लाभ मजदूरों को मिलना चाहिये था उसका मजदूरों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। चाहे उनके स्वास्थ्य का सवाल, चाहे उनके ग्रेडेशर्न का सवाल हो, चाहे उनके वेज बोर्ड का सवाल हो, आज मजदूर वर्ग जिन पर हमारी आधारशिला है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं राजस्थान सरकार से जानना चाहता हूं कि मजदूरों के साथ इस प्रकार न्याय नहीं देने का क्या कारण है। या तो आप यह कहें कि आप इन पूंजीपतियों से दबे हुए हैं। इन पूंजीपतियों से दबे रहने के भी कारण हैं। आप इन पूंजीपतियों के बलबूते पर चुनाव जीत कर आना चाहते हैं। आप उनकी मोटरों और जीपों में ऐश करते हैं, उनकी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं चुनावों में। चाहें पंचायत के चुनाव हों, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हों और चाहे जिला परिषदों के चुनाव हों, मुख्यमंत्री का टेलिफोन जाता है लाखेरी ए० सी० सी० के पास कि मोटर भेजो और चुनावों में उनकी मोटरें दौड़ती हैं। पंडितजी के चुनाव में उनकी मोटरें दौड़ती हैं। पण्डित जी को जब मोटरें चाहिये तो वहां से मोटरें आती है। आप उनकी गाड़ियों और जीपों में ऐश करते हो। लेकिन मुख्य मन्त्री जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप वहां आये थे और आपने मजदूरों की बस्ती देखी थी तो आपने कहा था कि ये लाखेरी के मजदूर जो हमारे लिये बंगले बनाते हैं, हमारी सेवा करते हैं वे ही इस तरह गन्दी हालत में रहते हैं, गन्दी बस्ती में रहते हैं, मैं चाहूंगा कि जब मैं दुबारा लाखेरी आऊं तो इसे दुबारा नहीं देखूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वहां कितनी औद्योगिक बस्तियां बनीं, कितनी बस्तियों में सेनीटेशन का इन्तजाम किया गया? अभी लाखेरी में उद्घाटन करने के लिये पण्डित जी गये थे। वहां के मजदूरों को धन्यवाद देने के लिये कि लाखेरी ए० सी० सी० के मजदूरों ने उत्पादन करने में हिन्दुस्तान का रिकार्ड तोड़ा है। आप उनको धन्यवाद देने को तो जा सकते हैं,

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

लेकिन उनके अधिकारों के प्रति, उनकी मांगों के प्रति, उनके ग्रेडेशन और वेज बोर्ड के प्रश्न के प्रति आप कोई ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। अगर आप यह समझते हैं कि आप इन पूंजीपतियों के बल पर ही चुनाव जीत कर आ जायेंगे तो यह आपकी भूल है। आपकी सेवायें हैं, आपका त्याग है, आपने काम किया है तो अब भी आप उस पर विचार करके ही काम कीजिए। एक जमाना था जब ये ही पूंजीपती आपसे थर्राते थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त यह होता कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य पहले दे दिया जाता, उसके बाद में यह सारा विवेचन होता तो ज्यादा ठीक होता।

श्री अध्यक्ष: मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य कोई खास मुद्दे वक्तव्य में रखेंगे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**: लेक्चर हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, बोनस अधिनियम की अवहेलना हो रही है, उनको बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है। उद्योग पति उनका शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा लालबहादुरजी शास्त्री के देहान्त के दिन छुट्टी का विषय मुख्य विषय है और मैं निवेदन करता हूं कि यह राष्ट्रीय बात है। आप छुट्टी डिक्लेयर करते हैं और राज्यपाल आॅर्डर निकालते हैं, सरकार आॅर्डर निकालती है लेकिन उद्योगपति उसका पालन नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं तो आप उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों नहीं उनको आप जेलों में डालते और उन मजदूरों को उनका हक नहीं दिलाते हैं। आप की बदनामी करते हैं, आपके लिए कहते हैं कि इनको तो हम अपनी पाकेट में रखते हैं, तो यह कोई शोभनीय बात नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप मन्त्री, श्रम): अध्यक्ष महोदय, लाखेरी सीमेंट कामगार संघ लाखेरी (इन्टक) ने अपने पत्र, दिनांक १४ मार्च, १९६६ के द्वारा क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त, कोटा को सूचित किया कि लाखेरी सीमेंट वर्क्स, लाखेरी के प्रबंधक अपने नोटिस दिनांक १ मार्च, १९६६ द्वारा अकाउंटिंग वर्ष १९६४-६५ का बोनस १५ प्रतिशत बेसिक तनख्वाह के आधार पर अंतरिम रूप में इस शर्त पर देना चाहते हैं कि इसका फाइनल भुगतान न्यायालयों द्वारा स्पष्टीकरण करने के पश्चात् उनके निर्णय पर आधारित हो। उनके पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर दिनांक १८-३-६६ को श्रम आयुक्त ने कम्पनी के प्रबंधकों को सूचित किया कि अन्य मामलों में न्यायालयों का निर्णय लाखेरी के कारखाने पर लागू नहीं समझा जा सकता अतएव वे बिना शर्त श्रमिकों को बोनस का भुगतान करें। कंपनी से इसका उत्तर लिखितरूप में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

कामगार संघ ने अपने तार, दिनांक २२-३-६६ द्वारा पुनः सूचित किया कि मैनेजर लाखेरी सीमेंट वर्क्स, श्रम आयुक्त द्वारा दी गई सलाह के विपरीत अंतरिम बोनस के लिये श्रमिकों को बाध्य कर रहे हैं। फलस्वरूप संघ ने प्रदर्शन करने का निश्चय किया तथा तुरन्त कार्यवाही करने को कहा।

श्रम विभाग की यह नीति रही है कि श्रमिकों को उनका कानूनी हक मिले। मुझे

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि श्रम विभागों के प्रयत्नों से कम्पनी ने अब अंतरिम बोनस के नोटिस को बदल दिया है और बिना शर्त बोनस बांटना स्वीकार कर लिया है।

फिर भी, यदि कम्पनी के प्रबंधकों के द्वारा दिनांक ३१-३-६६ तक बिना शर्त बोनस का भुगतान न करने की शिकायत प्राप्त हुई तो सरकार उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के विषय में आवश्यक कदम उठायेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह बोनस कब तक बँट जाने की आशा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अभी टेलीफोन से बातचीत हुई है, उसके अनुसार मेरे ख्याल से आज ही बंटना शुरू हो जाएगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह अंतरिम बोनस का नोटिस कबविदड्रॉ किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २-३-६६ की डेट है, इस समय तक बोनस बंट जाना चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत देर भी हो जाय तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आज से बंटना शुरू हो जाता है तो जो ३१ मार्च, ६६ की स्टेच्युटरी डेट है तो हम आशा करते हैं कि इस टाइम तक बंट जाएगा।

(१२.१२ म.प.)

डीडवाना में पुलिस गोली काण्ड से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक अन्य स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल और हरिप्रसाद शर्मा ने दिया है जिसका सम्बन्ध डीडवाना में पुलिस द्वारा जो गोली चलाई गई और वहां पर जो हड़ताल हुई है, उससे है ; अभी प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति तो नहीं दी जाती है लेकिन माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज या कल, जब भी उनको पूरी जानकारी हो जाय, इस पर शीघ्रातिशीघ्र एक वक्तव्य दे दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तथ्य तो जो भी कुछ होंगे उनको जब भी गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे तो सरकार के सामने रख देंगे। लेकिन कम से कम इन प्रश्नों के बारे में वे जांच कर लें कि जो शांति नामक लड़की के साथ छेड़खानी की गई एक केशियर के द्वारा, जिसका नाम मुझे बताया गया है कि खेताराम केशियर, सहकारी बैंक, लाडनूं है। उन्होंने उस लड़की के साथ बुरी हरकतें की। बुरी हरकतें करने के बाद जब शहर के कुछ व्यक्तियों को पता हुआ और उनको पता होने के बाद जब पुलिस से यह मांग की कि पुलिस इस संबंध में तफतीश करे तो "...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, यह एडजोर्नमेंट मोशन पर आपका आदेश हुआ कि मैं इस पर वक्तव्य दूं। इसके बाद में प्रोसीजर में यह कहीं नहीं है कि जिससे ये उस पर बहस कर सकें या स्पीच के रूप में सारी स्थिति यहां रखें। इस संबंध में अगर आप और कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूं, आप भी बाहर आजाइए......

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स तो उन्होंने प्रस्ताव में दे दी हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय तथ्यों की जानकारी करें तो यह जानकारी भी करें कि फाइरिंग करने की क्या जरूरत थी, ऐसी कौनसी स्थिति आ गई थी कि जिसकी वजह से पुलिस को फाइरिंग करना पड़ा। वहां पर केवल लोगों ने पुलिस से यह जानना चाहा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है, मुल्जिम पकड़ा गया या नहीं, वहां की जनता ने यह मांग रखी है कि पुलिस ने मुल्जिमान को प्रोटेक्शन दिया है, पुलिस ने उनको छुपाया है, जब आप वक्तव्य दें तो इन बातों पर प्रकाश डालें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा है कि आपको जो कुछ जानकारी चाहिए, आप लिखकर दे दीजिए, वही कायदा है और इसके अन्तर्गत······ ··

श्री कृष्णकुमार गोयल : इनकी जानकारी तो दी जा चुकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो सदन के बाहर आप मुझे बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय की यह आदत है कि जब वे वक्तव्य देंगे और उस पर जब कुछ जानकारी चाही जायेगी तो वे कहेंगे कि यह स्टेटमेंट में लिखकर नहीं दिया गया या यह यों नहीं लिखा गया और इस पोइन्ट को पहले रेज नहीं किया गया। इस प्रकार की बातें करते हैं, इसलिए अच्छा हो कि दो चार बातें इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वे सदन के रिकार्ड में आ जावें और आपका भी ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाय और आप उन पर जानकारी हासिल कर सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोसीजर में अध्यक्ष महोदय, यह अलाउ नहीं है। आप इसकी डिटेल्स देना चाहें तो बाहर दे दें। आपने मुझे आदेश दिया है कि मैं कल इसके बारे में स्टेटमेंट दूं तो मैं उसके अनुसार कल सेटिसफेक्ट्री जवाब दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें और डिटेल्स का क्या सवाल है ? शहर के अन्दर कल से हड़ताल हो रही है, पुलिस ने फाइरिंग किया है। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में मैं समझता हूं कि आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाम तक भी आप जानकारी प्राप्त करके सदन को इत्तला दे सकते हैं कि पुलिस ने फाइरिंग किया है या नहीं और किया है तो क्यों किया हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार को इसकी जानकारी नहीं है क्यों कि वहां पर इस तरह की घटना घटी है। आप गृह मंत्री महोदय हैं आपको इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो उसके आधार पर ही इस समय हाउस में स्टेटमेंट दे दीजिए ········ ···

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो सवाल पूछने लगे। अध्यक्ष महोदय ने मुझे कल वक्तव्य देने के लिए कहा है तो मैं कल इस बारे में बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are taking shelter of the procedure.

Page No. 34

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं अभी ही बताऊं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसीजर और रूल का कोई सवाल नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो एडजोर्नमेंट मोशन पेश हुआ है उस पर सदन को बताया जाय कि क्या स्थिति है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो एग्जामिन करने लगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ आदेश दिया है मैं उसका पालन करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा सरकार से फायरिंग के सिलसिले में कि इस राजस्थान के अन्दर गोली-काण्ड हो जाये और कई आदमी घायल हो जाये और कोई स्थिति बन जाये और सरकार इस आधार पर कि कल स्टेटमेंट देना है सरकार तैयारी नहीं करे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आप, इस वक्त कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई रूल नहीं, जिसमें जानकारी प्राप्त करना चाहें। आपका एडजोर्नमेंट मोशन है और मुझे आदेश हो गया है इसलिए आप किसी रूल के अन्तर्गत बोल सकते हो तो साइट करके, अध्यक्ष महोदय, आप बोलें······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उप मंत्री महोदय ने पोइंट ऑफ आर्डर रेज किया है कि किस प्रोसीजर से मैं बोल रहा हूं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मैं आपकी अनुमति प्राप्त करके बोल नहीं सकता अगर बोल सकता हूं तो इनके पाइंट आफ आर्डर को रूल आउट कर दें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय,··············

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका डिसीजन हो जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अपने हक के आधार पर यह निवेदन कर दूं कि एडजोर्नमेंट मोशन पर आज ही डिबेट करने की स्थिति में······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले पोइंट ऑफ ऑर्डर डिसाइड होगा और फिर बहस होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप आज्ञा लेना चाहते हैं वह रूल्स के अन्तर्गत नहीं हैं, अतएव इनको आज्ञा नहीं दी जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइंट ऑफ ऑर्डर रूल आउट हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोसीजर के नीचे ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ही अकलमन्द हैं।

Page No. 35

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर एक्यूज्ड को थानेदार थाने के अन्दर ले गया और पीछे से बाड़े में से निकाल दिया। इसके सम्बन्ध में जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : सारी जांच कर लेंगे।

राजस्थान वित्तीय निगम के नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखना

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्तीय निगम के नवें एवं दसवें वार्षिक प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखता हूं।

(१२.२४ म. प.)

मांग संख्या ६ व २४— सामान्य प्रशासन एवं विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ६ और मांग संख्या २४।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६— सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को २,८७,४२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९— विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठनों के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७६,३८,०००) रु० तक की धनराशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या ६

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६- सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में मितव्ययता की ओर सरकार की प्रवृत्ति के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

२. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक संगठनों को राजनैतिक स्तर पर सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

३- मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६- सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६— सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर

(श्री जोधसिंह चौहान)

दिया जाय (सचिवालय में लाल फीताशाही को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६- सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (S. D. O's.) को बहुधन्धों से मुक्त करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय जिला प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में समन्वय की आवश्यकता हेतु परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय निधि लेखा परीक्षण स्थापना द्वारा पंचायतों के अंकेक्षण के संबंध पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या २४

८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में समाज कल्याण के कार्यों के बारे में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

९. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय समाज कल्याण विभाग की अकर्मण्यता के फलस्वरूप पिछड़ी जातियों में असंतोष के बारे में चर्चा के लिये।

मांग संख्या ६

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत):

१०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में तहसीलदारों द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताएं एवं जिलाधीश द्वारा उन पर कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये)।

११. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल द्वारा राजस्व के मुकदमों को अनायास ही पलटने व मुकदमा लम्बा किया जाने से पक्षकारों को न्याय से वंचित रहने पर चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल को दिये References का लम्बे समय तक निर्णय न करने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह राठौड (जायल):

१३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६– सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शासन में ढिलाई को रोकने में सरकार की सफलता पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों की डिपार्टमेंटल इन्क्वायरियों में बहुत समय लगने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गंगासिंह राठौड़)

१५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कलक्टरों की पोस्ट पर ३५ वर्ष की कम उम्र वाले अफसर की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

१६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारी व अफसरों की आज के युग के मुताबिक ट्रैनिंग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

१७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब को मकान, कुएँ बनवाने में मदद की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

१८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिए जाय (राजस्थान के आर्थिक संकट को देखते हुए मन्त्रियों की संख्या में कमी करने पर चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आर्थिक संकट को देखते हुए I. A. S. आफिसर्स की संख्या कम किये जाने पर चर्चा के लिये) :—

मांग संख्या २४

२०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नगर आयोजना संगठन द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

२१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों के यात्राओं, जल और विद्युत में व्यय कम कर अल्प वेतनिक कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

२२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) कम कर दिया जाय (राजस्थान के जिलाधीशों द्वारा अधिकतर दौरों पर रहने से होने वाली जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :

२३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा टेलीफोन्स द्वारा नियमित कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रवृति को रोकने पर चर्चा के लिये)।

२४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मन्त्रियों की अनावश्यक यात्राओं को कम कराने के लिये, इस पर चर्चा के लिये) :–

२५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कर दिया जाय जिला अधिकारियों द्वारा मन्त्रियों के टेलीफोन से हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों में दलगत भावना पर चर्चा के लिये)।

२७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय जिला अधिकारियों को स्थानान्तरण का भय से अनुचित काम कराने पर चर्चा के लिये)।

२८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय कलक्टर्स टोंक को प्रति ग्यारहवें मास स्थानान्तरण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

२९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुछ खास खास व्यक्तियों को पुनः टोंक जिले में नियुक्ति कर पक्षपात करा ने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वरिष्ठ अधिकारियों के राजस्थान सेवा नियमों के क्रियान्वयन में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

३१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम रक दिया जाय (राजपत्रित अधिकारियों की चयन प्रणाली और उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

३२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों में ढिलाई तथा अकर्मण्यता के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निबाहेडा) :—

३३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सन् १९६२ के अगस्त से जो स्टाफ सरप्लस किया जा कर अन्य विभागों में एब्जार्व किया गया उनके फिक्सेशन सिनियोरिटी आदि तय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) :

३४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

३५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमों का निर्णय करने में विलम्ब होता है और समुचित कर्मचारियों के अभाव में मुकदमें सुनवाई के लिये नहीं आते इस पर चर्चा के लिये)।

३६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अल्पवैतनिक कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में वृद्धि न करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री अब्दुल जब्बार)

मांग संख्या २४

३७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठनों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं):

३८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन कार्य में ढिलाई और बद इन्तजामी को सरकार नहीं रोक सकी है, इस पर चर्चा के लिये) ।

३६. मांग संख्या ६. मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों के अनावश्यक दौरे से फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये) ।

४०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कदम उठाने पर चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

४३ मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिलाधीश दौरे के वक्त जनता से सम्पर्क नहीं करते, इस पर चर्चा के लिये।

४४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों के साथ सरकारी अफसरों के दौरे में रहने से जनता का भारी नुकसान होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

४५. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिछड़ी हुई जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने, समाज कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६ विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मकान हेतु सहायता नहीं दी गई इस पर चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में भारी घोटाले हुए , इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु०):

४८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की संस्थाओं में सहायता देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा सु०) :

४९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा गैर जिम्मेदारी से कार्य करने से जनता के बढ़ते हुए असन्तोष को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर):

५०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठनों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में मेड़ता व डेगाना में अनुसूचित जातियों का छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

५१. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

५२. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं ढिलाई को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा में लिये) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

५३. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

५४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९ विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा):

५५. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय के राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन में अव्यवस्था के विषय पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल):

५६. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों की अनावश्यक यात्राओं को कम कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा):

५७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा किये जा रहे अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये) ।

५८. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

५९. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९ सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झालावाड़ के जिला प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

Page No. 41

(श्री गोविन्दसिंह)

६०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में तहसीलदारों द्वारा भूमि आवंटन में अनियमिततायें की जाने पर और जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

६१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड में जिला अधिकारियों द्वारा पूल की जीपों का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

६२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में जिलाधीश कार्यालय में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

६३. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा धन का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

६४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के लिये भवन निर्माण हेतु धन राशि के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

६५. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिये अधिक धनराशि दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

६६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के लिये पीने के पानी के कुओं के लिये पर्याप्त धनराशि न देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ६

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू):

६७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिलाधीशों द्वारा गैर जिम्मेदारी से काम करने, तथा काम में देरी करने से भ्रष्टाचार को बढावा देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.):

६८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अधिकारी वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

डॉ० हरीप्रसाद शर्मा (मंडावर):

६९. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्री मंडल के दौरों पर किये जाने वाले अनावश्यक खर्चे को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

७०. मांग संख्या, ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रीगण की मोटरकारों के संधारण व परिचालन के खर्चे में कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री जुझारसिंह (चेचट):

७१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की देरी से नियुक्ति की जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ):

७२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आधुनिक सचिवालय प्रशासनिक ढांचें को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा):

७३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में चल रही शिथिलता से आम जनता के सामने आने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर):

७४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता न बढाने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर):

७५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में बढते हुये भ्रष्टाचार को सरकार रोकनें में असमर्थ रही है जिसके कारण काम समय पर नहीं होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):

७६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा सिनेमा वृज टाकीज की मोनोपोली पर पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

७७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३१-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांख्यिकी विभाग में अधिकारियों की वरिष्ठता सूची व पदोन्नति में नियम की अवहेलना करने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली):

७८. मांग संख्या ६; मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन के फिजूल खर्च पर चर्चा के लिये)।

७६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा अनावश्यक दौरों पर खर्च कम करने पर चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आयुक्त कार्यालय सीमावर्ती जिलों के लिए धन राशि दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

८१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६–सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय में लाल फीता शाही को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

८२. मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

८३. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय अनुसूचित जन जातियों तथा पिछडी जातियों के उत्थान के लिए अधिक धन राशि दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):

८४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Border Commissions के लिये अधिक धनराशि दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

८५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा अनावश्यक दौरों पर खर्च कम करने पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन के फिजूल खर्चे पर चर्चा के लिये)।

८७. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (S. D. Os.) को बहुधन्धों से मुक्त करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

८८. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सचिवालय में लाल फीता शाही को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

६०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जातियों तथा पिछडी जातियों के उत्थान के लिये अधिक धन राशि दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ६

श्री गंगासिंह परिहार (हिण्डोली):

६१. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा गैर जिम्मेदारी से कार्य करने से जनता में असन्तोष को दूर किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू):

६२. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा प्रशासन में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

(श्री नाथूलाल करील)

९३. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दिन पर दिन राज्य में बढते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

९४. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ती हुई कमर तोड़ महगाई को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मान्धातासिंह (महुआ):

९५. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा):

९६. मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले के अधिकारियों का आठ आठ वर्ष से तबादला न किया जाकर अभी तक उसी जिले में रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

श्री भीमसेन (लूनकरणसर):

मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मकान हेतु सहायता नहीं दी गई, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़):

९८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकासीय संगठनों के नाम से होने वाले खर्चों में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सादूलपुर):

९९. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों की पिछड़ी हुई हालत में सुधार नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर):

१००. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के कल्याण कार्यों की सफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सहाड़ा-सु०):

१०१. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डिवीजन उदयपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुधार होने में देरी होने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री हरि किशन (राजगढ़):

१०२. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय

(श्री हरिकिशन)

संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पब्लिक स्कूल व टेक्निकल कालेजों व सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कम से कम १५ प्रतिशत कोटा प्रवेश पाने के लिये निर्धारित किया जाकर विद्याध्ययन के लिये सरकार द्वारा पूरा खर्चा वहन करने के प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१०३. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को आदिवासी मंत्रणा परिषद् व अनुसूचित जाति के समाज कल्याण बोर्ड की संयुक्त बैठक माउन्ट आबू में प्रस्ताव पारित करने पर भी अभी तक समाज कल्याण विभाग द्वारा भूमि अलाटमेंट के लिये भूमि रिजर्व नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१०४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को टेक्निकल शिक्षा दिलाने की समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनाबद्ध व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१०५. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों को प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था पर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुवे निवेदन करूंगा कि इस मांग, इस डिमांड का संबंध कर्मचारियों से तो है ही. किन्तु राज्यपाल महोदय, मंत्रीगण और विधायक गणों से भी है। इस हद तक राज्यपाल महोदय का इस मांग से संबंध है मैं इस पर विशेष निवेदन नहीं करना चाहता। जो कुछ भी उनके लिए व्यवस्था है वह ठीक ही है और जनतन्त्र की प्रतिष्ठा के अनुसार मेरे ख्याल से यह व्यवस्था होना आवश्यक ही है। किन्तु जब मन्त्री मण्डल की समस्या आती है तो मैंने एक बार पहले भी निवेदन किया है और उस निवेदन को एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। और निवेदन करना चाहूंगा कि देश आर्थिक संकट के अन्दर गुजर रहा है। यह आर्थिक संकट भी मेरे ख्याल से एक दो वर्ष का आर्थिक संकट नहीं दिखता, यह दीर्घकालीन आर्थिक संकट है। आपका प्लान, आपकी योजनाएं जिन्हें इतना महत्व सरकार देती है उसमें आपके कोर आफ दी प्लान में कमी आई है, और मितव्ययता की ओर मेरे ख्याल में जो वस्तुस्थिति देश की है उसके अनुसार सरकार को ध्यान देना चाहिए, अवश्यमेव देना चाहिए।

दुष्काल भी हमारे राजस्थान के अन्दर लगातार दो साल से है ऐसी स्थिति में मंत्रियों की तादाद बढ़ाना, चार मन्त्री बढ़ाये गये यह मेरे ख्याल में एक दुखमय व्यवस्था है। वैसे तो मन्त्रियों की तनख्वाह, वेतन हजार बारह सौ रुपया होती है, किन्तु अगर उनको जो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दूसरे ईजमेंट आशायश दी जाती हैं उनको भी जोड़ा जाय- क्या बंगला, क्या मोटर, क्या अमला, रोशनी, पानी आदि तो एक काफी बड़ी रकम मेरे ख्याल में हो जाती है। मन्त्रियों के दौरे होते हैं उसमें भी मित-व्ययता के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। १०-१२ मोटरें मंगवाकर मंत्री और दूसरे जिले के कर्मचारी उनके साथ में एक तरह सवारी निकाल कर बड़े ठाट-बाट से घूमते हैं। मैं समझता हूं आज की देश की समस्याओं को देखते हुए यह एन्टीसोशियल बात है और अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे प्रदर्शन मेरे ख्याल में अगर नहीं हों तो सरकार की प्रतिष्ठा घटेगी नहीं किन्तु मेरे ख्याल में वास्तविकता के अनुकूल ही यह बात होगी।

जहां भी मंत्री जाते हैं वहां चाहे आवश्यकता हो या चाहे आवश्यकता न हो सारे जिले के कर्मचारियों को बुलाया जाता है। उन कर्मचारियों को एक दिन छोड़ कर दो दिन तक रहना पड़ता है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का और दो दिन अगर वह वहां पर रहे तो मेरे ख्याल से चार दिन इस तरह से गुजर जाते हैं, और जनता की इसके अन्दर हानि होती है। इस सम्बन्ध में भी जितनी आवश्यकता हो और जब मन्त्री जाएं तो वे पहले से ही यह व्यवस्था कर दें कि अमुक कर्मचारी को आवश्यकता है। आखिर १००-१५० आदमियों से कोई मंत्री बात नहीं करता है, और अगर ४-५ कर्मचारियों से बात करनी हो तो उनके मातहतों से यदि मंत्री महोदय की इच्छा हो तो वह बात हो सकती है। यह भी एक तरह का अभद्र प्रदर्शन है कि जिला स्तर पर दरबार लगा हुआ है, मंत्री बैठे हुए हैं और १००-२०० आदमी वहां पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल में यह सामाजिक सादगी के विपरीत है और आज का जमाना मेरे ख्याल से सादगी मांगता है।

जहां तक मंत्रियों की संख्या का सवाल है उसके बारे में पहले भी निवेदन किया और फिर यह कहूंगा, जो कि मैं जानता हूं कि इसका कोई असर होना कठिन है कि मंत्रियों की तादाद में कमी की जाय। उस तादाद को बढाया नहीं जाये। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को तरह तरह की दिक्कतें हैं। इनकी शासनारूढ पार्टी के अन्दर तरह तरह की गुटबन्दियां हैं उन गुटबन्दियों को तोड़ना, कम्प्युटेशन और परम्युटेशन करना उनका यह तो उनका स्वयं का काम है: और उनके ऊपर जो बीतती होगी वह मैं नहीं जानता। कुछ हद तक तो मेरी सहानुभूति है कि उन्हें कुर्सी कायम रखने के लिए मंत्रियों की तादाद बढानी पड़े तो कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन आज के जमाने को देखते हुए मेरे ख्याल में यह कदम एन्टीसोशियल है।

जहां तक विधायकगणों का प्रश्न है और खास तौर से अपोजिशन के माननीय सदस्यों का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा, और जो भी मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्तिगत रूप से मेरे सम्बन्ध में बिलकुल नहीं है। मेरे लिए जो कुछ भी व्यवस्था है वह ठीक है। उससे मैं सन्तुष्ट हूं। मुझे कोई आप से विशेष मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन विरोधी पक्ष की आप कद्र करेंगे। मेरे पश्चात् कोई भी यदि अपोजिशन या विरोधी दल का नेता हो, उसके लिये कम से कम जब यह सदन चले, जब असेम्बली

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का सेशन हो, इस प्रकार कोई न कोई वेतन की व्यवस्था होनी चाहिये। इस बारे में सदन की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं विनम्र निवेदन सरकार से करूंगा यह मेरी मांग नहीं है। यदि मेरे लिए व्यवस्था करेंगे तो मैं सधन्यवाद इन्कार कर दूंगा लेकिन भविष्य में विरोधी पक्ष के लिये यदि ऐसी व्यवस्था हो तो वह नयी बात नहीं है. यह उचित है।

जहां तक अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के खर्चे की बात है, नोन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मद का ४३ परसेन्ट खर्चा नोन डवलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर पर किया जा रहा है जो मैं समझता हूं नोन डवलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर की ४३ परसेन्ट की आप की व्यवस्था है वह टोप हैवी व्यवस्था है, इस पर अधिक खर्चा बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से इस तरफ सरकार ध्यान दे तो ५ परसेन्ट ही क्या कम से कम १० परसेन्ट फिजूल खर्च है। इसका मूल तथ्य यदि निवेदन करूं, मेरे ख्याल से साउन्ड केनन्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अधिक अच्छे ढंग से शासन चलाने के सिद्धांत के अनुसार नोन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर ३३ परसेन्ट से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। यदि ३३ परसेन्ट से एक एक परसेन्ट अधिक बढ़ता है तो मैं समझता हूं शासन के लिए अच्छी बात नहीं है। सन् ५१-५२ में नोन डेवलपमेन्ट पर कुल धनराशि १८० लाख थी लेकिन आज वह बढ़ कर ३३४ लाख हो चुकी है यानि करीब करीब दुगुनी हो गई। कई नयी जगह खोलदी हैं और यह दिन दिन हमारी अर्थ व्यवस्था के ऊपर वजन या बरडन बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कमी हो सकती है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यदि आप इसके लिए कटिबद्ध हों तो कमी हो सकती है।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पहले भी ब्रिटिश राज्य में करीब ७०० आई. सी. एस. आफिसर्स सारे भारतवर्ष के लिए ब्रह्मा को मिलाते हुए, अविभाज्य भारत में, सारे देश पर शासन करते थे। आज आपकी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे ढंग का है, यह मैं मानता हूं। लेकिन यदि दुगुना-तिगुना बढ़ाते तो भी माना जा सकता था लेकिन कहां ७०० और कहां ३००० सारे देश की व्यवस्था है उसकी नकल नहीं करनी है, राजस्थान को एक्सेप्शन करना चाहिये और यह साबित करना चाहिये कि हम मित्त-व्ययता से शासन अच्छे ढंग से कर सकते हैं मेरा निवेदन है कि क्वालिटी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्वानटिटी पर नहीं देना चाहिए।

गत वर्ष क्रय-विक्रय संघ के बारे में सदन में चर्चा हुई थी। ४०,०००) रु० क्रय विक्रय संघ के कार्यालय से गबन होने की चर्चा आई। जहां तक मुझे मालूम है, ५०००) रु० से अधिक बेलेन्स क्रय विक्रय संघ के कार्यालय में रखने का अधिकार डाइरेक्टर्स की तरफ से नहीं है, फिर मेरी समझ में नहीं आया कि ४०,०००) रु० किस प्रकार रखे गये? डाइरेक्टर्स के आदेश से रखे गये या उनको पता नहीं था और रखे गये? इसके पश्चात् क्या हुआ उसका पता नहीं। तरह तरह की बातें होती हैं। विजिलेन्स कमीशन के पास मामला गया लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

घोटाला या जो कुछ है उसके बारे में अब तक कुछ नहीं हुआ साल भर हो गया यह शासन के लिए भद्दी और बुरी बातें है।

जहां तक तबादले, तनज्जुली, तरक्की आदि सरकार द्वारा होते हैं, मेरे ख्याल से उसमें भी सावधानी नहीं बरती जाती और इन तबादलों और तरक्कियों में अधिकांश रूप से सरकार पक्षपात की दृष्टि से, दलगत नीति की दृष्टि से, ये तबादले सरकार किया करती है। डिस्ट्रिक्ट ,एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में विशेषतः यह निवेदन करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनीस्ट्रेशन एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जिसके द्वारा सारे शासन के माप दण्ड का अनुमान हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन सुचारू ढंग से, एफिशियेन्ट ढंग से चले यह परमावश्यक है। जहां तक मेरे जिले की बात है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अधिकतर आई. ए. एस. ऑफिसर नहीं आते हैं। नोन आई. ए. एस. आर. ए. एस. आफिसर आते हैं। वहुत से अनकन्फर्मड आते हैं। मेरे ख्याल से कैसा जिला हो, कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई. ए. एस. आफिसर के चार्ज में ही रहना चाहिये। आर. ए. एस. अनकन्फर्मड आयेंगे तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि उसका भी कोई राजनीतिक कारण होना चाहिये, दल गत कारण होना चाहिये। मैं इस व्यवस्था के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

कल ही माननीय राजस्व मंत्रीजी के समक्ष मैंने यह कहा कि आपका एग्जीक्युटिव, आपका प्रशासन है, कर्मचारीगण हैं ये डीमोरेलाइज्ड हो गये हैं उनकी स्वतंत्रता, उनकी इनडिपेन्डेन्स में धीरे धीरे न्यूनता या कमी आ रही है मेरे ख्याल से एक जनतंत्र के लिए यह बड़ी अस्वस्थ बात है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं और उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ मैं यह निवेदन करूंगा कि दो तीन ही उदाहरण प्रस्तुत करना काफी समझता हूं, सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। सन् १९५२ में मैंने देखा कि जनरल इलेक्शन के समय कलेक्टर जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे उनकी मोटर में बैठकर खुले आम प्रचार करते थे कि कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट देना आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही जनता का हित हो सकता है। सन् १९६२ में जब मेरे ही जिले में कांग्रेस के प्रति इतना खुले आम प्रचार करना उचित नहीं समझा तो उनका तबादला एकदम वहां से कर दिया गया।

डूंगरपुर की स्थिति है वह ऐसी है कि कर्मचारीगण विपक्षियों को हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, कोई सम्पर्क उनका नहीं है और संपर्क हम लोग चाहते भी नहीं लेकिन यदि कोई आवश्यक हो तो मेरे ख्याल से संपर्क इतना कम और नगण्य है। यदि कोई कर्मचारी विपक्षिगणों से मिलने आता भी है तो फौरन वहां से उसका तबादला कर दिया जाता है।

मेरे पास कई उदाहरण हैं। सन् १९५७ में अध्यक्ष महोदय, एक विरोधी कार्यकर्ता एक कांग्रेसजन के द्वारा बन्दूक से मार दिये गये। वह जब विपक्षी दल का कार्यकर्ता मारा गया कांग्रेसजन के द्वारा तो वह कांग्रेस जन वहां के जिला कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जीप में बैठे हुए थे। जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट की जीप से पोइन्ट ब्लेंक रेन्ज से १० फीट के फासले पर मार दिया। वह पोलिंग का दिन था, उस दिन इलेक्शन था, वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा। ३ दिन तक वह लाश वहां रही। इलेक्शन होता है तो पुलिस आस-पास होती ही हैं, किन्तु उस लाश को उठाने कोई नहीं आया।

सेशन जज से उस कार्यकर्त्ता को फांसी मिलती है। उसके बाद जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे वे छोड़ दिये गये हाई कोर्ट के द्वारा।

अभी, अध्यक्ष महोदय, होली के लगभग हताई पंचायत के अन्तर्गत एक पूरिया नाम के व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता थे, उन्होंने दो विपक्षियों को, दो विपक्षी कार्यकर्त्ताओं को तलवार से मार दिया। यह एक लम्बी-चौड़ी कहानी है किन्तु उनके अन्दर आपसी कोई झगड़ा था, तकावी और खेत का झगड़ा था। गांव के खेत में यह दोनों विरोधी दल के कार्यकर्त्ता काम करने को गये क्योंकि वह उनका खेत था और वहां यह वाकया गुजरा···

श्री देवीलाल मीणा (सराडा-सु०): यह गलत कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: इसके अन्दर सरपंच··· ······· ······

श्री देवीलाल मीना: यह गलत बात है। उसके अन्दर भाई भाई की लड़ाई थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उसके अन्दर सरपंच इन्वोल्व्ड हैं और वह भी कांग्रेसी हैं।

श्री देवीलाल मीणा: भाई भाई के झगड़े में सरपंच को क्यों बीच में लाया जाय?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि आपकी तरफ ही जो ललितमोहनजी हैं, वे इस क्षेत्र के अन्दर से आते हैं, उनको कहा जाय कि यह मामला राजनैतिक है या नहीं। वैसे यह चीज साबित होना मुश्किल है··

श्री देवीलाल मीणा: उनका इससे सीधा सम्बन्ध है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: लेकिन वस्तु स्थिति के अनुसार मैं निवेदन करता हूं कि किस तरह से दबाव डाला जाता है, किस तरह से टंग ऑफ वार चलती है–इसका भी यह एक उदाहरण है। आज तक जो प्लेन और सिम्पल मर्डरर था, यह पूरिया नाम का व्यक्ति इसको क्यों छिपाया जा रहा है, इसको क्यों छिपाये हुए हैं और मुकद्दमे के लिए इसका चालान क्यों नहीं किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, ये छोटी छोटी बातें हों चाहे, उनके अन्दर कितना सत्य और तथ्य हो लेकिन अगर विपक्षियों द्वारा वह कर्मचारियों के सामने लायी जाती हैं तो कर्मचारी इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने डरते हैं कि वे कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, यही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी अनियमितताओं और बड़े बड़े घपलों को, जो शासनारूढ़ दल के व्यक्तियों के हैं रेगुलराइज किया जाता है, उनके लिए वह सब क्षम्य है। ऐसी व्यवस्था, मेरे ख्याल में, अच्छी व्यवस्था नहीं है। यह मेरा कटु अनुभव है और इस कटु अनुभव के हम आदी हैं। हम उम्मीद करते हैं और याचना करते हैं लेकिन यह कटु अनुभव पन्द्रह वर्ष का है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और धीरे धीरे सर्विसेज इस तरह डिमोरेलाइज होती चली गई तो वह दिन दूर नहीं है कि आज जो जनतन्त्र है वह समाप्त हो जाय और मेरे ख्याल में, एक फासिस्टवाद यहां पर स्थापित हो जाय।

मैं यह भी, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर अमुक दिन रहने चाहिए। यह गये साल भी मैंने कहा था। यह अधिकांश समय, महीने में पच्चीस दिन दौरा करते हैं तो कम से कम अधिक समय तक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर इन्हें रहना चाहिए और उन दिनों के लिए आम तौर पर ऐलान कर देना चाहिए कि अमुक तारीख को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर रहेंगे ताकि लोग वहां आकर मिल सकें और जो मामले हों उनको लेकर वह वहां जायं, तहसील हैड क्वार्टर पर, और वहां पर डिस्ट्रिक्ट आफिसर रहे जिससे वह सम्पर्क स्थापित कर सकें। आज साधारण साधारण मॉमलों में परेशानी होती है। यदि भूमि का एलॉटमेंट गलत होता है और उसकी नकल लेनी हो, तो मेरा प्रतिनिधि भी तीन चार दिन तक तहसीलदार के पीछे फिरता रहा लेकिन नकल नहीं दी गई। उसके बाद मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से गया तो बड़ी मुश्किल से वह नकल प्राप्त हुई। यह व्यवस्था को देख कर भाग जाना, जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है, मेरे ख्याल में कर्मचारीगणों के लिए शोभायमान चीज नहीं है।

बहुत से ऐसे लोग हैं जो पांच वर्ष पहले बहुत कम हैसियत के थे; वे आज कोटा, परमिट, लाइसेन्स, मोनोपोलीज के द्वारा समृद्ध हो गये हैं। कांग्रेस का यदि वहां पर कोई भी बड़ा नेता या मंत्री आता है तो हजार, दो हजार रुपया खर्च कर के पार्टीज वह देते हैं। वह सरकार को कोई टैक्स अदा नहीं करते हैं और हजारों रुपया उनके नाम पर एरियर में पड़ा हुआ है, लेकिन उनके लिए, मेरे ख्याल में, कोई भी हिदायत नहीं देना, उसके लिए आदेश भी नहीं देना और जहां तक विपक्षी का प्रश्न हो, उसमें जरा सी भी अनियमितता हुई हो तो बात का बत्तंगड़ बना कर मिनिटों के अन्दर उसको मार डाला जाता है।

जहां तक तबादले का प्रश्न है, आज ही क्वेश्चन आवर में प्रश्न था। तो यह सरकार की व्यवस्था है कि दो वर्ष नहीं बीतें तब तक किसी अधिकारी का तबादला नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था, एक हद तक, मेरे ख्याल में उचित है। इसका तो मैं समर्थन करूंगा, स्वागत करूंगा किन्तु कोई न कोई मेक्जिमम पीरियड के लिए आपको कोई न कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, कोई अवधि या समय बताना चाहिए। बारह-पन्द्रह वर्ष से एक ही जगह पर अगर कोई कर्मचारी रहता है तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स उत्पन्न होंगे और यह व्यवस्था, मेरे ख्याल में, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। एक डाक्टर का प्रश्न था। मैंने इस विधान सभा में दो वर्ष पहले इस सम्बन्ध में चर्चा की थी कि सत्तरह वर्ष के बाद में उसका तबादला किया गया। एक दूसरे रेंजर हैं, हमारे डूंगरपुर में वह भी ग्यारह वर्ष से हैं। जो बी. डी. ओ. डूंगरपुर हैं वह सात वर्ष से हैं। मालपुरा में भी यह की यह समस्या है। तहसीलदार और एस. डी. ओ. वहां पर रहते हैं, वे सरकार के आदेशों के अनुसार अनुचितरूप से लोगों को दबाते हैं। मेरे ख्याल में यह व्यवस्था निंदनीय है। इसका मैं विरोध करता हूं। जो आसपुर के पटवारी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं. वह वहां छः साल से हैं वह खुले ग्राम प्रचार करते हैं कांग्रेस का और जिला प्रमुख के रिश्तेदार हैं। आसपुर समिति के जो बी.डी.ओ. हैं वह सात वर्ष से हैं। और हमारी समिति के अन्दर चार वर्ष में चार बी.डी.ओ. बदल दिये। एक अकाउन्टेन्ट है पंचायत समिति के उनके ऊपर गबन के गम्भीर आरोप हैं और वह प्रधान जी के साले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था रही तो यह जनतंत्र किस तरह से चल सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है और यही प्रश्न मैं सरकार से पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसका इतिहास पढा जाय तो मैं समझता हूं जिस प्रकार पुराने समय में लिखी हुई रामायण में अयोध्या काण्ड है, बाल काण्ड हैं, उसी तरह इस कांग्रेस के शासन काल में कई काण्ड पैदा हो गये हैं यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आज कांग्रेस द्वारा चुनाव काल में कितनी गड़बडी होती है, किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है, उसका मैं उदाहरण पेश करूंगा और उसके साथ साथ कुछ फोटोस्टेट कॉपी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा मैं कहता हूं कि उदयपुर में जो जिला प्रमुख है वे किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग करवाते हैं, उदयपुर में जो प्रधान हैं उनसे मिल कर, और सरपंचों से मिल कर किस प्रकार जो जनता का पैसा है, पंचायत समिति का पैसा है, उसका किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। वह जो रकम होती है, उसका आधा या तीसरा हिस्सा भी जनता के ऊपर नहीं लगाते हैं और पूरा का पूरा पैसा चुनाव के काम में लेते हैं। चुनावों के लिए मंत्री कहते हैं और सरकार भी कहती हैं कि चुनाव सस्ते होने चाहियें. एम. एल. ए. के लिए तीन हजार से ज्यादा खर्च न करें, उससे कम प्रधान के लिए करें और उससे कम सरपंच के लिए खर्च करें, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होता है और मैं इस बात के लिए सबूत चिट्ठियां पेश करूंगा कि किस प्रकार प्रधान के चुनाव में पांच दस हजार रुपया खर्च हो जाता है और किस प्रकार जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।

एक कांग्रेस के प्रधान भीन्डर में हैं, उन्होंने जिला प्रमुख को एक पत्र लिखा है, उसकी फोटोस्टेट कोपी मैं पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है।

"मण्डल कांग्रेस कमेटी खेरीदा
त० वल्लभनगर (राजस्थान)"।

दिनांक ७-१-६५

अध्यक्ष
भंवरलाल कोठारी
बी.ए.एल.एल. बी. [(प्रि) लगा रखा है।]
पत्र संख्या (संख्या नहीं हैं।)
आदरणीय रोशनलालजी साहब
जिला प्रमुख, उदयपुर (राज०)

ग्राम पंचायतों का चुनाव बहुत खुशी के साथ सम्पन्न हो चुका हैं अब मेरे प्रधान चुनाव में मेरे पार्टनर श्री भगवती जी अग्रवाल व आदरणीय शक्तावत साहब– (यह शक्तावत भी वहां के प्रमुख कार्यकर्त्ता हैं)–का भी योगदान सर्व प्रशंसनीय है। मैंने इस चुनाव

(श्री जोधसिंह चौहान)

के खर्चे के लिए ग्राम कूतवास के खरडा तालाब के खुरे के एवम् बारगडिया रोड़ वगैरह के निर्माण कार्य की रकम में से ६००) रु० सिर्फ खर्च कर बकाया रकम श्री सरपंच जोधराजजी कोठारी के पास रखवा दी है। वो रकम अपने चुनाव के खर्च के लिये उनसे कल मंगवा ली जायगी, खर्च की रकम तो बाद में किसी भी तरह प्राप्त कर लेंगे।

भंवरलाल कोठारी
प्रधान,
पंचायत समिति, भीन्डर''

इस प्रकार की चिट्ठी है ग्रौर वह सारी की सारी रकम जनता के लिये खर्च करनी थी उसमें से ६००) खर्च किये। अध्यक्ष महोदय, ३०००) में से ६००) जनता के लिये खर्च किये ग्रौर बाकी के रुपये सरकार ने ग्रौर दूसरे लोगों ने ग्रापस में मिलकर प्रधान के चुनाव में बांटे। ये सारी की सारी फोटो कॉपीज है जो मैं ग्रापके सामने पेश करता हूं। इस प्रकार की हजारों बाते हैं. जिससे रामायण ग्रौर महाभारत बन सकती है। एक दूसरी कॉपी है २-२-६५ की है। वह इस प्रकार है :

''मंडल कांग्रेस कमेटी, खेरोदा
त० वल्लभनगर (राजस्थान)
दिनांक २-५-६५

पत्र संख्या·············

आदरणीय श्री रोशनलाल जी शर्मा, जिला प्रमुख, उदयपुर (राज०)

मुझे यह निवेदन करते हर्ष है कि·····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों की डिमान्ड जिस रोज पेश हुई थी उस रोज ये सारी बातें कही जातीं तो ठीक होता, ग्राज इस मांग में यह ग्राती नहीं है। ग्राज ये इन सारी बातों को बताते हैं। इसका ग्राज कोई लेना-देना नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, ·······

श्री जोधसिंह चौहान : मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप हमारी बात सुनें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं ग्रौर उस हैसियत से ग्राप से निवेदन करते हैं। ग्रापको यह चाहिये था कि ग्राप इसका स्वागत करते कि हम किस प्रकार से ग्रापको लाकर बताते हैं। उल्टा ग्राप हमको कहते हैं, ग्रौर सुनना नहीं चाहते। जब हम फोटो कॉपी लाये हैं तो ग्राप को यह कहना चाहिये कि हम इसकी जांच करेंगे ग्रौर जिला परिषद् को हटायेंगे ग्रौर ग्रागे उसको टिकट नहीं देंगे। मगर ग्राप उल्टा हमें ही कहते हैं। इससे ज्यादा ग्रफसोस क्या हो सकता है। वो कहते हैं····

'' मुझे यह निवेदन करते हर्ष है कि ग्रापकी कृपा से मैं प्रधान के चुनाव में सफल हो गया हूं ग्रौर विपक्षी वठेडा राव कमलेन्द्र सिंहजी की तो हार करवा ही दी। इस प्रधान चुनाव में मेरा निजी खर्चा तो बहुत हुग्रा है, खेर कोई बात नहीं। इस चुनाव में २५०) रु० गांव मोडी के सरपंच व घनश्याम जी को २६०) रु०, ग्रसन्दा के सरपंच कन्हैयालालजी को ३००) रु०, ग्रौर सरपंच जसराजजी हरसाण को ३००) रु०. सरपंच किशनलाल रूमोये का खेडा १०००) रु०, सियाड के सरपंच इस्माईल को २५०) रु०,

(श्री जोधसिंह चौहान)

गोकल चारगजिया ३००) रु० और गन्देडा के सरपंच लक्ष्मीलाल को २००) रु० मैंनाल के सरपंच भेलाल को २००) रु०, अमरपुरा के सरपंच जीतमल को २५०)रु०, खेरोता के सरपंच उदयसिंह वगैरह को अलग अलग चाय नाश्ता खर्च के देना पड़ा तभी ये दूसरे सरपंचों को मेरी ओर ला सके। पंडित गोरधन पसेर व मोहनजी चौधरी वगैरह ने भी ले जाने में मदद की और मैंने उन सब पंच सरपंच वगैरह के लिये अपनी तरफ से श्री पन्नालालजी नागदा के मकान में चाय, नाश्ता, भोजन आदि का प्रबन्ध कर दिया। चुनाव का कुल खर्चा ५०००) रु० हुआ।"

अध्यक्ष महोदय, एक प्रधान के चुनाव में खर्चा कुल ५ हजार रुपया हुआ। यह भी नियम के विरुद्ध है। जब एम० एल० ए० के चुनाव में भी तीन हजार खर्च होता है।

एक माननीय सदस्य : ६ हजार तक होता है।

श्री जोधसिंह चौहान : और भी बहुत खर्च हुआ होगा। इस प्रकार आप अपनी चोरी को छुपाओ मत।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों में किस प्रकार के घोटाले होते हैं। प्रधान की लड़कियों की शादी होती है उसमें चीफ मिनिस्टर भी पधारे हैं। बड़े बड़े मंत्री भी पधारे हैं और उन्होंने गल्ला सारा जो उठाया वह जनता की गाढ़ी कमाई का था उसको आपने किस प्रकार गबन किया। इसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक चिट्ठी आपके सामने रखता हूं। शादी थी तो उसके लिये शक्कर किस प्रकार से आई और उसका एक पैसा भी नहीं दिया और सारी शक्कर सरकारी दूकानों से आई। इसकी चिट्ठी भी मैं आपको बताता हूं।

स्वास्तिक ऑइल मिल्स एंड जनरल इंडस्ट्रीज,
भीन्डर (राजस्थान)

इसके मालिक हैं प्रधान।

रेफरेन्स नं० नहीं है। डेटेड २५-४-६५

एक माननीय सदस्य : यह चिट्ठी आपके पास कहां से आई? यह फर्जी है।

श्री जोधसिंह चौहान : यह चिट्ठी फर्जी नहीं है। फर्जी सारी सरकार है। आपको इस प्रकार कहते हुए और अपनी चोरियों को छिपाते हुए शर्म नहीं आती। डूब मरो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की भाषा माननीय सदस्य द्वारा बोली जाती है और "डूब मरो" शब्द शोभनीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आज की बहस से इसका क्या संबन्ध है ?

श्री जोधसिंह चौहान : अगर इस प्रकार की कार्यवाही को रोका जावे तो बहुत फायदा सरकार को हो सकता है। इसलिये कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रशासन की मांग है। आप प्रशासन के बारे में कहें, अगर कोई बात आपको कहनी हो। यह तो पंचायती राज के बारे में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सेक्रेटेरियेट नहीं सुनता एस० डी० ओ० नहीं सुनता और दूसरे भी कोई नहीं सुनते तो फिर सुनावेंगे कहां ?

श्री जोधसिंह चौहान : हम जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर यहां पर जनता की बातें आपको नहीं सुनावेंगे तो किनको सुनावेंगे आपके यहां पर कौन सुनता है ? एक आदमी का मर्डर हो। आपके एक बिश्नोई ने नाक काटली है। आपको डूब मरने की बात है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अगर कोई बिश्नोई ने किसी की नाक काट ली है तो उससे जनसंघ और कांग्रेस का क्या सम्बन्ध है। कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ होगी। इसमें डूब मरने की क्या बात है ?

श्री जोधसिंह चोहान : आपको अफसोस होता है, मगर करें क्या ऐसा ही इलेक्शन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप और हम बन्दोबस्त करें। We feel it.

श्री जोधसिंह चौहान : यथा राजा तथा प्रजा। सरकारी कर्मचारी जैसा ऊपर वाले करते हैं वैसे ही करते हैं। कलेक्टर जैसा करेगा वैसे ही वे लोग करेंगे। अगर ऊपर वाले ठीक तरह से और ईमानदारी से काम करें तो सारा भ्रष्टाचार ठीक हो सकता है। एक पत्र मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

"आदरणीय श्री रोशनलालजी शर्मा, प्रमुख जिला परिषद्, उदयपुर।

आपका पत्र मिला। आपकी बच्ची की शादी जुलाई ६५ में है सो शक्कर की बोरियें व गेहूं का प्रबन्ध करके भेज देना लिखा; उत्तर में निवेदन है कि आपके लिखने के माफिक मैंने मांगीलालजी कोठारी ने कृतवास से दानेदार शक्कर की पांच बोरियां भेजने का तय कर दिया है। सो मेरा भाई नानालाल कोठारी के साथ अगले रविवार को शक्कर की बोरियें विकास अधिकारी की जीप में भेज रहा हूं। देखिये विकास अधिकारी की जीप में भेजी जा रही है। सो वो आपके यहां हाथी ने खड़े लेकर आ जावेंगे।" इस शक्कर की कीमत के रुपये लेने-देने का कोई हिसाब नहीं है [आपकी बच्ची की शादी हुई और उसमें चीफ मिनिस्टर भी पधारे थे] कीमत के लेने देने का कोई हिसाब नहीं वैसे ही हर महीने में शक्कर की बहुत बचत हो जाती है, जिसका मुनाफा तीन या चार गुना मिल जाता है। तोल में कम देने से)

(१ म. प.)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो इस सदन के प्रिविलेजेज है उनका लाभ उठाने से पहले इस बात पर विचार करते तो उपयुक्त होता कि जिस प्रकार की चिट्ठी आप सुना रहे हैं, कोई माननीय सदस्य मानने को तैयार नहीं होगे कि इस प्रकार की चिट्ठियां लिख कर कोई दूसरे को भेजे, जो आपके पास मौजूद है।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं फोटोएस्ट कॉपियां सदन में पेश करूंगा। मैं तैयार हूं विरोधी इसीलिये होते हैं कि आपके धोटालों को, आपकी बातों को सामने रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साधारणतया लोग ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखते हैं, लिखते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। नहीं लिखते हों ऐसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बात नहीं है; पहले भी रोशनलालजी ने बाबूजी कर के आपको चिट्ठी लिखी थी, बाबूजी काण्ड हुआ था और इस सदन के सामने आया था। यह बात सही है कि आपने सफाई देकर कहा था कि उनकी सिफारिश के अनुसार कार्यवाही नहीं की और तरह की कार्यवाही की, कोई पैसा धेला नहीं दिया। पर चिट्ठियां तो लिखी जाती हैं, तो यह जरूरी नहीं कि इस तरह की चिट्ठी कोई किसी को नहीं लिखता। आपको तो इस बात के लिये अॉपोजिशन वालों को धन्यवाद देना चाहिये कि राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार के प्रति, घोटालों के प्रति, कितने सजग हैं और उन मामलों को सदन के सामने रखते हैं। इस दृष्टि से सारी चीजें यहां सदन में रखते हैं कि राज्य में सुधार हो, हां यह बात जरूर है कि आपके लिये बड़ी एम्ब्रेसिंग है ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई एम्ब्रेसिंग नहीं है। पंचायत समिति भिण्डर के प्रधान की चिट्ठी सदन की मेज पर रख दें, फोटोएस्ट कापी रख दें, इसकी जांच कराई जायगी और मेरी यह निश्चित मान्यता है कि ये सही साबित नहीं होंगी। ओरिजिनल कापी रखें कि जिससे पूरी जांच को जा सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने कहा कि भिण्डर पंचायत समिति के प्रधान की चिट्ठी सदन की मेज पर रखी जाय, उनके लिये जांच करेंगे पर रोशनलालजो ने चिट्ठी लिखी है, उसकी जांच नही करेंगे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके बारे में भी जांच करूंगा। जो चिट्ठी माननीय सदस्य सुना रहे हैं उसके बारे में मैंने यह कहा है।

श्री जोधसिंह चौहान : हमने क्या दोष किया, हम भी जांच के लिये ही तो कह रहे हैं। पर हमको आप पर विश्वास नहीं है, हमको भी इस जांच में शामिल रखें न, हम बतायेंगे, हम साबित करायेंगे। आगे लिखा है :

"वैसे ही हर महीने में शक्कर की बहुत बचत हो जाती है, जिसका मुनाफा तीन चार गुना मिल ही जाता है, गेहूं का प्रबन्ध भी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से करवा लिया जायगा। मेरे प्रधान पद के चुनाव में चाय नाश्ता वगैरह खर्चा का काफी हो चुका है, उसकी क्षतिपूर्ति भी जरूरी है। और कोई मेरे योग्य सेवा हो लिखावें", यह भी लिखते हैं "गेहूं के खरीदने में आपका व मेरा रुपया खर्च नहीं होगा, मैं हर तरह से इकट्ठा करके भेज दूंगा। शक्कर की बोरियों के कीमत के रुपयों की लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं है, शेष कुशल।

भंवरलाल कोठारी

प्रधान

पंचायत समिति भिण्डर"

इस प्रकार की चिट्ठियां, इस प्रकार के घोटाले, राजस्थान में होते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई भी नई बात नहीं है। आदिवासियों का मुख्य मंत्रीजी के नाम से मोहनपुरा बसा, एकलिंगजी के पास मोहनपुरा बसा, मुझे इस बात की खुशी हुई, इस बात की बधाई मैं मुख्य मंत्रीजी को देना चाहता हूं मोहनपुरा बसाया पर जो वनवासियों को रकम दी गई मकानों के लिये वह सीधी की सीधी बी०डी० ओ० के जरिये ठेकेदारों को दे दी। कई मकान बने, उनमें चार मकान आज भी

(श्री जोधसिंह चौहान)

अधूरे हैं, वह मकान नहीं बने, सारी की सारी रकम खा गये, आज तक वह ठेकेदार बाहर है, एकलिंगजी का रहने वाला है, आप भी जानते होंगे मैं भी जानता हूं। यही नहीं, कई रकमें ऐसी भी पेश करना चाहता हूं जो लोगों को नहीं दी गई और उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है। बेदला के नीति कुमार हैं, उनको पंचायत समिति से रकम भी नहीं दी और रकम खा गये और उनसे रकम वसूल करने के लिये आपके अधिकारी पहुंच गये। एक घोटाला हो तो कहें, कांग्रेस राज में इस प्रकार के कई घोटाले हैं। हम तो इसलिये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के सारे अत्याचार, सारे जो घोटाले होते हैं उनकी जांच होनी चाहिये।

उदयपुर नगर में कई इस प्रकार के घोटाले हैं। हमारी नगरपालिका में २५ हजार की मोटर लांच लाई गई। मुख्य मंत्रीजी ने यहां उत्तर दिया कि वह चालू है पर वह बिल्कुल चालू नहीं थी, खराब थी। मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद मोटर लांच चलाना जानता हूं, मैं मेकेनिकली उसकी सारी चीजें जानता हूं, मैंने चला कर देखा। वह उस समय चालू नहीं थी, वह अब चलनी शुरू हुई है, नगरपालिका के अध्यक्ष ने उसे तैयार करवाया है। २५ हजार रुपया उसकी कीमत का दिया पर मुख्य मंत्री जी उत्तर देते हैं कि वह मोटर लान्च चालू थी। हमने कमिश्नर को, प्रशासक को नोटिस दिये, जहां से आई उसको नोटिस दिया है पर इस प्रकार के घोटाले की कोई सुनवाई नहीं हुई। सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, उसमें आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी ने आफिस के ताला लगा दिया है पर जिनको बूढ़े ढोर कहते हैं, जो कांग्रेस से पलते हैं उन्होने अपने घर पर अलग कार्य चला रखा हैं, सेक्रेटरी ताला लगाये बैठा है। सबसे बड़ा गबन जो वहां के बड़े इन्चार्ज मास्टर बलवन्तसिहजी हैं उन्होंने किया है, अपने बेटे के नाम तीन प्लाट दे दिये, मुख्य प्लेस हैं, फतेहसागर लेक के पास है। इस प्रकार के घोटाले करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के घोटालों के एक नहीं अनेकों काण्ड हैं।

मैं विशेष नहीं कहूंगा। यही कहूंगा कि इस ओर सरकार ध्यान दे, यही हमारी प्रार्थना है जिससे कि जनता सुखी हो सके और आने वाले चुनावों में आपको जनता भ्रष्टाचारी न कह कर वोट दे सके। इसके लिये आपको सतर्क रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई !

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्षजी, ...

श्री जोधसिंह चौहान : मैं यह कॉपी सदन की मेज पर रखता हूं।

(कुछ पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी गईं)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जनरल प्रशासन को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी स्थापित की थी, उस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुई और उसमें उस कमेटी ने काफी सुझाव दिये थे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है, उसको कैसे सुधारा जाय। तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स का समन्वय किस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रकार हो ताकि आज जनता पर सीधा इफेक्ट करने वाली समस्याएं जिला लेवल पर उपस्थित होती हैं, जिला लेवल पर भिन्न भिन्न विभागों का आपस में समन्वय नहीं होने से बहुत से मामले बहुत समय तक सुलझाये नहीं जाते हैं, इससे जनता के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं, हालांकि जिलाधीश काफी कोआर्डिनेट करने की कोशिश करता है फिर भी जितना समन्वय भिन्न भिन्न विभागों का वहां जिला लेवल पर होना चाहिये, उतना समन्वय उन विभागों में आपस में नहीं होता है और इसके परिणामस्वरूप जितने मामले हैं, जनता की कम्प्लेन्ट्स हैं उनका डिस्पोजल नहीं होता है, इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट्स में आज ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं, जनता से सीधा सम्पर्क रखने वाली समस्याएं जिला लेवल पर आफिसर्स के सामने उपस्थित होती हैं, इसलिये राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा अधिकार डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स को देने चाहिये। इसमें राज्य सरकार ने आज तक सुधार किये हैं, यह मैं नहीं कहता कि सुधार किये ही नहीं सुधार किये हैं पर एक बात कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आफिसर्स की जनता के प्रति जो मनोवृत्ति है, उसका जितना सुधार होना चाहिये, प्रजातन्त्र में जो दृष्टिकोण आफिसर्स का जनता के लोगों के साथ होना चाहिये, जनता के लोगों से मिलने और उनको जवाब देने का, उसमें सुधार नहीं हुआ है, वही पुरानी परिपाटी चली आ रही है। जनता की वहां कितनी मुश्किलातें हैं, दो-दो, तीन-तीन दिन तक लोगों को वहां आकर खड़े रहना पड़ता है, चपरासी के जरिये उनको रोक देते हैं। ऐसे ऑफिसर्स भी होते है जिनको बात करने की भी फुर्सत नहीं है। इस ओर राज्य सरकार को ज्यादा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अगर वहां पर लोगों की समस्याएं, हल नहीं होती हैं तो लोग परेशान रहते हैं, राज्य सरकार के पास आते हैं और संचिवालय के अन्दर जाकर चक्कर काटते रहते हैं। सरकार ने प्रशासन सुधार समिति की रिपोर्ट पर कुछ एक्शन लिया है, जो कागजों के डिस्पोजल में देरी होती है उस बारे में सक्रिय कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन जिला स्तर पर क्या क्या जनता की समस्याएं हैं और कितने दिनों तक कागज किस किस विभाग में पड़े रहते हैं, इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। तहसील स्तर पर, एस० डी० ओ० स्तर पर और जिला स्तर पर जो लोग शिकायतें करते हैं, ऐसी दर्ख्वास्तों का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल होना चाहिए। लोग शिकायत लेकर आते हैं तो उनकी अनभिज्ञता के कारण कौनसी दर्ख्वास्त किस विभाग में पेश करनी चाहिए, उसका उनको ज्ञान कराना चाहिए। कलेक्टर का फर्ज हो जाता है कि जिस विभाग से उसका संबंध है उसको शीघ्रातिशीघ्र भेज देना चाहिए और उसके बारे में क्या कार्यवाही होती है, उसका फालो-अप होना चाहिये ताकि लोगों को समय पर जवाब दिया जा सके। अगर बार बार वे लोग भिन्न भिन्न विभागों में रिपोर्ट करते रहते हैं तो उनका असंतोष बढ़ जाता है।

जनता में आज असंतोष फैलने का मुख्य कारण यह है कि नीचे के अधिकारी जो हैं उनका जनता के साथ जैसा बर्ताव आज के प्रजातंत्र युग में होना चाहिए वह

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

नहीं है। ऐसे अधिकारियों को ट्रेनिंग के जरिए उनकी मनोवृत्ति सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य सरकार को यह भी चाहिए कि प्रशासन में क्या सुधार हुआ है, युग बदलता जा रहा है, तो अधिकारियों का जनरल रवैया जनता के प्रति क्या है, उसकी भी रिपोर्ट समय समय पर मंगानी चाहिए। अगर ऐसे अधिकारी हैं जो जनता से अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते और जिनके लिए लोग शिकायत करते रहते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें कुछ न कुछ कमी है। अगर इस बारे में राज्य सरकार सुधार करे और ऐसे अधिकारी लगाए जिनका जिला स्तर पर डिस्पोजल तेज हो, कागजों का जल्दी से जल्दी निपटारा करें क्योंकि अगर मामले पेंडिंग रहते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। अगर जल्दी निपटारा होगा तो लोगों को संतोष हो सकता है। जो भी फैसला हो वह शीघ्र होना चाहिए ताकि आदमी को मालूम हो सके कि किस जगह आगे जाकर केस की पैरवी करे।

(१.१२ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावंत, सभानेत्री, पदासीन)

इस समय जो जिला प्रशासन है उसमें बहुत शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार को एक क्वालिटी रखनी चाहिए। अगर पर्टीक्यूलर आफिसर किस जिले में एड्जस्ट नहीं हो पाता है और जिसका डिस्पोजल पूअर है और जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आनेस्ट और एफीशियेन्ट अधिकारियों को मालूम पड़े। अधिकारियों के अंदर भी एक बात आई है कि जनता के प्रतिनिधि उनकी आलोचना करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई मापदंड नहीं है। उनको समय पर प्रोमोशन नहीं मिलता है, इन्टीग्रेशन में देरी होती है इसलिए जो एफीशियेन्ट और आनेस्ट अधिकारी हैं, उनका एप्रीशिएशन होना चाहिए। आज अधिकारीगण कांग्रेस वालों का पक्ष लेते हैं तो आपोजिशन वाले आलोचना करते हैं इसलिए अधिकारियों को पूरी छूट होनी चाहिए कि वे स्वतंत्रतापूर्वक कागजों पर अपना निर्णय दें।

आजकल सरकार के सामने मितव्ययता का प्रश्न विचाराधीन है। प्रशासन का खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और एफीशिएंसी क्यों नहीं आ रही है इसका क्या कारण है? इस बारे में राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आप ऐसे दस अधिकारी रखें जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या कम करें उनकी जगह अगर एक भी अधिकारी रखें जो स्विफ्टली काम करता है तो वह उन दस अधिकारियों से बेहतर है जो सिर्फ बैठे रहते हैं और एक दूसरे के पास कागज चलाते जाते हैं।

राज्य सरकार को प्रशासन का खर्चा कम करने के लिए अधिकारियों की कमी करनी चाहिए और जो अधिकारी ज्यादा तनख्वाह पाते हैं और जो २००) रु पाने वाले ज्यादा काम करते हैं तो उसको भी सुनने की आवश्यकता है। आजकल लोगों में असंतोष, सरकारी कर्मचारियों में असंतोष, इसका असली कारण क्या है? उसकी जांच करने की आवश्यकता है। उसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

ओनेस्ट और एफीसियेन्ट अधिकारियों को समय समय पर प्रोमोशन नहीं मिला, एप्रीसिएशन नहीं हुआ तो उससे उनको उत्साह नहीं मिलता है। दूसरे खराब आफिसर्स है उनका अगर संरक्षण हो और वे आगे बढ़ते जाते हैं और अच्छा काम करने वाले पीछे रह जाते हैं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है ताकि जनता का असंतोष राज्य कर्मचारियों के खिलाफ दूर हो। सारे राज्य कर्मचारी खराब नहीं हो सकते, सारे अच्छे भी नहीं हो सकते। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा और राज्य सरकार में रजिस्टर में अलग अलग एप्रीसिएशन रिवार्ड्स होने चाहिए तभी असंतोष दूर होगा।

हालांकि राज्य सरकार ने काफी सुधार किए हैं परन्तु जनता के प्रति कर्मचारियों का जो वर्ताव है, उसमें जल्दी से जल्दी सुधार की आवश्यकता है। यह अगर नहीं किया गया तो जनता में इतना असंतोष बढ़ेगा कि कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।

दूसरा मेरा कट मोशन है समाज कल्याण विभाग में जालोर जिले के अंदर पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रवृत्ति के जितने मामले हैं, जितने भी भिन्न भिन्न कक्षाओं में लड़के पढ़ते है, छात्रवृत्तियां नहीं मिलती और इस विभाग में दूसरी जगह काफी तरक्की हुई होगी परन्तु हमारे जिले के लिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस जिले में विभाग ने किस किस साल में कितना कितना खर्च किया। वहां पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या भी काफी है, बहुत लड़के पढ़ते हैं उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, समय पर सहायता न मिलने के कारण पढ़ाई से महरूम रहना पड़ता है। जसवंतपुरा और दूसरे स्थानों पर जहां इरिगेशन वेल्स नहीं हैं वहां सब्सीडाइज्ड वेल्स बनाने के लिए सरकार को उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए। आज तक इस जिले में विभाग की जो भी गतिविधियां हैं वे अपर्याप्त हैं। मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य में जालोर जिले में समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनकी गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करके वहां के ऐसे लोगों को उपयुक्त मात्रा में सहायता देकर तरक्की के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करें।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): सभापति महोदया, सामान्य प्रशासन पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन में आम जनता के सम्पर्क में आने वाली सबसे छोटी इकाई अगर कहा जाय तो तहसीलदार है। तहसीलदार से उस तहसील में रहने वाले सभी नागरिकों के कई तरह के कामों में सम्पर्क पड़ता है। तहसीलदार राजस्व के मामले में स्टैम्प्स के मामले में, रजिस्ट्रेशन के मामले में, पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट के मामले में और नागरिक रसद में उनका सीधा जनता से सम्पर्क रहता है। अगर तहसीलदार अपने कार्य में दक्ष हैं, कुशल हैं और जनता की आये दिन की जो तकलीफें हैं उनको प्रशासनिक ढिलाई की वजह से जो दिक्कत आती हैं अगर तहसीलदार उसमें थोडी सी भी सतर्कता बरते तो मैं यह कहूंगा कि प्रशासन की सबसे बड़ी जो बदनामी होती हैं वह हल हो सकती है। तहसील लेवल पर

(श्री तेजाराम गहलोत)

तहसीलदार भूमि आवंटन करता है। भूमि आवंटन करने के लिए जिस प्रकार के नियम बने हुए है उनके अनुसार भूमि आवंटन नहीं करता हैं। दस साल के लिये लैंड आवंटन का सवाल है, या भूमिहीन काश्तकारों को भूमि देने का सवाल है उस प्रकार नियमों के अनुसार न करके मनमाने ढंग से अलॉट कर देता है। वे मनमानी करते हैं तो जिला स्तर पर एस. डी. ओ. और ऊपर के अधिकारी देखने वाले हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब इस तरह की जानकारी जिला स्तर के अधिकारी, एस.डी.ओ. वगैरह के नोटिस में आ जाती है तो उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया जाता तो प्रशासन में एक प्रकार की खराबी घर कर जाती है और धीरे धीरे ऐसे अधिकारी अपनी नाजायज कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं। होना तो यह चाहिये कि उच्चाधिकारियों के नोटिस में ऐसी चीज आती है कि अधीनस्थ अधिकारी ने ऐसी गलत कार्यवाही की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ताकि दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके और जनता की परेशानी दूर हो सके।

इसके अलावा, सभानेत्री महोदया, राजस्थान में राजस्व के मामले मे राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय है। छोटे स्तर पर तहसीलदार, एस डी ओ. है, वहां मामले लम्बे होते हैं। लेकिन राजस्व मंडल में मामले लम्बे नहीं होने चाहिये और वहां तो दूसरी हियरिंग में ही फैसला हो जाना चाहिये। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार का ढांचा राजस्व मंडल में है वहा सरकार और जिला अधिकारियों की ओर से किये हुए रेफरेन्स में जाने पर राजस्व मंडल को तुरंत एक्शन लेकर निर्णय देना चाहिये लेकिन दो-दो, तीन-तीन वर्ष से राजस्व मंडल में पेन्डिंग हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हलांकि मैं मानता हूं कि ज्युडिशियल मेटर्स में राज्य सरकार को इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहिये यह सिद्धान्ततया ठीक है लेकिन इन्टरफियरेन्स का मतलब यह नहीं है कि राजस्व मंडल ऊंची अदालत है इसलिये उसको मुकदमे लम्बे करने की छूट हो। राज्य सरकार को ऐसा नियम जरूर बनाना चाहिये कि अपील और रेफरेन्स का जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। अगर कोई कदम इस ओर उठाया गया तो गरीब जनता या किसान हैं उनके मुकदमे जल्दी से जल्दी फैसला होंगे, जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा तो आम जनता की यह तकलीफ यह जन कल्याणकारी राज्य दूर करने के अन्दर सफल होगा।

राजस्व मंडल में अमूमन देखा गया है कि मेम्बर्स लन्च अवर्स के बाद आते नहीं हैं, वकीलों को भी यह शिकायत रहती है। सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी अदालतें हैं, हाईकोर्ट ने उनके लिये नियम बना रखे हैं, मुन्सिफ को इतने मुकदमें और सिविल जज को इतने मुकदमे फैसल करना चाहिये, इसी प्रकार राजस्व मंडल अदालत है उसके लिये भी राज्य सरकार नियम बनाये कि एक्स पार्टी हुए तो इतने होंगे व contest हुए तो इतने होंगे, तो इतना कोटा पूरा माना जावेगा। राजस्व मंडल के लिये भी अपीलें या रेफरेंस किसी भी हालत में एक साल से ज्यादा लम्बे समय के लिये पेन्डिग नहीं रहने चाहिये। राजस्व मंडल का यह हाल है कि एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल रेफरेन्स, सरकार खुद इन्ट्रेस्टेड है और उनके हित के खिलाफ है

(श्री तेजाराम गहलोत)

वे पड़े रहते हैं, मुकदमे पलटे जाते हैं, पार्टीज आती हैं वे खर्चे से जेरबार होती हैं। इस लिये सुझाव दूंगा कि जनता को ठीक और सस्ता जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके इसकी कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अलावा, सभानेत्री महोदया, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि नागरिक रसद का सवाल है तो तहसील लेवल पर बांटा जाता है। स्टेम्प्स का भी है तो सैंकड़ों का सम्पर्क रहता है और रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो किसी भी समय आदमी रजिस्ट्रेशन पेश करे, उसको लेना चाहिये। लेकिन एक नियम बना देते हैं कि अमुक समय बाद आवेंगे तो नहीं लेंगे। केस भी क्लर्क के जिम्मे करना चाहिये। लेकिन वह यह कर देते है कि बैंक में जाकर पेश करवा कर जमा कराके आये तब रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें सिवाय जनता को तकलीफ के कुछ नहीं होता। इस तरह की तकलीफ प्रशासन में हो तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है ? नहीं कर सकता और जनता में आम परेशानी पैदा करता है। उसको मिटाने के लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि रजिस्ट्रेशन का काम बिना तकलीफ के और किसी समय हो सके।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये है, मुख्य मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गंगासिंह :

श्री गंगासिंह (जायल) : सभानेत्री महोदया, जहां तक राजस्थान के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है वहां तक यह निश्चित है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन का टोन होना चाहिये उस हद तक यह एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा नहीं है। सभानेत्री महोदया, किसी भी स्वतन्त्र देश के लिये यह जरूरी हो जाता है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो परन्तु वहां की सर्विसेज हों उनको बिलकुल इन्डिपेण्डेन्ट तौर पर काम करना चाहिये और इन्डिपेन्डेन्सी के बल पर ही सारी डेमोक्रेसी और स्वतन्त्रता कायम रहती है। सभानेत्री महोदया, इस कांग्रेस सरकार के शासन काल में, इन पन्द्रह-सोलह साल के उनके शासन का सिंहावलोकन करें तो आप देखेंगे कि सर्विसेज किस हद तक डिमोरेलाइज होती जा रही हैं और इसका कारण यह है कि कांग्रेस सरकार का सर्विसेज में बहुत हस्तक्षेप रहता है। सर्विस क्लास इस हद तक पहुंच गयी है कि वह मिनिस्टर्स और सरकार की ओर निगाह रहती है कि उनका क्या रुख होता है और उस रुख के माफिक नोट बनाकर सरकार के सामने पेश करती है। मेरी यह धारणा है, सभानेत्री महोदया, अगर सर्विस क्लास स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों के अनुरूप नहीं चली तो यह डेमोक्रेसी खुद ही खतरे में हो सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि सर्विस क्लास में कम से कम आप हस्तक्षेप करें जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का टोन ऊंचा हो।

सभानेत्री महोदया, इस हैड में जहां खर्चे का प्रश्न है इस वक्त चारों तरफ से यह मांग आती जा रही है कि खर्चा कम से कम किया जाय और जहां तक हो सके जिन मदों पर खर्चा कम किया जा सके उन

(श्री गंगासिंह)

पर कम किया जाय। लेकिन यदि इस बजट को देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन मदों पर खर्चा कम होना चाहिये उन पर ज्यादा खर्चा होता जा रहा है।

पहले मैं मिनिस्टरों के खर्चे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सन् १९६४-६६ के बजट में मिनिस्टरों पर खर्चा १२, ४७, ६७०) रु० रखा था और इस साल का जो बजट है उसके अन्दर १६,६६,०००) रु० रखा है। सभानेत्री महोदया, ऐसे खर्चे जो मिनिस्टरों पर धीरे धीरे कम होने चाहिये थे उसकी जगह मैं देख रहा हूं कि पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में ४॥ लाख का फर्क आता है। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस समय जब फाइनेन्सेज की बहुत कमी है और हम यह चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह चले कि उसका आउट-पुट ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उनको चाहिए कि इसमें वे काफी कमी करें।

इसके अतिरिक्त इस बजट के अन्दर, इस हैड के अन्दर सचिवालय से सम्बन्धित खर्चा बताया गया वह करीब ५६ लाख, ४३ हजार है। यह जो ५६ लाख, ४३ हजार का बजट है वह पिछली साल के बजट में ४७ लाख, ३८ हजार, ६१६ था ऐसी परिस्थिति में जो बजट पहले के साल में कम था वह लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा, कम से कम ऐसे खर्चे जो कम किये जा सकते थे उसको ध्यान में रख कर उन खर्चों में कमी की जा सकती थी।

इसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड के खर्चे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। रेवेन्यू बोर्ड के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स थे ७.४४ हजार जो प्रेजेन्ट बजट में है वह ७.९८ हजार है। मैं नहीं कह सकता रेवेन्यू बोर्ड में यह ५५ हजार का ज्यादा खर्चा क्यों मांगा जा रहा है? जब कि रेवेन्यू बोर्ड का जो पर्सोनल है वह दो, तीन, चार, पांच वर्षों से वही लगातार चला आ रहा है वही खर्चा हो रहा है जो हम तीन साल से देखते आ रहे हैं। ऐसी सूरत में ५५ हजार का ज्यादा खर्चा रख रहे हैं वह उपयुक्त नहीं समझते।

जहां तक गवर्नर के आतिथ्य सत्कार के खर्चे का सम्बन्ध है इसका खर्चा भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट में दिया गया है १२ हजार दिया है। वह ६५-६६ के बजट ने दिया है। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जो हमारे सामने आये थे २२ हजार के हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस समय सरकार की फाइनेन्सियल परिस्थिति ठीक नहीं है ऐसी हालत में कम से कम आतिथ्य सत्कार के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय का जो खर्चा है वह रेगुलेट होना चाहिये। वह बजट के अन्दर दिये हुए प्रोवीजन से ऊपर जाना कभी भी न्यायोचित नहीं है। पहले जो बारह हजार का बजट था वह बाइस हजार तक चला जाता है यह मैं समझता हूं, उचित खर्चा नहीं है।

जहां तक टेलीफोन के खर्चे का प्रश्न है इस बजट के अन्दर टेलीफोन के खर्चे के लिये करीब २ लाख रुपया रखा गया है। ६५-६६ के बजट में १ लाख १० हजार रखा गया था अब उसको बढ़ाकर दो लाख कर दिया। मैं नहीं समझता इतना टेलीफोन का डबल खर्चा क्यों हो रहा है, यह कहां तक उचित है?

(श्री गंगासिंह)

कम से कम इसमें ६५-६६ के बजट तक ही रखते उससे कम होना चाहिये जो आपने बढ़ा दिया है।

मंत्रियों के निवास, जल आदि की व्यवस्था के लिये ६५-६६ में २० हजार रुपया रखा गया था, ६६-६७ में उसको दुगुना कर दिया है। हम तो यह आशा लगाते थे कि डवलपमेंट के कामों में ज्यादा खर्च किया जायगा। लेकिन उसमें खर्चा न करके मिनिस्टरों के सेक्रेटरीज के, राज्यपाल के जो खर्चे हैं उनमें खर्च किया जा रहा है। जो पिछले साल के बजट में था उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कम से कम इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हैड के अन्दर जो बड़े-बड़े पदों में ज्यादा खर्च किया जा रहा है जिनकी आवश्यकता नहीं उन मदों में खर्चा पिछले बजट से ज्यादा एक्सटेन्ड नहीं होना चाहिये।

इसके साथ-साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा अपीलेट ऑथोरिटी की तरफ। इस पर काफी खर्चा हो रहा है। अपीलेट ऑथोरिटी का सम्बन्ध जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से है। मैं यह भी न्यायोचित नहीं समझता कि इसका खर्चा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जावे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): आप कौनसी अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में कह रहे हैं?

श्री गंगासिंह: रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी।

श्री परसराम मदेरणा: इसका जी० ए० डी० से क्या सम्बन्ध है?

श्री गंगासिंह: २ करोड़ ८७ लाख में यह खर्चा भी शामिल है। अपीलेट ऑथोरिटी का जो खर्चा आया है उसको कम किया जा सकता है। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टोरेट की सर्विस से सम्बन्ध है मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। कलेक्टर का हैड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। आई० ए० एस० केडर का होते हुए भी कम से कम कलेक्टर की पोस्ट के लिये एक लिमिट का होना बहुत आवश्यक है। पच्चीस तीस साल के अधिकारी हैं उनको कम से कम कलेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त न किया जाय। इसके लिये कम से कम ३५ की आयु होना बहुत आवश्यक है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन सुचारु रूप से चल सकता है।

इसके साथ साथ, सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों की ओर दिलाऊंगा जिसका सम्बन्ध सब डिवीजनल हैड क्वार्टर्स से सम्बन्धित है। जो मजिस्ट्रेट्स रखे गये हैं जो आपने अपने एक्जीक्युटिव ऑथोरिटीज को मेजेस्ट्रियल पावर्स दिये हैं वे पावर्स उनसे हटा लिये जावें। एक्जीक्यूटिव अधिकारियों को पूर्णतया जुडिशियरी के पावर्स देना जो अच्छी तरह उसको नहीं समझ सकते उनके हाथ में जुडिशियरी के अधिकार देना मैं उचित नहीं समझता। जो एक दफा बी०डी०ओ० रहते हैं उनको सीधा मजिस्ट्रेट बना देते हैं उसका नतीजा यह होता है कि जब पावर्स एक्सर्साइज करने का मौका आता है तो गलत पावर्स एक्सर्साइज कर देते हैं। जिसका उदाहरण मैं हाल ही की घटना से दे सकता हूं जिसके बारे में आज ही स्थगन प्रस्ताव भी आया था। डीडवाना के अन्दर एक मामला

(श्री गंगासिंह)

हुआ कि एक किसी लड़की से एक कर्मचारी ने बलात्कार किया। एक्युज्ड को पुलिस के अन्दर रखा गया। पुलिस के थानेदार और हैड कान्स्टेबल ने मिल कर उसे कस्टडी से निकाल दिया। एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की। दूसरे दिन डीडवाना में रोला हुआ उस रोले के अन्दर उस समय यदि जुडिशियल डिस्क्रीशन रखने वाला अधिकारी होता वह फायरिंग का आर्डर नहीं देता। जो एस० डी०एम० रखा गया है वह तहसीलदार और बी०डी०ओ० रहा हुआ है असिस्टेन्ट एक्साइज ऑफिसर रहा है उसको आप मेजिस्ट्रियल पावर्स देते हैं तो एकदम जो ऐसे रोले हो जाते हैं तो वह उन पर कन्ट्रोल नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारियों के हाथों का खिलौना बन जाता है। ये उनको मिस-गाइड कर देते हैं उसका नतीजा यह होता है। हमारे डीडवाना के अन्दर फायरिंग हुआ, कई लोगों को चोटें आई उसमें से संभवतः एक की हालत सीरियस भी हैं। ऐसी सूरत के अंदर निवेदन करूंगा सर्विस क्लास के अन्दर आप जिस किसी पोस्ट पर रखे वह उस पोस्ट के लिये उपयुक्त होना चाहिये। इसलिए अर्ज करूंगा कि इस तरह से ट्रांसफर नहीं होना चाहिये जो बी०डी०ओ० रहा हो उसको मजिस्ट्रेट के पावर्स नहीं दिये जाने चाहिये। सर्विस का ग्रेडेशन इस प्रकार का होना चाहिये कि उसमें उसी ग्रेड का अधिकारी आये दूसरे का उसमें कम से कम ट्रांसफर होना चाहिये। अगर अधिकारी कोई काबलियत ज्यादा रखता हैं तो उस ग्रेडेशन की सर्विस में जाय, उसका उसमें पोस्टिंग किया जाय जिसके कारण आपकी सर्विस क्लास के अन्दर ज्यादा काम कर सकें, एक्सपीरियन्स हासिल कर सके।

अब मैं जालोर के कलेक्टर के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह जब कानून के खिलाफ काम करता है तो फिर दूसरों का क्या कहना। वहां के कलेक्टर ने जो जालोर का डाक बंगला था उसको अपने रेजीडेन्स के लिये बदल दिया है जिसके कारण वहां कोई अधिकारी या मिनिस्टर जाते हैं उनको निवास के लिये तकलीफ होती है। ७ कमरों को तो अपने रेजिडेन्स में परिवर्तित कर दिया है और दो कमरे खाली रखे हैं। अगर वहां कोई अधिकारी या मिनिस्टर आते हैं वे या तो उन दो कमरों में ठहरें या फिर किसी अपने मित्र के यहां ठहरें। उन्होंने उस डाक बंगले को अपने निवास में परिवर्तित करने के लिये सरकार से आज्ञा तक नहीं ली। बिना आज्ञा के कहां तक उनका परिवर्तन करना उचित है? और गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले और वहां के एम०एल० ए० ने इत्तला दी है और उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जालोर के डाक बंगले को वहां के कलेक्टर ने बिना गवर्नमेंट को नोटिस दिये और बिना इजाजत लिये उसको अपने रेजीडेन्स में बदल दिया और वहां का डाक बंगला डाक बंगला नहीं है, बल्कि रेजीडेन्स हो गया है तो मेरा खास कहना यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह जरूरी हो जाता है कि जिस आदमी को आप कोई काम सुपुर्द करें और कम से कम कलेक्टर जैसा आदमी जो कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आपकी पोलिसीज को लागू करता है, आपका रिप्रेजेण्टेटिव है और लोग उसकी आंखों की तरफ देखते हैं कि वह कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करता है वैसा आदमी अगर पब्लिक में इस तरह से कार्यवाही करे तो पब्लिक उसके बारे में क्या विचार कर

(श्री गंगासिंह)

सकती है ? तो मेरा कहना यह है कि जहां तक इस तरह की कार्यवाही जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट करते हैं उनकी ग्रोर पूर्णतया ध्यान दिया जाना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का टोन है जो कि नीचे की ग्रोर जा रहा है उसके लिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस टोन को ग्रपलिफ्ट करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (ग्रासीन्द) : सभापति महोदया, प्रशासन के सुधार के संबंध में राजस्थान सरकार ने जैसा कि गवर्नर महोदय के भाषण में कहा गया था कि प्रशासन के सुधार में ५-६ कदम उठाये जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रशासन में कुछ सुधार ग्राने की सम्भावनायें हैं ग्रौर वह कदम इस प्रकार से उठाये जा रहे हैं कि जो व्यक्ति ग्रच्छा काम करे उनको जल्दी से जल्दी प्रमोशन दिया जाये ग्रौर जो ग्रादमी इस कार्य में रिसर्च वर्क करके जल्दी से जल्दी कार्य का डिस्पोजल बता कर काम कर सकें उस तरह के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये ग्रौर जो ऐसे वेकार ग्रादमी हैं या निकम्मे ग्रादमी हैं जो कि कार्य नहीं करते हैं ऐसे लोगों को रिटायरमेन्ट दिया जाये ग्रौर ग्रर्ली डिस्पोजल के संबंध में भी उसमें कहा गया है लेकिन जहां तक ग्रर्ली डिस्पोजल का सवाल है उसमें या ग्रौर कहीं भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से यह महसूस हो कि कोई भी कार्य जिस व्यक्ति को सुपुर्द किया जाये वह उस कार्य को कितने दिन में ग्रपनी तरफ से हल करके गवर्नमेंट को भेजेगा। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन है कि वह ग्रपना यह कदम तो उठाये मगर उसमें ग्रापने लूपहोल रख दी कि ग्रर्ली डिस्पोजल का सवाल रख दिया उसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया जिसकी वजह से किसी भी कर्मचारी के खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए इस ग्रधूरे कदम को सख्ती से पूरा करना चाहिए ग्रौर इस प्रकार के लूपहोल नहीं रखने चाहिए जिसकी वजह से राज्य सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकती। पांचवा मेन्टीनेन्स ग्रॉफ ग्रार्डर एण्ड डिसी-प्लिन है उसमें प्रावधान रखा गया है। मगर जहां तक देखा गया है, ग्राज के युग में जो लोग इन-ग्रॉर्डरली ग्रौर इन-डिसिप्लिन्ड हैं वही लोग ज्यादा प्रोत्साहन पाते हैं ग्रौर उनकी वजह से सरकार के जितने भी मुद्दे ऐसे हैं कि जिनका लीकेज नहीं होना चाहिए, वैसे भी प्रश्न लीकेज हो जाते हैं। यहां तक कि फाइलें तक सचिवालय से गायब हो जाती हैं ग्रौर दूसरे से भी गायब हो जाती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो कि दूसरी राजनैतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिए ताकि उनके खिलाफ एक्शन ले सकें ग्रौर इस प्रकार सरकार का कोई लीकेज वगैरह नहीं हो सके। मेरा ग्रर्ज करने का मतलब यह है कि ग्राज हमारा देश प्रजातांत्रिक प्रणाली में चल रहा है ग्रौर हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। क्या हम ग्रपनी सरकार से यह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पूछ सकते हैं कि जितने भी अधिकारी जो भी हमारे यहां पर बैठे हुए हैं वह सब समाजवाद में विश्वास रखते हैं या नहीं। आज इसमें कैपीटलिस्ट के एजेन्ट्स भी बैठे हैं दूसरी तरह के लोग भी बैठे हैं जिनकी समाजवाद में कोई आस्था नहीं है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि जितने भी अधिकारी, आई० ए० एस०, आर० ए० एस०, आई०पी० एस० हैं ....।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप राजस्थान में एक भी अधिकारी बता दें जो कि कैपीटलिस्ट की तारीफ करता हो या उनका हिमायती हो।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप नाम पूछना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : हैं ही नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : अर्ज करने का मतलब यह है कि इस प्रकार के लोग भी हैं जिनका कि हमें दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और जब तक उनकी समाजवाद में आस्था नहीं होगी तब तक हमारी योजनायें जो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनायें हमने बनाई हैं उनमें भी जिस प्रकार से हम अपने प्रदेश और देश की तरक्की करना चाहते थे उस स्टेन्डर्ड पर हम नहीं पहुंच सकेंगे और वह पालिसीज अधिकारियों द्वारा कैरी आउट नहीं हो सकेंगी जब तक कि उनका उस तरह का दृष्टिकोण नहीं बदला जाए। इसलिए सबसे मुख्य बात यह है कि आई. पी. एस., आई. ए. एस. और आर. ए. एस. की जो ट्रेनिंग होती है वह भी पुराने जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में जिस प्रकार से अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी उसी प्रकार से आज भी दी जा रही है और उनके दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं है। आइ. ए. एस. सब पर अपने आप को खुदा समझने लग जाता है और दूसरों के साथ भेदभाव से रहता है जैसे जनता के लोग सारे अछूत हैं और वह कहीं से ऊपर से टपक गया है। इस तरह की भावना जब तक रहेगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता और हम अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अमेरिका में इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ ही साथ हैड आफ दी डिपार्टमेंट अपनी पार्टी के लोग हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हो जाते हैं। इसलिए वहां के जितने भी प्लान हैं अलग २ पार्टीज उनको केरी-आउट करने का पूरी तरह से जिम्मा लेती हैं और उसको सही और सच्चे तरीके से कामयाब बनाते हैं. लेकिन हमारे यहां पर इस प्रकार की कोई बात नहीं हैं, न भर्ती करते वक्त देखा जाता है और न ट्रेनिंग देते वक्त देखा जाता है। इसलिए यह बहुत बड़ी कमी है जिसको हमें देखना पड़ेगा और अगर हम इनको नहीं देखते हैं तो यह कमी बराबर बनी रहेगी और देश को जिस भावना से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए जो अधिकारी लोग हैं, कल्याणकारी राज्य है इसमें कल्याण का प्रश्न सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन बहुत से अधिकारी लोग प्रजातंत्र के युग में जब हम चाहते हैं कि समाजवाद हो, लोगों की आर्थिक विषमता खत्म हो और सब एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें ऐसे युग में तो अधिकारीगण दूसरों को लूटने का काम करते हैं या दूसरों के साथ बर्बरता

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

का व्यवहार करते हैं, ऐसे अधिकारी इस राज्य में नहीं रहने चाहिए। जैसा कल मैंने आपको भी निवेदन किया कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जैसा मैंने कहा कि गुलाबपुरा में ए. ई. एन. इरिगेशन का है उस अधिकारी ने इस साल काश्तकारों को इस बुरी तरह से लूटा है और पानी देने मे इतनी गड़-बड़ी की है कि एक रुपया फी बीघा का वसूल किया है और वहां के काश्तकारों को जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनकी फसल सुखा दी और वह बर्बाद हो गए। इसलिए उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।

इसी तरह से लोकल ऑडिट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर में जो लोकल ऑडिट फण्ड का दफ्तर हैं और उसके कर्मचारी हैं। उन्होंने गांव गांव जाकर पंचायतों में सरपंचों से किसी से घी की पीपी मांगी है और किसी से पैसा एंठा है और बहुत से पंचायत के लोगों को वह काफी तंग करते हैं और वह लोग बहुत परेशान हैं और वहां पर पंचायत समितियों में और पंचायतों में जहां भी जाते हैं किसी से शराब मांगते हैं और किसी से कुछ मांगते है। इस तरह से भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं मेरे ख्याल से मुख्य मंत्रीजी भी बैठे हैं मैं निवेदन करूंगा कि जो लोकल फंड ऑडिट के अजमेर ऑफिस के कर्मचारी हैं, यह मेरी आँखों देखी बात है कि वह पंचायत के पंचों और सरपंचों को बहुत तंग करते हैं और उनसे नाजायज फायदा प्राप्त करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा मैं सोशियल वेलफेयर फण्ड के लिए भी निवेदन करूंगा कि जहां हम यह चाहते हैं कि पिछड़ी जातियां जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं। वह ऊपर उठें लेकिन वास्तव में देखा जाये तो यह गृह निर्माण या कुएं या बैल जिसके लिए भी हम इनको सहायता देते हैं, पढ़े लिखों के संबंध में स्कॉलरशिप देते हैं और दूसरी सहूलियतें देते हैं, उनके बोर्डिंग की व्यवस्था करते हैं—इसमें खासतौर से शहरों में तो फिर भी बन जाते हैं क्योंकि शहरी लोग लड़ाकू होते हैं, लेकिन देहाती लोग अपनी मांगों को ठीक तरह से रख नहीं सकते; उनके लिए इस विभाग द्वारा बहुत कम काम होता है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है और खास तौर से अपनी तहसील के बारे में निवेदन करना है कि वहां पर रावत जाति के बहुत से लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं लेकिन वहां पर न तो इस प्रकार की बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था है और न उनको घर वगैरा बनाने के लिए पैसा मिलता है। और अगर मुश्किल से कभी मिलता भी है तो या तो एक घर बनाने के लिए, या एक कुएं के लिए या एक बैल के लिए पैसा मिलता है। इससे क्या व्यवस्था हो सकती है ? हम कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोगों का स्तर ऊंचा उठे, तो आपको इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि जिससे गरीब लोग ऊपर उठ सकें और वहां जो गरीब आदमी है उनके लिए बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए और कम से कम तहसील के मुख्य स्थान पर तो हो ताकि उस तहसील के अन्दर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं उनको अपने बच्चों को पढाने में दिक्कत न हो और वे लोग वहां पर ठीक तरह से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

शिक्षा का अध्ययन कर सकें। तो ये ही बातें मुझे निवेदन करनी थी और उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, सामान्य प्रशासन की मांग पर विशेषरूप से मुझे राजस्थान मंत्रिमण्डल के बारे में ही सदन में कुछ बातें प्रस्तुत करनी है। सभापति महोदया, आज से लगभग डेढ़ साल पूर्व विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने भारत के गृह मंत्री श्री गुलजारीलालजी नन्दा के समक्ष राजस्थान के एक मंत्री के विरुद्ध चार्जशीट पेश किया था। वह चार्जशीट क्रय विक्रय संघ को लेकर प्रस्तुत किया गया था। उस समय से लेकर अब तक उस चार्जशीट के विषय में क्या हुआ उसकी जानकारी चार्जशीट पेश करने वालों को नहीं मिली है। कई बार यह अवश्य कहा गया कि राजस्थान का एण्टीकरप्शन डिपार्टमेंट उस मामले की तफतीश कर रहा है, लेकिन उस तफतीश की क्या प्रगति हुई, कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं और क्या एण्टीकरप्शन डिपार्टमेंट, राजस्थान के एक मंत्री के विरुद्ध कोई जांच कर सकता है, यह प्रश्न अभी तक हवा में है। अभी कई माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इस बात की शिकायत भी सुनने को मिल रही थी। मैं उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या इस भ्रष्टाचार की कमी इस मंत्रि मण्डल में नजर आ रही है।

क्या वह भ्रष्टाचार किसी सीमा तक कम हुआ है राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध चार्जशीट पेश किया गया राजस्थान के राजस्व मंत्री के विरुद्ध चार्जशीट पेश किया गया. राजस्थान के वित्तमंत्री के विरुद्ध चार्जशीट पेश किया गया। ये सब तो विरोधी दल के लोगों ने चार्जशीट पेश किए, लेकिन इसी मंत्रिमण्डल के कई सदस्यों के विरुद्ध जो चार्जशीट स्वयं कांग्रेस के लोगों ने पेश किए थे और उस चार्जशीट का असर, जो कुछ भी चार्जशीट विरोधी दल की ओर से दी गई, उनका असर तो जो कुछ भी हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने जो चार्जशीट पेश किए थे और खासतौर से इलेक्शन के अवसर पर टिकट मिलने के प्रश्न को लेकर, उस समय मैं समझता हूं कि राजस्थान के दो मंत्री तो कम से कम ऐसे हैं जिनको इसी प्रश्न को लेकर टिकट नहीं दिया गया था कि इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप है वहां इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं था। वहां प्रश्न केवल एक था कि कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध जब कांग्रेस के लोग ही चार्जशीट लगा रहे हैं तो इसमें कुछ कारण अवश्य होगा और इसमें कुछ निश्चित रूप से सत्यता होगी उस सत्यता के आधार पर ही कांग्रेस के कर्मठ नेताओं ने जिनके हाथ में टिकिट देने की व्यवस्था थी, उन लोगों ने दो को टिकट नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं समझ पाया सभापति महोदया, कानून में ऐसी व्यवस्था जरूर है कि कोई आदमी किसी प्रकार के आफेंस में सजा काटता है तो कितना समय निकलने के बाद वह सजा भुगतने के बाद उसे सर्विस के ऊपर लिया जा सकता है या उस पर जो चार्जेज लगाये गये हैं और जो सिद्ध हुए हैं उन चार्जेज से उसे छुट्टी हो लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वह कम से कम इस बात का स्पष्टीकरण करें कि जिस व्यक्ति को सन् १९५७ में इस कारण से टिकिट नही दिया गया कि उनके विरुद्ध समाचा

(श्री भैरोंसिंह)

पत्रों में प्रचार इस बात का हुआ था कांग्रेस के विरोधी और कांग्रेस के हिमायती दोनों ही प्रकार के समाचार पत्र एक ही प्रकार की भाषा बोल रहे थे कि उनके विरुद्ध करप्शन के चार्जेज थे और इसी कारण से उनको नहीं मिला। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण करे कि उस समय उनके विरुद्ध जो चार्जेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे वे गलत थे जो उनके विरुद्ध चार्जेज लगाए गए थे उनकी इन्क्वायरी की गई और इन्क्वायरी करने के बाद वे कुन्दन की तरह खरे सिद्ध हुए या सात वर्ष के बाद इन्होने इस बात का प्रायश्चित कर लिया कि भविष्य में वे इस प्रकार का काम नहीं करेंगे, भविष्य के लिए उन्होंने इस प्रकार की शपथ ले ली है कि आयन्दा वे पैसा नही खायेंगे। कुछ इस बात की तसल्ली तो दिलावे।

मैं तो यह भी नहीं मानता कि मंत्रिमंडल में आप किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर लेते हैं। राजस्थान के मंत्रिमंडल में योग्यता का प्रश्न ही नहीं है। योग्यता इसमें है कि मैं इस बंगले में रह रहा हूं। इस बंगले का शगुन बहुत अच्छा है। इस बंगले में रहते हैं तो एम.एल.ए. बन जाते हैं, इस बंगले में रहें तो मंत्री बन सकते हैं कोई अपनी योग्यता के आधार पर मंत्री बनते हों या वे अपनी योग्यता के द्वारा प्रशासन पर कुछ इम्पेक्ट लाये, ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो शगुन के आधार पर मंत्री बनते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं मुख्य मंत्रीजी, कि आपने अपनी इस प्रकार की टीम सिलेक्ट क्यों की ? किस कारण से आपने ऐसी टीम सिलेक्ट की ? क्या कांग्रेस में इनके अलावा अच्छे और ईमानदार कार्यकर्त्ता नहीं थे जो एफिशियेंटली एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें। आपने ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमण्डल में लिया है जिनके विरुद्ध चार्जशीटें लगाई गई हैं और उनके आधार पर उनको टिकट तक नहीं मिले थे, आज उन्हीं को आपने अपनी छाती से लगाया है। यह तो आपने स्वयं ने देखा कि जिस समय आपने यह निर्णय लिया कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनूंगा तो आपने देखा कि आपने दस वर्ष तक मुख्य मंत्री का कार्य किया और लगभग सत्रह वर्षों से अलग अलग राज्यों को मिला कर आपने अपना मंत्रिमण्डल खड़ा किया। कांग्रस में आपने काम किया लेकिन आपने स्वयं ने अनुभव किया कि आपके जाने के बाद राजस्थान में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस का काम चला सके और कांग्रेस को ही नहीं, सरकार को चला सके, सरकार का काम चला सके। यह आपने स्वयं ने अपनी पार्टी के लोगों को सर्टीफिकेट दिया है कि इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं जो शासन की बागडोर सम्भाल सके। आपने पसन्द भी किया तो किसको किया। श्री बाल कृष्णजी कौल को वह क्यों किया यह मेरी समझ में नहीं आता। बालकृष्ण जी कौल सुखाड़ियाजी के उत्तराधिकारी बनेंगे। हमने देखा कि भैंस बैठ गई पानी में। जो कुछ भी काम चलता था वह भी पूर्णतया खत्म हो जायगा। दो मंत्री आपस में लड़ते हैं। कुम्भारामजी ने मजाक कर दी और कौल साहब हवाई जहाज में बैठ कर दिल्ली पहुंच गए, इन्दिराजी का आशीर्वाद लेने के लिये। इन्दिराजी का आशीर्वाद मिल गया और कुम्भारामजी ने हां कह दी और सुखाड़ियाजी दिल्ली पहुंच गए तो बस अब तो सेक्रेट्रियेट के मंत्रिमंडल कक्ष में ही जाकर बैठने वाले

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, लेकिन वे सपने तो समाप्त हुए। लेकिन उन्होंने समर्थन किया तो किसका, कौल साहब का।

मुझे कुछ ऐसा आभास होता है कि इसे राजस्थान मंत्रिमण्डल में मोरल-वोरल का तो कोई स्थान ही नहीं है। आदमी के आचरण संबंधी किसी प्रकार की चीज नहीं है। सभापति महोदया, आजकल पौलिटिकल सर्किल में और पोलिटिकल एटमोस्फियर में एक प्रकार का विशीयस सर्किल बनता जा रहा है कि जिस में यदि किसी आदमी के संबंध में कोई स्पष्ट बात कह दी जाय तो कहा जाता है कि यह आपके योग्य बात नहीं है। आपको इस प्रकार की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। यह तो हाउस में कहने की बातें नहीं है या सदन की परम्पराओं के अधिक उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का सर्किल आज कल पोलिटिक्स में कायम हो रहा है और उस सर्किल में अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई बात कही जाती है, या कौल साहब के खिलाफ कोई बात कही जाती है और चूंकि कुम्भारामजी की उनसे लड़ाई हैं तो कह देते हैं कि यह कुम्भारामजी बुलवा रहे हैं। कुम्भारामजी के बारे में कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि यह सुखाड़ियाजी बुलवा रहें हैं। सुखाड़ियाजी के खिलाफ कुछ कहा जाता है तो यह कुम्भारामजी बुलवा रहे हैं। यह जो इस प्रकार का विशीयस सर्किल पोलिटिक्स में कायम हुवा है। यदि इसको नहीं रोका गया, यदि इस पर विचार नहीं किया

(२ म० प०)

गया मैं तो समझता हूं कि लोगों के सामने एक भीषण समस्या पैदा होगी, और यह समस्या धीरे धीरे पैदा हो रही है। बालकृष्ण कौल के सम्बन्ध में मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था। आज मुख्य मंत्रीजी से केटेगोरिकली ववश्चन करता हूं कि आज वे मुझे तसल्ली दिला दें कि उन्होंने प्रतिभा के लिए जो काबुल एम्बेसी को टेलिग्राम दिया था वह वाजिब था या नहीं ? उचित था क्या यह कि एक मंत्री इस प्रकार से अपने एक स्टेनो के बारे में व्यग्रता दिखाकर इस प्रकार के टेलिग्राम्स इश्यू करवाता है। टेलिग्राम्स में पैसे का प्रश्न पैदा नहीं होता है, लेकिन एक नये पैसे का भी दुरुपयोग होता है तो प्रश्न पैदा होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जिनको आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे उनका इस प्रतिभा काण्ड में आचरण आप उचित समझते हैं ? अगर आप उचित समझते हैं तो मुंह से कह दें, तो इस स्थिति के अन्दर मैं उनके खिलाफ बोलूंगा नहीं, लेकिन लोगों से कहूंगा कि आचरण का मापदण्ड सुखाड़ियाजी ने यह निर्धारित किया है। कम से कम हमें प्रचार करने का तो मौका मिलेगा, लोगों को कहने का मौका मिलेगा। सरकारी अधिकारी से कहूंगा कि एक स्टेनों के लिए इतनी व्यग्रता एक सरकारी अधिकारी भी दिखा सकता है। यह चीज हो जायेगी और एक मापदण्ड बन जायेगा, एक परिभाषा निर्धारित हो जायेगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप भाषण देंगे तो यही कहेंगे कि यह एक छोटी सी बात हैं। तो कांग्रेस के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मंत्रियों के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं तो सरकारी अधिकारियों के लिए भी छोटी छोटी बातें हैं। सरकारी अधिकारी आपके आचरण को देखकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं आज राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

के मंत्रिमण्डल के अपने लोगों के अन्दर तो यह बात है और आप सरकारी कर्मचारियों से कहें कि तुमको तो ईमानदार रहना है और सरकारी अधिकारियों को आप कोसने की कोशिश करें।

श्री अमृतलाल यादव को देखा जाये तो जयपुर में एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है। श्री अमृतलाल यादव को मैं ५२ से जानता हूं जब ये यहां सदन में मंत्री बनकर आये थे। उस समय से मैं इनको जानता हूं, पहचानता हूं। उनकी क्या स्थिति थी इस बात को मैं जानता हूं। मुख्य मन्त्रीजी भी जानते हैं, और मन में उनके भी यह होगा, वह मन में यह निश्चितरूप से मानकर चलते हैं कि यह स्थिति नौकरी की सहायता से नहीं हो सकती है कि जिससे इतना बड़ा बंगला बन जाये। बालकृष्णजी कौल का अजमेर में बंगला बन रहा है। लाख रुपया उन्होने खर्चा कर दिया, जिनका जयपुर में गोपालबाड़ी में प्रतिभा के नाम पर बंगला बन रहा है। मैं, सुखाड़ियाजी, आपको इस बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कमाई का रुपया नहीं है, सरकार से कर्जा लेकर बंगला नहीं बना सकता है। इसमें कहीं न कहीं कमजोरी है। कोई जोधपुर में फार्म बना रहा है, कोई उदयपुर में बना रहा है, कोई जयपुर में फार्म बना रहा है। ये सारी बातें जब पब्लिक के सामने आती हैं तो आप चाहे जितने भी दूध के धुले हुए हों, आप चाहे कितने ही ठाकुरजी उठालें, ठाकुरजी को अपने सिर पर रख लें, लेकिन जनता इन बोलती हुई तस्वीरों को देखकर उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देने वाली है। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप सर्विसेज में इन्टीग्रीटी और ऑनेस्टी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन २१ आदमियों के बारे में जो आपके पास में मंत्रि-मण्डल में हैं उनके बारे में छाती ठोक कर कह दें कि जनता की एक मामूली सी शिकायत भी आयेगी तो उस शिकायत को सुनने के लिए राजस्थान की हुकूमत तैयार है। अपने मन्त्रियों और मन्त्रि-मण्डल के बारे में इस प्रकार से सदन को आश्वस्त कर दें, जनता को इस प्रकार से आश्वस्त कर दें कि मन्त्रि-मण्डल के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आचरण की शिकायत हो या भ्रष्टाचार की शिकायत हो किसी भी प्रकार का कोई आरोप यदि आया है तो उसकी एन्क्वायरी बाजाब्ता की जायेगी, उसको किसी प्रकार से भी माफ नहीं किया जायगा, लेकिन बदकिस्मती यही है कि कमी यही है।

अब हमारे कुछ मंत्री लोग केवल एक ही बात के पीछे पड़े रहते हैं कि सरकारी अधिकारी कहना नहीं मानते हैं। सरकारी अधिकारियों को जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं उस तरह से नहीं चलते हैं। यह तो घोड़े की सवारी है। कोई आदमी जो घोड़े की सवारी किया हुआ नहीं हो वह घोड़े पर बैठ जाये और घोड़े से कहे कि मैं कहूं वैसे चलो। तो सवार को देखकर चले यह असम्भव है। यह एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर आप यदि ऐसे आदमियों को बिठायेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं सकते तो निश्चितरूप से आप मानकर चलें कि उनके अन्दर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स क्रियेट होता है। हमारे यहां राजस्व मन्त्री हैं वह जहां भी जायेंगे एक ही भाषण देंगे कि सरकारी अधिकारी हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

कहने में नहीं चलते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा हम कहते हैं वह काम नहीं होता है। वे हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बातें गलत हैं। सरकारी अधिकारियों पर इस प्रकार का जो इल्जाम है कि वे मन्त्रियों के कहने में नहीं चलते हैं यह गलत है, बल्कि यह कहें कि मन्त्रियों में उनको कन्ट्रोल करने की क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है तो मजाल है कि कलेक्टर, एस० पी० या डी० एस० पी० उसके कहने के अनुसार आचरण न करें। लेकिन मन्त्री में जहां कमी होगी और मन्त्री उस कमी की पूर्ति नहीं कर सके, मन्त्री अपने जीवन का उदाहरण नहीं रख सके तो सरकारी अधिकारियों से एकतरफा इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे दूध के धुले हुए हों और मन्त्रियों पर मक्खियां बैठती रहें। यदि मन्त्री पर मक्खी बैठेगी तो सरकारी अधिकारी पर भी बैठेगी। मन्त्री यदि दूध के धुले हुए हों तो सरकारी अधिकारी भी दूध के धुले हुए होंगे।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आता है तो उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले समाचार-पत्रों में यह खबर छपी थी कि मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ जो चार्जशीट दी गई थी उस चार्जशीट से वे दोष-मुक्त कर दिये गये हैं, लेकिन नन्दाजी ने लोकसभा में या समाचार-पत्रों को स्टेटमेंट देते हुए यह कहा कि सरकार की तरफ से जो उत्तर मिला और हमारी जो जांच हुई है उसके आधार पर सुखाड़ियाजी निर्दोष हैं। अब मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार का किस प्रकार का उत्तर है। चार्जशीट यहां के जिन लोगों ने दी वह कैसी चार्जशीट दी है उसका मैं यहां जिक्र नहीं करता, लेकिन जैसी भी थी उसका सरकार ने जवाब दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की हुकूमत की ओर से जनता को आश्वस्त करने के लिए जो चार्जशीट दी गई है और उसका जो जवाब राजस्थान की हुकूमत ने दिया है वह इस सदन की मेज पर रख दें ताकि सबको जानकारी मिले कि चार्जशीट क्या थी और जवाब क्या दिया गया, और जो निर्णय किया गया है उसके आधार पर वह किस तरह से किया गया है। जब दोनों चीजें सामने होंगी तो राजस्थान के लोगों को एक बात का विश्वास होगा कि जो चार्जशीट दी, उसकी इन्क्वायरी हुई, उसका नतीजा यह था। चार्ज लगाने वालों की बातें थीं और उनका जवाब यह था और रिजल्ट यह निकला। सुखाड़ियाजी निर्दोष हो गये हैं लेकिन एक मंत्री उसमें फंसे हुए हैं। वह मंत्री कौनसे हैं यह पता नहीं लगा। मैंने उसकी जानकारी की पता लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं लगा कि पानरवा के मामले में कौनसा मंत्री फंसा हुआ है। पानरवा के मामले में चार मंत्री रह चुके हैं। पहले मंत्री श्री नाथूरामजी थे, अमृतलाल यादव ने भी पानरवा को डील किया है, बृजसुन्दरजी ने भी डील किया है और भीखाभाई भी डील किये हुए हैं। तो इन चारों में से कौनसा फंसा हुआ है ? मैं ऐसा समझता हूं कि ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह आप कहां से कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि एक मंत्री फंस गया।

श्री भैरोंसिंह : यह खबर में है। वह आपने भी पढ़ी थी और मैंने भी पढ़ी थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर मैंने पढ़ी होती तो आप से पूछता नहीं। मैं नहीं जानता हूं इसीलिए आपसे पूछा है।

श्री भैरोंसिह : थोड़ी देर में तो आप यह भी पूछेंगे कि उनका नाम क्या है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको मालूम है तो नाम बतलायेंगे।

श्री भैरोंसिह : अब यह प्रश्न उठता है कि चार आदमी पानरवा के मामले में फंस गये तो इन चारों में से कौनसा फंस गया। मुझे याद है कि इस पानरवा के मामले में राजस्थान के भूतपर्व सचिव श्री सुब्रह्मण्यम ने एक नोट लिखा है। मुझे यह भी मालूम है कि इसी पानरवा के मामले में कमिश्नर फार डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी ने अपने नोट के अन्दर लिखा था। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि राजस्थान के नीचे के एक अधिकारी ने इस पानरवा के मामले में काफी नोट तैयार किये थे, और उन सब का लुब्बे-लुबाब यह निकला कि एक मंत्री उसमें फंसा हुआ है. एक को दोषी ठहराया है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे निर्दोष जिस प्रकार सिद्ध हुए हैं वैसे ही उस मंत्री के बारे में कहें कि वह कौनसा मंत्री है जिनके बारे में जांच चल रही हैं, और उसको गृह मंत्री नन्दाजी ने अभी तक यह कहा कि अभी तक वे इम्प्लीकेटेड हैं। ये वर्ड्स थे जो मुझे बताये गये हैं इन्टरव्यू लेकर जो समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि आये उन्होंने और उसमें छपा है।

अब जब यह सारी स्थिति आती है तो निवेदन मैं यह करना चाहता हूं सभापति महोदया, कि इन सब मसलों को सामने रखे और अब राजस्थान में २१ आदमी हैं- १२ मंत्री और १० डिप्टी मिनिस्टर।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छाबड़ा) : ये तो २२ हुए।

श्री भैरोंसिह : एक की डेथ हो गई है। ९ डिप्टी मिनिस्टर और १२ मंत्री हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ९ डिप्टी मिनिस्टरों में दो को छोड़ दें।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर सु०): एक चौथाई भी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आपका भी नम्बर आने वाला है।

उनमें से दो को छोड़ दीजिये बाकी उप-मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है। सेक्रेटेरियट में वे जाते नहीं हैं, दौरा करते हैं। दौरा करने पर नियमानुसार टी०ए० मिलता है और जिले में पहुंच गये तो एस० पी० सलाम देता है, ठहरने के लिये सर्किट हाउस है और खातिरदारी के लिये विभाग के अधिकारी हैं यह सारी व्यवस्था होते हुए उनके दौरे हुए लेकिन क्या आपने सुखाड़िया साहब कभी किसी डिप्टी मिनिस्टर को पूछा है क्या कि सचिवालय में कितने दिन बैठते हो ? कितनी फायलें डिस्पोज ओफ की और जहां पर गये वहां पर क्या क्या काम किया ? इस बारे में कोई बात नहीं। जहां इस प्रकार के २१, २२ आदमी रहते हैं, राजस्थान के बजट में जिस प्रकार गवर्नर के बजट पर यहां पर आलोचना, डिस्कशन नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन २२ में भी कोई मतदान किसी प्रकार का नहीं हो सकता, ये मर्जी आवेगी जैसा करेंगे। ये कारनामे क्या करते हैं यह आपको मालूम है। इनके कारनामों की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि एक डिप्टी मिनिस्टर अपने विभाग के अधिकारी को नहीं बल्कि दूसरे विभाग के

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकारी को बुलाते हैं और तीन तीन दिन तक उसको अपने साथ रखते हैं, वह अधिकारी सारा इन्तजाम करता है और उसके बाद उनके पी० ए० उसको सर्टिफिकट देता है कि यह ओन ड्यूटी रहा। दूसरे विभाग का अधिकारी, उस मंत्री के नीचे वह विभाग नहीं दूसरे को बुलाया, क्या क्या किया, रंग रेलियां करनी थी वे की. उसके बाद मुख्य मंत्रीजी को पत्र दें, मुख्य मंत्री जी को जानकारी मिल जाय, फिर भी मुख्य मंत्री जी कोई एक्शन नहीं लें, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है? मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि यदि कोई मंत्री अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो वह इस प्रकार की आलोचना करने से नहीं हटने वाला है, वह तो केवल जनता के वोट से ही हटाया जा सकता है।....

श्री दौलतराम सारण (उप मंत्री, स्वायत्त शासन): सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से जनरल चार्ज लगाना, बिना प्रमाण के उदाहरण के बिना गलत हैं। यदि किसी के खिलाफ चार्ज है तो स्पष्ट प्रमाण सहित रखें। जनरल तरीके से आरोप लगाना कहां तक वाजिब है, हमें इस पर सख्त आपत्ति है, हमारी रक्षा की जाय।

श्री भैरोंसिंह : आपकी रक्षा मैं करता हूं, वे क्या करेंगे? आप नहीं है, यह मैं कह सकता हूं। आप ईमानदार हैं, इतना कहने में मुझे संकोच नहीं है, लेकिन जो हैं उनको सुखाड़िया जी जानते हैं। जो ईमानदार हैं उनको दुनियां जानती है और जो दूसरी साइड में है, एडवर्स पोजिशन में कौन हैं उनको भी सब जानते हैं। आप मत चिढ़ा करें। आप पर, आपकी इन्टिग्रिटि पर कोई चार्ज नहीं आने वाला है।

अब प्रश्न यह आता है, जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आता है, सभानेत्री महोदया, आज सर्विसेज में एक प्रकार की जलन है। राजस्थान सरकार ने कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार रिफोर्म्स किये जायं इस बारे में अलग अलग लोगों की राय ली। हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। इसके अलावा सेक्रेटेरियट लेवल पर जिन जिन कामों के लिये सरकार को जानकारी करनी थी उसके लिये कमेटीज अपोइन्ट की। इस राजस्थान की आज की हुकूमत ने एक नया नायाब तरीका निकाला किसी काम को खराब करना हो, किसी काम में डिसीजन नहीं लेना हो तो दो आदमियों की कमेटी अपोइन्ट करदो। कमेटी अपोइन्ट हो जाती है, दो, चार, पांच महीने लगते हैं, कमेटी में क्या होता है क्या नहीं लेकिन राजस्थान की सर्विसेज आज इनएफिशियेन्ट है इस प्रकार का चार्ज लगाने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। राजस्थान की सर्विसेज डीमोरेलाइज्ड है इसको भी मैं स्वीकार नहीं करता। सब के सब डिसओनेस्ट है यह भी मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन राजस्थान में डिसओनेस्ट होने के चान्सेज अवश्य हैं उनकी इन्टिग्रिटि और एफिशियेन्सी को हिट करने के चान्सेज हैं वे किस प्रकार हैं यह मैं बताता हूं। सरकार तीन प्रकार से सर्विसेज पर अंकुश रखती है, एक तो पोस्टिंग, दूसरा प्रमोशन और तीसरा रिटायरमेंट। ये तीनप्रकार के हार्ट बर्निंग्ज सरकारी कर्मचारियों के दिमाग से निकाल दें तो निश्चित कह सकता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में जो जाता

(श्री भैरोंसिंह)

है वह इसलिये नहीं जाता कि उसको बेई-मानी करनी है। वह सर्विस करने के लिये जाता है। अनिग उसको इस प्रकार का नहीं करना है जो नाजायज हो। लेकिन जब आप उसका हार्ट बर्निंग दूर नहीं कर सकते प्रमोशन में पक्षपात, अपोइन्टमेन्ट में पक्षपात और जब पोस्टिंग का सवाल आता है तो उसमें भी पक्षपात करते हैं। रिटायरमेंट का सवाल आता है तो उसमें भी पक्षपात करते हैं।

राजस्थान के कई अधिकारी ५५ की आयु के बाद ५८ की आयु तक जाते हैं। मेन्टली एण्ड फिजिकली वीक होते हैं वे बकील चंदनमलजी के ५८ के बाद भी सर्विस में रहते हैं। ऐसी स्थिति में हार्ट बर्निंग के अलावा क्या होगा? वे यही समझते हैं कि सुखाड़ियाजी की खुशामद की जाय तभी जाकर चेयरमैन पी० एस० सी० हो सकते हैं, तभी जाकर चेयरमैन हायर सेकन्डरी बोर्ड हो सकते हैं। किसकी खुशा मद की जाय, किसकी न की जाय, सुखाड़िया जी की खुशामद की जाय तो किसी न किसी पद पर नियुक्ति हो सकती है, यह बात उन के दिमाग में आती है।

मुखाड़ियाजी ने एक बात और की है राजस्थान की सारी सर्विसेज को दूसरे मंत्रियों से निकाल कर अपने नीचे रखा है, अपने प्रति लॉयल रखने के लिये। They are loyal only to the Chief Minister बाकी मंत्रियों को वे गांठते नहीं है। वे यह समझते हैं कि सुखाड़ियाजी ने अपने कृपा-पात्र लोगों को मंत्री मंडल में लिया है, योग्यता के आधार पर नहीं। जिस समय वे हमसे अकड़ेंगे उसी समय सुखाड़ियाजी से कह कर बाहर निकलवा देंगे। आज सुखा-ड़ियाजी ने सारी की सारी सर्विसेज को सेन्टर-लाइज कर लिया है। सर्विसेज कहती हैं कि राजस्थान में यदि कोई मंत्री है तो मुख्य मन्त्री ही है, बाकी किस तरह के हैं किस तरह के नहीं, यह जानने की आवश्यकता नहीं है।

आपने दुनिया भर की कमेटियां अपो-इन्ट की हैं उनमें से क्या इस प्रकार की भी कमेटी कभी अपोइन्ट की है, जो यह देखे कि राजस्थान में सर्विसेज के साथ किस प्रकार सौतेला व्यवहार होता है। ईमानदार, खुशामद नहीं करने वाले और लायल्टी को ब्रीच करने के लिये तैयार नहीं होने वालों को क्या आपने प्रमोशन दिया है? क्या ऐसे लोगों को अच्छी जगह नियुक्त किया है? उनके अच्छी जगह नियुक्त नहीं किया, इस का सर्विसेज पर टोटल इम्पेक्ट पड़ता है। सर्विसेज देखती है कि सर्विस करना है तो सुखाड़ियाजी का कहना मानो और उनका कहना मानने का मतलब है उनका जो सारा सर्कल है, उसकी खुशामद करना और जो एप्रोच रखते हैं उनकी खुशामद करना। यह सारी स्थिति बन गई तो बनने के बाद सर्वि-सेज में जनरल डिमोरेलाइजेशन आता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि रेस्पोन्सबि-लिटी नहीं रहती है, न सर्विसेज पर और न मन्त्रियों की, और धीरे धीरे इर-रेस्पोन्सि बिलिटी का एटमोस्फियर बढ़ता जा रहा है और नतीजा उसका अच्छा नहीं होता। पब्लिक को सोचना पड़ता है कि राजस्थान में मुख्य मन्त्रीजी ही सब कुछ हैं।

राजस्थान में सेक्रेटेरियट में जाने के लिये पास बनवाना पड़ता है। मुझे पास बनवाने

(श्री भैरोंसिंह)

की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एम० एल० ए० पास से फ्री है। एम० एल० एज० के लिये भी पास बनवाना पड़े, तो भी मुझे आपत्ति नहीं, क्यों जाते हैं क्यों नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन सेक्रेटेरियट में बैठे हुए लोग बाहर के मुकाबले में ज्यादा अराष्ट्रीय कार्य करते है उनका क्या होता है? राजस्थान सेक्रेटेरियट का केयरटेकर किस लिये पकड़ा गया? छोटे-मोटे मामले में नहीं। भारत पाक युद्ध चल रहा था, सर्विसेज के सीक्रेट्स, मिलिट्री के महत्व की सूचना यहां पर नही देता था, बल्कि दिल्ली जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी में देता था इस संदेह में उसको पकड़ा है। सेक्रेटेरियट के अन्दर जाने के लिये पास की व्यवस्था की है, गरीब लोग बिना पास के अन्दर नहीं पहुंच पाते लेकिन अन्दर बैठे हुए लोग फायलों को पाकिस्तान की एम्बेसी में भेजते हैं उनके लिये किसकी जिम्मेवारी थी? आप कहते हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में बैठा है छूटेगा या क्या होगा यह अलग बात है, लेकिन क्या इसके लिये किसी व्यक्ति की रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं थी? क्या वह जी० ए० डी० के नीचे नहीं था? क्या जी.ए.डी. का सेक्रेटरी इनचार्ज नहीं था, कोई मिनिस्टर इनचार्ज नहीं था यदि था तो यह रेस्पोन्सिबिलिटी किस पर फिक्स की मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कई विभागों में ऐसे लोग बैठे है जो सरकार और जनता की आंखों के अन्दर धूल डालकर पाकिस्तान को सीक्रेट्स भेजते है और अराष्ट्रीय कार्यवाही करने में संकोच नहीं करते बल्कि प्रयत्न करते हैं। सरकार को उनसे सतर्क होना पड़ेगा।

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मन्त्री जी कई बार कहते हैं इकोनोमी के बारे में जो कटौती कर रहे हैं, खर्च को कम कर रहे हैं उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पिछली बार सरकार ने कहा था कि हम इतनी कटौती खर्च में करना चाहते हैं। उसके बाद मैं एक दिन सेक्रेटेरियट में गया तो चपरासियों ने मेरे ऊपर व्यंग किया। मुंह तो दूसरी तरफ था लेकिन सुनाया उन्होंने मुझे था। वह कहने लगे, "राजस्थान विधान सभा के एम० एल० ए० इतना पैसा खा गये कि हमारी सरकार ने हमारा कोट उतरवा लिया। मेरी समझ में बात नहीं आई. लेकिन गुस्सा अवश्य आया कि चपरासियों की इतनी हिम्मत हुई कि वे यह कहें कि विधान सभा के मेम्बर इतना पैसा खा गये कि हमारा कोट भी उतरवा लिया। मुझे बड़ी झुंझलाहट हुई और मैंने एक चपरासी को बुलाकर पूछा, "क्या बात है।" उसने कहा, "आप नाराज मत होना। अब राजस्थान की हुकूमत ने खर्च में कटौती करना शुरू किया है और यह निर्णय लिया है कि राजस्थान के सचिवालय में और बाकी के दफ्तरों में काम करने वाले चपरासियों को गर्म कोट नहीं मिलेगा।" मैंने कहा, "फिर मेरे लिये क्यों कहा" उसने कहा, 'इस लिये कहा कि आप लोगों ने अपनी तनख्वाह तो बढ़वा ली, लेकिन हमारा कोट उतरवा लिया।' अब मेरे पास जवाब नहीं था। मैं ऐसा समझता हूं कि मेरी जो हालत थी उसमें मैं उसको फेश नहीं कर सकता था। मैंने उसी समय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा। मुझे खुशी है कि पांच दस दिन में उनका पत्र आया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि चपरासियों को गर्म कोट दे दिया जायगा। लेकिन मैं सदन के सामने

(श्री भैरोंसिंह)

निवेदन करता हूं कि आप गम्भीरता से खर्च में कटौती करने की बात करते हैं तो आपने कटौती क्या की ? आज कमी हो सकती है तो चपरासियों में कमी हो सकती है, आज कमी हो सकती है तो एल०डी०सी० में हो सकती है, आज कमी हो सकती है तो लो पेड एम्प्लोईज में हो सकती है। मैं कहता हूं कि यदि आपको कमी करनी है तो जब आप यह मान कर चलते हैं कि ५५ के बाद में एक आदमी में मेण्टली और फिजीकली कमजोरी आ जाती है। तो ५५ पर आदमी को रिटायर करने का भारत सरकार ने नियम बनाया, उसको आपने लाजिमी तौर पर नहीं लगाया। लेकिन आप ५५ के बाद निकालते हैं, छुट्टी करते हैं और ५५ के बाद रिटायर कर प्रमोशन के रूप में दूसरे को रख कर काम कराते हैं तो एक आदमी क्या काम कर नहीं सकते हैं।

आज आखिरकार आई० ए० एस० की फौज राजस्थान में आ रही है, दिल्ली से आइ०ए०एस० की फौज आ रही है, आई. पी एस. की बाढ़ आ रही है। इसके अलाव, राजस्थान में आर०ए०एस० और आर०पी० एस० की बाढ आ रही है। उसमें कोई कमी नहीं होगी और कमी होगी तो एल.डी सी. में होगी और सरप्लस किये जायेंगे तो एल० डी०सी० किये जायेंगे, चपरासियों के कोट में कमी होगी, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिये जो सहूलियतें मिलती हैं उसके अन्दर कमी होगी। आप गवर्नमेंट सरवेन्ट्स की तनख्वाह नहीं बढ़ा पायेंगे। अब तो गवर्नमेंट सरवेन्ट्स की तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न है।

आपने आई० ए० एस० ऑफिसर्स के तो सौ रुपये बढ़ा दिये। वह किसलिये ? जो महंगाई का प्रश्न है उसके कारण आज हजार पर एक रुपया मिलता है हालांकि भारत सरकार ने गाइडेड लैंगवेज में कह दिया है कि इसका सम्बन्ध महंगाई से नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर इसका सम्बन्ध महंगाई से नहीं है तो फिर किस बात से है ? उनको साल के साल इन्क्रीमेंट मिलते ही है और ज्यादा पे मिलती ही है। फिर आपने किस बात से यह बढ़ाये हैं ? तो दबी जुबान से यह मान कर चल रहे हैं कि इसका सम्बन्ध महंगाई से है, लेकिन इसे पब्लिक में नहीं कह सकते हैं। वह किसलिए नहीं कहना चाहते हैं ?

आज राजस्थान के कर्मचारी सरकार से करबद्ध मांग करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। लेकिन तमाम इकोनोमी के और दूसरे सिद्धान्त आपने केवल राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों के लिये बना कर रखे हैं, भले ही भारत सरकार के द्वारा और भारत के अन्य भागों में उनकी अवहेलना की जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सेवायें आपको इसके लिये आशीर्वाद नहीं देंगे और विधान सभा के सदस्यों को कोसे बिना नहीं रहेंगी। आज राजस्थान के मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा ली और विधान सभा के सदस्यों का वेतन बढ़ा दिया गया उसका क्या जस्टीफिकेशन है। पब्लिक के सामने उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है और हम लोगों के सामने भी नहीं है, उस पर भी हमारा वेतन बढ़ा और हम लोग भी खा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का दिल मायूस है, हम उन लोगों के सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकते, उन लोगों के सामने हम साहस से नहीं बोल सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए और मन्त्रियों ने जो अपना वेतन बढ़ाया है उसके लिये अपनी लाज

(श्री भैरोंसिंह)

बचानेके लिए, और, विधानसभा के सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ाया है उसको साहसपूर्वक जस्टीफाई करने के लिये और कम से कम आप इन लोगों के सामने सरकार की इज्जत बढ़ाने के लिए इन लोगों का वेतन बढ़ायें ताकि हम लोग भी कह सकें कि यदि हमारा वेतन बढाया गया है तो तुम्हारा भी बढ़वाया है। लेकिन आज हमारे पास रास्ता नहीं है उनके सामने यह कहने का और उनको कायल करने का। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार करने की कोशिश करेंगे।

मैं, सभापति महोदया, एक मिनट में जिलाधीश के बारे में बोलना चाहता हूं। राजस्थान में एक जिलाधीश हैं, जिन के नाम से मुख्य मंत्री जी परिचित होंगे और सदन के सदस्य भी परिचित होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उनकी अभी तक शक्ल नहीं देखी है। लेकिन मेरे पास इस प्रकार की जानकारी अवश्य है कि सीकर में एक बार कुछ लोगों ने 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाये। इस पर वहां झगड़ा हुआ और लोगों ने कलेक्टर को कहा कि पाकिस्तान जिन्दाबाद क नारे जिन्होंने लगाये हैं उनको पकडो। लेकिन कलेक्टर ने कहा, नहीं पकडते हैं। उसके बारे में जनसंघ पार्टी ने तार दिये, वह भी अवश्य मुख्य मंत्री जी को मिला होगा। मेरे पास भी तार आया। मैंने भी इतिला दी कि गवर्नमेंट इस प्रकार जिन लोगों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद करके कुछ लोगों को मारा है उनको गिरफ्तार करो। उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; इसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन कलेक्टर महोदय ने एक लेटर लिखा है। उस लैटर में लिखा है कि पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाना यह इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसके ऊपर डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया जा सके। जनसंघ वाले जो कहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाय, यह बेबुनियाद है। आखिर 'पाकिस्तान जिन्दाबाद के के नारे हिन्दुस्तान में आकर पाकिस्तान के लोग लगादें तो यह डी. आई. आर. में गिरफ्तार होने लायक अपराध नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हवामहल के क्षेत्र में रहने वाले गरीब लड़के कोई ऐसा काम करें जो सौ वर्ष में भी इतनी गम्भीर सजा का अपराध नहीं हो सकता, उनको मामूली सी बात पर गम्भीर दंड दें और और दूसरे अपराधों पर डी. आई. आर. में गिरफ्तार करलें, लेकिन उन लोगों को डी. आई. आर. में गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसने नीचे पत्र में लिखा है 'मैं जनसंघ वालों के साथ सख्ती से व्यवहार कर रहा हूं, मैं उनको इस बात के लिए यदि करा दूंगा।" जो लोग हिन्दुस्तान में आकर 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगायें उनको गिरफ्तार करने के लिए यदि आवाज बुलन्द की जाती है तो उसका यह परिणाम निकलता है। यदि कोई और बात होती, कोई एक्सीडेंटल बात होती तो मान लेते कि केजुअल बात है। इसमें एक आदमी की रीडिंग का सवाल है कि वह किसी बात को इतना सीरियस ऑफेन्स नहीं समझता कि डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया जाय। लेकिन माननीय स्वायत्त शासन मंत्री परिचित होंगे, इनके कृपा-पात्र हैं सीकर नगरपालिका के चेयरमैन, जिनका कम गम्भीर अपराध नहीं है और उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। उसने

(श्री भैरोंसिंह)

क्या किया कि पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता का सर्टीफिकेट दे दिया उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसका चालान कर दिया और चालान करने के बाद में पुलिस कलेक्टर से इजाजत मांगती है कि चेअरमैन के खिलाफ एक्शन लिया जाय। लेकिन कलेक्टर इजाजत नहीं देता है, कलेक्टर नहीं चाहता है कि उस आदमी का चालान किया जाय। तो मतलब यह है, सुखाड़ियाजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्रेटेरियट के केयरटेकर इस तरह का राष्ट्रद्रोही काम करे, आपके सेक्रेटेरियट मे ऐसे तत्व भरे हुए हैं तो मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि उस कलेक्टर में इस तरह की कोई बात है जिसकी जांच आपको करवानी चाहिए. जांच इस बात की आपको करवानी चाहिए यह केवल एक्सीडेंटली हो रहा है या जान बूझ कर इस बात की कोशिश हो रही है। इस सदन में फतहसिंहजी ने कहा कि राजस्थान के अन्दर पाकिस्तानी नागरिक हैं. सीकर में पाकिस्तानी नागरिक हैं, बांसवाड़ा में पाकिस्तान के नागरिक हैं मिलन में पाकिस्तानी नागरिक हैं। लेकिन वह कलेक्टर इस तरह का लेटर लिख कर भेजे कि पाकिस्तानी नागरिक बहुत हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते वह पकड़े जांय या नहीं। पुलिस बैठ कर उसके बारे में कार्यवाही कर ले और कलेक्टर उसको दबा कर बैठ जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों को लेकर जांच कराई जाय और जांच से जो परिणाम निकलें लेकिन ऐसे आदमियों को आप प्रोटेक्ट करते हैं। जो जांच की रिपोर्ट आई हुई है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही हुई ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुई ? आखिर ऐसे लोग हैं, जैसे एक पुलिस का सिपाही पाकिस्तानी पाया जाता है, उसको गिरफ्तार करके चालान किया जाता है और कार्यवाही करके पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया जाता है। और आप उसको जस्टीफाई करना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करते हुए एक प्रश्न और निवेदन करना चाहूंगा जो छोटा सा है। सभापति महोदया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ चार्जशीट कांग्रेस के लोगों ने भारत सरकार को भेजी उसमें एक बात यह भी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टरों ने अपनी पार्टी के लोगों को पर्सनल असिस्टेन्ट बनाया है. वह नहीं रख सकते। कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टरों ने अपनी पार्टी के लोगों को प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया है यह चार्ज था, यह चार्ज शीट भारत के राष्ट्रपति को दी गई, केरल कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, जो राज्य का शासन चला रहे थे, यह चार्ज शीट दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चार्ज केरल में बनता है यह राजस्थान में नहीं बनता है ? राजस्थान के मंत्रिमण्डल में सिवाय आपके और एक-दो को छोड़ कर बाकी के मंत्रियों ने ऐसे लोगों को प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर रखा है। उन प्राइवेट सेक्रेटरी से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक सिद्धान्त का सवाल है, एक प्रिन्सिपल का सवाल है। या तो आप तय करके चलिये

(श्री भैरोंसिंह)

कि मिनिस्टर अपने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी निजी आदमियों को रख सकते हैं। और अगर रख सकते हैं तो बाकी के मंत्रियों को इतना कहकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का प्रशासन धीरे धीरे गिरता जा रहा है और वह स्टेज आने वाली है कि भूख प्यास और बाकी के कर- ये सब चीजें तो लोग बर्दाश्त करते जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के अन्दर जो स्तरहीनता आ रही है उससे यह स्थिति आ गई है कि लोग अब इसके खिलाफ बगावत करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह स्थिति पैदा हो रही है. लोग कर भार से दबे हुए हैं तथा और बातों से दबे हुए हैं। इस तरह से कई, प्रकार की पीड़ाएं पहले से ही आपके राज्य में जनता को परेशान कर रही हैं और इसके अलावा यह प्रशासनिक पीड़ा और बढ़ रही है आप बढ़ती हुई महंगाई को रोक नहीं सकते, रुपये का मूल्य गिर रहा है उसको रोक नहीं सकते, कन्ट्रोल की चीजें हैं उनको आप रोक नहीं सकते। इसलिये जनता में असंतोष दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो यह जनता का असंतोष किस प्रकार से हमारे सामने आवेगा, यह तो भविष्य ही बतलावेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूं।

[२.३१ म. म.]

प्राक्कलन समिति से नाम वापिस लेना

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये अपना नाम एस्टीमेट्स कमेटी से वापिस लेना चाहते हैं।

श्री राम सहाय (लालसोट) : मैं अपना नाम वापिस लेता हूं।

मांग संख्या ६ व २४— सामान्य प्रशासन व विधि सामाजिक तथा विकासीय संगठन

[पूर्व क्रम से]

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, अभी इस मांग पर बहस चल रही है मैं यह तो मानता हूं कि इस सरकार ने, इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन को सेन्टर मान ले तो जैसे दिल की हालत होती है उसी तरह से सारे राजस्थान में कर दिया जावे और उसकी तुलना सामान्य प्रशासन से हो तो सारे राजस्थान में एक व्यवस्था और एक राज्य चल रहा है, इस सारी व्यवस्था के लिये जो आज एक अर्से से चली आ रही है उसके लिये यह कहना कि प्रशासन ठीक नहीं है नितान्त गलत होगा कि इसमें कोई अच्छाई नहीं है मैं तो यहां तक कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के चलने और चलाने की जहां तक बात है वह एक राज चलता है और मुतवातर चला है और इसके लिये एक दफे नहीं तीन दफे इस अर्से में हम जनता के सामने आ चुके हैं। अब जनता के सामने आ चुके हैं तो जनता को हम पर विश्वास है। इसमें बुराइयें हैं, इसमें किसी को इन्कार नहीं है। हो सकता है कुछ कमियें हों वह मैं मान सकता हूं मगर यह मानने से इन्कार करता हूं कि इसमें सभी खराब बातें है। सामान्य प्रशासन के बारे में जनता ने तीन बार हमें वोट देकर यह बताया है कि यह इतना बुरा नहीं है कि जिससे हम यह कहें कि इसमें कुछ है ही नहीं। मगर आज राजस्थान सरकार में रूल्स ऐसे बने हैं कि ऐसी चीजों का जंजाल कर दिया है, इस तरह से सारी चीजों को उलझाया गया है कि सामान्य प्रशासन की वजह से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सारे राज्य में कोई भी एम्पलोई शांति से बैठ नहीं सकता है और कोई भी एम्प्लोई ऐसा नहीं होगा जिसकी सारी समस्यायें कम्प्लीट होगई होगी। कोई भी व्यक्ति सरकार में ऐसा नहीं होगा जिसका केस पेन्डिंग नहीं हो और जिसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में तय करना है और उसके लिये यह एडमिनिस्ट्रेशन नाकामयाब है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके दिमाग डिस्टर्ब्ड रहते हैं और इस कारण वे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं दे सकते क्योंकि जिनका दिमाग डिस्टर्ब्ड हो और जो खुद अनिश्चित हो वह क्या काम करेगा। उसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। अगर इसके लिये मुझ से पूछा जाय तो मैं यही कहूंगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिये कि इस बात के लिये ज्यादा काम करे कि किस तरह से उनके मामलों का सेटलमेंट जल्दी से जल्दी हो।

हमें, इतने राज्य एक साथ मिले इस वजह से यह दिक्कत आई। मगर फिर भी मैं यह कहूंगा कि हम इसको १८ वर्षों में तय नहीं कर सके। अगर इसको ठीक करने के लिये कुछ विशेष खर्च कर दिया जावे तो कोई ऐतराज नहीं होगा। सारे रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स में जो कमी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको ठीक की जावे और सारे सदस्यों से जो पीछे पड़े हुए हैं पीछा छुड़ाया जावे। मैं यह कहूंगा कि इनमें खामियें हैं। और वे आज भी पीछा कर रही हैं। मैं आपके सामने रखूं कि कमियें क्या हैं? हमारे यहां एक नहीं तीन तीन कोर्ट चलते हैं। हम उनको कानूनी न्याय देना चाहते हैं, हाई कोर्ट भी कानूनी न्याय देना चाहते है। एक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती है, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी भी व्यक्ति को डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में सजा दी गई हो। आज मुझे ६ वर्ष का समय हो गया है। बड़ी बड़ी बातें होती है। मगर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में आज तक किसी को सजा हुई यह मैंने नहीं देखा। मैं इस बात को मानता हूं कि बड़े बड़े आफिसर्स बड़े ईमानदार और काबिल है, इसके बाद हमारा सिस्टम इस तरह का हैं कि जनतन्त्र में कानून चलता है। हम जानते हैं कि नौकर ने गलती की है। हम यह भी मानते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिये। मगर जब हम यह मानते हैं कि न्याय कानूनन मिलना चाहिये यह गलत मानते हैं। मेरा यह मत है कि अगर जनता के और मेरे और मित्र भी इस बात को महसूस करते हैं कि यह आदमी नैतिक ढंग से और ईमानदारी से गलती की हैं तो ऐसे आदमी के खिलाफ सरकार को पूरा हक होना चाहिये कि उसको डिसमिस करें। मगर होता क्या है, यह आप जानते हैं। उसको डिसमिस नहीं किया जाता। क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हैं। रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स के अन्दर जो कमियें हैं उससे हर आदमी परेशान है। आज ६ साल में कई मुद्दे उठे मगर किसी को भी सजा नहीं दी गई। हम देखते हैं कि विजिलेन्स कमीशन कायम हुआ। हमसे कहा गया कि क्रय-विक्रय संघ के मामले में सदन के सामने रिपोर्ट पेश होगी। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने साल भर में क्या किया और वह रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिये और लोगो को पता होना चाहिये कि अगर रिपोर्ट होगी तो पता लगेगा। दो तीन अफसरों के मामले को डिस्पोज आफ किया, कोई चीज नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब इकोनोमी की बात चली और लोगों को दूसरी जगह एबजोर्ब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करने की बात थी उसके लिये कमेटी बनी चीफ सेक्रेटरी के यहां से लिखा गया :

The Appointments department shall also take necessary action and simultaneously to secure the amendments in the service rules to enable the absorbed persons to secure proper place in the department."

आपने लोगों को भेज दिया और यह सरकुलर निकाल दिया। आपने उनको दूसरी जगह एब्जोर्ब करने के लिये भेज दिया। मगर आज तक रूल्स नहीं बने। उन लोगों को वही पे मिल रही है जो चार साल पहले मिलती थी। दो महीने पहले आर्डर देना पड़ता है और अगर आर्डर देने में देरी लगती है तो उनको पैसा नहीं मिलता।

(२.३६ म.प.)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इकोनोमी के वक्त यह कहा गया था कि तुरन्त रूल्स बनाये जावेंगे। मगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स नहीं बना सका और उसका नतीजा यह है कि वे बीच में लटके हैं। चार वर्षों तक रूल्स नहीं बने। तुरन्त रूल्स बन जावेंगे। वे कहते हैं, ३ पैराग्राफ में हैं आर्डर नं० १३ हैं, वे कहते हैं कि इन लोगों को भेजने से पहले क्या जवाब मिलता है :

"If the incumbent has already been selected by the Public Service Commission equivalent to the higher grades, as the case...

यह तीसरे वाले में लिखा है :

"Necessary action for amending the rules if any may be taken as in para three of aforesaid order."

इस एफोरसेड आर्डर का यह पूरा है, साइमलटेनियस रूल नहीं बनते हैं, आर. पी. एस. में गये तो आर. पी. एस. कहती है कि रूल्स नहीं बनाये हैं। यह है इकोनोमी का तरीका। इकोनोमी का तरीका यह नहीं होता कि आप लोगों के घरों में अनिश्चितता पैदा कर दें, लोगों के घरों में, बच्चों के अन्दर यह अनिश्चितता पैदा कर दी जाय कि अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी या नहीं। उनके इन्क्रीमेंट रोक लिये जायं, चार साल रूल्स बनाने में काहे को लग गये, चार साल तक सोते रहे? मैं तो यह मानता हूं कि इलेक्टेड सरकार है, सब लोगों की सरकार है, कोई एक अधिकारी की सरकार नहीं। इस सरकार का मतलब यह है कि आप किसी अधिकारी को नालायक समझते हैं, आप समझते हैं कि सरकार का इससे कोई भला नहीं हो सकता पर आपके दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि सबको न्याय देना और आपकी न्याय की परिपाटी है उसमें इन सब बदमाशों की हिफाजत होती है। जिसे आप समझते हैं कि यह नालायक अधिकारी है, उसकी जांच के लिए हम किसी आफीसर को अपोइन्ट करते हैं, जांच करने वाला आफीसर कैसे मालूम करे। आप खुद जांच करिये, चाहे इसके लिये आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे डोक्यूमेंट बनाना पड़े, मैं मोरल बाईडिंग समझता हूं आपकी, ऐसे नालायक आदमियों की नालायकी हो उसके लिये उनको सजा दे, मैं व्यक्तिगतरूप से नहीं कहता। पर आज आपने :

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

"अंधी पीसे कुत्ता खाय"

ऐसी सजा देने वाली मशीनरी बना रखी है कि सारी मशीनरी बेकार, आज हर एक अधिकारी निश्चित है, वह सोचता है कि मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। उन्हें सस्पेन्ड भी कर दिया जाता है तो कहते हैं कि अभी तो पैसा बैंक में जमा हो रहा है, एक साथ तीन तीन महीनों की सस्पेण्डेड पीरियड की तनख्वाह ले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सस्पेन्डेड लोगों को तनख्वाहें दी गई, किसको आपने सजा दी ? आप कहते हैं एन्क्वायरी बैठा दी, फलां जगह के कलेक्टर के खिलाफ कमेटी बैठा दी, मथोक कमेटी में रिपोर्ट होगी, क्या परिणाम हुआ उन सबका। छोड़ दिया है या सजा दी है, कुछ तो पता चलना चाहिये। कई लोगों के खिलाफ एन्क्वायरीज कराने का यहां कहा गया पर क्या हुआ, अगर आफिसर का कसूर नहीं था तो हमें बताना चाहिये कि सरकार ने बाकायदा एन्क्वायरी की, उसका कोई कसूर नहीं है और अगर किसी का कसूर पाया गया है और उसको सजा दी है तो वह भी हमें मालूम तो होना चाहिये कि उसका यह कसूर पाया गया और यह सजा दी। यह नहीं बताने से विरोधी दल के लोग कहते हैं कि यह हो गया वह हो गया, एक बात को छोड़ देते हैं, नया पर्दा शुरू कर देते हैं कभी पुराने को फिर उठा लेते हैं। इसका कारण यह है कि हमें बताया नहीं जाता है कि एन्क्वायरी का यह नतीजा हुआ और विरोधी दल के लोग यहां कहेंगे कि सुखाड़ियाजी साहब ने रिपोर्ट दबा दी। तो हमें पता तो चलना चाहिये। आखिर आपकी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी क्या काम करती है, इसका दो-चार साल का हिसाब बताया जाय, कितने केसेज को परस्यू किया गया, कितने लोगों को चार्जेज से बरी किया गया, कितनों को सजा दी गई, वे लोग ईमानदार या बेईमान साबित हुए इसका हमें पता चलना चाहिये।

इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा, मैं अभी विरोधी दल के नेता की तकरीर सुन रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि तीन मिनट पहले जो आर्ग्यूमेंट होते हैं तो ६ मिनिट बाद उसके विपरीत बात कहते हैं। टांगों में घोड़े पर चढ़ने को ताकत होनी चाहिये, फिर कहते हैं कि केअर टेकर ने यह कर दिया, सरकार ने यह कर दिया। केअर टेकर की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार का क्या मतलब है, हम दो करोड़ लोगों की सरकार है, यह किसी अधिकारी की सरकार नहीं। देश के साथ गद्दारी की है, सरकार के साथ गद्दारी की है उस केअरटेकर ने, उसने कोई बदमाशी की थी तो उसको पकड़ लिया। पर जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी या और किसी के दबाव में आकर जैसा वह कहे वैसा करें, हम से कहें कि यह कर दो, सरकार को दबा कर कहा जाय कि सरकार अपने सिद्धान्तों से हट कर कुछ करे तो यह नहीं हो सकता, चाहे जितनी फिजां बनाये सरकार वह करने वाली नहीं है। केअरटेकर को हमने पकड़ा, देश की आजादी की रक्षा का नारा लगा तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रोंग रखा, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला पाकिस्तान हिन्दुस्तान की लड़ाई के समय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीफ मिनिस्टर ने, राजस्थान सरकार ने जिस तरह जम कर काम किया, राजस्थान की फिजां बनाई, एक आदमी का झगड़ा नहीं होने दिया, परसनल इन्ट्रेस्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेकर चीफ मिनिस्टर सारे बोर्डर पर घूमते फिरे, यह नहीं कि उसका एप्रिसियेशन किया जाय एडमिनिस्ट्रेशन चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा, इन्डियन गवर्नमेंट से सराहना मिली, इस सबकी सराहना नहीं, इसमें भी कुछ न कुछ सिर नीचा करने को मिल जाय।....

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जब द्वन्द्व चला तब तो चट्टान की तरह खड़े रहे और द्वन्द्व खत्म हुआ तो कुरेशीजी निकल आये, और केयरटेकर निकल आये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे पहली बार इस पर बोलने का मौका मिला है मुझे कहने दीजिये।

आज हर एक यह कहेगा कि मैंने यह देखा, मैं फ्रन्ट पर खड़ा था, पैरों में जूते नहीं थे, यह नहीं था सारे एक्सपर्ट बन रहे हैं। सारे देशों का डिफेन्स देखिये, रशिया की लड़कियां, १४ की लड़ाई की बातें देखिये, वहां क्या हुआ ? हमारा प्रान्त कुछ भी हो, राजस्थान के बोर्डर पर हमारे सिपाही डटे रहे, हमारी सरकार डटी रही।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हमारी सरकार निकम्मी रही, जोधपुर में बोम्ब गिराये गये तो मुख्य मन्त्रीजी भाग कर आ गये। वह तो भगवान ने ही बचाया, नहीं तो राजस्थान साफ हो जाता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अरे भगवान की दुहाई देने वाले देश की रक्षा करने की सारे देश की जिम्मेदारी हैं। तुम्हारे इतने दिमाग, सारा देश एक, दुश्मन के सामने सारा देश एक, उसमें नकली मां की तरह तुम आंसू बहाते हो, वह हम जानते हैं। देश के ऊपर संकट के समय भारत सरकार जूझ सकती है, पर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेना एक न देना दो...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जहां देश पर संकट का प्रश्न हो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह नितान्त गलत है। तुम्हारी मुट्ठी भर कांग्रेसियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारे देश पर जिम्मेदारी है, दुश्मन के सामने टिकेगा तो सारा देश टिकेगा देश की सारी जन संख्या पर देश टिकेगा।

माननीय सदस्य अपने इन शब्दों को वापिस लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने यह कभी नहीं कहा...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी, खामख्वाह ऐसी बातें कर जाते हो, बुढ़ापे में अकल खराब हो गई है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य ने गलत समझा है। मैंने यह कहा है, मैं नहीं मानता कि ये अलग हैं, हमारे लीडर भी यह मानते हैं, पर कुछ एटीट्यूड, कुछ इन्डिविज्युअल्स का वह भी देश भक्ति के खिलाफ नहीं पर दिमाग की विशालता है, उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है, बनिस्बत इसके कि सारी चीजों को लेकर सदन में कहा जाता है, मैं उसका विरोध करता हूं। इनकी और हमारी राय में कोई फरक नहीं, फरक इतना ही है कि जिम्मेदारी के साथ बात नहीं कहते, देशभक्त होते हुए भी बजाय जिम्मेदारी के साथ कहने के, जिस जिम्मेदारी से सरकार को काम करना पड़ता है उसके मुकाबले हल्की बात करते हैं, उससे मुझे विरोध है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): आप ही ठेकेदार हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: ठेकेदार तो आप हो। इस चीज को छोड़ देना चाहिए अगले साल क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं इसलिए देखता हूं कि सारे सदन के सारे डिस्कशन को किसी न किसी कारण बड़े शैली ढ़ग से हर मामले को टच किया जाता है। हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई ऐसा पाइन्ट हमारे पास नहीं है जिसका जबाब हमारे पास नहीं है। आपका कोई हथियार चलने वाला नहीं है। हम तो मैदान में उतर ने वाले हैं और सबको पामाल करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, २,८७,००,०००) की सामान्य प्रशासन की मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भाषण दिया, उसको मैंने सुना। मैं उन्ही के एक साथी, जो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं हैं, उनके शब्द मुझे याद हैं वे थे:

"Congress is a replica of British regime minus efficiency except corruption."

इस बात का बार बार उन्होंने मनन किया, विचार किया; तो जो कांग्रेसी विधायक कह रहे है उनका औचित्य कहां तक है? राज्य सरकार को चलाने का सबसे पहला उत्तरदायित्व मंडल पर है। जहां तक हमारे मुख्य मंत्री की बात है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनकी योग्यता के बारे में किसी को संदेह नहीं है, हमारे नेता ने भी समय २ पर यही भावना व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने जो अपना मंत्रिमंडल बना रखा है, उस संबंध में नाना प्रकार की भ्रांतियां राजस्थान में फैली हुई है। मंत्रीमंडल साधारणतः छोटा होना चाहिए। अभी बिना विशेष कारण के, हो सकता है कि कोई राजनैतिक कारण हो, कोई व्यक्तिगत कारण हो, उन्होने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, चार नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से एक मंत्री उसमें ऐसा भी है जो टोंक जिले की जनता द्वारा दुतकारे हुए थे, उनको बैकडोर से लाया गया मुख्य मंत्री का कर्त्तव्य था कि किसी भी मंत्री को अपना सहयोगी बनाने से पहले उनके एंटिसिडेंटस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे। अक्टूबर १९५१ से पहले मुख्य मंत्री श्री दामोदर लाल व्यास को जानते नहीं थे। अक्टूबर १९५१ में वे मेरे पास आए और कहा कि कांग्रेसाध्यक्ष से मिलने चलना है मैंने पूछा कि बात क्या है तो कहा कि हरलाल सिंह का मेसेज देना है। हम दोनों गए, उनका उस समय परिचय कराया और फिर वापस आ गए। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि किस बात को लेकर व्यास वहां पर गए थे। जो चीप क्लोथ करीब एक लाख रुपये का टोंक की गरीब जनता के लिए बांटने को भेजा गया था उसकी वहां स्मगलिंग जयपुर में और दूसरी जगह करवाई और एक सिंडीकेट बना हुआ था उससे चालीस हजार पहले चंदे का लिया और दस हजार बाद में लिया और एक जीप भी प्राप्त की।

एक माननीय सदस्य: रिश्वत में तो आप भी शामिल थे?

श्री राधाकृष्ण गोयल: जी नहीं। मैंने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, श्रीमन्नारायण से शिकायत की और कौशिक जो पंडित नेहरू के कांग्रेस के मामले में निजी सचिव थे,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

वे भी जांच करने आए। उन्होंने जो रिपोर्ट ए० आई० सी० सी० में प्रस्तुत की वह इस बात का प्रमाण है। दामोदर लाल के लिए लिखा था कि वह व्यक्ति कांग्रेस के लिए अनुपयुक्त है और इसी आधार पर १९५७ में उनको विधान सभा के टिकट से रोक दिया गया था, ढेबर भाई ने टिकट देने से इन्कार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में ईमानदारी की कद्र नहीं है। हो सकता है कि कल वह दिन आ जाय। सुखाड़ियाजी अनुभव करने लगे हैं कि जमाना बदल रहा हैं, इसलिए मुझे अपने साथियों को ईमानदार बनने के लिए कहना पड़ेगा और जो ईमानदार हैं उन्हीं को ही अपना साथी रखना पड़ेगा, क्योंकि "A man is known by the company he keeps." उनकी कम्पनी में जो आज मंत्री हैं उनमें से कइयों के बारे में जनसंघ के नेता ने बताया। जब व्यासजी राजस्व मंत्री बने तो नाथद्वारा का कलंक उनके माथे पर आया, जागीर रिजम्पशन के मामले में जो लाखों रुपए के घोटाले हुए वह भी गलत मंत्री लगने के कारण हुआ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रशासन में मंत्री मंडल कैसा है उसमें आदमी योग्य और ईमानदार हैं या नहीं, इसका सारे प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मंत्री के कार्य-कलापों का नियमित लेखा-जोखा रखें, निगरानी रखें कि उसका आचरण कैसा था और कैसा है और भविष्य के लिए उसके बारे में लोगों की क्या धारणा हैं। मंत्रियों के संबंध में जनता को बहुत प्रकार की शिकायतें होती हैं, नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं उनका स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। मुख्यमंत्रीजी को कोई तारीखें महीने में निर्धारित करनी चाहिए जिससे कोई भी आदमी उनको कोई जानकारी देना चाहते उसका वह स्वागत करें। इससे जो कुछ गड़बड़ियां होती हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलती रहेगी और वह उनको रोक सकेंगे।

दूसरी बात जहां मंत्रियों की स्वच्छता की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री पर है, इसके साथ-साथ राज्य प्रशासन को ठीक चलाने की जिम्मेवारी भी उनकी है। मंत्रियों का काम नीति निर्धारण करना मात्र हैं, उनको देखना है कि जो कुछ नीतियां उन्होंने निश्चित कर दी हैं, सारे अधिकारी कुशलतापूर्वक उनका पालन करते हैं या नहीं अगर इससे आगे मंत्री मंडल के सदस्य बढ़ते हैं तो इससे प्रशासन में खराबी उत्पन्न होती है।

आज मंत्रीगण दौरे ज्यादा करते हैं। उससे राज्य के कोष पर टी. ए. और डी. ए. के नाम से कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जिला अधिकारी भी इनसे तंग आ जाते हैं। जिन लोगों को एक अधिकारी के रूप में काम करना चाहिए वे दरबारी की हालत में रहते हैं। जो उनकी स्वच्छ और निर्भीक भावना हैं वह दबकर मंत्रियों के इशारों पर चलना पड़ता है और उनकी स्थिति क्लर्कों और क्लास फोर कर्मचारियों जैसी हो जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्रियों और उपमंत्रियों को सरकारी अधिकारियों के काम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिये।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(३ म० प०)

इसके साथ ही तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था आज के कर्मचारियों को उनके अपोइन्टमेंट के वक्त, उनके प्रमोशन के वक्त, उनके ट्रान्सफर के वक्त और रिटायरमेंट होता है तो रीएम्पलोयमेंट के नाम से उनको प्रभावित किया जाता है और यह भावना धीरे २ इतनी बढ़ गई है कि राजस्थान की सर्विसेज में सरकार के प्रति और उसके कार्यों के प्रति विश्वास की कमी होती जा रही है। यह हमारे लिये ऐसी भयंकर स्थिति पैदा की जा रही है जिससे न केवल वे अधिकारी लोग ही दुखी हैं और त्रस्त हैं बल्कि सर्वसाधारण भी इस बात से बड़ा परेशान है। मैं आपको टोंक जिले के सम्बन्ध में कुछ अनुभव बताऊं साधारणतया वहां यह हालत है कि मंत्री विशेष जो उस जिले के रहने वाले हैं कलेक्टर यदि उनका कहना नहीं मानता है, उनके इशारे पर काम नहीं करता है तो जल्दी ही उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। मेरे पास सूची है, प्रशासन की फाइलों से भी आपको सूची मिलेगी कि वहां पर ऑर्डिनरली कलेक्टर की मयाद, नौ महीने दस महीने या ११ महीने रही है। यह हमारे लिये शर्म की बात है। जो हां में हां मिलाते हैं वे चार चार पांच पांच साल उनका वहां रहना मुश्किल की बात नहीं। वहां पर ऐसे अधिकारी भेज दिये जाते हैं पालतू की तरह से उनकी शरण में रहें। इससे दूसरी सर्विसेज भी डिमोरेलाइज इतनी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी मालपुरा में एस.डी.ओ. थे वे छः सात साल तक वहां रहे। पूरे जिले की जनता और मालपुरा की तो यह मानती ही थी कि यह दामोदरजी के इशारे पर काम करते हैं और उनको कायदा कानून की परवाह नहीं। हजारों बार उनकी शिकायतें हुई। क्या मजाल की प्रशासन उनको इधर से उधर कर दे। अब उनको एडीशनल कलेक्टर बना कर भेज दिया है। अच्छी बात है। लेकिन वहां पर अभी दूसरा एस. डी. ओ. नहीं भेजा गया है। एक ही कारण है कि जो पालतू बन जाते है वे उनके मास्टर के इशारे पर चलते हैं।

होना तो यह चाहिये कि राज्य कर्मचारियों का सब से बड़ा मास्टर उनका कॉन्शियस है, उसको समाप्त करके मंत्री लोग अपने २ पालतुओं को जनता पर थोपना चाहते हैं, यह उनके लिये तो निर्लज्जता की बात तो है ही, लेकिन अधिकारियों के लिये भी शोभा की बात नहीं है।

कल फरमा रहे थे एक भाई ६ साल से एस. डी. ओ. मालपुरा में थे। दामोदरजी ने अपना दामाद समझा है। हैं दुर्गाप्रसादजी के सन इन लॉ। दोनों दिन में दो बार या तो उनकी ओर से या दामोदरजी की ओर से टेलीफोन पर बात होती है, जिन पर राजनैतिक और प्रशासनिक दिन भर की सूचनायें भेजी जाती हैं। जब दामोदरजी मन्त्री नहीं थे उस समय भी ये महानुभाव अपनी सरकारी फाइलें लेकर उनके बंगले में आते थे और इस प्रकार से सरकारी राज उनको देते थे। आज स्थिति यह हो गयी है कि अफसर अपोइन्टमेंट से पहले दामोदरजी से स्वीकृति लेता है, उनकी स्वीकृति ली जाती है, फिर उनकी इन्स्ट्रक्शन लेकर जाता है, खास काम उनको करने पड़ते हैं। जब भी जयपुर आये तो सलाम ठोकने आते हैं और कभी किसी ने गलती की तो गैर जिम्मेदारी का चार्ज ही नहीं लोयल्टी में कमी पाने का चार्ज लगा कर उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो मन्त्रि-मंडल के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। मेरे कुछ सुझाव हैं सचिवालय, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्ष और जिला स्तर पर कर्मचारियों के लिये। उनको मैं शीघ्रता से निवेदन करना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन कर देना है मुख्य मंत्रीजी से कि जो ४६ के पहले जो व्यक्ति जागीरदारों से पांच पांच रुपया माह लेकर गरीब लोगों का गला काटता था, आजादी आती देख कर जो प्रजा मंडल में शामिल हुआ, डबल क्रोस रहा, सन् १९५१ और ५२ तक जागीरदारों का वकील रहा वह आज समाजवादी समाज का नेता नजर आने लगा है। नेता नहीं, और ही बातों की आवश्यकता थी एक एक्जीक्युटिव ओफिसर की तरह जैसे जागीरदारों के कामदार रहा करते थे, न्याय अन्याय हो उनसे काम करवा लो, यह हाल था।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री सिंचाई): जैसी कि आप आज कल अपनी पार्टी में जमादार की तरह हैं।

श्री राधाकृष्ण : हां हैं। डिग्गी ठिकाने से मिल कर प्रजा मंडल का कार्यकर्ता था उसको जिन्दा जलाया और इस पाप को छिपाने के लिये सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी। यह सब मालपुरा और टोंक के लोगों को, सब को मालूम है। ऐसे व्यक्ति को मंत्रि मंडल में शामिल किया जावे और यह आशा की जावे उनसे कि वह जनता का भला करेंगे, समाजवाद लाने में जनता का साथ देंगे यह आप हो विचार कर सकते हैं कि यह उनसे कैसे हो सकता है।

सबसे पहली आवश्यकता आज यह है कि मन्त्रि-मंडल छोटा बने। इसमें सही ढंग के मंत्री हों और उनका लेखा-जोखा मुख्य-मंत्री करें। उनकी जानकारी जनता से करें और जनता नहीं तो उनके प्रतिनिधियों से करें। उसमें ढिलाई की जावेगी तो यह समझा जावेगा कि यह स्वराज्य, जनतन्त्र एक बहुमत में बैठी यह सरकार जैसी चीज शासन चलाने के लिये है और मुगल सल्तनत में और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है।

दूसरा यह निवेदन कर देना चाहता था कि सचिवालय की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। एक कारण तो यह है कि सचिवालय में जो सचिव नियुक्त किये जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो दबंग हैं, स्वेच्छा से सही बात दीखे उसी प्रकार काम करना चाहते है लेकिन फिर भी उनको दबाने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन जो उनको अपने संकेत से चलाने की प्रवृत्ति रहती है मन्त्रिमंडल के सदस्यों की ओर से कि किसी प्रकार उनको खुश रख सकें और इस प्रकार का जो दबाव उन पर पड़ता है उस प्रवृत्ति को रोकने के लिये चेष्टा करनी चाहिये। अभी जो सिस्टम है, एक पेपर पहले क्लर्क के पास से सेक्शन ओफिसर या सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास, फिर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी के पास जाता है। ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि अलग अलग व्यक्तियों की जिम्मेदारी बांट दी जाय और कुछ पत्र वर्क असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को देदेना चाहिए कम से कम एक एसिस्टेण्ट सेक्रेटरी २५ पी० यू० सी० तो निकाले ही। उसको एक स्टेनोग्राफर और क्लर्क दे दिया जाय। उनके पास ही वे पत्र आयें और आगे आगे न जायें इससे समय की बचत होगी और डिस्पोजल जल्दी होगा। और साल २

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

और अधिक समय तक चक्कर काटते रहते है वह मिट जावेगा। इससे यह भी पता चल जावेगा कि कौन अफसर कितना काम करता है, कितने बैठे रहते हैं और कितने दिन भर काम करते हैं। अच्छे और कमजोर अधिकारी में भी फर्क मालूम हो जावेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्व मंडल के विषय में थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि रेवेन्यू लाज् कमीशन की रिपोर्ट आयी है। शायद उसके इम्पलीमेंटेशन के बाद सुधार हो। लेकिन मुझे यह कहने का साहस होता है कि जो रियासतें थीं उनमें जो व्यवस्था थी उससे भी पीछे हटे हैं। रियासतों के जमाने में जितने योग्य और अनुभवी आदमी मिल सकते थे राजस्व मंडल में लिये जाते थे। कम से कम एक या दो व्यक्ति तो डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज की केडर के होते थे उनको राजस्व मंडल में जरूर रखा जाता था। लेकिन आज ज्युडिशियरी जैसी चीज राजस्व मंडल में से हटा दी गई है और यह राजस्थान की प्रगतिशील कही जाने वाली सरकार के लिये अच्छी बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसे ऐसे यहां पर मुकद्दमें हैं जो ४५ से चल रहे हैं अभी तक और छोटी २ बातों में भी फैसला नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको काफी समय दे चुका हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : थोड़ा जिला स्तर पर निवेदन कर दूं। आज यह प्रवृत्ति फैल गयी है कि जिलाधीश जैसे ईश्वर का साक्षात् अवतार हो। इस प्रवृत्ति को बदला जाय। राजा महाराजा जैसी स्थिति बन गयी है, एक तरफ जनता और दूसरी तरफ ईश हो। उनमें यह भावना भर गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज्। बस बहुत हो गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : डिस्ट्रिक्ट में ऐसी स्थिति कर दी गई है कि उनका सुधार किया जाना मुश्किल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मांग संख्या ६– सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में निवेदन करने से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो हम जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास करते हैं उसका मतलब है जनता का सही राज्य जनता द्वारा चलाया जाय। कांग्रेस महानुभावों के भाषण सुनने के बाद इस विधान सभा सचिवालय द्वारा जो कट मोशन्स सरकूलेट हुए हैं उनको देखा जाय तो जो कटमोशन्स रखे गए हैं वे ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए हैं। उसमें किसी में भ्रष्टाचार, किसी में अनियमितता, किसी में कुछ इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है यह साफ बताता है कि उनका भी इस सरकार में अविश्वास है।

सरकारी मंत्रियों के दौरे पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में कर्मचारियों में ढिलाई के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों के पक्षपात सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में कट मोशन्स दिये हैं। आज कांग्रेस का शासन जो बहुमत के आधार पर चल रहा है। जिस डेमोक्रेटिक

(श्री अब्दुलजब्बार)

आधार पर यह सरकार चल रही है उसकी चार आधारशिलायें हैं। वे चार आधारशिलायें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एण्ड क्रिटिक्स ये चारों मिल कर राज्य करते हैं इनको जो भिन्न भिन्न काम दिए हुए हैं उनको लेकर काम करते हैं।

राजस्व विभाग के जो अधीकार दिये हुए हैं वह भी मैं समझता हूं इस डेमोक्रेसी में लाजिमि चीज है। कांग्रेस के महानुभावों ने जो कटमोशन्स दिए हैं वे यह बतलाते है कि उनको भी इसमें विश्वास नहीं है। विरोधी पक्ष द्वारा जनतन्त्र जीवित रखने के लिए जुडिशियरी में विश्वास करके चलता है उसके द्वारा वे मुकाबला करते हैं। वे ईमान से बेईमान अधिकारी का मंत्रिमंडल के सदस्य या ऊंचे से ऊंचे अधिकारी का सामना करते हैं।

जनतन्त्र को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक हैं कि जो वास्तव में गला घोंटने वाली प्रणाली है, व्हिप की यह प्रणाली खत्म की जाय। मैं यह मान कर चलता हूं, जो मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता, अपनी बुद्धि के अनुसार जो मत नहीं दे सकता उस पर व्हिप के जरिये जो अंकुश लगाया जाता है वह बहुत ही खतरनाक है। इस व्हिप की प्रणाली को हटा दिया जाना चाहिए।

एग्जीक्यूटिव पर क्रिटिक्स की छाया बनी रहती है, पार्टी उस पर छायी हुई रहती है, उसको भी करप्ट करने के लिए पार्टी तैयार रहती है। मंत्रिमण्डल के सदस्य उन पर बेजा प्रेसर डालकर काम करवा लेते हैं। अगर सरकार को किन्हीं व्यक्तियों के बारे में जानकारी या जांच करनी हो तो वे हम जैसे व्यक्तियों से कोन्टेक्ट करें।

जनतन्त्र को जीवित रखने के लिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे किसी पार्टी के सदस्य हों एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वह निष्पक्ष होकर कार्य करे, लोहे के हथोड़े की तरह काम करे, अगर एग्जीक्यूटिव पार्टी के हाथ का खिलौना बन कर काम करने लग जायगा एग्जीक्यूटिव की साख होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, उनकी सर्विसेज की गारन्टी कोन्स्टीट्यूशन द्वारा दी गई है, लेकिन परम्परा इस प्रकार की चल रही है कि गारण्टी का उनको जैसे पता नहीं है। कोन्स्टीट्यूशन में जहां सर्विसेज को गारन्टी है समय समय पर पार्टी बदल सकती है, लेकिन जो फन्डामेण्टल राइट्स हैं उनको क्रश नहीं किया जाना चाहिए।

आज देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं आखिर वे किस बात के द्योतक हैं। मैं उन कांग्रेस के महानुभावों से कहना चाहता हूं वे दिल पर हाथ रख कर देखें हकीकत में दिल की धड़कनों से अन्दाज लगायें पलपीटेशन आफ हार्ट को देखें वह क्या बता रहा है। जनतन्त्र में विधान में विश्वास करने वालों से मैं कहना चाहता हूं आप देखें एक एक गजेटेड आफीसर के यहां चार पांच चपरासी काम करते हैं वे उनसे बेगार लेते हैं। तनख्वाह राज के खजाने से मिलती है बेगार वे अधिकारियों के घर पर करते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलने वाले क्या इसमें सुधार करेंगे। आज अधिकारियों के घर के उपर आपके चपरासी जोख जाने से तनख्वाह पाते हैं वे अधिकारियों के घर पर बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं बच्ची को खिलाते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, आटा पिसाकर लाते हैं बूटों पर

(श्री अब्दुलजब्बार)

पालिश करते हैं, झाड़ू लगाते हैं जो राजा महाराजाओं की निन्दा करते नहीं थकते उन कांग्रेसी महानुभाव से मैं निवेदन करता हूं। कि यह जो चपरासियों से बेगार ली जाती है इसको तो खत्म करो। यह हकीकत है चपरासियों से बेगार ली जाती है। मुख्य मंत्री महोदय एक एक अधिकारी को सचेत कर दें कि वे चपरासियों से बेगार न लें। उनसे दफ्तर के समय जो दस बजे से शुरू होता है उसी आॅफीस टाईम में उनसे काम लें और पांच बजे उनको छुट्टी दे दी जाय।

कांग्रेस के महानुभाव राजा महाराजाओं के शासन में ली जाने वाली बेगार के लिए उनको कोसते थे, क्या आपने उन अधिकारियों को कोसा है जो आज चपरासियों से बेगार ले रहे हैं। राजा महाराजाओं द्वारा जो बेगार ली जाती थी, उसके खिलाफ हमने जेलों की यातनायें सहीं, हम आपसे पहले जेलों में गए। हमारा दिल जानता है जिस बेगार को खत्म करने के लिए हमने झण्डा गाड़ा आज उस झण्डे को आपने झुका दिया। आज जो खास मुद्दा है कांग्रेसी हुकूमत के सामने उसे चाहिए कि यह जो गुलामी की प्रथा है इसको खत्म किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म के सम्बन्ध में कमेटियां बनाई जाती हैं लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कभी उन्होंने तहसीलों का दौरा किया है और वहां जाकर देखा है कि ८० प्रतिशत किसान जो गांवों में रहते हैं उन किसानों को जो मुकदमें की पेशियां मिलती हैं उनका क्या होता है पेशियों की तारीख तो देदी जाती है लेकिन उस रोज मजिस्ट्रेट महोदय वहां मिलते नहीं दौरे पर चले जाते हैं। जो ज्वार और मक्का की रोटी खाने वाले जिन रोटियों की अगर किसी को मारदी जावे तो वह तलवार का काम करती है, किसी की छाती में उसकी मार दी जाय तो खून निकल आता है ऐसे किसान की जिन्दगी क्या है ? वह गरीब किसान धूप में बैठा तड़फता रहता है। तहसीलदार साहब वहां नहीं मिलते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री अब्दुल जब्बार : जो बातें हैं खास तौर से, मैं उन्हीं को रख रहा हूं। वे बेचारे वहां धूप में पड़े रहते हैं, आज जो सरकार किसानों की खैरख्वाह बनती है उसको शर्म आनी चाहिये एक तरफ किसान तड़फ रहा है, तहसीलदार साहब टूर पर चले गये, बेचारा वापिस लौटता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि एस० डी० ओ०, तहसीलदार जो टूर करें उनका प्रोग्राम तय हो जाना चाहिये, उन आदमियों को उन दिनों की तारीख नहीं दी जानी चाहिये। पेशियां जिस दिन हों उस दिन टूर नहीं करें, या फिर उनके लिये इन्डिपेन्डेंट जुडिशियरी का इन्तजाम करें, केवल वे जुडिशियरी का ही काम करें यह काम मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दे दें।

ज्वालाप्रसाद जी ने इस सदन में इस बात को रखा था जो कर्मचारी सरप्लस हो जाते हैं वे इधर-उधर मारे मारे फिरते हैं उनको बेचारों को समय पर तनख्वाह भी नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ गजेटेड

(श्री अब्दुलजब्बार)

अधिकारी को यदि तनख्वाह न मिले तो वह हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन सीक करता है ऐसी हजारों नजीर पड़ी हुई हैं। गजेटेड अधिकारियों ने हाईकोर्ट में जाकर अपने प्रीविलेज सीक किये हैं वे लोग हाई कोर्ट में रिटकर के अपने प्रीविलेजेज प्राप्त कर लेते हैं। जहां तक गजेटेड अधिकारियों के फन्डामेंटल राइट्स का सवाल है वे उसके लिये उच्च-न्यायालय से प्रोटेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो गजेटेड अधिकारी नहीं हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिये।

इतना ही निवेदन करता हूं एक शेर सुनाना चाहता हूं बरकत साहब जरा गौर से सुनिये :

(अश्रव्य) ❀

गरीब इन्सान कह रहा है उसको सितारे नहीं चाहिये, चम चमाते हुए सितारों की चाह नहीं है। आज उसे यदि उसके अधिकार उसको नहीं दिये गये तो उसमें इतनी ताकत है वह इस कांग्रेस हुकूमत को बदल सकता है उनके मजबूत और फौलाद के हाथ उसको बाकायदा बदल देंगे। अगर उसको कोई रोकना चाहेगा तो लाठी या पुलिस द्वारा उस पर कन्ट्रोल नहीं हो पायगा।

डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कटौती प्रस्ताव राज्य सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है और दूसरा कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है उसके बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ हद तक तो भ्रष्टाचार है ही, लेकिन जितना लोग चिल्लाते हैं या बात करते हैं उतना नहीं है। दरअसल बात यह है कि कोई आदमी किसी ऑफिस में जाता है, अनुचित काम कराने के लिये जाता है अगर वह ईमानदार ऑफिसर है या ईमानदार क्लर्क है वह कानून से उसका काम नहीं होता है तो हमने कई बार देखा है कि ज्योंही वह दफ्तर से बाहर आते हैं तो चिल्लाते हैं कि वह आदमी तो पैसे मांगता है इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। मगर वह ठीक ढंग से काम होता तो फिर बात नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार है और आप रिश्वत देने के लिए तैयार हैं और लेने वाला भी तैयार है तो चिल्लाहट किस बात की है? लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। मतलब यह है कि शासन में भ्रष्टाचार है, मानना पड़ेगा लेकिन जितनी चिल्लाहट है उतना नहीं है। इस समय धीरे-धीरे जैसे हमारे यहां प्रशासन में सुधार हो रहा है और दिनों दिन तरक्की हो रही है सिर्फ इस बात की आवश्यकता है कि कागजी कार्यवाही इतनी होती है कि एक कागज को दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते हैं और इसलिये लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ न कुछ देंगे तो हमारा कागज जल्दी से एक टेबल से दूसरी टेबल पर जायेगा और हमारा काम हो जायेगा। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो कागजी कार्यवाही है उसको जल्दी से निपटाना चाहिए और जल्दी इसमें सुधार आना चाहिए।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में

❀ टिप्पणी–भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ।

(डा० पोहूमल ईसरदास)

जो बड़े कर्मचारी हैं उनके लिए तो आपने महंगाई भत्ता १०० रुपया रख दिया और लो पेड कर्मचारी हैं उनको ४००) रुपये से कम तनख्वाह मिलती है उनके लिए उन्होंने यह कहा कि उनके लिए कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोले जायेंगे और उनके जरिये उनको सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन यह बीच की श्रेणी के कर्मचारियों की जिनको ४००) रुपये से १०००) रु० तक की तनख्वाह है पता नहीं उनको क्या दिया जायेगा। उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है। बजट स्पीच में भी यही लफ्ज लिखे हैं :

" In this tight budgetary position, it has not been possible for the Government to take up any new scheme for the amelioration of the conditions of the economically weaker sections of the community. In the case of low paid employees, the decision of the Government to open consumer stores has already been announced. Necessary financial provision for the same has also been incorporated in the budget estimates."

मतलब यह है कि लो पेड कर्मचारियों के लिए प्रोवीजन रख दिया उनको तो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से सस्ती चीजें मिलेंगी और जो हाइली पेड कर्मचारी हैं उनके लिए भी १००) रुपये भारत सरकार ने चूंकि कहा है इसलिए उनको भी फायदा हो गया लेकिन जो लोग ४००) से १०००) तक पा रहे हैं उनके लिए न जाने क्या प्रोवीजन रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि कोर्ट के अन्दर जितनी मुकदमेबाजी होती है उसमें न्याय बहुत महंगा होता है और वर्षों तक केसेज चलते रहते हैं और उसका कारण यह है कि जो कर्मचारी हैं और जो केसेज हैं उनके लिहाज से उनका अभाव है। उनके इसलिए केसेज लिगर-आन करते हैं और इससे जनता को बहुत तकलीफ होती है और खर्चा भी बहुत हो जाता है। इसलिए इसके लिए कुछ न कुछ किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीलाल गोठवाल।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २४ समाज कल्याण विभाग के संबंध में जो मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् ४७ के बाद जब महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई उसके बाद हरिजनों को उत्थान की ओर ले जाने के लिए इस समाज कल्याण विभाग का निर्माण किया गया। यह समाज कल्याण विभाग का निर्माण अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण के लिए हुआ और उसने लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया। सन ४७ के बाद राजस्थान सरकार ने शहरों में कई बस्तियां बसाई परन्तु हर जगह हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का ध्यान नहीं रखा। जिससे हमारा जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने जितनी योजनायें तैयार की गांधीनगर आदर्शनगर, बापूनगर, अशोक नगर जितनी भी कालोनीज बसाई लेकिन वहां के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। शहरों में हर जगह नई नई बस्तियां बसाई हैं उससे हरिजनों का भला नहीं होने वाला

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

है। अगर इन बस्तियों में हरिजनों को भी प्लाट्स देते तो उनका काफी उत्थान हो सकता था। हमारी राजस्थान सरकार ने उनकी अलग अलग कॉलोनीज् बसाई जैसे अमृतपुरी उसमें हमारी जाति के लोगों का भला होने वाला नहीं है। ....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह कहां है ?

श्री गोपीलाल गोठवाल : आदर्श-नगर में। तो इससे हमारे समाज का विकास नहीं हो पाया है। हमारी सरकार ने उद्योग के संबंध में भी हमारे लोगों का ध्यान नहीं रखा है। बापू बाजार, जवाहर बाजार आदि कई तरह के बाजार बनाये हैं सरकार ने लेकिन इनमें हजारों दुकानों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए एक भी दूकान नहीं रखी और अगर उनमें उनका रिजर्वेशन रखते तो हमारे हरिजनों का काफी भला हो सकता था।

नौकरियों के संबंध में जहां तक नियुक्ति विभाग का संबंध है, समाज कल्याण मंत्री के हाथ में पॉवर्स नहीं दी गई हैं। नियुक्ति विभाग हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है और अगर यह समाज कल्याण विभाग हमारे मुख्य मंत्री जी के पास ही रहता तो हमारे भाइयों का उत्थान हो सकता था।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जितना पैसा समाज कल्याण के द्वारा लगाया जा रहा है वह बहुत कम है और इसमें ज्यादा पैसा सरकार को देना चाहिए। हमारी राजस्थान सरकार ने हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजा, बड़े कालेजेज में नहीं भेजा। अलग अलग जगह छोटी छोटी स्कूलों में भेजते हैं। इसके अलावा हमारे अलग से छात्रावास खुलते हैं उसके बनिस्बत जो दूसरे सार्वजनिक छात्रावास हैं जिनमें दूसरे लोग रहते हैं वहीं ही इनको भी भेजें तो हमारे बच्चों की काफी विचारधारा बदल सकती है।

मकान सहायता के लिए ७५०) रुपये देते हैं और इस रुपये से कुछ भी नहीं बनता है और मकानात अधूरे पड़े हैं। किशनगढ़ के पास से श्री मोतीलाल जी और जेठमल जी बरवड़ आये तो किशनगढ़ के पास प्रभापुरी है उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ। प्रभापुरी नाम तो बहुत अच्छा है प्रभापुरी नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन उन मकानों में वहां पर गधे लोट रहे हैं। उस प्रभापुरी को देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ, यह फिजूल पैसा खर्चा हुआ है और काम कुछ भी नहीं हुआ है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय और दें। ..

उपाध्यक्ष महोदय, साढे सात सौ से क्या होता है, आपको दो हजार तो कम से कम देना चाहिए तभी तो हमारी थोड़ी बहुत पूर्ति हो सकती है। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर, जयपुर के अन्दर, एक आदर्श नगर के अन्दर हमने एक जवाहर कोलोनी को बसाने के सम्बन्ध में निर्णय किया था कि आदर्शनगर में जवाहर कोलोनी बसाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में खास-तौर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने प्लाट भी अलॉट किए थे और उसमें इन हरिजनों के प्लाट रोड पर आ गए थे तो उन पन्द्रह-बीस घरों को अलग कर दिया था। उनके बाद में एक

Page No. 95

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

स्कीम तैयार की थी जवाहर कोलोनी के नाम से। उस स्कीम का क्या हुआ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इसमें कुछ नहीं किया। पांच-सात साल हो गए भाग-दौड़ करते हुए लेकिन वह जवाहर कोलोनी अभी तक नहीं बनी है। सरकार ने बराबर कोशिश की है हमने भी रात दिन भागदौड़ की और हम चाहते थे कि वहां पर हरिजनों के मकान बन जायं और जवाहर कोलोनी बस जाय लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है।......

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गोपीलाल गोठवाल : उस कोलोनी के सम्बन्ध में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अखबारों में आउट हो गया, सारा मामला हो गया लेकिन आज तक यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में और ज्यादा न कह कर समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो संघ चल रहे हैं वह मेरे ख्याल से संघ बन्द करके जो छात्रावास चलते हैं उनका पैसा मेडिकल कालेज के लोगों को दे दिया जाय तो और ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा, उससे काफी फायदा हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात है कि समाज कल्याण विभाग के अन्दर जो गैर सरकारी लोगों को मकान बनाने के लिए साढे सात सौ रुपया दिया जाता है वह उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और उसका ठीक तरह से फायदा नहीं उठा सकते हैं। वहां समाज कल्याण विभाग के अन्दर एक शांतिलाल गुप्ता नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके हाथ में ही यह साढ़े सात सौ रुपये देने का काम है। उन्होंने आपस में इस तरह की मिलावट कर रखी है कि उनके आदमियों को ही, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं उनको ही फायदा होता है। मैं समझता हूं कि उस समाज कल्याण विभाग में जो शांतिलाल गुप्ता हैं उनको इस पद से तुरन्त हटाया जाय और किसी अच्छे समाज कल्याण अधिकारी को रखा जाय। इसके अलावा जो डायरेक्टर आए हैं परमानन्दजी, वे अच्छे योग्य आदमी हैं, उनसे हम सब खुश हैं और मंत्रीजी भी खुश हैं।

(समय समाप्ति-सूचक लगातार घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं): उपाध्यक्ष महोदय......

श्री गोपीलाल गोठवाल : एक मिनट और उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : बस, आपने काफी समय ले लिया है।

श्री गोपीलाल गोठवाल : एक मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं अब नहीं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री चौसरसिंह बावेल : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की मांगों पर मेरे काफी कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि यह सरकार प्रशासन को चलाने में

(श्री चौसरसिंह बावेल)

ढिलाई व बदइन्तजामी और भ्रष्टाचार जो है उसकी बढोतरी-के सिवाय और कुछ नहीं कर पाई है। भ्रष्टाचार इस सरकार में दिन व दिन बढ़ता जा रहा है और कोई काम काज नहीं हो रहा है। गरीब लोग सेक्रेट्रियेट के बाहर मारे मारे फिरते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्री लोग दौरे पर जाते है और यहां सेक्रेट्रियेट में कभी मिलते हैं। इसके बारे में मैं निवेदन करता हूं कि इससे, दौरा ज्यादा करने से ज्यादा खर्चा होता है। वहां पर जो अफसर होते है जिलों में वें उनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। कानूनी पेशियों को बन्द करके वे मंत्रियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं इससे वहां की जनता को नुकसान होता है। तो जहां तक दौरे में जाने की बात है तो जरूरत के साथ जाये तो इसमें तो कोई एतराज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं लेकिन अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए या अपने दूसरे कामों के लिए जाते हैं और उसमें अपने साथ में सरकारी लवाजमा लेकर जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है इसके लिए उनको विचार करना चाहिए कि सरकार को इससे बहुत सारा खर्चा फालतू ही होता है और उसका कोई सदुपयोग भी नहीं होता और कांग्रेस के सिद्धान्तों का पालन भी नहीं होता।

इसी तरह से जिलों के हैडक्वार्टर्स पर कलेक्टर के लोग हैं वे भी जब दौरे पर जाते हैं तो वहां पर इने गिने आदमियों से मिलकर चले आते हैं, जनता की असली हालत का उनको पता ही नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कलेक्टर्स वगैरा जब दौरों पर जावें तो उन्हें आम जनता से मिलना चाहिए, जनता के नुमायन्दों से, और और लोगों से मिल कर समस्याओं पर विचार करना चाहिए।

इसी तरह से मन्त्रियों के बढ़ा देने से जो खर्चा हो रहा है उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री बढ़ा देने से बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। ऐसे संकट काल के समय में, ऐसे अकाल की स्थिति में मन्त्रियों की तादाद कम हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इनसे नुकसान ही है और इसकी वजह से एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में आप पांच रुपये भी बढ़ाने को असमर्थ हैं और उनके लिए कुछ भी त्याग नहीं करना चाहते। मैं आपको निवेदन करूंगा कि अपनी सभी लोगों को अगर अपनी तनख्वाह में कमी करने की जरूरत पड़े तो उसके लिये सबसे पहले तैयार रहना चाहिये और मैं भी तैयार हूं। मेरा निवेदन है कि जहां तक कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल है तो इसमें किसी तरह से पांच रुपये माहवार की तरक्की तो होनी ही चाहिये इससे अधिक भी कर सकें तो अच्छा है, लेकिन इतना तो करना ही चाहिए। अगर कर्मचारी नाराज रहेंगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने काफी मुकदमें चलाए हैं उसमें से बहुत सारे मुकदमें सेक्रेट्रियेट में आए हैं और वहां पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए। आपने १९६३-६४ में १९६३ मुकदमों में से कुल १०४ निपटाए हैं, १९६४ में २४५ मुकदमें आपके पास आये जिनमें से ८४ को दण्डित किया है और १९६५ में २६१ में से ४२-को दण्डित किया है। बाकी को सजा नहीं दे पाए

(श्री चौसरसिंह बावेल)

हैं, इसके बारे में भी सरकार को कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिये ।

इसके अलावा हिन्दी भाषा के बारे में भी बहुत कुछ विचार चल रहा है । उस हिंदी के बारे में जो पुस्तिका मिली है, उसको देखने से पता चलता है कि इसमें बहुत सारे महानुभावों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये बुलाया तो उनमें से बहुत सारे बड़े २ अफसर तो अपने विचार व्यक्त करने के लिए नहीं आए तो उनसे हिन्दी के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है कि वे समय पर हिन्दी को लागू कर देंगे । उन बड़े बड़े अफसरों में आपके पंजीयक, सहकारी विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उप संचालक, विकास विभाग, महा-निरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांकन विभाग, श्री गुलजारीलालजी आबकारी व कराधान कमिश्नर, चेयरमेन बिजली बोर्ड, संचालक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संचालक शिक्षा विभाग, संचालक बीमा विभाग, संचालक सार्वजनिक सम्पर्क विभाग और निबन्धक राजस्व मंडल। इसके अलावा और भी होंगे जो अपने विचार व्यक्त करने तक के लिए नहीं आए तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वे हिन्दी के बारे में सुन्दर विचार रखेंगे और हिन्दी को समय पर लागू करा सकेंगे । इसलिए मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको हिन्दी को शीघ्र लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि एक अफसर पर एक साल की सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना हुआ था । ऐसे और भी बहुत से अफसर हैं । एक व्यक्ति पर तो अठारह मुकदमें चल रहे हैं । इस तरह के मामले आपके पास और भी बहुत होंगे, उनको भी आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए ताकि जिन लोगों को सजा देने योग्य हों तो उनको सजा दी जा सके और इससे भ्रष्टाचार कम हों । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की तरफ से बहुत कमजोरी और शासन में ऊपर बहुत ढिलाई चल रही है । यह ढिलाई अगर चलती रहती है तो नीचे के लेवल पर भी काम समय पर नहीं होता है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है । इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह गरीब जनता की तरफ ध्यान दे और पुलिसमैन वगैरा सुनते नहीं हैं उनकी तरफ कार्यवाही करें । इसके अलावा हमारे यहां बेगूं में एस०डी०ओ० की कोर्ट है, भैंसरोडगढ में है और पारसोल में है । इन तीन कोर्टों की वहां एक सिविल कोर्ट रखने की बाफना कमेटी ने सिफारिश की थी, लेकिन वहां पर न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है । मेरी अर्ज करना यह है कि बैगूं के एरिया का मामला हो और उसको चित्तौड़गढ में जाकर अपना केस लड़ना पड़े तो यह कहां का मामला है । जहां का मुकदमा हों वहीं पर अदालत में निपटना चाहिये । इसलिए आप इस प्रश्न पर भी विचार करें । यहां पर ला सेक्रेट्री साहब मौजूद है, न्याय विभाग उनके अन्तर्गत हैं, उनको कोर्टों के सम्बन्ध में भी और सारी बातें देखनी चाहिये । उनके पास में इतना बड़ा विभाग हैं, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि यह भैंसरोडगढ का इलाका मध्य भारत की सीमा पर है, राणा प्रतापसागर भी उसके पास ही है । इसलिए दीवानी फैसलों के लिये भी चित्तौड़गढ जाना पड़े यह उचित नहीं है, आपको इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

(श्री चौसरसिंह वाबेल)

इसी तरह से भील लोगों के लिए,गरीब लोगों के लिये समाज कल्याण के बारे में है। मन्त्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनके बारे में एसी बात नहीं कहता। मैं जानता हूं कि उनके विचार अच्छे हैं। लेकिन कृपा करके जो उसमें खामियां हैं उनमें सुधार करें और गरीबों की मदद करें। भील लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। जंगलात वाले उनको बहुत दुख देते हैं। बहुत से आदमियों को जमीनें नहीं मिली हैं। मकानों के बारे में और कई बातों के बारे में आंकड़ों के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरी यह अर्ज है कि इसके बारे में विचार करेंगे।

विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन जब तक सारे आदमियों को जरूरियात की चीजें सुलभ न हों, तरीके से न मिले, इसी तरह से जब तक उनको खरीदने की उनमें पूरी शक्ति नहीं है, तो काहे का विकास है ?जब तक ये बातें नहीं दे सकते तब तक हम नहीं कह सकते कि आप विकास की भावना रखते हैं और जिस ख्याल से विकास को चलाना चाहते हैं उसकी पूर्ति हो गई है।

तो मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में यह कहा गया कि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का पालन नहीं कर रहा है नो उस पर दूसरे सज्जनों की तरह लम्बी चौड़ी बात बढ़ा चढ़ा कर सदन का कीमती वक्त नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सावधान रहने की जरूरत है कोई ऊंच नीच बात हो तो। पहले भी ऐसा हुआ कि मुख्य मन्त्रीजी ने नहीं बताया कि हमारी कितनी चौकियां चली गई। हम कभी कहते हैं और कभी उठ कर बोलते हैं और उसका जवाब नहीं मिलता है तो बैठ जाते हैं, लेकिन इस सरहद के मामले में सावधान रहना राज्य करने वाली पार्टी का कर्तव्य है। सीमा की रक्षा करना, देश में शांति रखना और जनता को रोजी, रोटी और कपड़ा देना यह उसका कर्तव्य है। यदि इसमें असफल रहें तो कोई सफलता प्राप्त नहीं की।

मेरा निवेदन है कि जो खामियां हम लोगों को नजर आई हैं और जो जनता से आपने वायदे किये हैं उनको पूरा करिए। किसान लोग रोजगार के लिए चिल्लाते हैं। गरीब लोगों पर जंगलात वाले अत्याचार करते हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव गांव में जाकर चिट्ठा मिलना चाहिए लकड़ी का। भीलों को जो रियायतें दी गई हैं वे जंगलात विभाग से कुछ नहीं मिलती हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा इन रियायतों को दिलाने के लिए। उनकी पूर्ति करें। भैंसरोडगढ में भीलों को रियायतें नहीं मिल रही हैं। उनके बारे में सोचें और इन्तजाम करें। यही निवेदन करते हुए मैं बैठता हूं।

श्री प्रभूलाल सेन्टर (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सामान्य प्रशासन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अवैधानिकताएं चल रही हैं उनकी ओर सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों में रहता हूं और गांवों में काश्तकार जिस प्रकार से दुखी हैं इस भ्रष्टाचार से और उन अवैधानिकताओं से वह एक करुण कथा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब गांव का काश्तकार अपने किसी काम के लिये, जैसे जलाऊ लकड़ी लाने के

(श्री प्रभूलाल सेन्टर)

लिए या काश्तकारी के लिए लकड़ी लाने के लिए या खेत का इन्तकाल खुलाने के लिए पटवारी के पास पहुंचता है या दीगर कामों के लिए जैसे इन्तकाल की नकल या खाते की नकल की आवश्यकता होती है तो यह बिल्कुल नितान्त सत्य है कि बिना १०-५ रुपये दिये उसको खाते की नकलें नहीं मिलती हैं; इन्तकाल की नकल नहीं मिलती है। अगर किसी काश्तकार का बाप फौत हो जाता है, मर जाता है तो उसका इन्तकाल जब तक वह काश्तकार ५ रुपये फी बीघा की रिश्वत नहीं दे देता है तब तक वह इन्तकाल नहीं खुलता है।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह घटना क्या अनेक घटनाएं हैं। भूमि का एलाटमेंट जो किया जाता है तो पटवारी से नम्बर लिया जाता है। पटवारी जब तक १००-५० रुपये रिश्वत के नहीं ले लेता है तब तक नम्बर नहीं देता है।।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्य प्रशासन और सोशियल वेलफेयर के ऊपर बोलें।

श्री प्रभूलाल सेन्टर : मैं सामान्य प्रशासन में अवैधानिकताएं और भ्रष्टाचार जिस प्रकार का है उस पर निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि जिस तरह की स्थिति है गांवों के काश्तकारों की वह बहुत करुण है। मैं समझता हूं कि इस तरफ हमारे मंत्री महोदय का, हमारे प्रशासन का ध्यान जाना अत्यन्त आवश्यक है, और मैं यह समझ कर चलता हूं कि हर स्तर पर ...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

काफी भ्रष्टाचार है। अवैधानिकताएं हैं। काश्तकार अगर कलेक्टरी या तहसील में पहुंचता है तो वहां के बाबू लोग उसको लूटते हैं। पंचायत समिति के फैसले २०-२० रुपये में बदल जाते हैं। एलाटमेंट की भूमि जो वन विभाग से स्थानान्तरित हुई है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रभूलाल सेन्टर : तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आपके द्वारा जो मैंने यह मन्त्री महोदय से अर्ज किया है वे भ्रष्टाचार और अवैधानिकताओं को दूर करने की कृपा करेंगे।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा समाज-कल्याण विभाग को थोड़ा सतर्क करना चाहता हूं कि यह विभाग पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए अलग से कायम किया गया है, लेकिन एक महोदय ने, एक बड़े नेता ने इस विभाग को इस तरह का बतलाया है कि यह विभाग एक लावारिस का विभाग है। यह लावारिस का विभाग जो लोकप्रिय हमारे राजस्थान के माणिकलालजी वर्मा है जो कि आज एम० पी० हैं उन्होंने कहा है १६ फरवरी को जो समाज कल्याण बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें। उन्होंने इसलिए कहा कि जितना भी समाज-कल्याण के द्वारा इन हरिजनों और आदिवासियों के बीच में जो काम होना चाहिए था वह आज तक नहीं हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि आपने आज तक उन हरिजनों के लिए जिन्हें टट्टी उठानी पड़ती है आज भी हमारे डूंगरपुर में हरिजन सर

(श्री विजयपाल कटारा)

पर टोकरी रख कर, जो टट्टी है, मैला है उसको दूर फैंकने के लिए जाता है, क्या किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ साधन ऐसे तैयार करें कि उनको सिर पर मैला रख कर न ले जाना पड़े। अगर इस तरह का करेंगे तो हरिजन उद्धार का जो आपका नारा है वह भविष्य में जाकर पूरा हो सकेगा, वर्ना आप एक अच्छा बगला बना कर बैठ जायें इससे हमारा काम नहीं होता है। अगर भीखा भाई…

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : भीखाभाई मालदार भाई हो जायें।

श्री विजयपाल कटारा : आदिवासियों के नाम पर मालदार बन जायें। और अच्छा बंगला बनाकर बैठ जायें। यह समाज के आदिवासी समाज के सामने उनको शोभा नहीं देता है। उनको अपने-आप इसके लिए, तैयार होना चाहिए।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य: भीखाभाई ने बंगला कहां बनाया हैं !

श्री जयनारायण सालोदिया :भीखाभाई ने बंगला नहीं बनाया हैं। पर भिखाभाई मालदार होगया हैं।

श्री विजयपाल कटारा : हमारा रिजर्वेशन ६९–७० में जाकर खत्म हो जावेगा फिर हमारा समाज-कल्याण विभाग किस प्रकार से गरीब वर्ग को आगे बढा सकेगा तो उसके लिए मेरा होस्टलों के बारे में निवेदन है कि रिजर्वेशन जब खत्म हो जायेगा उसके बाद में हरिजनों और आदिवासियों को आगे बढाने के बारे में कठिनाई होगी। मेरा निवेदन करना यह है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में इस समय सरकारी कॉलेज होस्टलों के नाम से या आदिवासी होस्टलों के नाम से एक एक बिल्डिंग बना दी जायें ताकि रिजर्वेशन खत्म हो जाये तो एक मकान उनको सुरक्षित मिल सके और जिनकी हालत ठीक होगी वह जाकर बिना किराये इसमें रहकर अपना अध्ययन चला सकें। तो मेरा यही होस्टलों के बारे में कहना हैं तो आप इस बारे में जरूर ध्यान देंगे।

दूसरे, आपने आदिवासियों के लिए कई संस्थाएं जो प्राईवेट रूप से चलती हैं तो इन संस्थाओं में काफी भ्रष्टाचार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन संस्थाओं का समय समय पर ऑडिट नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां एक आदिवासी विद्यापीठ, राजेन्द्र विद्यापीठ के नाम से डूंगरपुर में हैं। उसके अन्दर कन्याएं हैं। तो वहां के जो अध्यक्ष हैं वे चरित्रहीन व्यक्ति है। वहां की लड़कियों के साथ उनकी चरित्रहीनता के नाम से एक काण्ड हो चुका है, और इस काण्ड के जरिये वहां के कांग्रेसी नेताओं ने छोटी मोटी बातें करके इस संस्था पर बहुत बड़ा धब्बा लगाया है। इस राजेन्द्र विद्यापीठ की स्थापना पं० गौरीशंकर जी उपाध्याय ने की थी जो एक माने हुए विद्वान थे और इस संस्था के अध्यक्ष थे। जब तक वे इसके अध्यक्ष रहे तब तक इसकी हालत ठीक रही लेकिन आज उसके अध्यक्ष लड़कियों के साथ चरित्रहीनता का काम करते हैं तो उस महान् व्यक्ति के नाम पर बनी हुई संस्था पर कलंक लगाते हैं ·······

एक माननीय सदस्य : क्या नाम था उनका ?

श्री विजयपाल कटारा : राजेन्द्र विद्यापीठ ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष का क्या नाम है ?

श्री विजयपाल कटारा : उनका नाम हरिकिशनजी है । वे इसके चेयरमैन हैं । इन्क्वायरी करके देखिये । एक लड़की के बारे में उनके खिलाफ पुलिस केस भी बन चुका है, लेकिन कांग्रेस की प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए उनका केस दब गया है ।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज कल्याण विभाग ने रिजरवेशन रखा है आदिवासियों के लिए और हरिजनों के लिये १२ परसेन्ट सरविसेज दिलाने के बारे में । लेकिन मैं आपको एक लिस्ट पेश करना चाहता हूं उससे पता चलेगा कि हमारे कितने आदमी एम० ए० और बी० ए० पास अनएम्पलोयड बैठे हैं और घूमते फिरते है । १३ आदमियों में से २ सिर्फ आदमी सर्विस पर लगे हुए हैं उनमें से एक आदमी को २५०) रु० मिलते हैं और दूसरे को १२० हैं और एम०ए० सैकन्ड डिविजन ज्योग्राफी में दोनों व्यक्ति हैं । मैं निवेदन करूंगा कि ५ बी. ए. के आदमी हैं और ८ आदमी एम. ए. पास हैं । आज वे मारे मारे गांवों में भटक रहे हैं । मैं यह लिस्ट सदन की मेज पर रखूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि आदिवासियों में से अच्छे पढे लिखे लोग एम.ए.तक पडे हुए बगैर एम्प्लॉयमेन्ट के घूम रहे हैं । सरकार के लिये शर्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमको आजादी के पूर्व जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं हुआ । हम चाहते थे कि हमारे पढे लिखे लोग गजेटेड पोस्ट्स पर लग जाते और उनको आई. ए. एस. और दूसरी अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई जाती लेकिन कुछ नहीं हुआ । उच्चशिक्षा के लिये उनको अधिक से अधिक स्कालरशिप वगैरा देने की जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक उच्च शिक्षा पाने में असमर्थ रहेंगे ।

दूसरी बात मैं होस्टल के संबंध में टेक्निकल बात निवेदन करूंगा, समाज कल्याण बोर्ड की मीटिंग में भी मैंने कहा था, रजाई और गदेलों के लिये ५ साल में पैसा मिलेगा तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो एक गदेला और रजाई के लिये पीछे पीछे घूमता फिरेगा । आपका जो समाज कल्याण का कानून है । वह लंगड़ा है । इस लंगड़े कानून में सुधार करिये । हमको होस्टल चलाने में आपत्ति आती है इसको दूर करें । आपने यह बताया कि गर्मी की छुट्टियों में होस्टल के लिये जो मकान किराये पर लिया हुआ है उसको छोड़ दिया जायगा और जो व्यवस्थापक होगा उसको भी छोड़ दिया जायगा । प्रशासन के लिये हमको जो खर्चा मिलना चाहिये था वह भी नहीं दे पा रहे हैं यह भी हमें टेक्निकल आपत्ति है । मकान छोड़ कर आषाढ़ में कहां जायेंगे इसलिये पूरे साल का किराया देने की व्यवस्था करनी चाहिये । और जो सीलिंग रेट तय की है वह आपने २८) और ३१) छात्रवृत्ति के लिये तय किये हैं लेकिन आप सीलिंग के आधार पर जो नयी रेट बताते हैं वह २५) रु० के आस पास ही आती है । १० परसेन्ट आप सीलिंग में काटते हैं और १० परसेन्ट और लेते हैं इसलिये हमारे २५) रु० छात्र पर बैठते हैं इसलिये निवेदन करूंगा कि होस्टल चलाने के लिये बड़ी कठिनाई आती हैं । फीस वगैरा भी इतनी बढ़ गई है कि प्राईवेट होस्टल चलाते हैं तो भी महंगी

(श्री विजयपाल कटारा)

पड़ती है। कालेज वालों की तरह ६०) ८०) या ५०) रु० छात्रवृत्ति मंजूर करनी चाहिये तभी जाकर लड़के पढ़ सकेंगे।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं था and you have been taking chance every time श्री काला बादल।

श्री श्रवणलाल : सिर्फ दो मिनिट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप अपना वादा कायम रखेंगे।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि जिस तरह हमारे छोटे तबके के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये सरकार लाखों करोड़ों रुपये हर साल खर्च करती है लेकिन वह जितना रुपया खर्च करती है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है जितना बजट स्वीकृत होता है वह यदि सही ढंग से गरीबों के लिये लगाया जाय तो आज गरीब वर्ग ऊंचा उठ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं आप किसी जगह देख लीजिये होस्टलों में लड़कों के लिये बैठने को जगह नहीं है, कहीं सोने के लिये जगह नहीं है, कहीं पर आठ आठ दस दस लड़के एक एक छोटी छोटी कोठरी में रहते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही खराब है कहीं कहीं पर बच्चों के खाने के लिये जो आटा दिया जाता है वह बिल्कुल खराब दिया जाता है। इसके साथ साथ उनको जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनकी इस प्रकार सरकारी ओफिसर्स अवहेलना करते हैं कि टाइम पर फार्म नहीं दिया जाता और यदि कोई फार्म देते हैं तो उनमें हर प्रकार से मिस्टेक या गल्ती बता कर लेप्स कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे मंत्री इस विभाग में होते हुए भी इसकी कमियों को नहीं निकालेंगे तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे वर्ग के साथ जिस तरह से पहले अन्याय हुआ करता था उसी तरह आज भी अन्याय होता है इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। अभी कुछ दिन पहले भरतपुर में श्री चिरंजी लाल जो बंदे की हाट में रहते थे उनको जिगर की बीमारी थी। इस बीमारी के कारण वे सवाई मानसिंह होस्पिटल में आये और ५-३-६६ को भर्ती हुए। हमारे इस बड़े अस्पताल में किस प्रकार की अव्यवस्था है यह मैं बताता हूं। यहां पर जो डाक्टर हैं वे अन्ट्रेन्ड डाक्टरों के भरोसे काम छोड़ देते हैं। बिना किसी की स्वीकृति लिये, बिना इजाजत के ये ट्रेनिंग पाने वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी तरह के एक डा० नरपतसिंह ने दिनांक १२-३-६६ को दिन में १० बजे उस जिगर के बीमार को सुई लगाई। वे प्रेक्टिस कर रहे थे सुई लगाने की। बगैर बड़ डाक्टर को इन्फोर्म किये उन्होंने सूई लगादी और उसके कारण क्या होता है कि

(श्री श्रवणलाल)

उसका ब्लड निकलने लगा जो रुक नहीं पाया और उसी तारीख को दिन के १२ बजे उसका देहान्त हो गया।

(४ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह मांग करूंगा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से वहां पर मरा है तारीख १२ को, वह जिस तरह से मरा है, और इस तरह से छोटे वर्ग के हाथों से, जो व्यक्ति प्रेक्टिस करते हैं, उनके हाथों से कार्य किये जाते हैं और इस प्रकार जो सीखने की व्यवस्था में हैं ऐसे लोगों के हाथों से ऐसे कार्य किये जाते हैं इसकी बिल्कुल इन्क्वायारी की जाय और मालूम किया जाय कि वह किस तरह से मरा है और उसको बड़े डाक्टर क्यों नहीं बचा पाये थे।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय इसके ...

श्री उपाध्यक्ष : Thats all. कालाबादल और श्री जेठमल Anybody.

भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग इन दो विभागों के बारे में कट मोशन पर बहस हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जनतन्त्र को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी हमारी राजस्थान सरकार के केबिनेट की है आज सरकारी मशीनरी को हम जिस प्रकार से चलायेंगे वैसे ही चलेगी क्योंकि वह तो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको तो जिस प्रकार से हुकुम देंगे उसी प्रकार से उनको चलाना पड़ेगा। इसलिए सरकारी मशीनरी की कमजोरी या खराबी बताना मैं उचित नहीं समझता। वह इसलिए नहीं समझता कि यदि मशीनरी खराब हो जाती है तो वह ठीक करने के लिए इन्जीनियरों के पास जाती है। और यदि इन्जीनियर उस खराबी को ठीक नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं कि वह इन्जीनियर की पोस्ट के योग्य नहीं हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : शाबाश ! हम दाद देते हैं तुम्हारे ख्याल की।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यदि बस का ब्रेक डाउन हो जाय और वह इन्जीनियर के पास जांच के लिए ले जाई जावे और इन्जीनियर को मालुम हो जाये कि ब्रेक डाउन है और फिर भी वह मशीनरी के बारे में कह दे कि ब्रेक डाउन नहीं है तो इसका नतीजा क्या होगा ? खराब मशीनरी अगर चलेगी तो उससे जनता को खतरा हो सकता है सवारियों को खतरा हो सकता है।

श्री अब्दुल जब्बार : शाबाश !

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : इसलिए जनता के साथ होने वाले खतरे की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल की है यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा होता है।

श्री अब्दुल जब्बार : शाबाश! शाबाश।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : हमारे मंत्रिमण्डल के लोग जिस प्रकार से इन सर्विसमैनों को चलायेंगे उन्हें उसी तरह चलना पड़ेगा। आज जनतन्त्र को चलाना चाहते हैं, हमारी तीन सरकारें बदलती हैं, जनतंत्र के पन्द्रह साल से हर पांचवें साल हमारी

(श्री भैरवलाल "कालाबादल")

कांग्रेस की सरकार बनती है । वह हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है ।

श्री अब्दुल जब्बार : तीन ही पहाड़ हो गई हैं ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : जनतन्त्र को चलाने के लिए तीन बार सरकार बन चुकी है । पहली जो सरकार बनी थी उसको मैं मानता हूं वह फर्स्ट डिविजन थी जो १९५१ में आई, उसके बाद जो सरकार बनी वह सेकिण्ड डिविजन बन गई ...

श्री अब्दुल जब्बार : और यह थर्ड डीविजन है ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : और तीसरी सरकार थर्ड डिवीजन है, जैसा विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहें है यह भी मैं मानता हूं और आगे जो चौथी सरकार बनेगी वह मशीनरी को ठीक तरह से चलाने वाली नहीं हो सकती क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में वह चतुर्थ श्रेणी की सरकार बन जायगी । इसकी सारी जिम्मेदारी इस जनतन्त्र को चलाने वाले वर्तमान मंत्रिमण्डल के ऊपर हैं । यदि मंत्री महोदय आज सिफारिश करने लग जांय गलत व्यक्तियों की जो न्याय संगत नहीं है वैसे उनको साफ जवाब दे देना चाहिए कि गलत व्यक्ति की तरक्की नहीं करेंगे लेकिन आप मंत्रिमण्डल के सदस्य होकर जब गलत तरीके से सिफारिश मान लेते हैं या सिफारिश कर देते हैं तो सरकार के नीचे के लोगों को भी मंत्री महोदय से सिफारिश करने का मौका मिल जाता है । इसलिए हमारे यहां जो जनतन्त्र है, जिसको हम जनतन्त्र कहते हैं वह धीरे धीरे सिफारिशी राज्य में बदलता जा रहा है । मैं कहता हूं कि सही तरीके से जनतंत्र को चलाना है तो गलत सिफारिश किसी की नहीं होनी चाहिए और योग्यता के आधार पर तरक्की होनी चाहिए और जिसका अधिकार है उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए । गलत आदमी कोई भी हो उसको साफ जवाब देना चाहिए । यह सही तरीका जनतंत्र चलाने का है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की बात कहने के पहले मैंने जनतन्त्र के बारे में थोड़ा कह दिया । अब समाज कल्याण की बात यह है, कई बार समाज कल्याण सलाहकार समिति की मीटिंग में यह कह दिया जाता है कि छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी गई है वह छात्रवृत्ति पहुंच गई है क्योंकि हम सलाहकार समिति में जब भाग लेते हैं तो कहते हैं कि परीक्षा में शामिल होने के वक्त तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती है । छात्रवृत्ति मिलने की आशा में वह लोग कर्जा ले लेते हैं, लेकिन अन्त में उनकी छात्रवृत्ति नामंजूर हो जाती है तो वह आगे पढ़ने से रह जाते हैं । मंत्रीजी ने इसका जवाब भी दिया है कि तीसरे महीने के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृत हो जायगी और स्कूलों में पहुंच जायगी । मैं आपको निवेदन करूं कि अभी मैं कोटा गया था, कोटा के हायर सेकण्डरी स्कूलों के छात्रों से पूछ कर आया हूं कि छात्रवृत्ति मंजूर होकर आई है या नहीं । लेकिन वहां अभी तक छात्रवृत्ति नहीं पहुंची है । मेरा निवेदन है कि आप समाज कल्याण की और योजनायें भले ही बन्द कर दें लेकिन छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाय इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करदें । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छः छः महीने में समाज कल्याण के डाइरेक्टर

(श्री भैरवलाल "कालाबादल")

समाज कल्याण के आफिसर न बदले, मंत्री न बदले। इसका नतीजा यह होता है, जो पहले खराबी हो गई है, उसको छुपाने के लिए जो नये मंत्री बना दिये जाते हैं, नये डाइरेक्टर बना दिये जाते हैं उनसे कहते हैं तो जवाब दे देते हैं कि यह मेरे जमाने में बुराई नहीं हुई थी। हां भाई बुराई तो हुई लेकिन उसको ठीक तो कर दो। मैं समझता हूं कि उचित यह है कि बार बार इस डिपार्टमेंट में बदली न करें और जिम्मेदारी के साथ काम करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष !

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : एक मिनट ही बोलना था।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : यह समाज कल्याण की मांग है, इस पर सब शिड्यूल्ड कास्ट के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूं, समाज कल्याण पर एक मिनट और बोलना चाहता हूं।

हमारे श्री माणिक लालजी वर्मा ने जो काम किया है आदिवासी बालिकाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा की ओर जो वर्मा जी का ध्यान गया है, मैं उसके लिये वर्मा साहब को धन्यवाद दूंगा। आज स्थिति यह है कि एक तरफ इनसे लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं उधर वर्मा जी द्वारा लड़कियों के छात्रावास चल रहे हैं। लेकिन आज मंहगाई के जमाने में एक तरफ बालिकाओं को सिर में तेल डालने के लिए तेल चाहिए, तो रिबन भी लगाती हैं और शायद पाउडर भी लगाती हैं और उन्हें साबुन भी चाहिए। उसके लिए उन्हें खर्च करना पड़ता है अगर उन्हें छात्रवृति के पच्चीस रूपये मिलें तो कैसे काम चल सकते हैं। इसलिए चालीस रुपये उन छात्राओं को मिलने चाहिएं। तो एक तो छात्रों को छात्रवृति की ओर ध्यान दें और दूसरें मैं कहता हूं कि बालिकाओं को ज्यादा छात्रवृत्ति दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री जेठमल बरबड (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कट मोशन है। मैं कटोती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए दो मिनिट लूंगा।

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा-सू.): समाज कल्याण विभाग के सवाल पर बहुत से बोलने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें समय और मिलना चाहिए। हम रोजाना देखते हैं कि ज्यादा समय मिलता है।

श्री जेठमल बरबड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती का प्रस्ताव है समाज कल्याण पर। मेरा प्रस्ताव हैं, समाज कल्याण पर उसमें मैंने लिखा है कि नागौर जिले के अन्दर ·······

श्री उपाध्यक्ष महोदय: तीन मिनिट बोल लें।

श्री जेठमल बरबड़ : डेगाना और मेड़ता में शिड्यूल्ड कास्ट के होस्टल खोलने चाहिए। नागौर के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या डेढ़ हजार से ज्यादा है। मैं नहीं कहता कि सरकार ने छात्रावास नहीं खोले। सरकार ने छात्रावास खोले हैं लेकिन

(श्री जेठमल बरबड़)

मेड़ता सब–डिवीजन ऐसा है जिसके अन्दर काफी जन संख्या में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं लेकिन छात्रावास न होने की वजह से जो आस पास से बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको मेड़ता में आने के अन्दर और पढ़ने के अन्दर काफी खर्च का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ डेगाना तहसील है उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की संख्या काफी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डेगाना के अन्दर भी एक छात्रावास खोलना चाहिए। दूसरे मंत्री महोदय ने हमारे नागौर जिले के अन्दर एक बावरियों का छात्रावास खोला है। बावरियों की संख्या भी हमारे नागौर जिले में काफी है। मैं इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक छात्रावास हमारे परबतसर तहसील में खोला जाय। इसके अलावा दूसरी बात न कह कर मैं दो बात शिड्यूल्ड कास्ट के ग्राम हित की बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले के अन्दर बहुत से अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके पास जमीन हैं, वह जमीन बेकार हैं इसलिए उन जमीनों के अन्दर वह कूए खोदना चाहते हैं। कूए खोदने के लिए जो पंचायत समिति को कर्ज के रूप में धनराशि मिलती है इससे अनुसूचित जाति के लोगों के, हरिजन लोगों के कूए खोदे नहीं जाते हैं। इसलिए मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति के जहां सौ हाथ से गहरे कूए खुदते हैं वहां के लोगों को कूए बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐड मिलनी चाहिए।

दूसरी बात मैं आपसे कहूं छात्रावास के बारे में कि माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि छात्रावास की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था बिल्कुल खराब है, व्यवस्था तो ठीक है थोड़ी बहुत खामियें हैं उसको भी सरकार दूर करे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि छात्रावास में नोन रेकरिंग ग्रान्ट नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि पिलंग या बिस्तर या दूसरी दरी वगैरा की जरूरत पड़ती है वह गरीब बच्चों को नहीं मिलती और वे गरीब बच्चे छोटे मोटे फटे गूदड़े लाते हैं और उसमें रहते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे नागौर जिले में जितनी संस्थाएं स्कूल चलाती हैं उनको नोन रिकरिंग ग्रान्ट मिलनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि बजट कम मिलता है इसलिए हम लोगों को जितना फायदा मिलना चाहिए नहीं होता। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संस्था चलाते हैं उन लोगों को आदेश दिया जावे कि वे फालतू पैसा खर्च न करें और वह पैसा छात्रावास चलाने के प्रयोग में लें। वे किताबें छपा छपा कर सारा पैसा फालतू खर्च कर देते हैं और सही माने में वह पैसा खर्च होना चाहिए नहीं होता। इसलिए इन सब संस्थाओं को हिदायत दें कि वे छात्रावास के कार्य पर पैसा खर्च करें और इस प्रकार फालतू पैसा खर्च न करें।

श्री नाथूराम (बागी डोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में सुधार जरूर हुए हैं यह मैं जरूर कहूंगा लेकिन एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब लोग तकावी और अनुदान के लिए जब लेने

(श्री नाथूराम बागीडोरा)

के लिए जाते हैं तो उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार वहां पर बीज के लिए जाते हैं उनको बीज नहीं मिलते इसलिए मेरी मांग है कि इसके लिए उनका प्रबन्ध होना चाहिए कि उनको समय पर बीज मिल सके। इसके अलावा जिले में जो कर्मचारी होते हैं वे भी काश्तकारों को परेशान करते हैं और रिश्वत उनसे लेते हैं। आपने सप्लाई विभाग खोल रखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एनफोर्समेंट ऑफीसर और इन्सपेक्टर जो सप्लाई विभाग में होते हैं वे हजारों रुपया रिश्वत लेते हैं उनको परेशान करते हैं। इसलिए उनको परेशानी से रोका जाय।

समाज कल्याण के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछड़ी हुई जातियों के लिए राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया है लेकिन वास्तव में काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। समाज कल्याण विभाग में काम करने वाले लोग गहरी नींद में सोये हुए हैं। बांसवाड़ा जिले में माननीय मंत्री महोदय को दौरा करना चाहिए और उदयपुर डिविजन में हजारों लाखों आदिवासी रहते हैं उनकी क्या हालत है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पंचायत समितियों में उनके आवेदन पत्र आते हैं उनको लाग दबा देते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि लोगों को छात्रवृत्ति दी जावे जब पिछड़ी हुई जातियों और वर्ग के लड़के और लड़की पढ जावेंगे तो उनकी तरक्की हो जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम मीटिंग में जाते हैं तो यही मांग करते हैं। हजारों की संख्या में साइन्स में पढ़ने वाले लड़के छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे मिडिल स्कूल सेकेन्ड्री स्कूल और कालेज है वहां पर छात्रावास का प्रबन्ध होना चाहिए। जिससे कि गरीब जातियों के लड़के तरक्की कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा यही निवेदन है कि पिछड़े वर्ग के लड़कों के लिए छात्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए।

सिंचाई के बारे में कहूंगा कि कुओं के लिए बहुत कम रकम दी जाती है। हमारे उधर पहाड़ी इलाका है वहां पर ५०० रू. में कुआ नहीं खुद सकता जो ५०० रू० कुए के लिए दिए जाते हैं वह बहुत कम हैं। वहां पर कम से कम दो हजार रुपये खर्च किए बगैर कुआ बन नहीं सकता। जब कुए नहीं बनते तो फिर सिंचाई कहां होगी। आज हमारे यहां पर हजारों कुए यों ही पड़े हुए हैं उनमें पानी नहीं आता। इसलिए सरकार से मेरी यही मांग है कि सिंचाई और खेती के साधनों के लिए जल्दी से जल्दी धन राशि देने की व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त १२।। परसेन्ट रिजर्वेसन सर्विसेज के लिए है। मैं कहूंगा कि आपने इसके लिए कानून तो बना दिया लेकिन लोगों को जगह नहीं मिलती है। उनको कानून के अनुसार १२।। प्रतिशत जगह सर्विसेज में मिलनी चाहिए। आज कई आदिवासियों के लडके इन्टर मेट्रिक, बी. ए., एम. ए. तक पढे हुए हैं। मगर उनको जगह नहीं मिल रही है और आपके १२।। प्रतिशत का कानून है वह वैसे ही कागजों में रह जाता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन लोगों को सर्विस में लिया जाना चाहिए। कानून आपने बनाया मगर उसका पालन नहीं होता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए

(श्री नाथूराम बागीडोरा)

सागड़ी प्रथा का जो कानून बना है उसका पालन नहीं हो रहा है मैंने कई बार माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया कि समाज कल्याण विभाग से जल्दी से जल्दी सर्वे होनी चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए मगर समाज कल्याण विभाग सोया हुआ है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो कानून आदिवासियों की भलाई के लिए बनाये गए हैं उनकी पूर्ती होनी चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो कानून बने हुए हैं उनका पालन होना चाहिए।

(समय–समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया है मंत्री मंडल में इस संकट काल के समय में जो वृद्धि की है वह इस सरकार के लिए उचित नहीं है और इससे सरकार की स्पष्ट कमजोरियां झलकती हैं। यह कांग्रेस पार्टी ग्रुप की प्रति क्रिया है और यही कारण है कि हमारी जनता के इस टैक्स के पैसों से हमने जो इस भूल को मिटाने की कोशिश की है जनता के साथ धोखा है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे अपने भाषण में यह बतावेंगे कि जब वे सदस्य मंत्री मंडल में नहीं थे और कम थे तो किस तरह से काम होता था और अब जब चार सदस्य की भर्ती हो गई तो कितना काम अच्छा होने लगा। कितना जनता को रीलीफ दिया गया। इस तरह के आइडिया चीफ मिनिस्टर बतावेंगे।

हमारे यहां पर मारवाड़ी में एक कहावत है एक ठाकुर साहब थे उनकी एक घोड़ी थी। उस पर एक दरोगा था। जब लोगों ने जाकर ठाकुर साहब से कहा कि घोड़ी दुबली होती जा रही है। उसकी सब फाइल वगैरह जब ठाकुर साहब के पास जाती तो ठाकुर साहब उस पर लिखते कि बढा दरोगा। जब दो चार महीने बाद फिर फाइल उनके सामने आई तो उन्होंने कहा कि बढा दरोगा। पहले एक दरोगा ही खाता था, अब दो तीन दरोगे होने से दो तीन दरोगे खाने लग गए। इस तरह से जितनी बार फाइल ठाकुर साहब के पास जाती उतनी बार वे यही कहते कि बढ़ा दरोगा। इसी तरह के आर्डर बढ़ा दरोगा करके हमारी सरकार जनता का भला करना चाहती है, वह नहीं हो सकता। समय समय पर जनता के हित में पैसा खर्च होना चाहिये, मंत्री मंडल की वृद्धि में पैसा खर्च होना चाहिये। वृद्धि भी ऐसे मंत्रियों की है जिनको जनता ने अपने क्षेत्र में पसन्द नहीं किया है। ऐसे मंत्री को हमने रखा है। जनता का जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व होना चाहिये वह नहीं करके हमने एक तरह से भानुमति के कुनबे की तरह से कहीं की इंट और कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुम्बा जोड़ा वाली कहावत चरितार्थ की है। यह मंत्रि-मंडल समझ में आने की बात है। समझ में नहीं आता कि किन कारणों से यह बात की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब एक बात मंत्री मण्डल के एक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा, वह हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसलिए हम उनसे विशेष सम्बन्धित हैं। उनको टोंक की जनता ने मालपुरा के उनके निवास स्थान से ६००० वोटों से हराया, राजस्व मंत्री होते हुए उन्होंने मालपुरा से चुनाव लड़ा, उन्होंने मालपुरा की

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जनता की कितनी सेवा की, यह तो वहां की जनता ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया पर मुख्य मंत्रीजी ने उनकी बहुत कमी महसूस की होगी, शायद उनको नींद नहीं आई होगी। उनको ऐसा तिकड़मबाज, हथकण्डेबाज, मंत्री भी चाहिये इसलिये उनको बुलाया गया, दूसरी जगह से चुनाव लड़ा कर बुलाया गया।

मैं एक बात उनके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं, जब से वे मंत्री थे, एम.एल. ए. थे, जब से वे राजनीति में आये, टोंक की जनता पर उनका आतंक सा छा रखा है। उस आतंक का जरिया है सरकारी मशिनरी, सरकारी मशीनरी से अपना आतंक और अार कायम रखना चाहते हैं। जनता पर जुल्म करके इस तरह के हथकंडे अपना रखे हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि हमने समय समय पर आपके चेम्बर में, बंगले पर जा कर आपसे अर्ज किया कि टोंक डिस्ट्रिक्ट के हित में, वहां की जनता के हित में जो इनके गुर्गे, मोहरे इन्होने वहां फिट कर रखे है, उनको जरा कम कीजिये, जिससे हमे महसूस हो कि आजाद हिन्दुस्तान में हम रहते हैं, प्रजातन्त्र में हम रहते है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां प्रजातन्त्र जैसी कोई चीज नहीं है। वहां एकतन्त्र शासन है दामोदरजी का। वहां इनके आदमी आठ, आठ दस दस, बारह बारह साल से बैठे हुए है। निवाई के तहसीलदार को ले लीजिये, वह इनके छोटे भाई का साला है, ८ साल से निवाई में बैठा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होने आठ साल में ८०० फाइलों का फैसला नहीं किया है। आज निवाई में यह हालत है कि रोज तहसील में किसानों का मेला लगता है, उनकी पेशियां पलट दी जाती हैं और लोग चले जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो उसके उत्तर में सरकार ने कहा कि ६०० फाइलें निवाई तहसील में पेंडीग हैं। आप किस तरह की बात करना चाहते हैं। हमने ८ साल भुगत लिये हैं, अब तो उनको दूसरी जगह भेज दीजिये, पर हमारी बात नहीं सुनी जाती हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मालपुरा के तहसीलदार को वहां १३ साल हो गये, अभी अभी ट्रांस्फर हो गया, क्योंकि दामोदरजी नहीं चाहते थे, बी. डी. ओ बना कर रखा, गोयल सहाब ने एस. डी. ओ. के बारे में कहा है. मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता व इस तरह से ऑफिसर्स पांच, पांच, छः छः और आठ-आठ साल से टोंक में जमें बैठे हैं। उनको यह मनोवृति हो गई है कि दामोदरजी को खुश रखना है, जनता जाय भाड़ में।

मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अगर आप भी इस तरह की बात सुनने में संकोच करेंगे स्ट्रोंग कदम नहीं उठायेंगे तो शनैः शनैः आपके प्रति भी हमारी वही भावना होती जायगी।

माननीय उपाध्यक्षजी,...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में एक बात कहूंगा। समाज कल्याण विभाग की मांग रखी गई है. समाज कल्याण मंत्रीजी से मुझे कोई द्वेष नहीं हैं। मैं उनको योग्य मानता हूं मगर अगर वह यह आकर कुछ काम नहीं करें, हमारे हकों के लिये नहीं लड़ें क्योंकि वे यहां हमारे प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं, सही

(श्री जयनारायण सालोदिया)

प्रतिनिधित्व नहीं करें तो उनकी ईमानदारी को, उनकी योग्यता को, उनके भोलेपन को शहद लगाकर चाटें क्या। हम चाहते हैं कि वे काम करें इसलिये उनसे कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की तब से बदतर हालत होती जा रही है। अनाथालयों जैसा डिपार्टमेंट कहां गया, छात्रवृतियों का काम कहां गया, जबसे समाज कल्याण विभाग के पैसों का डीसेंटरलाइजेशन हुआ है शिक्षा विभाग के पास शिक्षा का काम, समाज कल्याण विभाग से खर्च होने वाला सिंचाई का पैसा सिंचाई विभाग के पास, स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला हैल्थ विभाग के पास गया है तब से समाज कल्काण विभाग निर्जीव और खोखला सा हो गया है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस ओर थोड़ी सी भी चिन्तित है, इन लोगों को उठाना चाहती है तो इस प्रकार की बात क्यों करती है। पहले मकानों के लिये, बैलों के लिये, कुओं के लिये, छात्रों को सहायता के रूप में छात्रवृति देने के लिये पैसा समाज कल्याण विभाग से मिलता था अब मकानों के लिये कुओं के लिये पंचायत समितियों में जाना पड़े तो यह समाज कल्याण विभाग निर्जीव सा हो गया है, यह निर्जीव समाज कल्याण है। इसलिये सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह हमारे हित में कुछ भी करना चाहती है तो समाज कल्याण के कार्य जो दूसरे विभागों में दे दिये हैं वे वापिस समाज कल्याण विभाग को दिये जायं। यह हम महसूस करते हैं कि समाज कल्याण से जो प्रवृतियां दूसरे विभागों को दी है इससे न छात्रों को समय पर छात्रवृति मिलती है, न कुओं के लिये समय पर सहायता मिलती है, न बैलों के लिये न मकानों के लिये और न अन्य सहायता कार्यों के लिये ही समय पर सहायता मिलती है।

इतना ही निवेदन कर के मैं उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वराज्य की कल्पना रामराज्य को ले कर चली है तो मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा कि राम राज्य में एक धोबी थोड़ी सी भी सती सीता की बुराई कर देता है तो श्री राम उसे त्यागने को तैयार हो गये थे तो जो तथ्य शासन के बारे में यहां रखे जायं तो वे स्ट्रोंग एक्शन ले। दूसरे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय नेहरूजी ने हमें नारा दिया था कि "आराम हराम है" पर आज आपके अधिकारी और उच्च श्रेणी के लोग आराम में मस्त हैं, एसोइशरत में लगे हुए हैं। एक ओर जब हमारा देश संकट की घड़ियों से गुजर रहा है तो उन लोगों में कितनी कर्त्तव्य क्षमता होनी चाहिये, उन्हें अपने कर्त्तव्य की ओर कितना अग्रसर होना चाहिये, पर आज इसके विपरीत वे आराम में लगे हुए हैं, ऐश करते हैं यह किसकी जिम्मेदारी है, इसपर आप विचार करें। आप राजस्थान में सबल प्रशासक हुए हैं, पर इसके साथ ही साथ कुनबा परस्ती, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का यहां बोलबाला हो रहा है, इस पर भी कन्ट्रोल करना आपकी ही जिम्मेदारी है। एक ओर एक गरीब मजदूर और गरीब किसान दिन भर कड़ी धूप में कठिन परिश्रम कर

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

है दूसरी ओर आपका अधिकारी वर्ग ऐशो आराम में मस्त है, सेक्रेटेरियेट में ठंडी छाया में बैठा है, पंखे की हवा के होते हुए भी कूलेर और खस के टाटों का प्रबन्ध उसके लिये किया जाता है. वह ठंडी हवा में बैठा आराम करता है क्या वह आज महसूस करता है कि आज का काम आज ही समय पर होना चाहिये ? क्या आप उसके लिये मानते हैं कि आज का काम आज ही हो रहा है. आप मानें तो आपकी मर्जी है. पर आज राजस्थान की जनता महसूस करती है कि सस्ता न्याय उसे नहीं मिलता, अदालतों में तारीखों पर तारीखें बदली जाती हैं, आज का काम आज तो क्या अत्यधिक समय निकल जाने पर भी नहीं होता है, आपके सारे नियम और रेगुलेशन्स धरे ही रह जाते हैं, कई बार इस बारे में आपको लिखा है, पर कोई सुनवाई नहीं।

आपने बूंदी में ७ वर्ष से एक ही एस० डी० एम० को बैठा रखा है, बार एसोसियेशन ने कई बार लिखा, पर कोई सुनवाई नहीं। हो सकता है कि इसमें राज हो, पर बूंदी की सारी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वहां चार-चार महीने में कलेक्टर बदले जाते हैं, यह चार-चार महीने में कलेक्टर बदलने का क्या कारण है ? वहां अन्न उत्पादन की चम्बल की समस्याएं हैं तथा और कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, वहां कलेक्टर को तो चार-चार महीने में बदल देते हैं पर एस० डी० एम० को ७ साल से क्यों बैठा रखा है ? उनके मुकद्दमों को देखिये, कोई काम नहीं हो पा रहा है।

आपने राजाओं का राज हटाया था तो कांग्रेस ने आन्दोलन किया था बेगार प्रथा के खिलाफ तो आप मान कर चलते हैं कि बेगार किसी से नहीं ली जायगी। पर आज आपके राज्य में छोटे कर्मचारियों से बड़े अधिकारी बेगार लेते हैं, नियमों के अनुसार आपका कार्य का क्या समय है, पर आपके अधिकारी छोटे कर्मचारियों से अपने घर पर सब काम लेते हैं. आपके बड़े अधिकारी किस समय उन्हें छोड़ते हैं बड़े कर्मचारियों को उनके बच्चे को खिलाना पड़ता है और उन्हें उनके कार्य के समयसे बहुत अधिक समय तक रोके रख कर काम लेते हैं क्या इन छोटे कर्मचारियों के घर में बाल-बच्चे नहीं है ?

आप अपने अधिकारियों को इस बात के लिए सूचित कर दें कि अगर नौकरों की जरूरत हैं तो अपने प्राइवेट नौकर रखें जो उनको इतनी तनख्वाहें मिलती है वह किस लिए मिलती हैं। ये गरीब चपरासी हैं इनके भी बच्चे होते हैं, इनके भी बीमारियां होती हैं, दवा दारू की जरूरत होती है, बाजार में भी जाना पड़ता है। आपने नारा दिया है कि बेगार की प्रथा को खतम करो तो मैं आपके ऊपर चार्ज लगाता हूं कि आपके राज्य में इन गरीब कर्मचारियों का शोषण बढ़ रहा है. आपके अधिकारी इनसे बेगार लेते हैं, आप बेगार को मिटा नहीं सके बल्कि आप और थोप रहे हैं तो मुख्य मंत्रीजी इस समस्या पर उदारतापूर्वक विचार करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्षजी, सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग को लेकर सदन में आज जो वादविवाद हुआ उसमें कई प्रश्नों को उठाया गया। सरकार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को, आई० ए०एस० ऑफीसर्स ज्यादा बढ़ गए और बहुत

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सी चीजें साथ में आई। यह भी बताया गया कि शासन के अंदर ज्यादा कमियां आ रही हैं और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि आज सारे देश मे पिछले कुछ समय से मंहगाई बढ़ने की वजह से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रश्न को हल करने के बारे में भी प्रयत्न किए गए हैं। राजस्थान की आर्थिक क्षमता जितनी है वह सदन के माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। यह वर्ष दुर्भाग्य से अकाल का वर्ष होने की वजह से और भी जो परेशानियां हैं वे हमारे सामने हैं। इन सब बातों के होते हुए भी राज्य कर्मचारियों के हित की दृष्टि से सरकार नहीं सोचती हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वित्तमंत्रीजी के भाषण के अंदर कहा गया था कि बजाय इसके कि हम कैश में कुछ बढ़ोतरी करें, इस नीति को अपना कर चलना चाहते हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को एक निश्चत कीमत पर कम वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को सरकारी भंडारों के द्वारा या उन्हीं के ही सहकारी भंडारों के द्वारा उपलब्ध करवाएं। इस बात को आम तौर से स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से माना गया है और राज्य कर्मचारी भी इस बात को जानते हैं कि जब कभी महंगाई बढ़ी हैं तो उस मंहगाई के बढ़ने के साथ बाजार के अंदर कीमतों के अंदर भी चढ़ाव आया है।

अभी कुछ दिन पहले जब भारत सरकार के वित-मंत्री ने इस मंहगाई भत्ते के संबन्ध में एक बैठक बुलाई थी तो उस बैठक के अवसर पर श्री अशोक मेहता ने एक ग्राफ तैयार करवा रखा था पिछले कुछ वर्षों का जिससे यह जाहिर होता था कि जब कभी मंहगाई बढ़ाई गई है तत्काल मार्केट के प्राइसेज के अन्दर भी बढ़ौतरी हुई है और इससे राज्य कर्मचारियों को भी जितना बेनीफिट मिलना चाहिये उस मात्रा के अन्दर नहीं हो पाता है। इसलिये वहां पर यह विचार चल रहा है. और यहां हमने इस वर्ष इस नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से इस बात का फैसला किया है कि हम स्टोर्स के जरिये कुछ आवश्यक वस्तुएं जो अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आवश्यक हैं, उन चीजों को निश्चित तौर से उपलब्ध करावें और इस दिशा में एक योजना कि कौन कौनसी कमोडिटीज उसमें रखी जायें और किस वक्त को बेस मानकर चला जाये, इस प्रश्न पर विचार चल रहा है। विस्तार में इस सम्बन्ध में विचार होने के बाद, निर्णय होने के बाद, मैं इस सदन को स्थिति से अवगत करा सकूंगा। यह सही है कि यह एक पेचीदा सवाल है, लेकिन पेचीदा सवाल होते हुए भी मेरी मान्यता है कि सभी दृष्टि से यह एक उत्तम मार्ग है और इससे आवश्यक लाभ उन लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ऑफिसर्स बराबर इसको वर्क आउट करने में लग रहे हैं। मैं यह भी आशा करके चलता हूं, और माननीय सदस्य भी इस बात को अनुभव करेंगे, कि अगर हम केवल मात्र बढ़ौतरी करेंगे तो उसका असर जो दूसरे सिटीजन्स पर पड़ता है उनको हम कुछ रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो ऐसी परिस्थिति न पैदा होनी चाहिये।

एक बार पहले इस सदन में वाद-विवाद में यह कहा गया था कि इस साल भारत सरकार ने जो बढ़ोतरी की, उसके बाद मार्केट प्राइसेज ऊंची नहीं हुई। यह इस साल विशेष परिस्थिति है कि जब प्राइसेज कमोडिटीज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नीचे आ रही हैं, लेकिन इस बात को एक इकोनोमिक पॉलिसी के आधार पर नहीं मानकर चल सकते कि महंगाई देने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ना स्वाभाविक है। यह भी हो सकता है कि यदि महंगाई नहीं बढ़ाते प्राइसेज और भी नीचे आतीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो अर्थ शास्त्री हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके ख्याल से उपयुक्त तरीका इस सम्बन्ध में यह हो सकता है कि कुछ एसेन्शियल कमोडिटीज इस तरीके से उनको उपलब्ध करावें।

राज्य कर्मचारियों के द्वारा इस सम्बन्ध में मांग पेश की जाती हैं उसके लिये हम लोग हमेशा से हमदर्दी से विचार करते रहेंगे। उन लोगों की तरफ से आन्दोलन किया जाय या और कोई चीज की जाये, मैं समझता हूं कि जब सरकार इस सम्बन्ध में सहानुभूति से इस प्रश्न पर विचार करके हल निकालने में लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति पैदा करना किसी प्रकार समय अनुकूल नहीं समझी जा सकती है। अगर राज्य सरकार ने यह निर्णय दे दिया होता कि हम कुछ करने को तैयार नहीं हैं, तब तो समझ में आ सकता था कि और परिस्थिति होती। लेकिन आज के दिन जब सरकार इस बात को कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई आंदोलनात्मक रुख अपनाने का सवाल है।

कौन कौन सी कमोडिटीज हों, और उनकी क्या प्राइसेज हों, यह निर्णय करने का सवाल है। मैं समझता हूं पन्द्रह दिन में हम इसके निर्णय पर पहुंच जायेंगे और सदन को स्थिति से अवगत करा देंगे।

एक माननीय उपाध्यक्षजी, इस अवसर पर यह दुर्भाग्य की बात है कि कम्युनिस्टों के द्वारा संचालित लेबर यूनियन्स हैं उनके जरिये २३ तारीख को राजस्थान बन्द वाली बात कह कर काफी उत्तेजना-पूर्वक भाषण दिये जा रहे हैं और इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जिससे लोगों के दिमाग में एक चिन्ता पैदा होती है। मैं ऐसा समझता हूं और चिन्ता पैदा होने की वजह खास तौर से इसलिये होती है कि पिछले दिनों में जो कुछ बंगाल में हुआ या पंजाब में हुआ उन बातों से दिमाग में परेशानी होना एक स्वाभाविक बात है।

आज राजस्थान के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और दूसरे कुछ मजदूर संगठनों में इंटक और आइटक काम करती हैं लेकिन इंटक का बहुमत है। जब यह अधिवेशन शुरू हुआ तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इंटक की तरफ से एक यहां पर प्रोसेशन आया था। उन लोगों ने भी उन मांगों को कि जो अब उठाया जा रहा है आईटक के द्वारा उसके सम्बन्ध में विशेष तौर से बोनस के सवाल को लेकर, लिंकिंग के सवाल को लेकर अपनी बातें रखी थीं। हमने उनको यह बताया था कि जहां तक बोनस का सवाल है उस बोनस के सवाल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बोनस के बारे में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाईकोर्ट में ट्रिब्युनल के फैसले के खिलाफ गया है। लेकिन राज्य सरकार इस बात का अध्ययन कर रही है कि दूसरे प्रदेशों के अन्दर जहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स काम कर रहे हैं उन प्रदेशों के अन्दर बोनस पर वहां की राज्य सरकारों ने और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या फैसले किये हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान में सब ही जानते हैं इस बात को कि इस साल वर्षा की कमी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

Page No. 114

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के सामने काफी परेशानियां हैं। उन सब बातों के होते हुए आज जो यह सवाल खड़ा किया जाता है और एक इसेन्शियल सर्विसेज के अन्दर विघ्न पैदा करने की कोशिश की जाती है, मैं समझता हूं, वह बहुत गलत है। आज के दिन जब कि राज्य सरकार ने जब इंटक का ही प्रोसेशन आया उनको ही इस बात का कह दिया था कि हम इस फैसले को इस प्रकार से एक्जामिन करा रहें है तो उन्होंने भी हमारी बात पर विचार करके स्ट्राइक या दूसरा न करने का फैसला किया है, तो मैं नहीं समझता कोई विशेष कारण पैदा होते हैं जिनको लेकर कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से कोई बात की जाय स्पष्ट यह मालूम पड़ता है कि जो कुछ आज कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से और उनसे समर्थित यूनियन्स हैं उनकी तरफ से जो यह २९ तारीख को कार्यवाही करने की बात की जा रही है उसमें मजदूरों का हित न होकर राजनैतिक बातें ज्यादा हैं और उस बात को लेकर इस सवाल को उठाया जा रहा है और मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की यह इसेन्शियल सर्विसेज बराबर चले, राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर बराबर कायम रहे उसके लिये सरकार पूर्ण रूप से सजग है और उसको कायम रखा जायगा। इस परिस्थिति को पैदा नहीं होने देंगे जिससे राजस्थान की लाइफ को पेरेलाइज करने में किसी प्रकार कामयाब हो सके। मैं समझता हूं यह उनके विचार करने की बात हो जाती है कि सरकार का रचनात्मक दृष्टिकोण है इसके बारे में तो उस प्रकार की परिस्थिति पैदा न करें।

आज माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में जो हजारों लाखों कर्मचारी अलग अलग जगह काम पर लगे हुए हैं, कमियां भी गिनायी जा सकती हैं, मैं भी जानता हूं, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमारे देश के सामने और राजस्थान के अन्दर पिछले पन्द्रह वर्षों के अन्दर प्रशासन के सामने नये नये सवाल, नयी नयी समस्यायें उपस्थित होती जाती हैं उनकी वजह से स्वाभाविक बात हो जाती है कि बहुत से स्ट्रेसेज एन्ड स्ट्रेन्स में से एडमिनिस्ट्रेशन को निकलना पड़ता है। आज एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके मुकाबले कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। प्लानिंग का काम डेवलपमेन्ट का काम आया। और बहुत सी चीजें सामने आयीं। इन सब चीजों के बावजूद, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान का प्रशासन भारत के अन्य प्रदेशों के प्रशासन के काम को निगाह में रख कर चले तो हमारे यहां के ऑफिसर्स ने भी जब कभी उनके ऊपर जिम्मेदारी आ पड़ी उनके अन्दर अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह निभाया है। आज आई. ए. एस. की तादाद के लिये यह कहा गया कि यहां काफी बढ़ गयी है। काफी आते जा रहे हैं और चले गये हैं, मैं समझता हूं यह भी एक भ्रम है। माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में आई.ए.एस. ऑफिसर्स की कुल तादाद १४४ है जब कि हमारे ही समकक्ष आबादी वाले लेकिन क्षेत्र में कम है हमसे, उस गुजरात प्रदेश में १७३ आ. ए. एस. हैं। दूसरा पंजाब है जिसकी आबादी हमारे समकक्ष है लेकिन क्षेत्र कम है वहां आई. ए. एस. की तादाद

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

१९७ है। तो इससे यह स्पष्ट होगा कि आई. ए. एस. ओफिसर्स के केडर को लम्बा चौड़ा बढाने में हमारी दिलचस्पी हो या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई टोप हैवी करने की हमारी मंशा हो यह कतई नहीं है। आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि करना भी जरूरी हो जाता है और उस लिहाज से ही इसके अन्दर यह परिवर्तन हमारे सामने आया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी राजस्थान के अन्दर यह कहा गया कि सर्विसेज में प्रमोशन्स, ट्रान्सफर्स और रिटायरमेन्ट के बाद उनको सर्विसेज देने के सम्बन्ध में जिस नीति को काम में लाया जाता है उससे सर्विसेज के अन्दर डिमोरेलाइजेशन आता है। सर्विसेज पर पोलिटिकल प्रेशर्स की वजह से भी डिमोरेलाइजेशन आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सर्विसेज की प्रेशराइज करके डिमोरेलाइज करने के बारे में हम कभी विचार करके नहीं चलते। हम इस बात को मान कर चलते हैं कि सर्विसेज को जो कुछ वाजिब है वह अपनी बात निडरता पूर्वक कहना चाहिये और उस परम्परा को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसको निभाने का प्रयत्न किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी प्रमोशन के बारे में राजस्थान में जो नीति अपना कर चल रहे हैं अगर माननीय सदस्य अन्यप्रदेशों और दूसरी जगह की जानकारी करें तो उनको इस बात का पता लगेगा कि हमने अपने यहां पर ज्यादातर सर्विसेज के अन्दर जो एक्जिस्टिंग सर्विसेज में पर्सनल है उनके प्रमोशन के लिये डिपार्टमेन्ट प्रमोशन कमेटीज् बना दी हैं और वे डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटीज् जहां तक गजेटेड ओफिसर्स का सवाल है पी. एस. सी. का एक एक मेम्बर उनमें होता है, ज्यादा सीनियर ओफिसर हैं तो पी. एस. सी. का चेयरमेन और सीनियर ओफिसर्स होते हैं वे जो रिकमन्ड करके भेजते हैं, मैं समझता हूं नाइन्टीनाइन परसेन्ट केसेज को गवर्नमेन्ट ने माना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): हाईकोर्ट में गये हैं और आपके खिलाफ फैसले हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: रूल्स के इन्टरप्रिटेशन का सवाल वह एक अलग बात है। ज्यादा करके और बात के लिये निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ इसके सम्बन्ध में किया गया है उनसे यह जाहिर होगा कि हम इस प्रकार की कोई नीति अपना रहे हैं कि इन्डिविजुअल के बारे में उस नीति को अपनाने को सवाल खड़ा नहीं होता।

राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा एफिशियेन्सी आये, सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा उत्साह से काम करने की प्रेरणा पैदा हो उस लिहाज से प्रमोशन के बारे में इस नीति को तय किया है कि जितनी प्रमोशन की पोस्ट्स हों उनमें ५० प्रतिशत सीनियोरिटी कममेरिट पर प्रमोशन और ५० प्रतिशत प्रमोशन प्योरली मेरिट के आधार पर हों। मेरिट के आधार पर प्रमोशन होने का मतलब यह होता है कि ज्युनियर ओफिसर ओर्डिनेरिली उसकी सीनियोरिटी काफी नहीं है उससे वह यह समझ कर चले कि दस साल पन्द्रह साल उसके लिये प्रमोशन की गुन्जाइश और उसके दिल में निराशा रहे वह निराश न हो और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वह यह समझता है कि मेरिटोरियस काम करती है उसको आगे बढ़ाने का, चाहे नीचे होते हुए भी प्रमोट किया जाय उसके लिये इस भावना के साथ इस स्कीम को राजस्थान में हमने अपने रूल्स में इनकोर्पोरेट किया है। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इससे बहुत से योग्य आफिसर्स के अन्दर एक काम करने की एक अच्छी भावना पैदा होगी जिससे वे इस काम को आगे बढा सकेंगे।

जो भी शिकायतें समय समय पर सदन में थीं सदन के बाहर आती रही हैं भारत सरकार ने उस सम्बन्ध में विचार किया कि राज्य सरकारों के प्रशासन में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। हमने प्रशासन में सुधार लाने के लिये यहां पर श्री हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की और उस कमेटी ने जो जांच करके सिफारिश की उसके आधार पर राज्य सरकार ने बहुत से फैसले किये हैं।

अभी यहां पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि माथुर कमेटी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं वह रिपोर्ट रख दी गई है और उसकी कुछ कापियां पार्टीज को भी दे दी गई हैं।

श्री गेरोंसिह : उनका कहना था उस पर डिस्कशन नहीं किया गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप कृपया मेरा ट्रान्सलेशन न करें, मैंने कहा था कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो एक्शन्स लेने चाहिये सर्विस क्लास के बारे में, उसके क्या रिजल्ट रहे। माथुर कमेटी के संबंध में मैंने इतना ही कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था उस कमेटी का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से अलग २ इवेल्यूएशन कमेटीज के जरिये भी कदम उठाये गये। इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा भी एक कान्फ्रेन्स बुलाई गई उसमें भी इस बारे में चर्चा हुई थी। सब से बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वह इस बात का है कि डिलेज जो होती हैं उसकी वजह से बहुत सी खराबियाँ पैदा होती हैं उसको दूर करने के लिये खास तौर से कार्यवाही की जाय तो उसका ज्यादा लाभ हो सकता है।

यह बात सदन को अवगत है, राजस्थान ही सब से पहला राज्य है जिसने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज का कार्यालय कायम किया। इस विभाग ने काम किया है और जो कुछ कमियां हैं उसको सुधारने के लिये सरकार चेष्टा कर रही है। इसके बारे में एक नोट माननीय सदस्यों को सरकुलेट किया गया है। जो यह डायरेक्टर आफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज का दफ्तर कायम किया गया हैं इस डिपार्टमेन्ट ने काफी अच्छा काम किया है जिससे बहुत सी शिकायतें जो सामने आती थीं उन शिकायतों को दूर करने के लिये उन मामलों को बहुत तत्परता से हाथ में लिया है।

मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करुं ३१ दिसम्बर तक इसके सामने ३,९०३ केसेज आये। जिसमें से ११०९ केसेज पब्लिक के थे और २७९४ सरकारी कर्मचारियो के थे। जो पब्लिक के कन्सर्न केसेज थे उनमें से ७४९ केसेज का डिस्पोजल कर दिया।

राज्य कर्मचारियों के जो मामले आये उनमें से ६८२ का डिस्पोजल कर दिया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसमें जो जनता से सम्बन्धित केसेज थे उनका ब्रेक आउट यह है : ३७८ केसेज में जो शिकायतें थीं उनको दूर किया गया। दूसरे मामले ऐसे थे जो सही नहीं थे। ३७८ मामलों को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया। ५९७ केसेज जो कर्मचारियों के थे उनको डिस्पोज ऑफ किया गया और ३८५ जो फाइल करने लायक थे उनको फाइल कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि जो इस प्रकार के केसेज हैं, जो डिलेज के केसेज हैं उसके बारे में राज्य सरकार की तरफ से प्रयत्न किया गया ऐसी एजेन्सी है जो इस प्रकार के केसेज में चाहे सरकारी कर्मचारियों के हों चाहे पब्लिक के वे जाकर उनके सामने अपने मामले रख सकते हैं। उनके केसेज को डिस्पोज ऑफ करने में इस विभाग ने काफी अच्छा काम किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): डिस्पोजल करने का जो अपने कहा ये आपके आंकड़े ठीक प्रतीत नहीं होते हैं। जिनको आपने डिस्पोज ऑफ की कैटेगेरी में लिया है, मेरा ख्याल है जिनमें कार्यवाही ठप्प होगई थी, उसको एक तरह से आगे चालू किया गया है। डिस्पोजल के आकड़े आपने बताये हैं उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। खास बात जो इसमें है वह है रेड टेपिज्म की, ढिलाई की, उसको यह विभाग कहां तक रोक पाया है ? कागज को आगे सरका देना डिस्पोजल नहीं कहा जा सकता।

आपकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने अधिकारियों को आगे बढ़ने के लिये इनीसेटिव दिया, आप अधिकारियों को मेरिट के आधार पर प्रोमोशन देंगे। इसके साथ-साथ आपको इस बात पर विचार करना चाहिये कि जो अधिकारी मिसलों पर बैठे रहते हैं उनको डिसपोज ऑफ नहीं करते उनके लिये वार्निंग और सजा होनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार जयपुर): आपने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवान्सेज का कार्यालय बनाया वह तो बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने यह देखा कि नहीं कि जिन अधिकारियों के कारण चार हजार केसेज सरकारी कर्मचारियों के इस विभाग के सामने आये। इसमें सीरियस केसिज भी होंगे क्या जिन अधिकारियों की गलती के कारण इस प्रकार के केसिज आये क्या उन अधिकारियों को किसी प्रकार की सजा या पेनल्टी की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा, इस सम्बन्ध में जो विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि जो मैंने केसेज के डिस्पोज ऑफ करने के बारे में आंकड़े बताये उनके बारे में उन्होने शंका प्रगट की। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं जो मैंने डिसपोज हुए मामले बताये उनमें ३७८ तो जनता से सम्बन्धित थे इतने मामलों में जो शिकायतें थी वह दूर की गई। इसमें केवल कागजात ही चालू किये गये यह बात नहीं। सरकारी कर्मचारियों के ५९७ मामलों की शिकायत दूर की गई।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवान्सेज ने जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की इन मामलों में गलती थी उसके सम्बन्ध में उन्होंने ३५

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

केसेज अन्दर ऑफिसर्स इन्वोल्व्ड थे उनको सजा देने के बारे में रिकमन्डेशन की है, इसमें २३ ऑफिसरों को इस सम्बन्ध में पेनेल्टी दी गई।

इसी प्रकार कर्मचारियों में ७० व्यक्तियों के खिलाफ सिफारिश की उसमें से ३४ के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। अलग २ इनको क्या सजायें दी गई सारी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है सेन्सर से वार्निंग और ग्रेड इन्क्रीमेंट तक रोके गये हैं। यह इसलिये किया गया है कि जिससे असर पड़े कि इन चीजों का नोटिस लिया जा रहा है, और उनके खिलाफ कार्यवाही होती है।

विजीलेन्स कमीशन के सम्बन्ध में भी कहा गया मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि विजीलेन्स कमीशन के सामने जो भी केसेज आये उनके डिसपोजल के बारे में मैंने जानकारी की विजीलेन्स कमीशन यहां भी काम कर रहा है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में भी काम कर रहा है और हमने गुजरात के सम्बन्ध में भी जानकारी करने की कोशिश की। मैं निवेदन करना चाहता हूं सेन्ट्रल विजीलेन्स कमीशन के सामने ३५१४ केसेज आये उनमें से ३२६ में इन्क्वायरी आर्डर की उसके बाद १८१ केसेज में इन्क्वायरी में प्रोसीक्यूशन किया गया, रेस्ट में पेनेल्टी प्रोपोज की गई।

राजस्थान विजीलेन्स कमीशन के सामने ६७३ केसेज आये जिसमें से ८८४ केसेज में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की और एक्शन लेने की बात हुई ४३१ केसेज के अन्दर।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है जब तक कार्यवाही समाप्त न हो तब तक समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

(५ म० प०)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, जितने केसेज में पेनल्टी प्रपोज की विजिलेन्स कमीशन ने उनके मुकाबले में सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन ने ७ केसेज में प्रपोज की और राजस्थान में २२३ केसेज के अन्दर में पेनल्टी प्रपोज की। गुजरात के अन्दर क्या है, इसकी फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं। प्रोसीक्यूशन के बारे में आलि राजस्थान में जो जानकारी प्राप्त हुई है ३ जगह से उसके अनुसार १० केसेज में प्रोसीक्यूशन के लिए परमीशन दी गई कि प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की जा सकती है। तो मैं माननीय सदस्यों के सामने इसलिए इस बात को रखना चाहता था कि हमने अपने यहां पर विजिलेन्स कमीशन काफी सीनियर आफिसर्स आई० सी० एस० के जो राजस्थान में है उनके अन्तर्गत इस संगठन को इसी लिहाज से बनाया कि वह इन्डिपेन्डेन्टली इस सारी चीज के बारे में जानकारी करके जहां भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत हो वह इस संबंध में कदम उठा सकते हैं और कदम उठा करके इन केसेज को जिस तरह से वह डील करने के बारे में सिफारिश करें, उसके बारे में आगे कार्यवाही हो सके.....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो यह बता दें कि विजिलेन्स कमीशन

(श्री भैरोंसिह)

की रिपोर्ट हाउस में क्यों नहीं रखते हैं ? जब आपने पहले हाउस में कहा था कि यह रिपोर्ट सदन में रखी जायेगी और इस रिपोर्ट पर सदन में डिसकशन होगा वह सदन में रिपोर्ट क्यों नहीं रखी ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि रिपोर्ट के बारे में गवर्नमेंट के और उनके बीच में अगर कोई मतभेद होगा तो मैंने कहा था कि हाउस के सामने उसको पेश करेंगे। खास तौर से डिफरेंसेज के बारे में मैंने कहा था। उनकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी करके बाद में बता दूंगा कि कब सदन के सामने इसकी जानकारी दे सकेंगे।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेंट आर्डर है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : उसकी जानकारी नहीं है कि सदन के सामने आये। कितना विलम्ब इसमें लगेगा यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकता।

तो मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निवेदन कर रहा था कि डिलेज को रोकने के बारे में, करप्शन के केसेज में..........

श्री भैरोंसिह : एक पांइन्ट रह गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। कब पेश करें कब नहीं करें, लेकिन आप यह बतायें कि गवर्नमेंट को विजिलेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है या नहीं ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मेरे ख्याल से मेरे पास वह नहीं दिख पाई है। पता नहीं सेक्रेटेरियट में आई या नहीं, I shall let you know later on.

श्री भैरों सिंह : इसका मतलब विजिलेंस कमीशन ने खुद ने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की। गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला है, उसके अनुसार एनुअल रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि मुझ तक नहीं पहुची है। आई है या नहीं, बाद में कह सकूंगा।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि शासन के तंत्र में जो लोग चुने जायें पब्लिक सर्वेन्ट्स के लिए उनके चुनाव निष्पक्ष रूप से हों उसके लिए एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रमोशन्स के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि जो व्यवस्था कर रखी है कि डी. पी. सी. और दूसरों के जरिये से है वह व्यवस्था की गई है। डिलेज को रोकने के बारे में व्यवस्था की गई है और जो यह करप्शन के केसेज आये उनकी इन्क्वायरी के लिए एक इन्डीपेन्डेन्ट बाडी का सेट-अप किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इन सब बातों के बावजूद एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार को अमुक कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक कन्फयूजन थोड़ा हो गया कि आपने ७ केसेज बताये हैं सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन ने जिनके लिए रिकमन्ड किया और २२३ केसेज राजस्थान ने रिकमन्ड किये हैं तो इस तरह से २३० केसेज हैं। इसमें आपने १० कौन से बताये थे वह कन्फयूजन हो गया।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : पेनल्टी के हैं और प्रोसीक्यूशन के हैं। ६० केसेज प्रोसीक्यूशन वाले हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट ने २३० केसेज में पेनल्टी इनफ्लिक्ट की है ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : २२३ केसेज रिकमन्ड किये हैं, इनमें से कुछ डिपार्टमेंट को पेनल्टी के लिए भेजने के लिए होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के जूरिस्डिक्शन के हैं, उसमें टोटल कितनों के ऊपर पेनल्टी होगी, यह तथ्य निश्चित तौर पर नहीं कह सकता लेकिन मैं बता रहा था कि जो उन्होंने इस संबंध में कार्यवाही करके भेजी हैं वह इस प्रकार है । अब...

श्री भैरोंसिंह : जब आपने विजिलेन्स कमीशन बनाया कि डिलेज को रोका जाये और करप्शन को रोका जाये, साल साल भर तो विजिलेन्स कमीशन लगा दे, वह एन्टी-करप्शन के पास भेजे और उसकी रिपोर्ट आये, गवर्नमेंट से रिकमन्डेशन आये और उसके बाद में गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले, हाउस को वह रिपोर्ट नहीं बता सकें कि कितने केसेज में आपने पेनेलाइज किया, तो फिर विजिलेन्स कमीशन के बनने का क्या अर्थ रह गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी रिकमन्डेशन के बाद भी कान्सटीट्यूशन के माफिक कुछ प्रोसीजरल बातें पूरी करनी होती है । आप भी इस संबंध में जानते है और इसलिए जो उन्होंने रिकमन्ड किया उसके बारे में जानकारी ले कर यहां सदन में चल सकते हैं ।...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी विजिलेंस कमीशन की समस्या को इवेड करना चाहते हैं । मुमकिन है कि आपने कोई डिसिजन केबीनेट लेवल पर नहीं लिया हो । लेकिन विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट सदन में नहीं आ पाती है तो मेरे ख्याल में विजिलेन्स कमीशन का काम करना और ना करना करीब करीब बराबर सा है । विजिलेन्स कमीशन के और केबीनेट के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन के संबंध में सदन अवगत नहीं हो पाता है तो एक तरह की सांठगांठ ही मानेंगे । तो बहुत से सदस्यों की आशंका है कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में नहीं आना यह एक ऐसा मसला है कि जिसके संबंध में आपको कोई प्रकाश डालना चाहिए, कहना चाहिए कि अभी नहीं आई वो कभी न कभी तो अवश्य आयेगी या क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं । विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में रखने के बारे में मुझे कतई एतराज नहीं है और न कोई उसमें छिपाने की बात है और ज्यों ही हम तक रिपोर्ट पहुंच जायेगी हम उसे रख देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : एक बात की जानकारी करनी चाहता हूं कि विजिलेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन पेनल्टी इम्पोज करने के बारे में या प्रोसीक्यूशन के बारे में आपके पास जो आई है ऐसी स्थिति भी रही है कि एन्टी-करप्शन व विजिलेन्स कमीशन की दोनों बातों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और नहीं किया तो कितने केसेज में नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके संबंध में मैंने निवेदन किया कि फिगर्स हमारे पास नहीं हैं । इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि वह यदि मैं रांग फिगर्स दूं तो वह उपयुक्त नहीं होगा । लेकिन इतना कह सकता हूं कि जहां विजिलेन्स कमीशन ने प्रोसीक्यूशन के लिए लिखा है आम तौर से हमने उनकी सिफारिश को माना है और जहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में लिखा है वहां डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करके उसके बाद में एक्शन हो सकता है । इसलिए कितनों पर एक्शन हो गया इसके बारे में कहना मुश्किल है और उसमें कुछ समय भी लग सकता है ।

दूसरा जो प्रश्न खड़ा होता है ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के बारे में और उनको आज की कन्डीशन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा एफिशियेन्ट करना उसके संबंध में भी माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि राजस्थान के अन्दर ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के जरिये हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको फाउन्डेशनल ट्रेनिंग, मैनेजेरियल टाइप की ट्रेनिंग अलग अलग तरह की देकर अलग अलग एज ग्रुप वालों को इस काम में लगाकर कि जिससे उनका ज्ञान लगातार बढ़ता रहे और लेटेस्ट हालात से वे वाकिफ होते रहें । तो हां मैंने कुछ चीजें इस सदन के समक्ष इस दृष्टि से रखीं कि जिससे यह जाहिर हो सके कि हम स्वयं चाहते हैं कि जो आज का यह एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम्पलेक्स होता जाता है उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा एफीशियेंसी डिस्पोजल में क्विकनैस लाई जा सके उसको लाने के बारे में प्रयत्न करे ।

यहां सदन में इस बहस के दौरान में मंत्रि-मंडल में वृद्धि और दूसरी बहुत सी बातों के लिए कहा गया । मैं ऐसा समझता हूं कि कहने के लिए आपने इसके बारे में कहा कि वृद्धि ज्यादा नहीं हो सफर में जायं तो ज्यादा लवाजमा साथ नहीं हो । मैं समझता हूं कि लवाजमा रखने का मिनिस्टर्स को शौक नहीं है कि वे ज्यादा लवाजमा साथ ले जायें । लेकिन जहां काम काज के लिए जरूरत हो तो उतने ऑफिसर्स के अलावा दूसरों को बुलाने की हमारी नीति नहीं है और उसमें फिजूल खर्ची होती है वह नहीं हो इसके बारे में भी हम निश्चित रूप से मानकर चलते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अपने आप कोई आ जाये तो आपत्ति नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑफिसर्स तो काम के बिना आते नहीं हैं, लेकिन जनता के बहुत से लोग आये और मोटरें ज्यादा इकट्ठी हो जायें तो उसके बारे में क्या करेंगे ? जनता के लोग आ सकते हैं ।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर इस बहस के दौरान में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जनता में बहुत जोर की बगावत और आने वाले चुनावों के अन्दर इस सरकार को हटाने का, उखाड़ देने का और न जाने क्या क्या बातें कहीं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने हमारे इस सदन के विरोधी दल के नेता का भाषण सुना होगा तो उससे इतना स्पष्ट जाहिर हुआ होगा कि जब वे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि लीडर आफ दी अपोजीशन का स्टेटस और उसकी सहूलियतों के बारे में यह सरकार ध्यान रख कर चले । वे आज स्वयं नेता हैं, तब तक इसके बारे में मांग नहीं करते लेकिन आगे सरकार ध्यान रख कर चले, यह उन्होंने विशेष रूप से कहा तो उसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि विरोधी दल के नेता.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपको ध्यान में रख कर अगली बार के लिए कहा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने तो कहा वक्त पर जो भी होगा। यह सदन की प्रोसीडिंग्स तो यहां पर है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय विरोधी दल के नेता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने काम के बारे में प्रश्न नहीं उठाया है लेकिन चुनाव के बाद जब यह सरकार उधर बैठेगी तब इसके बारे में निश्चितरूप से ध्यान रख कर चलेगी और उसके बारे में जो सुझाव हैं हम उनका पूरा ख्याल रखना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज इस सदन में ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और इस सरकार के दिये हुए एश्योरेंसैज को जरूर इम्पलीमेंट करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, आपका (जनसंघ दल) और आपका (स्वतंत्र पार्टी) अब तो अलग अलग बताने का कोई अर्थ नहीं है, एक ही मान कर चलना चाहिए। क्या फिर अलग अलग कहकर चलना चाहते हैं ? आपने फिर तय कर लिया है कि फिर लड़ेंगे आपस में ?

(हंसी)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो मालपुरा से चुनाव में हार गए उनको हमने फिर से लाकर बिठा दिया है और जनता ने एक बार उनको हरा दिया तो फिर उनको मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी। मैं समझता हूं कि वे खुद भी जानते हैं कि जनता ने मालपुरा में जिस तरह से हराया उन हालात से वे भी काफी वाकिफ हैं, मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं हैं लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि वापिस भी यहां जनता के वोटों से ही आकर बैठे हैं यह भी माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय सदस्य की ज्यादा शिकायत यह रहती है कि टोंक जिले में सारे सरकारी कर्मचारी इन्होंने अपने ही इकट्ठे कर लिए हैं जिनके बल पर इनकी ताकत रहती हैं। तो राजाखेडा के अफसर तो इनकी पसन्दगी के नहीं थे फिर भी जीतकर आ गये हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं...... ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इनकी तारीफ भी करदी और इनको मार भी दिया कि मालपुरा के अन्दर इनकी पसन्द के ऑफिसर्स हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, यह तो समझ का फर्क है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह चुनकर आए और चुनकर आने के बाद ही यहां काम कर रहे हैं तो उसके सम्बन्ध में किसी को गिला नहीं होनी चाहिए। आखिर वे चुनकर आये हैं और इस जगह पर काम कर रहे हैं और राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्रि-मंडल में भी विस्तार करने की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को ख्याल में रखते हुए कि राजस्थान काफी बड़ा क्षेत्र है और इसमें दूसरे दूसरे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए ताकि ठीक तौर से काम चल सके और इसीलिए विस्तार करना पड़ता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसको करने के लिए आवश्यकतानुसार कार्यवाही करनी होती है और दूसरे मुल्कों में भी ऐसा किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : सीकर झुंझनूं के लिए क्यों नहीं किया। वहां के तो कई आवेदन पत्र आते हैं, लेकिन आप उनको टालते रहते हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी बात का ध्यान रखूंगा।

तो उपाध्यक्षजी, अभी यहां पर इस बहस के दौरान में हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मंत्रि-मंडल में भ्रष्टाचार है और फिर कुछ और माननीय सदस्यों ने भी इसको कहा। टिकट सन् ५७ में नहीं मिले थे, उसका जिक्र भी किया तथा और बातों का भी जिक्र किया। मैं समझता हूं कि टिकट नहीं मिले थे, वह भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिले थे, ऐसा उनको मानकर चलने का कारण नहीं होना चाहिए। जिस हाई कमाण्ड ने सन् ५७ में टिकट नहीं दिया था तो वे भी जानते हैं कि हमारे यहां मिनिस्टर्स जब रखे जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं तो हाई कमान्ड से पूछ कर ही रखे जाते है। इसलिए ५७ में टिकट देने का फैसला हुआ है और उसके बाद में मिनिस्ट्री में लेने का फैसला हुआ है तो वे सारे फैसले वहीं पर होते हैं। और मैं यह समझ कर चलता हूं कि यह पार्टी का एक इन्टर्नल सवाल है इसलिए उसके विवाद में मैं यहां पर पड़ना नहीं चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी प्रकार अजमेर से आने वाले माननीय मंत्रीजी के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं। जब इस बार शायद पहले भी इस मसले को उठाया गया था उस वक्त भी मैं यहां पर मौजूद नहीं था लेकिन वे उसके सम्बन्ध में अपना जवाब दे चुके हैं और इस जवाब को देने के बाद में इसके सम्बन्ध में और कुछ कहूं, मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं होगा। यह सदन की जानकारी के अन्दर है कि उनके पी० ए० ने उनको अपनी छुट्टी वगैरह के बारे में कुछ तार दिए और उन्होंने उनका जवाब दिया और उस जवाब को देने के बाद जो कुछ कार्यवाही हुई वह विस्तार से आपके सामने आ चुकी हैं। मैं उस रोज भी सदन के अन्दर मौजूद नहीं था। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ही जो कुछ तार दिए और उनका जवाब दिया गया, उन हालात को बताया था। मैं ऐसा समझता हूं कि इसको और तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि यह जो कुछ हुआ है उसको आप जस्टीफाई करते हैं क्या? बस इतना सा जवाब दे दीजिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सारे तार वगैरह देखे नहीं हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आज किसी के पी० ए० के मामले में ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप "अगर" मगर मत लगाइए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर कोई पी० ए० छुट्टी की मांग करता है और छुट्टी की मांग करते हुए तार से कहता है कि मुझे छुट्टी दी जाय और उसका जवाब भी तार से दिया जाता है कि छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है और तुम्हें ड्यूटी पर आना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होगा तो उसके अन्दर कोई गैर वाजिब कहने वाली बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कौन सा तार ? मुख्य मंत्रीजी मैं इस सारे प्रसंग को यहां पर रखना नहीं चाहता, क्यों कि यह बड़ा अप्रिय प्रसंग हैं। मैं तो केवल मुख्य मंत्रीजी आपके मुंह से यह सुनना चाहता हूं कि कौल साहब ने जो कुछ किया वह वाजिब था और इस प्रकार की कार्यवाही हर आदमी कर सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो पी. ए. को तार दिए गए वापिस आने के लिए, उसके लिए कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कभी अपने पी० ए० के बारे में ऐसा किया हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे कहता हूं कि तार के द्वारा अगर छुट्टी की इत्तला आती है और उसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाय तो इसमें कोई ऐतराज नहीं समझता।....

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि आपके राजस्थान के सक्रेट्रियेट का जो मेन्युअल है और कौरस्पोंडेंस के जो नियम हैं उसमें कोई भी राज्य सरकार किसी भी फोरेन गवर्नमेंट से व्यक्तिगत तौर पर अपने एम्बेसेडर्स के बिना और फौरिन मिनिस्ट्री से पूछे बिना कोई बातचीत नहीं कर सकती। आज तक मैं ऐसा समझता हूं कि इस अठारह वर्ष में किसी मंत्री ने अपने पी. ए. के बारे में ऐसी चिन्ता या इस प्रकार की व्यग्रता नहीं दिखाई। आपके पी. ए. की छुट्टी मंजूर होगी या नहीं, इसकी चिन्ता आपने भी कभी प्रगट नहीं की होगी और यदि चिन्ता प्रगट करने का सवाल आता भी है तो वह जी. ए. डी. करता है। आप में से किसी मंत्री ने डाइरेक्ट कभी ऐसा नहीं किया होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिनिस्टर को अपने खुद के पी. ए. के बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक पी. ए. जो मिनिस्टर के साथ अटेच्ड है और वह अपनी छुट्टी के बारे में पूछता है और उसका जवाब तार के जरिए दिया जाता है तो इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं समझता....

श्री भैरोंसिंह : अब मैं मान गया कि पी. ए. के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो वह पी. ए. भी थोड़े ही थी। वह तो पी. ए. नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. ए. के बारे में जस्टीफाइड मानते हैं तो वह तो पी. ए. भी नहीं थी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं समझता था कि इतना तो माननीय सदस्य वाकिफ होंगे कि मेरे दो पी. ए. हैं। एक प्रतिभा है और दूसरा चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय।

श्री भैरोंसिंह : पी. ए. के नाते उसको जवाब दिया गया है, तो फिर उसकी बाकायदा जांच हो जाय ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने देखा है...

श्री भैरोंसिंह : मुख्यमन्त्री ने तो क्या क्या देखा, यह तो वे ही जानते हैं। वे ही भोग

(श्री भैरोंसिंह)

रहे है। आपके कारण उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है, यह तो वे ही जानते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि इसमें मुझे और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय यहां पर क्रय विक्रय संघ का प्रश्न भी उठाया गया और विजिलेंस कमीशन के कार्यों के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा और किसी के केसेज को वे देख सकते हैं या नहीं। शायद माननीय सदस्यों को जानकारी में होगी कि उस समय जब यह प्रश्न उठा था तब भी इस बारे में एक आर्डर इश्यू किया गया था और जिसके अनुसार यह कहा गया था कि "vigilence commission in which a public servant may or may not be involved."

इस बात को उस तरह से आदेश के द्वारा निकालने का उद्देश्य यही था कि जो रिलेटेड पर्सन्स हैं अगर कोई आफेंस होता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। हमारे सर्वेन्ट इन्वोल्वड हों तो यह तो पहले था ही। लेकिन इस आर्डर को इसी लिहाज से एमेंड किया गया है कि अगर पब्लिक सर्वेन्ट नहीं भी हों तब भी इसके बारे में कार्यवाही विजिलेन्स कमिशन कर सके।

श्री भैरोंसिंह : उसमें मन्त्री भी आ गए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is clear कि मंत्री हैं। उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पब्लिक सर्वेन्ट के अलावा दूसरे भी हों तो विजिलेन्स कमीशन एक्शन ले सकता है। इस बात के लिए जब यह केस रेफर किया गया तो इस केस के रेफरेन्स के अन्दर इस बात का स्पष्टिकरण किया गया था।

वे इतने सीनियर आफिसर हैं, और उनके जरिये जो इसके सम्बन्ध में हम कर रहे हैं इसलिए जब मुझे जानकारी मिल जायेगी तो सदन को अवगत करा दूंगा, लेकिन इतने सीनियर आफिसर हैं इसलिए यह बात उनको एन्ट्रस्ट की गई थी। उनको एक फिक्स्ड टर्म के लिए जब हमने नियुक्त किया गया है तो उनके रिएम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में या उनके बारे में इस तरह के सवाल दिमाग में लेकर चलें कि वहां पर कार्यवाही नहीं होती हैं। ऐसा मानने का कारण पैदा नहीं होता है।

उपाध्यक्षजी, अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन राजस्थान में जो पुरानी सर्विसेज जो राजाओं के वक्त के और दूसरे आकर उनका इन्टेग्रेशन करके जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर जो सर्विसेज का इन्टेग्रशन हुआ है, दूसरा हुआ है उससे हम दूसरे जो बहुत से आगे बढ़े हुए प्रदेश हैं उनसे हम मुकाबला करें तो उस मुकाबले के नजदीक पहुंचाने में किस हद तक हम कामयाब हुए हैं, और मुझे आशा है कि राजस्थान की सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन और सब लोग मिल कर राजस्थान को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर से काम करेंगे।

यहां पर, माननीय उपाध्यक्ष, सरप्लस स्टाफ के बारे में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अभी इकोनोमी की वजह से स्टाफ सरप्लस डिक्लेयर हुआ है और हो रहा है उसकी तरफ भी सरकार ध्यान देकर चले। तो मैं उनकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक ३५० व्यक्तियों को डिक्लेयर किया है उनमें से १६२ आदमियों को तो काम पर लगा दिया गया है, लेकिन दूसरे भी जो सरप्लस डिक्लेयर किये जायेंगे उनके बारे में भी राज्य सरकार जहां तक संभव हो सकता है इस तरह का प्रयत्न करेगी कि उन लोगों को हम एब्जार्व कर सकें और उन लोगों के सामने इस प्रकार की परेशानी न आए...

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा(नसीराबाद) : मेरा सवाल तो यह था कि जब वे सरप्लस डिक्लेयर किये गये तो उन लोगों को क्लेक्टर के पास भेज दिया गया। भेजने के साथ साथ उसी ऑर्डर में लिखा है कि रूल्स बनाये जायेंगे। वे रूल्स चार साल से नहीं बने और नहीं बनाने की वजह से उनका इन्क्रीमेंट रुका हुआ है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चार साल हो गये हैं और उनकी तरक्की की जाती है। आर. पी. सी. में लगे हुए हैं, तो वे लिखते हैं कि रूल्स नहीं बने हैं इसीलिए कन्सीडर नहीं कर सकते हैं। ये पेपर्स मैंने दिये हैं लड्ढा साहब को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो आपने कहा है उसके बारे में विचार किया जायेगा और जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष, और ज्यादा सदन का वक्त मैं नहीं लेना चाहता और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को इस मांग को सर्व सम्मति से स्वीकृत करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से दो बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि वह उचित भी होगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में आपने यह फरमाया कि हम उपभोक्ता भंडार खोल रहे हैं तो क्या सरकार आज इस स्थिति में है कि आज सदन में इस बात को बता सके कि उपभोक्ता भंडार निश्चित कौन सी तारीख को खोले जायेंगे। एक बात तो यह है।

दूसरी यह है कि जो कुछ आप देने वाले हैं सब्सिडी तो उसके एमाउन्ट की मात्रा क्या है ? कितनी सब्सिडी आप देना चाहते हैं ? इन दो प्रश्नों का आप उत्तर बता दें तो मैं समझता हूं कि इन दो प्रश्नों से सरकारी कर्मचारियों की जो ग्रीवान्सेज हैं उनको मीट करने वाले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ अंशों में हो सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक पहला प्रश्न है इससे सम्बन्ध में पहले ही सदन में कह दिया है कि मई जून तक सिटी में शुरू कर दिये जायेंगे और अक्टूबर तक दूसरे तहसील हैडक्वार्टर्स में वहां तक शुरू कर दिये जायेंगे।

जहां तक सब्सिडी एमान्ट कितना इसमें इन्वाल्व्ड होगा और किस प्रकार से सब्सिडी दी जायेगी उसके डिटेल्स इस वक्त मैं वर्क आउट कर रहा हूं, मैंने आपसे निवेदन किया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है कि करीब १५ दिन के अन्दर अन्दर इसको फाइनेलाइज कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह मानकर चलें कि जीवन के लिए जितनी भी आवश्यकस वस्तुएं हैं वे सारी कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स में मिलेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एसेन्शियल कोमोडिटीज ।

श्री अब्दुल जब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : मैंने अर्ज किया था चपरासियों से अफसर लोग घरों पर काम लेते हैं, प्राइवेट उस संबंध में क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह स्पष्ट है कि काम नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री अब्दुल जब्बार खां : उसके बारे में रोक होनी चाहिए । बहुत काम लेते हैं और घरों पर रात दिन लगे रहते हैं । इसको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है कि जब तक मई, जून और अक्टूबर तक उपभोक्ता भंडार नहीं खोलें उस समय तक सरकार मंहगाई भत्ते में वृद्धि कर दें और ज्योंही उपभोक्ता भंडार खुल जायें उस वक्त बढाये हुए महंगाई भत्ते को विथड्रा कर लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज मार्च का एन्ड हो रहा है और हम मई और जून की बात करते हैं तो दो एक महीने में खोल देने की बात है, तो इस बीच में इस एड-हाक इन्क्रीज वाली बात को करके वापिस एड-हॉक इन्क्रीज को कम करने वाला कदम उठायें तो उसके बजाये तो यह कदम उठाना ही वाजिब है ।

श्री भैरोंसिंह : यदि कर्मचारी इस बात को स्वीकार कर लें तो सरकार को आपत्ति नहीं होना चाहिये कि उपभोक्ता भंडार के खुलते ही वे इसको सरेन्डर कर देंगे । इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतने शार्ट पीरियड के लिए व्यवस्था को करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मई और जून में तो सिटीज में शुरू करेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर ६ महीने का डिफरेन्स पड़ता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या उपभोक्ता भंडार दूसरे राज्यों में हैं ? अगर हुए हैं है तो कहां कहां हैं । क्या वे सफल हुए हैं अगर हुए हैं तो आप क्या एक दो उदाहरण दे सकते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यू० पी० और आन्ध्र में इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही हो चुकी है । रेलवे में पहले हुआ था, लेकिन डिफेन्स में सब जानते हैं इस प्रकार की व्यवस्था है ।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में जो मांग प्रस्तुत की है उसके बारे में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किये हैं उसके लिए यह स्वाभाविक था कि जो अनुभव उनके सामने आये हैं उनके बारे में वे अपने विचार रखते ।

(श्री अमृत लाल यादव)

राजस्थान की दो करोड़ की आबादी है और उसमें हरिजन आबादी और आदिवासियों को मिला कर माना जाये तो करीब करीब एक चौथाई से भी वह ज्यादा होती है। उसकी अपने अपने ढंग की समस्याएं हैं हरिजनों की समस्याओं का जहां तक सवाल है तो उनकी अस्पृश्यता की समस्या है, उनकी गरीबी की समस्या है और शिक्षा की समस्या है। आदिवासियों की जहां तक समस्या है वह आदिवासी क्षेत्र की विकास की समस्या है। आदिवासी एरिया में शिक्षा का प्रचार हो और कृषि के अन्दर उन्नति करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस प्रकार से उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। विमुक्त जाति और इस तरह के लोग हैं जिनके लिए भी राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। उनके हित के लिये उनको मानवता का लाभ पहुंचाने के लिये कुछ किया जाय।

अब इन सब समस्याओं की कठिनाइयों को देखते हुए और उनकी जनसंख्या को देखते हुए मैं यह निश्चित तौर पर मानता हूं कि जो प्रावधान है, जो रकम है यह कम है, लेकिन अब तक जो कुछ राजस्थान के बजट में इस सम्बन्ध में रकम रही है इस बार इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। और चूंकि यह दो जून से यह काम मेरे हाथ में आया है तो यह स्वाभाविक है कि मेरे साथी मुझसे अपेक्षा करें कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न करूं। मेरे स्वयं की रुचि और अपने काम और कर्तव्य की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि इसके लिए विशेष प्रयत्न करना मेरा फर्ज हो जाता है, और उनकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को भी मैं वाजिब मानता हूं। इस दृष्टि से हमने इस साल के बजट में जो प्रावधान किया है वह कम्पेरेटिवली ज्यादा प्रावधान किया है।

इसके साथ जिन समस्याओं का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है उन समस्याओं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब मिनिस्टर लोग जा रहे हैं। दौलतराम जी गये, मथुरादास जी गये, मुख्य मन्त्री चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री यादव से) आप प्रारम्भ रखें।

श्री अमृतलाल यादव : आप तो बैठे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर्स की, शिड्यूल्ड कास्ट के मिनिस्टर की इज्जत करते हैं। अफसोस है कि कांग्रेस के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आपके भाषण को नहीं सुनना चाहते हैं। यह कन्टेम्प्ट है हरिजन मिनिस्टर का, बेइज्जती है।

श्री अमृतलाल यादव : वह तो बहुत सुन चुके हैं। मैं तो आपको सुनाना चाहता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : हम बैठे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो बैठे हैं ये कांग्रेस के शिडयूल्ड कास्ट के मेम्बर्स बैठे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : हम बैठे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी तो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। आपका क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो समस्याएं माननीय सदस्यों के सामने आई हैं वे समस्याएं मेरे सामने भी थीं और उन समस्याओं से मैं भी गुजरा हूं, मैंने उनका अधिक से अधिक समाधान करने की कोशिश की है। उनके बारे में मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आंकड़े तो आपके पढ़ लिये जो आपने सप्लाई किये थे। आप तो कटौती प्रस्तावों का जवाब दे दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य यदि सन्तोष रखेंगे तो जो आपने कहा है उसका जवाब दूंगा और मुझे जो कहना है वह अपने ढंग से कहुंगा। तो जो जन जातियों के उत्थान के सवाल हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा का है। शिक्षा देने के लिये छात्रावास और स्कूलों का सवाल है उसमें इस साल इस प्रकार की व्यवस्था रखी है कि करीब करीब जो छात्रावास हमारे विभाग के हैं उनकी संख्या ६८ है और जिन संस्थाओं को हम ग्रान्ट-इन-एड देते हैं वे १०१ हैं और इन दोनों तरह के छात्रावासों में ५७६४ विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। जहां तक छात्रावासों के लिये रकम का सवाल है वह कम पड़ती थी और चारों तरफ से इस बात की शिकायत थी कि पूरे विद्यार्थियों को रकम नहीं मिल पाती है इस वजह से शिक्षा पर असर नहीं हो पाता है और प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है इसलिये कोशिश की गई कि रकम अधिक दी जाय इस तरह से इसमें ११,४८,०००) रु० रखे गये हैं जिससे १४,८०० विद्यार्थी लाभ पा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त एक समस्या यह हुई कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, उस समय उस क्षेत्र के कुछ भील, मेघवाल और हरिजनों को भी वहां से विस्थापित होना पड़ा। उनके साथ जो ज्यादती हुई, उनके बच्चे पढ़ते थे उनकी दृष्टि से उनके लिये प्रावधान रखना आवश्यक हो जाता था इसलिए उनके लिये अलग प्रावधान ? लाख रुपयों का किया गया।

इसके साथ ही महिला और बाल समाज कल्याण में जो प्रवृत्तियां चलती हैं उनमें से करीब करीब डेढ़ लाख रुपये उनके महिला समाज फण्ड और बाल कल्याण फण्ड में रखने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जो डिसएबल्ड, जो अन्धे और अपंग विद्यार्थी है उनके लिये कम प्रावधान था, उससे चार गुणा अधिक प्रावधान उनके लिये किया गया है।

उसके बाद कृषि के अन्दर खेती की तरक्की हो, लघु सिंचाई योजना हो, कुएं गहरे हों और उनके लिये कुए और खुदें उसके लिये अधिक से अधिक प्रावधान रखने की कोशिश की है। लघु सिंचाई में ढाई लाख और सिंचाई के लिये २७० कुओं का लक्ष्य लेकर २ लाख ७० हजार रुपये रखे हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कहां के लिए कह रहे हैं ?

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अमृतलाल यादव : इसके अलावा १० हजार रुपये लगभग २०० परिवारों के लिये एकत्रित किये गये हैं।

जहां तक कुटीर उद्योग का सवाल है।....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : छात्रवृत्तियां जो आपने दी हैं उनमें से आपके बच्चों को कितने हजार की छात्रवृत्तियां दी गईं ?

श्री अमृतलाल यादव : आप घबराइयेगा नहीं, मेरे बच्चों को कितनी छात्रवृत्तियां मिली हैं, इस बारे में भी जरूर कहूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : शोर्ट में कह दें।

श्री अमृतलाल यादव : डिटेल में कहूंगा। मैं और बातें पीछे कहूंगा।

इस सदन में यह बात बारबार उठाई जाती है कि मेरे बच्चों को स्कोलरशिप मिली, मैं नहीं समझता मेरे बच्चे यदि वे एन्टाइटल्ड हैं तो उनको स्कोलरशिप क्यों नहीं मिले···

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वैसे तो हजारों में। आप बंगलों में रहने वाले, कार में घूमने वाले हैं, आपको क्यों मिलो, गरीबों को क्यों नहीं मिली ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य यदि तसल्ली से सुनेंगे तो मैं सारी बातें आपको कह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सन् १९५० से राजस्थान के मंत्रि मण्डल में हूं। मेरी एक लड़की एम. जी. डी. में के. जी. से पढ़ती है और एक लड़का सेन्ट जेवियर में पढ़ता है। मैंने सन् १९५७ तक एक पाई की भी स्कोलरशिप मेरी बच्ची के लिये, मेरे लड़के के लिये और परिवार के लिये नहीं ली। यदि आप यह साबित करदें कि मैने एक पाई भी ली तो उसके लिये मैं जिम्मेदार होऊंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : खाली एक बात बता दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव : मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना करूंगा। जिस प्रकार कल हुआ, आप जो प्रश्न स्पस्टीकरणात्मक पूछेंगे उनके लिये इजाजत दूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : इसके बाद सन ५८ में मैं मंत्री नहीं रहा। मेरी लड़की होस्टल में थी, लड़का होस्टल में था उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, मैंने सरकार को पत्र लिखा; क्योंकि मैंने अब तक कोई स्कालरशिप नहीं ली क्योंकि मैं मंत्री रहते हुए स्कोलरशिप नहीं लेना चाहता था और अब क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं और इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिये यदि सरकार मुनासिब समझे तो मेरे बच्चों को स्कोलरशिप और छात्रावास में रहने की अनुमति दें। यदि नियम में आते हैं तो रखेंगे और यदि नियम में नहीं आते हैं तो नहीं रखेंगे। राज्य सरकार ने एग्जामिन करके और जांच करके निर्णय लिया कि ये बच्चे छात्रावास में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरे लड़के और लड़की के अलावा और लड़के और लड़कियां भी छात्रावास में हैं। मैं माननीय सदस्यों को तसल्ली के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं २ जून, ६५ से फिर मन्त्री बना और जुलाई में स्कूल खुलते हैं। मैंने १ जुलाई को अपनी लड़की उठाली और लड़का भी छात्रावास से उठा लिया। उसके बाद मैंने एक पाई भी छात्रवृति के रूप में नहीं ली। एक पैसा भी लेना साबित करदें तो उसके लिये मैं जिम्मेदार हूं।

श्री विजयसिंह झाला : १६५७ से १६६५ तक जो छात्रवृत्ति ली तो क्या इस प्रकार की केटेगरी में आपको अधिकार था, आपसे कम स्थिति के, कम इकोनोमिक स्थिति के आदमी थे जो पैसा नहीं खर्च कर सकते थे और आप पैसा बंगले में खर्च कर सकते थे वैसी हालत में छात्रवृत्ति लेना कहां तक वाजिब समझते हैं ? क्या आपने छात्रवृत्ति लेकर दूसरों के राइट पर आघात नहीं पहुंचाया ?

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बच्चों ने १६५७ से अब तक स्कोलर शिप ली, मैंने निवेदन किया कि उस समय मैं एम०एल०ए० था·····

श्री विजयसिंह झाला : मन्त्री नहीं थे लेकिन फीस दे सकते थे।

श्री अमृतलाल यादव : मुझे बहुत अफसोस है कि एक आदमी ईमानदारी से अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता है, फिर भी उस बात के लिए और आग्रह किया जाय; इसको रागद्वेष समझूं या क्या समझूं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ये तो आदत से कर रहे हैं। आप छोड़िये, चलिये अपनी बात पर।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि सन् ५७ से ६२ तक आपकी लड़की और लड़का फेल हुए और उसके उपरांत भी छात्रवृत्ति मिलती रही जो कानून के खिलाफ थी ?

श्री अमृतलाल यादव : यह बिल्कुल झूठ और गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण प्रारंभ रखें। ऑर्डर प्लीज !

श्री अमृतलाल यादव : यह बात देख कर बहुत दुख होता है कि जो हरिजनों को शिक्षा में ऊपर उठाने वाले, उनकी आम तरक्की चाहने वाले हरिजनों की प्रगति चाहने वाले हैं वे लोग यह बात करें और इस तरह की चर्चा में पड़ें, मैं उनको धन्यवाद ही देना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मन्त्री होने के आधार पर उन्नति करते हैं, सवाल यह है कि किसकी कितनी मन्थली इनकम है, इकोनोमिक आधार पर छात्रवृति देने के लिये सन् ६५ तक जितने फार्मस आये, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, आपके बच्चों को मिली।····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी अपने भाषण के क्रम में सब बातों पर प्रकाश डालेंगे। बाद में कुछ रह जावें तो और पूछ लेना।

श्री विजयसिंह झाला : केवल इतनी बात बता दें, उसके बाद यह डिमान्ड मंजूर कर देंगे। इसके सिवाय हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं।····

श्री उपाध्यक्ष : और सब तो सुनना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह मांग मंजूर कर लेंगे किन्तु इतना सा स्पष्टीकरण वह कर दें। यह बात कह दें उसके बाद मांग मन्जूर कर लेंगे।

श्री अमृतलाल यादव : क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : इकोनोमिक बेसिस के ऊपर ऐसे मामले हैं जिनमें आपसे कम आय वाले लोगों के लड़के हों जिनको छात्रवृत्तियां नहीं मिली हों ? कम आय वालों

(श्री विजयसिंह झाला)

को छात्रवृत्ति नहीं दी गई, लेकिन आपकी आय ज्यादा होते हुए भी आपके बच्चों को छात्रवृति दी गई।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा सु.) : सोश्यल वेलफेयर ऑफिसर होता है वह देता है, उनसे पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय भाषण दे रहे हैं, उनको आप बोलने का अवसर दें।

श्री विजयसिंह झाला : इनके बच्चे सैण्ट जेवियर में पढ़ते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रीमानजी ने सवाल पूछा है, यह आप उस वक्त जो अधिकारी थे या मन्त्री थे। उनसे पूछें। एक बात। दूसरे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति पाने से रह जाते हैं। आज भी हम यह दावा नहीं करते हैं कि सब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है। हमने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है कि किस बच्चे को किस दर से कितनी स्कोलरशिप देनी है और उसके अन्दर वह आता है तो छात्रवृति दी जाती है। अब मेरे बच्चों को छात्रवत्ति दी गई, तो मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है, कोई गुनाह नहीं किया है। आप छाती ठण्डी रखिये।

श्री विजयसिंह झाला : आप ईमानदारी से कह दीजिये, जब आप ईमानदारी से बोलते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूं और माननीय सदस्यों से बार बार कहता हूं कि आपकी बात झूठी है और बेबुनियाद है...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ?

श्री विजयसिंह झाला : आप कह दीजिये कि आपने गलती की।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : कोई गलती नहीं की।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : छाती ठण्डी हो गई।

श्री विजयसिंह झाला : जो लोग समझते हैं कि सेन्टर जेवियर में....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ?

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब तक समझता था कि माननीय सदस्य बहुत संजीदगी से किसी बात को सदन में उठाना चाहते हैं और लाना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वे द्वेष और ईर्ष्या से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात को घृणा से टालता हूं। मैंने जो कुछ कहा है वह सच है और ठीक कहा है। जो बच्चों को स्कोलरशिप मिली है वह कानून से मिली है और ठीक मिली है और आगे भी मिलेगी तो वह ठीक मिलेगी....

श्री विजयसिंह झाला : सैण्ट जेवियर में पढते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस तरह विक्षेप न करें।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रकार से..

श्री गिरधारीलाल व्यास : सारा सदन मंत्रीजी को सुनने को तैयार है और आप इस तरह व्यवधान डालते हैं।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह झाला : इस तरह हमें नहीं बोलने देते हैं तो हम भी नहीं बोलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नई बात नहीं कहने जा रहे हैं। मैंने आपको काफी अवकाश दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं कहना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट …

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हमारा बोलने का राइट है उसे इस तरह रोकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिप्रसाद। ऑर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह झाला : सैण्ट जेवियर में कितने शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है ?

श्री अमृतलाल यादव : इस वक्त चार विद्यार्थी हैं जिनको स्कोलरशिप मिलती है।

श्री विजयसिंह झाला : दो आपके हैं और…

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह झाला : आप चार कहते हैं …

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्नों की कोई हद होती है।

श्री विजयसिंह झाला : में उनका स्टेण्डर्ड पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हर प्रश्न पर विवाद न करें। ऑर्डर प्लीज !

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इतनी ओछाई दिखाई है …

श्री विजयसिंह झाला : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर, यह 'ओछाई' शब्द इनको वापिस लेना चाहिए।

श्री अमृतलाल यादव : यह बिल्कुल 'ओछाई' है, सही बात है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने नीचता दिखाई है। मिनिस्टर होने के बाद में दो लाख का बंगला आप बना सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति लेते हैं। आपको शर्म नहीं आई।

श्री अमृतलाज यादव : आपको शर्म आनी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष, जो इस तरह की बात यहां करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आप अपने लड़कों के लिए इस प्रकार स्कोलरशिप लें-यह शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको शर्म आनी चाहिए कि हरिजनों से द्वेष करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow such things, Order please !

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मंत्री बोले रहे हैं उनको बोलने दीजिये। (मन्त्री महोदय से) yes.

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है इस बात का। सही तथ्यों को रखने के बाद मैं आशा करता था कि ऑपोजीशन के माननीय सदस्य यह बात एप्रीशियेट करेंगे। उसके बजाय एक माननीय सदस्य इस बात को बार बार बीच में उठ कर कहते रहें। अब और बात उनके पास कहने को नहीं रही, और बातों के अन्दर उनके पास क्वेरीज करने को नहीं रहा तो उन्होंने दूसरी बात उठाई मकान के बारे में। वह भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : जाने दें। आगे चलिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप पालिसी पर प्रकाश डालें।

(शोर गुल)

माननीय काना भाई! आर्डर प्लीज !!

श्री अमृत लाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सदस्य हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके नीचे धरती है और ऊपर आसमान है। हम लोग जो काम करने वाले हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्य जो इधर बैठने वाले हैं, और उधर बैठने वाले हैं, सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपने मकान के मामले में जो निवेदन करूं कृपया उसे शांति से सुनें क्योंकि मैं सदन को सुप्रीम कोर्ट मानता हूं और इसके सामने सारी बातें बताना अपना फर्ज समझता हूं, उसे मैं अदा करना चाहता हूं। मुझे यह पसन्द नहीं है कि बार बार इस तरह की चर्चायें आयें। मैं कोई उपयुक्त अवसर सोच रहा था कि कोई समय आये तो मैं अपनी बात रखूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर एक सदस्य इस बात को जानता है कि भवन निर्माण का काम हमारी सात पीढ़ी का काम है। हम लोगों ने जयपुर शहर, उदयपुर शहर और कोटा शहर के कितने ही मकान बनाये हैं यह लोगों का सात पीढ़ी का धन्धा है. यह धन्धा हम सात पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जिस काम को करता है उस काम में वह निष्णात होता है। मैं एक बात महसूस करता था कि मैं समाज में कुछ अगुआ गिना जाता हूं तो मैं अपने समाज के सामने कुछ उदाहरण रखूं जो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं और मेरी पत्नी और दो बच्चे-अब चार बच्चे हैं हम कुल घर में छः हैं। मैं ५२ से ५७ तक मंत्रिमंडल में रहा उसके बाद मैं लगातार एम० एल० ए० रहा उसके बाद आपके आशीर्वाद से मैं पुनः मंत्रि मंडल में हूं। मेरा न शराब का खर्चा है, न बीड़ी का खर्चा है, न सिगरेट का खर्चा है। मैं पान अलबत्ता खाना खाने के बाद खा लेता हूं। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी सादा खाते हैं और सादा पहिनते है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जमीन का प्लाट सन ५१ या ५२ में लिया और वह प्लाट भी नाले के किनारे बहुत गन्दी जगह मिला; जो हमारा अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, उसने यह समझ कर कि इसको एक तरफ दे दो, दे दिया। मुझे इस बात का

(श्री अमृत लाल यादव)

ख्याल हुआ कि कम से कम मैं इनके सामने एक उदाहरण पेश करूं ···

श्री विजय सिंह झाला : उदयपुर में प्लॉट है, वह भी कह दीजिये ।

श्री अमृत लाल यादव : माननीय सदस्य, आप कृपया शांति रखिए और मुझे अपनी बात कहने दीजिये । मैं आपको पूरी तसल्ली कराना चाहता हूं । उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होगी तो जैसा आप कहेंगे उसको मानने को तैयार हूं । कृपया मुझे मेरी बात कहने दीजिये ।

तो हमारे जो लोग उस तरफ से निकलते हैं, मैं समझता हूं, जयपुर से आने वाले जनसंघ के माननीय सदस्य और जो जनसंघ के नेता भी है वे इस बात को शायद जानते होंगे कि मैं और मेरी पत्नी हम अपने मकान पर खुद काम करते थे । न हमने कोई मिस्त्री रखा और न कोई इन्जीनियर रखा और न दूसरे आदमी रखे । मैं, मेरी पत्नी और बच्चे खुद काम करते थे । इसके अलावा मेरे और साथी और परिवार के लोग हैं उन्होने फैसला किया कि आप हमें जयपुर आने-जाने का किराया दे दो और खाने-पीने की व्यवस्था करदो -हम चुनाई और घड़ाई का काम जानते हैं, हम आकर एक महीने काम कर देंगे·······

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप दोनों में कारीगर कौन है ? आप दोनों में चुनाई का काम कौन करता था ?

श्री उपाध्यक्ष : This is not relevant..

श्री अमृत लाल यादव : मैं करता था और आज भी करके बता दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इनको बता दीजिये कि जहां भी चुनाई घड़ाई का काम हो तो मैं आज भी कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आप पालिसी के ऊपर ही बता दीजिये ।

श्री जोधसिंह चौहान : इस मकान की कीमत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जोधसिंह चौहान : इस मकान की कीमत क्या है यह जानने की मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री अमृतलाल यादव : इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आमदनी में से दो दो पाई बचा कर, और जितना जो कुछ बच सका उसको लगा कर और सरकार से रुपया कर्ज लेकर और दूसरे मित्रों से कर्जा लेकर मैंने एक मकान बनाया, इस बात के लिए कि मैं अपने समाज के सामने एक उदाहरण रख सकूं ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०) : कर्जा कितना लिया है, आप यह बता सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : आपने की मकान बनाया है न ।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा कि उदाहरण देने के लिए मकान बनाया । आप हरिजनों को जमीन दिलाने के लिए और अनुदान दिलाने के लिए मदद कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव पेश हुए हैं आप उनका उत्तर दे दें और इन बातों को छोड़ें।

(शोर गुल)

आॅर्डर ! आर्डर !!

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में अधिकांश दारू की प्रथा रहती है और फिजूलखर्ची मैंने बिलकुल पसन्द नहीं की। मैंने अपने पिताजी का नुकता मां का नुकता नहीं किया। मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं दो दो पाई बचा कर अपने साथियों और मित्रों के सहयोग से मकान बनाऊं और वह मैंने बनाया और जिसमें मैं रह रहा हूं। इसलिये मैं नहीं मानता कि माननीय सदस्य इस बात से क्यों नाराज हैं और औरों की प्रतीक्षा का सवाल आता नहीं। मैं आपके कट मोशन्स में जो बातें आई हैं उसमें आपको बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों के मकान बने और सबसे ज्यादा इसके लिए हमने तवज्जोह दी है।

एक माननीय सदस्य : आपने कितना कर्जा लिया। दूसरों ने कितनों ने बनाये।

श्री अमृतलाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

(तीन चार माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान। अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : सदन को सारी बातों को सुनना चाहिये। आर्डर प्लीज।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रकम आज है वह सभी जातियों के लिये लगाई जावेगी तो वह कम पड़ेगी। जसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था। मगर जैसा कि फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति को दी जाती है और शहरों में म्युनिसिपेलिटीज को दी जाती है, इसलिये म्युनिसिपेलिटीज इनको जमीन दे और रकम हो तो लोन दें और लो-इन-कम ग्रुप से ले लें। समाज कल्याण विभाग से आज ७५०) रु० दिये जाते हैं वह कम पड़ता है। इसके लिये विचार करते हैं कि इसको संभवतः १०००) रु० कर दिया जावे।

एक माननीय सदस्य : हजार कर देना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह मान कर चलिये कि कर दिया है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं आपको बताऊं कि सेठ सोहन लाल दुग्गड़ फतेहपुर वालों से मैंने बात की और उन्होंने कुछ रकम दी। मैंने उनके सामने यह शर्त रखी कि २७ घर हरिजनों के थे उनको कृपा करके पक्के बनवा दिये जावें। उन्होंने इस बात को मान लिया और जितनी रकम हमारे पास थी उसको हमने उनको दे दी बाकी उन्होंने खर्च करके वहां पर श्री जयनारायण व्यास के नाम से बस्ती बनाई। इससे मेघवाल और बुनकर भाई नाराज हुए। मगर मैं यह कहूंगा कि जो रकम हमारे पास थोड़ी है और मेहतर जाति जो बुरे हाल में रहती है उनके कच्चे मकान पक्के बन जावे तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री भवरलाल : जैसा आपने बताया कि १०००) तक देंगे। तब आप उनको

(श्री श्रवण लाल)

१ हजार तक देंगे तो उनको नकशे के माफिक ही मकान बनाना पड़ेगा ।

श्री अमृतलाल यादव : नकशा नहीं हो तो गाइडेन्स के तौर पर दिया जा सकता है। वे खुद कुछ रुपया अपने पास से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : आपने बताया कि हरिजनों के आवेदन आते है; उस पर आप ध्यान देते हैं। यह अच्छी बात है पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि लाखेरी के मजदूरों के मकानों को जो चार साल पहले के थे उनको ५-२-६६ को २५ जवानों को ले जाकर तुड़वा दिये गये और उनकी औरतों को वहां से बाहर निकाल दिया गया उसके बारे में आपको कल्याणकारी विभाग के मंत्री के नाते आपको सूचना दी गई थी। मगर आपने उसके बारे में कोई किसी की मदद नहीं की। आपको लिखा है। २५ विधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षरों से आपको लिखा गया। आपको प्रतिलिपि भेजी गई उसकी रसीद मेरे पास मौजूद है। आपने उनके लिये कोई मदद नहीं की। जब चमारों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया और उनकी औरतों को धक्का देकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। उनकी बड़ी इज्जत खराब की। जब उसकी जानकारी आपको दी, चीफ मिनिस्टर को दी। आपको क्या ध्यान है ?

श्री अमृतलाल यादव : जरा माननीय सदस्य इस बात का विचार करें कि जिनको हम ७५०) रु० देते हैं उनको हम ही निकाल दें यह कैसे हो सकता है ; हो सकता है कि उनकी जमीन नहीं होगी या और कोई बात होगी।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : आपने उनके लिये क्या कोई कदम उठाया ? हमने आपको सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप अब सुनिये ।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : प्रतिनिधित्व आप हमारा करते हैं और यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से काम करते हैं...

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य को इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : आपने क्या उस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त की है।

श्री अमृतलाल यादव : अब भी आप जानकारी में लावें तो जांच कराऊंगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपकी जानकारी है। हमने आपको लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे सदन का समय इस प्रकार जाया न करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के २५ सदस्यों ने दस्तखत करके प्रार्थना-पत्र दिया है और आपको जानकारी मिली है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत अहमियत रखता है। आपका कहना है कि विधान सभा के २५ सदस्यों ने हस्ताक्षर करके माननीय मंत्रीजी को सूचना दी है। उनके पास समाज कल्याण का एक ही विभाग है।

श्री मानसिंह मद्दार (आमेर) : यह तो बहुत पुरानी बात कह रहें हैं ।

श्री भैरूंसिंह : उनही को जानकारी कराना चाहते हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप काला-बादलजी से पूछिये और दूसरे लोगों से भी पूछिये ।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप कहने तो दीजिये...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दी होगी ।

श्री अमृतलाल यादव : आपने एक कोपी मुझे दी होगी । मैं यह कह रहा हूं कि आप मुझे फिर दे दें । मैं, जरूर जो मदद होगी, करूंगा । आपको इसमें दिक्कत क्या है ?

इसके बाद मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि आदिवासी एरिया में आदि-वासियों के विकास का बहुत बड़ा प्रश्न है । आदिवासी विकास खंड के नाम से काम करते हैं । एक विकास में दो लाख का प्रोविजन होता है और इस प्रकार से १८ विकास खंड काम करते हैं जिनमें से ४ विकास खंड इस साल और चार अगले साल में, इस तरह से १८ विकास खंडों का प्राव-धान है एक विकास खंड में ५० या ६० प्रतिशत पोपुलेशन का एरिया आता है ।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने आदिवासियों के ढेरों की सर्वे करवाई है ?

श्री अमृतलाल यादव : इसमें सर्वे का प्रश्न नहीं है । ५० परसेन्ट से ६० परसेन्ट पोपूलेशन है वहां जैसे विकास का काम होता हैं वह होगा । T. D. ब्लॉक में···

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आॅर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इतने प्रश्न नहीं उठावें मंत्री महोदय को बोलने दें ताकि समय पर कार्यवाही समाप्त हो जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत जरूरी है । जब २५ एम०एल०ए० ने लिख कर दिया और उनके दस्तखतों की दरख्वास्त उनके पास पेश की जाए, और उस बात को आज दो महीने होने को आये हैं, आपने कोई ध्यान नहीं दिया । उन २५ जवानों के घर तो गये । उनके लिये आपने कोई कार्यवाही नहीं की । अब क्या कार्यवाही करेंगे ।

(६ म० प०)

श्री अमृतलाल यादव : मेरे को उन्होंने मूल कॉपी नहीं दी है । वे खुद कह रहे हैं कि मूल कापी नहीं दी है; कापी मुझे दी, मूल दूसरों को दी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जगजीवनरामजी को दी, आपको दी, स्वायत शासन मंत्रीजी को दी ।

श्री अमृतलाल यादव : साढ़े सात सौ रुपया जिसको मकान सहायता के लिये दिया जाता है, उसके मकान को हटाने का सवाल वहां आता है, यह अलग बात है, मकान बनाया है, किस जगह बनाया, कैसे बनाया, किसकी आज्ञा से बनाया, यह सब देखने की बात है ।...

श्री भैरोंसिंह : आपने क्या किया ?

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि मुझे ध्यान नहीं है, मुझे कॉपी दी है, कॉपी आती है, उसको मैं सम्बन्धित मंत्री को भेज देता हूं। मेरे महकमे का नहीं होगा, मेरे महकमें का होता तो मैं अवश्य जांच करता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : राजकीय प्रवास भवन में मजदूरों की मीटिंग हुई उसमें जगजीवनरामजी को दी, आप पास में बैठे हुए थे, आपको दी।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : यह मामला चेम्बर में आपस में तय कर लेना हमारा समय क्यों ले रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह चेम्बर का मामला है ! गरीबों के मामले को यहां उठाते हैं तो कहते हैं कि चेम्बर में तय कर लेना।

श्री अमृतलाल यादव : वहां बाबू जगजीवनरामजी को दी। मैं पास में बैठा था मुझे उसकी कापी नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : वाह साहब! आपका जवाब हो गया। I move closure Sir, यह मानेंगे कि उनका भाषण बहुत अच्छा है।

श्री अमृतलाल यादव : दो छोटे छोटे सवाल और हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको हम ज्यादा एम्बेरेस नहीं करना चाहते, आपने जो जवाब दिया है, एक ऐसा कॉन्क्रीट मसला रखा, उसमें उसका भी जवाब आप नहीं दे सके, आपने कोई कार्यवाही नहीं की कहते हैं कि सम्बन्धित मंत्रीजी को भेज दिया, तो आप क्या खाक छानने के लिये बैठे हुए है ? आप क्या करते हैं ? जिनके घर टूटे, उनको भी बुरा लगता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाये उनके घर नहीं टूटने चाहिये। गवर्नर का आदेश है कि मुफ्त में जमीन दो, एन्क्रोचमेंट का सवाल नहीं; एन्क्रोचमेंट का सवाल है तो उसको हर तरह से सोल्व कीजिये।

श्री विजयपालसिंह कटारा (डूंगरपुर सु०): अरे साहब ! जंगल में आदिवासियों के मकान गिरा देते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य ने फरमाया कि वे मुझे ज्यादा एम्बेरेस नहीं करना चाहते, इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक सवाल उन्होंने उठा कर रखा मैं यह कह रहा था कि भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से सहायता दी जाती है, भूखण्ड उनका है या नहीं मालिकाना हक उनके हैं या नहीं, यह सब देखने के बाद ही मैं बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो एक जवाब दे दो कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में जितना सोशियल एक्टिविटीज के लिए पैसा दिया गया वह पूरा खर्च किया या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : वह प्रश्न उठाया वह अलग सवाल था। अपनी मेहनत से मकान बनायें, जिस जमीन पर बनाये वह उनकी जमीन हैं या नहीं, यह सब देखने की बात हैं, उसके लिए कार्यवाही कर लेंगे। इसके बाद कुछ छात्रावासों के बारे में कहा गया......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो एक सवाल का जवाब दे दीजिये, सब लोगों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को सन्तोष हो जायगा। पिछले साल सोशियल वेलफेअर के बारे में जितनी धनराशि रखी, वह सब खर्च कर दी या नहीं ?

श्री गणपत लाल शर्मा : (मांडलगढ़): हम छात्रावासों के बारे में सुनना चाहेंगे।

श्री अमृतलाल यादव : छात्रावासों के लिये जो रकम दी जाती है, उसमें यह प्रावधान था कि दस महिनों का खर्चा दिया जाता था। जो डिफिकल्टी कट मोशन में बताई गई है, वह ठीक है, १२ महिने रहते हैं, दूसरा खर्चा होता हैं, वह १२ महिनों का होता है, उनकी दिक्कत है कि अनुदानित छात्राबासों में १२ महिने का अनुदान मिले, वह देने का मानते हैं, विचार कर रहे हैं, जो रकम दी जाती है. मंहगाई बढ़ गई है, उस रकम को भी बढ़ा कर दिया जाय, उसके लिये बोर्ड में मीटिंग हुई थी, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि अधिक रकम बढ़ाने का निर्णय किया हैं। इस जुलाई से निश्चित रूप से बढ़ी हुई रकम दी जानी शुरू हो जायगी।

जो बजट का प्रावधान है, उसको पूरा का पूरा खर्च करने की कोशिश की जायगी। डीसेंट्रलाइजेशन में जो रकम पंचायत समितियों को देते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा खर्चा करें, पर कुछ पंचायत समितियां पूरी तवज्जोह नहीं देती हैं, राज्य सरकार चाहती हैं कि वे पूरी तवज्जोह दे।

इसीके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तहसील हैड क्वाटर्स पर समाज कल्याण के बोर्डिंग हाउस हैं.......

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि बालकों और बालिकाओं के खर्च के अन्दर फर्क है; तो क्या बालिकाओं के लिये भी रकम बढ़ाई है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६,........

श्री भैरोंसिंह : मेरा एक कट मोशन है उसको मैं पेश करना चाहूंगा। जो मेरा कट मोशन है कि मन्त्रि मंडल में कटौती की जाय उसको मैं प्रेस करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६. में जो मन्त्रि-मण्डल में कटौती के सम्बन्ध में.........

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब ऐसे नहीं, इसे मैं प्रेस करना चाहता हूं। तो क्यों प्रेस करना चाहता हूं यह तो मुझे बताने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह रूल्स के खिलाफ कैसे होगा ?

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव माननीय भैरोंसिंहजी ने मांग संख्या ६ में मंत्रियों की कटौती के सम्बन्ध में रखा, उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

('ना' पक्ष जीता)

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : I put it again,

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव, जो मैंने अभी कहा, मांग संख्या ६ पर श्री भैरोंसिहजी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Noes have it, Sir.

श्री भैरोंसिह : 'हां' पक्ष जीता।

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

एक माननीय सदस्य : महारावल साहब गलत लाबी में चले गए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह वे देखने गए हैं कि सोफा सेट के अन्दर कोई कांग्रेसी तो छिपा हुआ नहीं बैठा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : Noes have it.

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : उनकी आवाज नहीं निकलती, जैसे खाना नहीं खाया हो।

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to Ayes lobby and Noes to Noes lobby.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

The result of the Division is :

Noes 37

Ayes 14

प्रस्ताव गिर गया।

[मत विभाजन सूची के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य]

'हां' पक्ष की सूची

श्री अब्दुल जब्बार
,, भैरोंसिह शेखावत
,, नौसरसिह बाबेल
,, हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
,, जोधसिंह चौहान
,, कृष्णकुमार गोयल
महारावल श्री लक्ष्मण सिंह
श्री लक्ष्मीचन्द
कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
श्री सम्पतलाल बोहरा
,, श्रवणलाल
,, सतीशचन्द्र अग्रवाल
,, विजयपाल कटारा
,, विजयसिंह झाला

'ना' पक्ष की सूची

,, अमृतलाल यादव
,, बरकतुल्ला खां
,, भैरवलाल "कालाबादल"
,, चतुर्भुज उपाध्याय
,, दौलत राम सारण
,, देवेन्द्र कुमार मीणा
,, देवीलाल मीणा
,, दिनेशराम डांगी

('ना' पक्ष की सूची)

श्री गणेशलाल
,, गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गिरधारीलाल व्यास
,, गोकुल प्रसाद शर्मा
,, गोपीलाल गोठवाल
,, गोविन्दसिंह पिड़ावा
,, हरलाल
,, जेठमल बरबड़
,, जुगलाल
,, ज्वालाप्रसाद शर्मा
,, कानाभाई नुवाज
,, ललितमोहन
,, मांगीलाल हिण्वा
,, मनफूल सिंह
,, मोहनराज
,, मोतीलाल चौधरी
,, नाथूराम (बागीडोरा)
,, परसराम मदेरणा
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री प्रभूलाल सेन्टर
,, दामोदरलाल व्यास
,, रघुनाथ विश्नोई
,, रामप्रसाद लड्ढा
,, रविशंकर याज्ञनिक
,, सागरमल
,, शीशराम ओला
श्रीमती सुमित्रा
श्री तेजाराम गहलोत

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६७, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८७,४२,०००) रुपए तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६ विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९६७, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७६,३८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ६.१८ बजे कल दिनांक २६ मार्च, १९६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

Page No. 143

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ का उत्तर देखिए)

वन विभाग राजस्थान की आय व व्यय का नक्शा

अवधि	आय लाखों में	व्यय लाखों में		योग
		प्लान	नानप्लान	
फरवरी ६४ से दिसम्बर ६४ तक	७८.२३	४७·४३	४२·४९	८९·९२
फरवरी ६५ से दिसम्बर ६५ तक	८६·२०	४४·१६	४७·८७	९२·०३

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०० का उत्तर देखिये)

मार्च सन् १९६२ में अब तक जयपुर जिले में खोले गये औषधालयों की सूची :—

१.	खण्डेल	1961–62
२.	दूदू	1961–62
३.	मोरीजा	1961–62
४.	बनार	1961–62
५.	किशनगढ़	1961–62
६.	भावरु	1963–64
७.	बापूनगर (जयपुर शहर)	1964–65
८.	डूंगरी	1964–65
९.	खातीपुरा	1964–65
१०.	नारी का नाका (जयपुर शहर)	1964–65
११.	बनजारा बस्ती (जयपुर शहर)	1964–65
१२.	शिवसिंहपुरा	1964–65
१३.	नागर जैसा बोहरा	1964–65
१४.	चितौड़ा	1965–66
१५.	करीरी	1965–66

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-शुक्रवार, दिनांक, २५ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५	१५	प्रम्प	पम्प
१२	१३	सव	सर्वे
१२	१७	मैं	में
१२	२२	उसक्रा	उसका
१४	१३	कनाल्स	कैनाल्स
१८	१७	नेशनलाइज्	रैशनेलाइज्
२१	अंतिम से ३	अब	कब
२२	८	आर० एस०	आर•ए०एस०
२२	१२	की	को
२२	१९	४८७-३	४८७
२२	२०	दलपतसिंह	श्री दलपतसिंह
२२	२१ व २२ के मध्य		प्रश्न संख्या ४८८
३५	१६	डस	उस
३६	अंतिम से ८	सेक्शन	सैंक्शन
३७	शीर्षक	तरांकित	तारांकित
३९	अंतिम से ६	क्री	की
४०	अंतिम से ६	चहिए	चाहिए
४१	१३	सावस	सर्विस
४३	५	United	Unified
४३	१९	कर्मचारियां	कर्मचारियों
५१	७	२११ सस) ३	२१ सस) ३
५८	८	की	को
५९	२	बढ़ा	बड़ा
७३	अंतिम से ८	द्रिए	दिए
७५	,, ,, १	रक	कर
८२	६	(अनुसूचित	(अनुसूचित जाति
९१	अंतिम से ६	४.५	४-५
१००	अंतिम से १	में	मैं
१०१	२४	ले	से

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१००	१	जेधसिंह	जोधसिंह
११४	४	ज्यादा ज्यादा	ज्यादा से ज्यादा
११५	अंतिम से ६	किस	किसी
१२०	१५	फैसला	फैसल
१२२	अंतिम से ६	ग्रोर	ग्रोर
१२३	७	१६६४–६६	१६६४–६५
१२४	१७	ने	में
१२५	१७	पंदों	मंदों
१३०	१६	एक्सन	एक्शन
१३१	शीर्षक	सामान्य	सामाजिक
१३३	५	इरिगेशन	इरिगेशन
१३३	६	बसूल	वसूल
१३६	अंतिम से १	समाचा	समाचार
१३९	१७	पोलिटिक्ल्स	पोलिटिक्स
१४२	२४	घोड़ें	घोड़ों
१४३	१५	ब्रात	बात
१४७	८	भैरेंसिंह	भैरोंसिंह
१४९	१६	सक्ते	सकते
१५०	१८	उनके	उनको
१५२	अंतिम से ६	फेश	फेस
१५५	२४	क	के
१५६	७	के के नारे	के नारे
१५६	२१	यदि	याद
१५७	शीर्षक	सामान्य	सामाजिक
१५७	१३	से	में
१५९	शीर्षक	सामाण्य	सामाजिक
१५९	३	तों	तो
१६२	१७	यह ग्रादमो	इस ग्रादमी ने
१६५	११	किसकी	किसको
१६५	अंतिम से १०	विरोजी	विरोधी
१६६	,, ,, ७	स्ट्रोंग	स्ट्रोंग
१६६	,, ,, ५	गस	इस
१६९	८	शलो	शैलो

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१७२	२२	कौ	को
१७३	अंतिम से १०	हैं वे चार	हैं चार
१७५	,, ,, ११	श्री राधाकृष्ण	श्री राधाकृष्ण गोयल
१७७	१४	मोग्य	योग्य
१८०	७	शाख	साख
१८२	११	समात	समाप्त
१८८	१८	पैला	पैसा
१९१	९	कभी	कम
१९४	६	ओंर	ओर
१९४	अंतिम से ६	उनकों	उनको
१९५	४	एसी	ऐसी
१९६	१०	लीगों	लोगों
१९६	अंतिम से २	महदय	महोदय
१९७	,, ,, २	क्षर	कर
२००	७	तौ	तो
२००	१५	ह्रोता	होता
२००	अंतिम से ६	के	से
२०४	,, ,, २	बड़	बड़े
२०५	११	भेरवलाल "कालाबादल"	श्री भेरवलाल "कालाबादल"
२१६	अंतिम से १२	कुम्बा	कुनबा
२१९	,, ,, ९	प्रथंना	प्रार्थना
२१९	,, ,, ८	करन	करना
२२०	२२	ओर	ओर
२२२	२०	ह्रोती	होती
२२४	अंतिम से ६	न	नहीं
२२६	१६	की	को
२३५	१	केसेज अन्दर	केसेज के अन्दर
२३६	अंतिम से १	द	दें
२३८	२१	का	को
२४०	१०	अवश्ये	अवश्य
२४१	अंतिम से ११	मैं	में

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२४४	७	का	को
२५०	१०	की	को
२५०	१४	किया गया है	किया है
२५०	१५	मैं	मैं
२५३	५	आवश्यकस	आवश्यक
२६१	३	वेटेगरी	केटेगरी
२६३	अंतिम से ८	छात्रवत्ति	छात्रवृत्ति
२६४	१२	सैन्टर	सैन्ट
२६६	अंतिम से ११	श्री अमृतलाज यादव	श्री अमृतलाल यादव
२७०	,, ,, ६	की	भी
२७१	६	उपाध्यक्ष महोदय,	श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय,
२७१	अंतिम से १	जसा	जैसा
२७८	८	श्री विजयपालसिंह कटारा	श्री विजयपाल कटारा
२७६	अंतिम से ६	वजट	बजट